

©

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय



भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

(1872 का अधिनियम संख्यांक 1)

[1 अगस्त, 1990 को यथाविद्यमान]

The Indian Evidence Act, 1872

(ACT No. 1 OF 1872)

[As on the 1st August, 1990]

1991

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन-नियंत्रक,
भारत सरकार, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110 054 द्वारा प्रकाशित ।

मूल्य : (देश में) 10 रुपए 50 पैसे; (विदेश में) पौड 0.97 या 64 सेंट्स

PREFACE TO THE FIRST EDITION

This is diglot edition of the Indian Evidence Act, 1872 as modified upto 1st January, 1965 containing the English text and the authoritative Hindi text thereof. The authorised Hindi version of the Act was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1A, No. 2, dated January 27, 1965.

The Hindi version of the Indian Evidence Act was prepared by the Official Language (Legislative) Commission and it was published under the authority of the President under section 5(1) of the Official Languages Act, 1963 and on such publication, it became the authoritative text of that Act in Hindi.

While preparing the Hindi version of the Act, the Commission made use of the Indian language equivalents approved for use as far as possible in all the languages in use in the States. But as some of them may not be readily assimilable in some of these languages, some alternative terms have also been selected by the Commission. These have been shown in a list at the beginning and each such alternative term has been indicated throughout the Hindi text by a number which it bears in the said list.

NEW DELHI :
21ST JUNE, 1965.

R. G. S. SARKAR,
Secretary to the Government of India.

PREFACE TO THE FIFTH EDITION

As all the copies of the previous four diglot editions of the Indian Evidence Act, 1872 (Act No. 1 of 1872) have been sold the fifth edition is being published, incorporating the amendments made in it till the 1st August, 1990. The present edition also gives legislative history of the Act.

NEW DELHI :
1ST AUGUST, 1990.

B. K. SHARMA,
Additional Secretary to the Government of India.

FIRST EDITION : 21ST JUNE, 1965—5,000

SECOND EDITION : 1974—1,000

THIRD EDITION : 1ST JUNE, 1976—1,000

FIRST REPRINT : 1ST JANUARY, 1978—10,000

SECOND REPRINT : 1ST SEPTEMBER, 1982—30,000

FOURTH EDITION : 1ST JULY, 1986—20,000

FIFTH EDITION : 1ST AUGUST, 1990—23,000

प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

यह 1 जनवरी, 1965 तक यथा उपान्तरित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का द्विभाषीय संस्करण है, जिसमें अधिनियम का अंग्रेजी पाठ तथा प्राधिकृत हिन्दी पाठ अन्तर्विष्ट है। अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी रूपान्तर तारीख 27 जनवरी, 1965 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 2 में प्रकाशित हुआ था।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हिन्दी रूपान्तर राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5(1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होते ही, उस अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ बन गया।

अधिनियम का हिन्दी रूपान्तर तैयार करने में आयोग ने उन भारतीय भाषा पर्यायों का प्रयोग किया है जिन्हें इस दृष्टि से अपनाया गया है कि जहां तक सम्भव हो उनका प्रयोग वे सभी भाषाएं कर सकें जो राज्यों में प्रयुक्त हो रही हैं। किन्तु हो सकता है कि इनमें से कुछ ऐसे हों जिन्हें उनमें से कुछ भाषाएं सहज ही न पचा सकती हों। अतः आयोग ने कुछ वैकल्पिक शब्दों का भी चयन किया है। ये शब्द प्रारम्भ में ही एक सूची में दिखा दिए गए हैं और ऐसा प्रत्येक वैकल्पिक शब्द हिन्दी पाठ में सर्वत्र एक ऐसी संख्या से उपदर्शित है जो उक्त सूची में उसे दी गई है।

नई दिल्ली,
21 जून, 1965

भार० सी० एस० सरकार,
सचिव, भारत सरकार।

पांचवें संस्करण का प्राक्कथन

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का अधिनियम संख्यांक 1) के चार पूर्व प्रकाशित द्विभाषीय संस्करणों की सभी प्रतियां बिक गई हैं इसलिए इसका पांचवां संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में 1 अगस्त, 1990 तक के सभी संशोधनों का समावेश कर दिया गया है। इस संस्करण में अधिनियम का विधायी इतिहास भी दिया गया है।

नई दिल्ली,
1 अगस्त 1990

ब्रजकिशोर शर्मा,
अपर सचिव, भारत सरकार।

प्रथम संस्करण : 21 जून, 1965—5,000
द्वितीय संस्करण : 1974—1,000
तृतीय संस्करण : 1 जून, 1976—1,000
प्रथम पुनर्मुद्रण : 1 जनवरी, 1978—10,000
द्वितीय पुनर्मुद्रण : 1 सितम्बर, 1982—30,000
चौथा संस्करण : 1 जुलाई, 1986—20,000
पांचवां संस्करण : 1 अगस्त, 1990—23,000

LIST OF AMENDING ACTS AND ADAPTATION ORDERS

1. The Indian Evidence Act Amendment Act, 1872 (18 of 1872).
2. The Indian Evidence Act (1872) Amendment Act, 1887(3 of 1887).
3. The Indian Evidence Act (1872) Amendment Act, 1891 (3 of 1891).
4. The Indian Evidence Act, 1899 (5 of 1899).
5. The Repealing and Amending Act, 1914 (10 of 1914).
6. The Repealing and Amending Act, 1919 (18 of 1919).
7. The Indian Evidence (Amendment) Act, 1926 (31 of 1926).
8. The Repealing and Amending Act, 1927 (10 of 1927).
9. The Amending Act, 1934 (35 of 1934).
10. The Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order, 1937.
11. The Repealing Act, 1938 (1 of 1938).
12. The Indian Independence (Adaptation of Central Acts and Ordinances) Order, 1948.
13. The Repealing and Amending Act, 1949 (40 of 1949).
14. The Adaptation of Laws Order, 1950.
15. The Part B States (Laws) Act, 1951 (3 of 1951).
16. The Criminal Law (Amendment) Act, 1983 (43 of 1983).
17. The Criminal Law (Second Amendment) Act, 1983 (46 of 1983).
18. The Terrorist Affected Areas (Special Courts) Act, 1984 (61 of 1984).
19. The Dowry Prohibition (Amendment) Act, 1986 (43 of 1986).

संशोधन अधिनियमों तथा अनुकूलन आदेशों की सूची

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम संशोधन अधिनियम, 1872 (1872 का 18) ।
2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) संशोधन अधिनियम, 1887 (1887 का 3) ।
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का 3) ।
4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1899 (1899 का 5) ।
5. निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10) ।
6. निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1919 (1919 का 18) ।
7. भारतीय साक्ष्य (संशोधन) अधिनियम, 1926 (1926 का 31) ।
8. निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1927 (1927 का 10) ।
9. संशोधन अधिनियम, 1934 (1934 का 35) ।
10. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 ।
11. निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) ।
12. भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 ।
13. निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1949 (1949 का 40) ।
14. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 ।
15. भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम, 1951 (1951 का 3) ।
16. दण्ड विधि (संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का 43) ।
17. दण्ड विधि (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1983 (1983 का 46) ।
18. आतंकवादी क्षेत्र (विशेष न्यायालय) अधिनियम, 1984 (1984 का 61) ।
19. दहेज प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम, 1986 (1986 का 43) ।

संक्षेपाक्षर

सं०संख्यांक (नम्बर) ।

THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTIONS

PREAMBLE

PART I

RELEVANCY OF FACTS

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. [*Repealed.*]
3. Interpretation-clause.
 - “Court”.
 - “Fact”.
 - “Relevant”.
 - “Facts in issue”.
 - “Document”.
 - “Evidence”.
 - “Proved”.
 - “Disproved”.
 - “Not proved”.
 - “India.”
4. “May presume”.
 - “Shall presume”.
 - “Conclusive proof”.

CHAPTER II

OF THE RELEVANCY OF FACTS

5. Evidence may be given of facts in issue and relevant facts.
6. Relevancy of facts forming part of same transaction.
7. Facts which are the occasion, cause or effect of facts in issue.
8. Motive, preparation and previous or subsequent conduct.
9. Facts necessary to explain or introduce relevant facts.
10. Things said or done by conspirator in reference to common design.
11. When facts not otherwise relevant become relevant.
12. In suits for damages, facts tending to enable Court to determine amount are relevant.
13. Facts relevant when right or custom is in question.
14. Facts showing existence of state of mind, or of body, or bodily feeling.
15. Facts bearing on question whether act was accidental or intentional.
16. Existence of course of business when relevant.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

धाराओं का क्रम

धाराएं
उद्देशिका

पृष्ठ

भाग 1

तथ्यों की सुसंगति

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
2. [निरसित।]	2
3. निर्वचन-खण्ड	2
“न्यायालय”	2
“तथ्य”	2
“सुसंगत”	2
“विवाद्यक तथ्य”	2
“दस्तावेज”	3
“साक्ष्य”	3
“साबित”	3
“नासाबित”	3
“साबित नहीं हुआ”	3
“भारत”	3
4. “उपधारणा कर सकेगा”	3
“उपधारणा करेगा”	3
“निश्चायक सबूत”	3

अध्याय 2

तथ्यों की सुसंगति के विषय में

5. विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा	4
6. एक ही संबन्धवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति	4
7. वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं	5
8. हेतु तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण	5
9. सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य	6
10. सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यन्त्रकारी द्वारा कही या की गई बात	7
11. वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत हैं	7
12. नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं	8
13. जबकि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य	8
14. मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शाते करने वाले तथ्य	8
15. कार्य आकस्मिक या साशय था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य	10
16. कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व कम सुसंगत है	11

SECTIONS

ADMISSIONS

17. Admission defined.
18. Admission—
 - by party to proceeding or his agent;
 - by suitor in representative character;
 - by party interest in subject-matter;
 - by person from whom interest derived.
19. Admissions by persons whose position must be proved as against party to suit.
20. Admissions by persons expressly referred to by party to suit.
21. Proof of admissions against persons making them, and by or on their behalf.
22. When oral admissions as to contents of documents are relevant.
23. Admissions in civil cases when relevant.
24. Confession caused by inducement, threat or promise, when irrelevant in criminal proceeding.
25. Confession to police officer not to be proved.
26. Confession by accused while in custody of police not to be proved against him.
27. How much of information received from accused may be proved.
28. Confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise, relevant.
29. Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy, etc.
30. Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offence.
31. Admissions not conclusive proof, but may estop.

STATEMENTS BY PERSONS WHO CANNOT BE CALLED AS
WITNESSES}

32. Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found, etc., is relevant.
 - When it relates to cause of death;
 - or is made in course of business;
 - or against interest of maker;
 - or gives opinion as to public right or custom, or matters of general interests;
 - or relates to existence of relationship;
 - or is made in will or deed relating to family affairs;
 - or in document relating to transaction mentioned in section 13, clause(a);
 - or is made by several persons and expresses feelings relevant to matter in question.
33. Relevancy of certain evidence for proving, in subsequent proceeding, the truth of facts therein stated.

धाराएं

पृष्ठ

स्वीकृतियां

17. स्वीकृति की परिभाषा	11
18. स्वीकृति—	11
कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा	11
प्रतिनिधिक रूप से वादकर्ता द्वारा	11
विषय-वस्तु में हितवद्ध पक्षकार द्वारा	11
उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो	11
19. उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति बाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए	12
20. बाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां	12
21. स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना	12
22. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं	13
23. सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं	13
24. उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है	13
25. पुलिस आफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना	13
26. पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना	13
27. अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी	14
28. उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात् की गई संस्वीकृति सुसंगत है	14
29. अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना	14
30. साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना	14
31. स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं किन्तु विबन्ध कर सकती हैं	14

उन व्यक्तियों के कथन जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता

32. वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि	14
जबकि वह मृत्यु के कारण से सम्बन्धित है	15
अथवा कारबार के अनुक्रम में किया गया है	15
अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध है	15
अथवा लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है	15
अथवा नातेदारी के अस्तित्व से सम्बन्धित है	15
अथवा कौटुम्बिक बातों से सम्बन्धित विल या विलेख में किया गया है	15
अथवा धारा 13, खंड (क) में वर्णित संव्यवहार से सम्बन्धित दस्तावेज में किया गया है	15
अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है	15
33. किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चात्पूर्वी कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति	17

SECTIONS**STATEMENTS MADE UNDER SPECIAL CIRCUMSTANCES**

34. Entries in books of account when relevant.
35. Relevancy of entry in public record made in performance of duty.
36. Relevancy of statements in maps, charts and plans.
37. Relevancy of statement as to fact of public nature, contained in certain acts or notifications.
38. Relevancy of statements as to any law contained in law-books.

HOW MUCH OF A STATEMENT IS TO BE PROVED

39. What evidence to be given when statement forms part of a conversation, document, book or series of letters or papers.

JUDGMENTS OF COURTS OF JUSTICE, WHEN RELEVANT

40. Previous judgments relevant to bar a second suit or trial.
41. Relevancy of certain judgments in probate, etc., jurisdiction.
42. Relevancy and effect of judgments, orders or decrees, other than those mentioned in section 41.
43. Judgments, etc., other than those mentioned in sections 40 to 42, when relevant.
44. Fraud or collusion in obtaining judgment, or incompetency of Court, may be proved.

OPINIONS OF THIRD PERSONS WHEN RELEVANT

45. Opinions of experts.
46. Facts bearing upon opinions of experts.
47. Opinion as to handwriting, when relevant.
48. Opinion as to existence of right or custom, when relevant.
49. Opinions as to usages, tenets, etc., when relevant.
50. Opinion on relationship, when relevant.
51. Grounds of opinion, when relevant.

CHARACTER WHEN RELEVANT

52. In civil cases character to prove conduct imputed, irrelevant.
53. In criminal cases, previous good character relevant.
54. Previous bad character not relevant, except in reply.
55. Character as affecting damages.

PART II**ON PROOF****CHAPTER III****FACTS WHICH NEED NOT BE PROVED**

56. Fact judicially noticeable need not be proved.
57. Facts of which Court must take judicial notice.
58. Facts admitted need not be proved.

CHAPTER IV**OF ORAL EVIDENCE**

59. Proof of facts by oral evidence.
60. Oral evidence must be direct.

धाराएं

पृष्ठ

विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन

34. लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं	17
35. कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति	17
36. मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति	17
37. किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति	17
38. विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति	18

कथन किसी में से कितना साबित किया जाए

39. जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, पुस्तक अथवा पत्रों या काजग-पत्रों की आवलि का भाग हो तब क्या साक्ष्य दिया जाए	18
--	----

न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं

40. द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत हैं	18
41. प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति	18
42. धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव	18
43. धाराओं 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं	19
44. निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी	19

अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत हैं

45. विशेषज्ञों की राय	19
46. विशेषज्ञों की रायों से सम्बन्धित तथ्य	20
47. हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है	20
48. अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत हैं	21
49. प्रथाओं, सिद्धान्तों आदि के बारे में राय कब सुसंगत हैं	21
50. नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत हैं	21
51. राय के आधार कब सुसंगत हैं	21

शील कब सुसंगत हैं

52. सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है	21
53. दानिष्ठक मामलों में पूवतन अच्छा शील सुसंगत है	21
54. उत्तर में होने के सिवाए पूवतन बुरा शील सुसंगत नहीं है	22
55. नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील	22

धारा 2

सबूत के विषय में

अध्याय 3

तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है

56. न्यायिक रूप से अवैश्याय्य तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है	22
57. वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी	22
58. स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है	23

अध्याय 4

मौखिक साक्ष्य के विषय में

59. मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना	23
60. मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए	23

SECTIONS

CHAPTER V

OF DOCUMENTARY EVIDENCE

61. Proof of contents of documents.
62. Primary evidence.
63. Secondary evidence.
64. Proof of documents by primary evidence.
65. Cases in which secondary evidence relating to documents may be given.
66. Rules as to notice to produce.
67. Proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produced.
68. Proof of execution of document required by law to be attested.
69. Proof where not attesting witness found.
70. Admission of execution by party to attested document.
71. Proof when attesting witness denies the execution.
72. Proof of document not required by law to be attested.
73. Comparison of signature, writing or seal with others admitted or proved.

PUBLIC DOCUMENTS

74. Public documents.
75. Private documents.
76. Certified copies of public documents.
77. Proof of documents by production of certified copies.
78. Proof of other official documents.

PRESUMPTIONS AS TO DOCUMENTS

79. Presumption as to genuineness of certified copies.
80. Presumption as to documents produced as record of evidence.
81. Presumption as to Gazettes, newspapers, private Acts of Parliament and other documents.
82. Presumption as to document admissible in England without proof of seal or signature.
83. Presumption as to maps or plans made by authority of Government.
84. Presumption as to collections of laws and reports of decisions.
85. Presumption as to powers-of-attorney.
86. Presumption as to certified copies of foreign judicial records.
87. Presumption as to books, maps and charts.
88. Presumption as to telegraphic messages.
89. Presumption as to due execution, etc., of documents not produced.
90. Presumption as to documents thirty years old.

CHAPTER VI

OF THE EXCLUSION OF ORAL BY DOCUMENTARY EVIDENCE

91. Evidence of terms of contracts, grants and other dispositions of property reduced to form of document.

अध्याय 5

दस्तावेजों के विषय में

61. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत	24
62. प्राथमिक साक्ष्य	24
63. द्वितीयक साक्ष्य	24
64. दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना	25
65. अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा	25
66. पेश करने की सूचना के बारे में नियम	26
67. जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था उस व्यक्ति के हस्ताक्षर और हस्तलेख साबित किया जाना	26
68. ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है	26
69. जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले तब सबूत	26
70. अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति	26
71. जबकि अनुप्रमाणिक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत	26
72. उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है	27
73. हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यों से जो स्वीकृत या साबित हैं	27

लोक दस्तावेजों

74. लोक दस्तावेजों	27
75. प्राइवेट दस्तावेज	27
76. लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां	27
77. प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत	27
78. अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत	28

दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं

79. प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा	28
80. साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा	29
81. राजपत्रों, समाचारपत्रों, पार्लिमेंट के प्राइवेट ऐक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा	29
82. मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैण्ड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा	29
83. सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकियों के बारे में उपधारणा	29
84. विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा	29
85. मुक्तारनामों के बारे में उपधारणा	30
86. विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा	30
87. पुस्तकों, मानचित्रों और चाटों के बारे में उपधारणा	30
88. तार संदेशों के बारे में उपधारणा	30
89. पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा	30
90. तीस वष पुरानी दस्तावेजों के बारे में उपधारणा	31

अध्याय 6

दस्तावेजों के साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में

91. दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा सम्पत्ति के अन्य व्ययनों के निबन्धनों का साक्ष्य	31
---	----

SECTIONS

92. Exclusion of evidence of oral agreement.
93. Exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document.
94. Exclusion of evidence against application of document to existing facts.
95. Evidence as to document unmeaning in, reference to existing facts.
96. Evidence as to application of language which can apply to one only several persons.
97. Evidence as to application of language to one of two sets of facts to neither of which the whole correctly applies.
98. Evidence as to meaning of illegible characters etc.
99. Who may give evidence of agreement varying terms of document.
100. Saving of provisions of Indian Succession Act relating to wills.

PART III**PRODUCTION AND EFFECT OF EVIDENCE****CHAPTER VII****OF THE BURDEN OF PROOF**

101. Burden of proof.
102. On whom burden of proof lies.
103. Burden of proof as to particular fact.
104. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.
105. Burden of proving that case of accused comes within exceptions.
106. Burden of proving fact especially within knowledge.
107. Burden of proving death of person known to have been alive within thirty years.
108. Burden of proving that person is alive who has not been heard of for seven years.
109. Burden of proof as to relationship in the cases of partners, landlord and tenant, principal and agent.
110. Burden of proof as to ownership.
111. Proof of good faith in transactions where one party is in relation of active confidence.
- 111A. Presumption as to certain offences.
112. Birth during marriage, conclusive proof of legitimacy.
113. Proof of cession of territory.
- 113A. Presumption as to abetment of suicide by a married woman.
114. Court may presume existence of certain facts.
- 114A. Presumption as to absence of consent in certain prosecutions for rape.

CHAPTER VIII**ESTOPPEL**

115. Estoppel.
116. Estoppel of tenant; and of licensee of person in possession.
117. Estoppel of acceptor of bill of exchange, bailee or licensee.

CHAPTER IX**OF WITNESSES**

118. Who may testify.
119. Dumb witnesses.
120. Parties to civil suit, and their wives or husbands. Husbands or wife of person under criminal trial.

धाराएं

पृष्ठ

92. मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन	32
93. संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन	33
94. विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन	34
95. विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य	34
96. उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है	34
97. तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक-ठीक लागू नहीं होती उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य	34
98. न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य	34
99. दस्तावेज के निबन्धनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन ले सकेगा	35
100. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल सम्बन्धी उपबन्धों की व्यावृत्ति	35

भाग 3

साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव

अध्याय 7

सबूत के भार के विषय में

101. सबूत का भार	35
102. सबूत का भार किस पर होता है	35
103. विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार	36
104. साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार	36
105. यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है	36
106. विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार	37
107. उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है	37
108. यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है	37
109. भागीदारों, भूस्वामी और अभिधारी, मौलिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार	37
110. स्वामित्व के बारे में सबूत का भार	37
111. उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिसमें एक पक्षकार का सम्बन्ध सक्रिय विश्वास का है	37
111क. कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा	37
112. विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चयक सबूत है	38
113. राज्यक्षेत्र के अधर्पण का सबूत	38
113क. किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेषण के बारे में उपधारणा	38
114. न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा	38
114क. बलात्संग के लिए कुछ अभियोजनों में सम्मति न होने की उपधारणा	39

अध्याय 8

विबन्ध

115. विबन्ध	40
116. अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध	40
117. विनिमय-पत्र के प्रतिगृहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध	40

अध्याय 9

साक्षियों के विषय में

118. कौन साक्ष्य दे सकेगा	40
119. मूक साक्षी	40
120. सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति दांडिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी	40

SECTIONS

- 121. Judges and Magistrates.
- 122. Communications during marriage.
- 123. Evidence as to affairs of State.
- 124. Official communications.
- 125. Information as to commission of offences.
- 126. Professional communications.
- 127. Section 126 to apply to interpreters, etc.
- 128. Privilege not waived by volunteering evidence.
- 129. Confidential communications with legal advisers.
- 130. Production of title-deeds of witness not a party.
- 131. Production of documents which another person, having possession, could refuse to produce.
- 132. Witness not excused from answering on ground that answer will criminate Proviso.
- 133. Accomplice.
- 134. Number of witnesses.

CHAPTER X**OF THE EXAMINATION OF WITNESSES**

- 135. Order of production and examination of witnesses.
- 136. Judge to decide as to admissibility of evidence.
- 137. Examination-in-chief.
 - Cross-examination.
 - Re-examination.
- 138. Order of examinations.
 - Direction of re-examination.
- 139. Cross-examination of person called to produce a document.
- 140. Witnesses to character.
- 141. Leading questions.
- 142. When they must not be asked.
- 143. When they may be asked.
- 144. Evidence as to matters in writing.
- 145. Cross-examination as to previous statement in writing.
- 146. Questions lawful in cross-examination.
- 147. When witness to be compelled to answer.
- 148. Court to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer.

धाराएं	पृष्ठ
121. न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट	41
122. विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं	41
123. राज्य का कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य	41
124. शासकीय संसूचनाएं	41
125. अपराधों के करने के बारे में जानकारी	41
126. वृत्तिक संसूचनाएं	41
127. धारा 126 दुष्भावियों आदि को लागू होगी	42
128. साक्ष्य देने के लिए स्वयंमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभिव्यक्त नहीं हो जाता	42
129. विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं	42
130. जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक-विलेखों का पेश किया जाना	42
131. उन दस्तावेजों का पेश किया जाना जिन्हें दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इन्कार कर सकता था	42
132. इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा परन्तु	42
133. सह-अपराधी	43
134. साक्षियों की संख्या	43

अध्याय 10

साक्षियों की परीक्षा के विषय में

135. साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम	43
136. न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा	43
137. मुख्य परीक्षा	44
प्रतिपरीक्षा	44
पुनःपरीक्षा	44
138. परीक्षाओं का क्रम	44
पुनः परीक्षा की दशा	44
139. किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा	44
140. शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी	44
141. सूचक प्रश्न	44
142. उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए	44
143. उन्हें कब पूछा जा सकेगा	44
144. लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य	44
145. पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा	45
146. प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न	45
147. साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए	45
148. न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा	45

SECTIONS

149. Question not to be asked without reasonable grounds.
150. Procedure of Court in case of question being asked without reasonable grounds.
151. Indecent and scandalous questions.
152. Questions intended to insult or annoy.
153. Exclusion of evidence to contradict answers to questions testing veracity.
154. Question by party to his own witness.
155. Impeaching credit of witness.
156. Questions tending to corroborate evidence of relevant fact, admissible.
157. Former statements of witness may be proved to corroborate later testimony as to same fact.
158. What matters may be proved in connection with proved statement relevant under section 32 or 33.
159. Refreshing memory.
When witness may use copy of document to refresh memory.
160. Testimony to facts stated in document mentioned in section 159.
161. Right of adverse party as to writing used to refresh memory.
162. Production of documents.
Translation of documents.
163. Giving, as evidence, of document called for and produced on notice.
164. Using, as evidence, of document production of which was refused on notice.
165. Judge's power to put questions or order production.
166. Power of jury or assessors to put questions.

CHAPTER XI

OF IMPROPER ADMISSION AND REJECTION OF EVIDENCE

167. No new trial for improper admission or rejection of evidence.

THE SCHEDULE—[*Repealed*].

धाराएं	पृष्ठ
149. युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा	45
150. युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया	46
151. अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न	46
152. अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न	46
153. सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खण्डन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन	46
154. पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न	47
155. साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप	47
156. सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की सम्पुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे	48
157. उसी तथ्य के बारे में पश्चात्पूर्वी अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे	48
158. साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत हैं, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी	48
159. स्मृति ताजी करना	48
साक्षी स्मृति ताजी करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि का उपयोग कब कर सकेगा	48
160. धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य	48
161. स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार	48
162. दस्तावेजों का पेश किया जाना	49
दस्तावेजों का अनुवाद	49
163. मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना	49
164. सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इन्कार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना	49
165. प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति	49
166. जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति	49

अध्याय 11

साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में

167. साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा	50
अनुसूची—[निरसित ।]	50

THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

(ACT No. 1 OF 1872)¹

[15th March, 1872]

Preamble—WHEREAS it is expedient to consolidate, define and amend the law of Evidence: It is hereby enacted as follows:—

PART I

RELEVANCY OF FACTS

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title, extent and commencement**— This Act may be called the Indian Evidence Act, 1872.

²It extends to the whole of India ³[except the State of Jammu and Kashmir] and applies to all judicial proceedings in or before any Court, including Courts-martial, ⁴[other than Courts-martial convened under the Army Act,] (44 & 45 Vict., c. 58) ⁵[the Naval Discipline Act (29 & 30 Vict., c. 109) of ⁶*** the Indian Navy (Discipline) Act, 1934 (34 of 1934)]⁷ ⁸[or the Air Force Act] (7 Geo. 5, c. 51) but not to affidavits presented to any Court or Officer, not to proceedings before an arbitrator.

And it shall come into force on the first day of September, 1872.

-
1. For Statement of Objects and Reasons see Gazette of India, 1868, p. 1574; for the draft or preliminary Report of the Select Committee, dated 31st March, 1871, see *ibid.*, 1871, Pt. V, p. 273 and for the second Report of the Select Committee dated 30th January, 1872, see *ibid.*, 1872, Pt. V, p. 34; for discussion in Council, see *ibid.*, 1868, Supplement, pp. 1060 and 1209, *ibid.*, 1871, Extra Supplement, p. 42, and Supplement, p. 1641, and *ibid.*, 1872, pp. 136 and 230.
 2. This Act has been extended to Berar by the Berar Laws Act, 1941 (4 of 1941) and has been declared to be in force in the Sonthal Parganas by the Sonthal Parganas Settlement Regulation, 1872 (3 of 1872), s. 3; in Panth Piploda by the Panth Piploda Laws Regulation, 1929 (1 of 1929) in the Khondmals Districts by the Khondmals Laws Regulation, 1936 (4 of 1936), s. 3 and Sch.; and in the Angul District by the Angul Laws Regulation, 1936 (5 of 1936), s. 3 and Sch.; also by notification under s. 3(a) of the Scheduled Districts Act, 1874 (14 of 1874); in the following Scheduled Districts namely the Districts of Hazaribagh Lohardaga (now the Ranchi District—see Calcutta Gazette 1899, pt. I, p. 44) and Manbhum and Pargana Dhalbhum and the Kolhan in the District of Singhbhum—see Gazette of India, 1881, Pt. I, p. 504 (the Lohardaga or Ranchi District included at this time the Palamau District separated in 1894); and the Tarai of the Province of Agra *ibid.*, 1876, Pt. I, p. 505; Gajnam and Vizagapatam—see Gazette of India, 1899, Part I, p. 720.

This Act has been extended also to Dadra and Nagar Haveli by Reg. 6 of 1963, s. 2 and Sch. I; to Pondicherry by Reg. 7 of 1963, s. 3 and Sch. I; to Goa, Daman and Diu by Reg. 11 of 1963, s. 3 and Sch. and to Laccadive Minicoy and Amindivi Islands by Reg. 8 of 1965, s. 3 and Sch.

3. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "except Part B States".
4. Ins. by Act 18 of 1919, s. 2 and Sch. I, see s. 127 of the Army Act (44 and 45 Vict., c. 58).
5. Ins. by Act 35 of 1934, s. 2 and Sch.
6. The words "that Act as modified by" omitted by the A.O. 1950.
7. See now the Navy Act, 1957 (64 of 1957).
8. Ins. by Act 10 of 1927, s. 2 and Sch. I.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

(1872 का अधिनियम संख्यांक 1)¹

[15 मार्च, 1872]

उद्देशिका—साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है, अतः एतद्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :—

भाग 1

तथ्यों की सुसंगति

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 कहा जा सकेगा।

²इसका विस्तार ³[जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय] सम्पूर्ण भारत पर है और यह किसी न्यायालय में या के समक्ष की जिसके अन्तर्गत ⁴[आर्मी ऐक्ट, (44 तथा 45 विक्ट०, अ० 58), ⁵[नेवल डिसिप्लिन ऐक्ट (29 तथा 30 विक्ट०, अ० 109) या इण्डियन नेवी (डिसिप्लिन) ऐक्ट, 1934 (1934 का 34)]^{7 6*** 8}[या एयर फोर्स ऐक्ट (7 जा० 5, अ० 51)] के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न] सेना न्यायालय आते हैं, समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को लागू है, किन्तु न तो किसी न्यायालय या आफिसर के समक्ष पेश किए शपथ-पत्रों को लागू है और न किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को;

और यह 1872 के सितम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

- उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए, देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1868, पृष्ठ 1574; प्रवर समिति के प्रारूप या आरम्भिक रिपोर्ट तारीख 31 मार्च, 1871 के लिए देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1871, भाग 5, पृष्ठ 273 और प्रवर समिति की द्वितीय रिपोर्ट, तारीख 30 जनवरी, 1872 के लिए, देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1872, भाग 5, पृष्ठ 34; परिपद में हुए विचार-विमर्शों के लिए देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1868, अनुपूरक, पृष्ठ 1060 तथा 1209, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1871, अतिरिक्त अनुपूरक, पृष्ठ 42, तथा अनुपूरक पृष्ठ 1641, और भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1872, पृष्ठ 136 तथा 230।
- इस अधिनियम का विस्तार बराबर पर बराबर विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा किया गया है और इसे संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम, 1872 (1872 का 3) की धारा 3 द्वारा संथालपरगनों में, पंथ पिपलोद विधि विनियम, 1929 (1929 का 1) द्वारा पंथ पिपलोद में, खोण्डमल विधि विनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा खोण्डमल जिले में, और आंगुल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा आंगुल जिले में प्रवृत्त घोषित किया गया है। इसे अनुसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3(क) के अधीन अधिसूचना द्वारा भी निम्नलिखित अधिसूचित जिलों में प्रवृत्त घोषित किया गया है, अर्थात् हजारीबाग, लोहारडागा (जो अब रांची जिला है—देखिए कलकत्ता राजपत्र, 1899, भाग 1, पृष्ठ 44) के जिले और सिंहभूम के जिले परगना डालभूम तथा कोलहन—देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1881, भाग 1, पृष्ठ 504 (लोहारडागा या रांची जिला, जिसे इस समय पालामाऊ जिले में सम्मिलित कर लिया है, 1894 में पृथक् कर दिया गया था); और आगरा प्रान्त की तराई—देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1876, भाग 1, पृष्ठ 505, गंजाम तथा विजयगोपट्टम—देखिए भारत का राजपत्र, 1899, भाग 1, पृष्ठ 720।
इस अधिनियम का विस्तार दादरा तथा नागर हवेली पर 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा पांडिचेरी पर 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा, गोवा, दमण तथा दीव पर 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा और लक्कादीव, मिनिकोय और अमीन दीवी द्वीप पर 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा किया गया है।
- 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग ख राज्यों के सिवाय" स्थान पर प्रतिस्थापित।
- 1919 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अन्तःस्थापित। देखिए सेना अधिनियम (44 तथा 45 विक्ट०, अध्याय 58) की धारा 127।
- 1934 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित।
- विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "द्वारा यथा संशोधित अधिनियम" शब्दों का लोप किया गया।
- अब देखिए नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 64)।
- 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. [Repeal of enactments.] *Rep. by the Repealing Act, 1938 (1 of 1938) s. 2 and Sch.*

3. **Interpretation clause**—In this Act the following words and expressions are used in the following senses, unless a contrary intention appears from the context:—

“Court” — “Court” includes all Judges and Magistrates, and all persons, except arbitrators, legally authorized to take evidence.

“Fact” — “Fact” means and includes—

(1) any thing, state of things, or relation of things, capable of being perceived by the senses;

(2) any mental condition of which any person is conscious.

Illustrations

(a) That there are certain objects arranged in a certain order in a certain place, is a fact.

(b) That a man heard or saw something, is a fact.

(c) That a man said certain words, is a fact.

(d) That a man holds a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation, is a fact.

(e) That a man has a certain reputation, is a fact.

“Relevant”— One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this Act relating to the relevancy of facts.

“Facts in issue”— The expression “facts in issue” means and includes—

any fact from which, either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability, or disability, asserted or denied in any suit or proceeding, necessarily follows.

Explanation—Whenever, under the provisions of the law for the time being in force relating to Civil Procedure, any Court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue.

Illustrations

A is accused of the murder of B.

At his trial the following facts may be in issue:—

That caused A B's death;

That A intended to cause B's death;

That A had received grave and sudden provocation from B;

That A, at the time of doing the act which caused B's death, was, by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing its nature.

2. [अधिनियमितियों का निरसन] निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

3. निर्वचन खण्ड—इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है, जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो—

“न्यायालय”—“न्यायालय” शब्द के अन्तर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं ।

“तथ्य”—“तथ्य” से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आती हैं—

- (1) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, या वस्तुओं का सम्बन्ध जो इन्द्रियों द्वारा बोधगम्य हो;
- (2) कोई मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो ।

दृष्टांत

- (क) यह कि अमुक स्थान से अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित हैं, एक तथ्य है ।
- (ख) यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है ।
- (ग) यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है ।
- (घ) यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है या किसी विनिर्दिष्ट समय में था, एक तथ्य है ।
- (ङ) यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य है ।

“सुसंगत”—एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब कि तथ्यों की सुसंगति से सम्बन्धित इस अधिनियम के उपबन्धों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो ।

“विवाद्यक तथ्य”—“विवाद्यक तथ्य” से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आता है—

ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से, या अन्य तथ्यों के संसंग, में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या नियंत्रिता के, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अवश्यमेव होती है ।

स्पष्टीकरण—जब कभी कोई न्यायालय विवाद्यक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवाद्यक के उत्तर में जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है, वह विवाद्यक तथ्य है ।

दृष्टांत

ख की हत्या का क अभियुक्त है ।

उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्यक हो सकते हैं :—

यह कि क ने ख की मृत्यु कारित की,

यह कि क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था,

यह कि क को ख से गम्भीर और अचानक प्रकोपन मिला था,

यह कि ख की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय क चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था ।

“Document”—“Document” means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means, intended to be used or which may be used for the purpose of recording that matter.

Illustrations

A writing is a document;

Words printed, lithographed or photographed are documents;

A map or plan is a document;

An inscription on a metal plate or stone is a document;

A caricature is a document.

“Evidence”—“Evidence” means and includes—

(1) all statements which the Court permits or requires to be made before it by witnesses, in relation to matters of fact under inquiry;

such statements are called oral evidence;

(2) all documents produced for the inspection of the Court;
such documents are called documentary evidence.

“Proved”—A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the Court either believes its to exist, or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists.

“Disproved”—A fact is said to be disproved when, after considering the matters before it, the Court either believes that it does not exist, or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist.

“Not proved”—A fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved.

“India”—[“India” means the territory of India excluding the State of Jammu and Kashmir.]

4. **“May presume”**—Whenever it is provided by this Act that Court may presume a fact, it may either regard such fact as proved, unless and until it is disproved, or may call for proof of it.

“Shall presume”—Whenever it is directed by this Act that the Court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved, unless and until it is disproved.

“Conclusive proof”—When one fact is declared by this Act to be conclusive proof of another, the Court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved, and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it.

1. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for the definition of “State” and “States”, which was ins. by the A.O. 1950

“दस्तावेज” — “दस्तावेज” से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके।

दृष्टांत

लेख दस्तावेज है;

मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटोचित्रित शब्द दस्तावेज है;

मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है;

धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है;

उपह्रासांकन दस्तावेज है।

“साक्ष्य” — “साक्ष्य” शब्द से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं—

(1) वे सभी कथन जिनके, जांचाधीन तथ्य के विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, या अपेक्षा करता है;

ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं;

(2) न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें;

ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं।

“साबित” — कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है।

“नासाबित” — कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है।

“साबित नहीं हुआ” — कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है, जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित।

“भारत” — ¹ [“भारत” से जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है।]

4. “उपधारणा कर सकेगा” — जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा।

“उपधारणा करेगा” — जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है।

“निश्चायक सबूत” — जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक साबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।

1. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “राज्य” तथा “राज्यों” की परिभाषा के स्थान पर प्रतिस्थापित, जो विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्तःस्थापित की गई थी।

CHAPTER II
OF THE RELEVANCY OF FACTS

5. Evidence may be given of facts in issue and relevant facts—Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant, and of no others.

Explanation—This section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure¹.

Illustrations

(a) A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death.

At A's trial the following facts are in issue :—

A's beating B with the club;

A's causing B's death by such beating;

A's intention to cause B's death.

(b) A suitor does not bring with him, and have in readiness for production at the first hearing of the case, a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage of the proceedings, otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the Code of Civil Procedure¹.

6. Relevancy of facts forming part of same transaction—Facts which, though not in issue, are so connected with a fact in issue as to form part of the same transaction, are relevant, whether they occurred at the same time and place or at different times and places.

Illustrations

(a) A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or the by-standers at the beating, or so shortly before or after it as to form part of the transaction, is a relevant fact.

(b) A is accused of waging war against the [Government of India] by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked and goals are broken open. The occurrence of these facts is relevant, as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them.

(c) A sues B for a libel contained in a letter forming part of a correspondence. Letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose, and forming part of the correspondence in which it is contained, are relevant facts, though they do not contain the libel itself.

1. See now the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).
2. Subs. by the A.O. 1950, for "Queen".

अध्याय 2

तथ्यों की सुसंगति के विषय में

5. विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा—किसी वाद या कार्यवाही में हर विवाद्यक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के, जिन्हें एतस्मिन्-पश्चात् सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यो का नहीं।

स्पष्टीकरण—यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी, जिसमें¹ सिविल प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध द्वारा वह साबित करने से निर्हकित कर दिया गया है।

दृष्टांत

(क) ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मार कर उसकी हत्या कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है।

क के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य हैं:—

क का ख को लाठी से मारना;

क का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कारित करना;

ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय।

(ख) एक वादकर्ता अपने साथ वह बन्धपत्र, जिस पर वह निर्भर करता है, मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता। यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बन्धपत्र को पेश कर सके या उसकी अन्तर्वस्तु को साबित कर सके।

6. एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति—जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य से उस प्रकार संसक्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समयों और स्थानों पर घटित हुए हों।

दृष्टांत

(क) ख को पीट कर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात् कहा या किया गया था कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है।

(ख) क एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर, जिसमें सम्पत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़ कर खोली जाती हैं।² [भारत सरकार] के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे क उन सभी में उपस्थित न रहा हो।

(ग) क एक पत्र में, जो एक पत्र-व्यवहार का भाग है, अन्तर्विष्ट अपमान-लेख के लिए ख पर वाद लाता है। जिस विषय में अपमान-लेख उद्भूत हुआ है, उससे सम्बन्ध रखने वाली पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र-व्यवहार का भाग हैं जिसमें वह अन्तर्विष्ट है, वे सुसंगत तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान-लेख स्वयं अन्तर्विष्ट न हो।

1. अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)।

2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "क्वीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(d) The question is, whether certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact.

7. Facts which are the occasion, cause or effect of facts in issue—Facts which are the occasion; cause, or effect, immediate or otherwise, of relevant facts, or facts in issue, or which constitute the state of things under which they happened, or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction, are relevant.

Illustrations

(a) The question is, whether A robbed B.

The facts that, shortly before the robbery, B went to a fair with money in his possession, and that he showed it or mentioned the fact that he had it, to third persons, are relevant.

(b) The question is whether A murdered B.

Marks on the ground, produced by a struggle at or near the place where the murder was committed, are relevant facts.

(c) The question is whether A Poisoned B.

The state of B's health before the symptoms ascribed to poison, and habits of B, known to A, which afforded an opportunity for the administration of poison, are relevant facts.

8. Motive, preparation and previous or subsequent conduct—Any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact.

The conduct of any party, or of any agent to any party, to any suit or proceeding, in reference to such suit or proceeding, or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person an offence against whom is the subject of any proceeding, is relevant, if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact, and whether it was previous or subsequent thereto.

*Explanation 1—*The word "conduct" in this section does not include statements, unless those statements accompany and explain acts other than statements, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this Act.

*Explanation 2—*When the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing, which affects such conduct, is relevant.

Illustrations

(a) A is tried for the murder of B.

The facts that A murdered C, that B knew that A had murdered C, and that B had tried to had extort money from A by threatening to make his knowledge public, are relevant.

(b) A sues B upon a bond for the payment of money. B denies the making of the bond.

The fact that, at the time when the bond was alleged to be made, B required money for a particular purpose is relevant.

(c) A is tried for the murder of B by poison.

The fact that, before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B, is relevant.

(घ) प्रश्न यह है कि क्या ख से आदिष्ट अमुक माल क को परिदत्त किया गया था। वह माल; अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था। हर एक परिदान सुसंगत तथ्य है।

7. व तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं—वे तथ्य सुसंगत हैं, जो सुसंगत तथ्यों के या विवाद्यक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं, या जो उस वस्तु-स्थिति को गठित करते हैं, जिसके अन्तर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटने या संव्यवहार का अवसर दिया।

दृष्टान्त

(क) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख की लूटा।

ये तथ्य सुसंगत हैं कि लूट के थोड़ी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया, और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया या उनसे इस तथ्य का कि उसके पास धन है, उल्लेख किया।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख की हत्या की।

उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम-गुत्था से बने हुए चिह्न सुसंगत तथ्य हैं।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया।

विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात ख की वे आदतें, जिनसे विष देने का अवसर मिला, सुसंगत तथ्य हैं।

8. हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण—कोई भी तथ्य, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है।

किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवाद्यक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण, जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात् का।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा में “आचरण” शब्द के अन्तर्गत कथन नहीं आते, जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ-साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों, किन्तु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण 2—जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब उससे, या उसकी उपस्थिति और श्रवणगोचरता में किया गया कोई भी कथन, जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है।

दृष्टान्त

(क) ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है।

ये तथ्य की क ने ग की हत्या की, कि ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है और कि ख ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर क से धन उद्यापित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है।

(ख) क बन्धपत्र के आधार पर रूपए के संदाय के लिए ख पर वाद लाता है। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि उसने बन्धपत्र लिखा।

यह तथ्य सुसंगत है कि उस समय, जब बन्धपत्र का लिखा जाना अभिकथित है, ख को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन चाहिए था।

(ग) विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क का विचारण किया जाता है।

यह तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु से पूर्व क ने ख को दिए गए विष के जैसा विष उपाप्त किया था।

(d) The question is, whether a certain document is the will of A.

The facts that, not long before the date of the alleged will, A made inquiry into matters to which the provisions of the alleged will relate that he consulted vakils in reference to making the will, and that he caused drafts or other wills to be prepared of which he did not approve, are relevant.

(e) A is accused of a crime.

The facts that, either before or at the time of, or after the alleged crime, A proved evidence which would tend to give to the facts of the case an appearance favourable to himself, or that he destroyed or concealed evidence, or prevented the presence or procured the absence of persons who might have been witnesses, or suborned persons to give false evidence respecting it, are relevant.

(f) The question is, whether A robbed B.

The facts that, after B was robbed, C said in A's presence—"the police are coming to look for the man who robbed B", and that immediately afterwards A ran away, are relevant.

(g) The question is, whether A owes B rupees 10,000.

The facts that A asked C to lend him money, and that D said to C in A's presence and hearing—"I advise you not to trust A, for he owes B 10,000 rupees," and that A went away without making any answer, are relevant facts

(h) The question is, whether A committed a crime.

The fact that A absconded after receiving a letter warning him that inquiry was being made for the criminal and the contents of the letter, are relevant.

(i) A is accused of a crime.

The facts that, after the commission of the alleged crime, he absconded, or was in possession of property of the proceeds of property acquired by the crime, or attempted to conceal things which were or might have been used in committing it, are relevant.

(j) The question is, whether A was ravished.

The facts that, shortly after the alleged rape, she made a complaint relating to the crime, the circumstance under which, and the terms in which, the complaint was made, are relevant.

The fact that, without, making a complaint, she said that she had been ravished is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant.

as a dying declaration under section 32, clause (1), or

as corroborative evidence under section 157.

(k) The question is, whether A was robbed.

The fact that, soon after the alleged robbery, he made a complaint relating to the offence, the circumstances under which, and the terms in which, the complaint was made, are relevant.

The fact that he said he had been robbed, without making any complaint, is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant.

as a dying declaration under section 32, clause (1), or

as corroborative evidence under section 157.

9. Facts necessary to explain or introduce relevant facts—Facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact, or which establish the identity of anything or person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened, or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted, are relevant in so far as they are necessary for that purpose.

(घ) प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क की विल है।

ये तथ्य सुसंगत है कि अभिकथित विल की तारीख से थोड़े दिन पहले क ने उन विषयों की जांच की जिनसे अधि-कथित विल के उपबन्धों का सम्बन्ध है, कि उसने वह विल करने के बारे में वकीलों से परामर्श किया और कि उसने अन्य विलों के प्रारूप बनवाए जिन्हें उसने पसन्द नहीं किया।

(ङ) क किसी अपराध का अभियुक्त है।

ये तथ्य कि अभिकथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के समय या पश्चात् क ने ऐसे साक्ष्य का प्रबन्ध किया जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मामले के तथ्य उसके अनुकूल प्रतीत हों या कि उसने साक्ष्य को नष्ट किया या छिपाया या कि उन व्यक्तियों की, जो साक्षी हो सकते थे, उपस्थिति निवारित की या अनुपस्थिति उपाप्त की या लोगों को उसके सम्बन्ध में मिथ्या साक्ष्य देने के लिए तैयार किया, सुसंगत है।

(च) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा।

ये तथ्य कि ख के लूट जाने के पश्चात् ग ने क की उपस्थिति में कहा कि “ख को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है”, और यह कि उसके तुरन्त पश्चात् क भाग गया, सुसंगत है।

(छ) प्रश्न यह है कि क्या ख के प्रति क 10,000 रुपए का देनदार है।

यह तथ्य कि क ने ग से धन उधार मांगा और कि घ ने ग से क की उपस्थिति और श्रवणगोचरता में कहा कि “मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम क पर भरोसा न करो क्योंकि वह ख के प्रति 10,000 रुपए का देनदार है,” और कि क कोई उत्तर दिए बिना चला गया, सुसंगत है।

(ज) प्रश्न यह कि क्या क ने अपराध किया है।

यह तथ्य कि क एक पत्र पाने के उपरान्त, जिसमें उसे चेतावनी दी गई थी कि अपराधी के लिए जांच की जा रही है, फरार हो गया और उस पत्र की अन्तर्वस्तु, सुसंगत है।

(झ) क किसी अपराध का अभियुक्त है।

ये तथ्य कि अभिकथित अपराध के किए जाने के पश्चात् वह फरार हो गया या कि उस अपराध से अर्जित सम्पत्ति के आगम उसके कब्जे में थे या कि उसने उन वस्तुओं को, जिनसे वह अपराध किया गया था, या किया जा सकता था, छिपाने का प्रयत्न किया, सुसंगत है।

(ञ) प्रश्न यह है कि क्या क के साथ बलात्संग किया गया।

यह तथ्य कि अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात् उसने अपराध के बारे में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया, सुसंगत हैं।

यह तथ्य कि उसने परिवाद के बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है, इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है।

यद्यपि वह धारा 32 के खण्ड (1) के अधीन मृत्युकालिक कथन, या धारा 157 के अधीन सम्पोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है।

(ट) प्रश्न यह है कि क्या क को लूटा गया।

यह तथ्य कि अभिकथित लूट के तुरन्त पश्चात् उसने अपराध के सम्बन्ध में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया, सुसंगत हैं।

यह तथ्य कि उसने कोई परिवाद किए बिना कहा कि मुझे लूटा है इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है;

यद्यपि वह धारा 33 के खण्ड (1) के अधीन मृत्युकालिक कथन, या धारा 157 के अधीन सम्पोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है।

9. सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य—वे तथ्य, जो विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक हैं अथवा जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खण्डन करते हैं, अथवा जो किसी व्यक्ति या वस्तु की, जिसकी अनन्यता सुसंगत हो, अनन्यता स्थापित करते हैं, अथवा वह समय या स्थान स्थिर करते हैं जब या जहां कोई विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ अथवा जो उन पक्षकारों का सम्बन्ध दर्शाते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का संयवहार किया गया था, वहां तक सुसंगत हैं जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

Illustrations

(a) The question is, whether a given document is the will of A.

The state of A's property and of his family at the date of the alleged will may be relevant facts.

(b) A sues B for a libel imputing disgraceful conduct to A; B affirms that the matter alleged to be libelous is true.

The position and relations of the parties at the time when the libel was published may be relevant facts as introductory to the facts in issue.

The particulars of a dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant though the fact that there was a dispute may be relevant if it affected the relations between A and B.

(c) A is accused of a crime.

The fact that, soon after the commission of the crime, A absconded from his house, is relevant, under section 8 as conduct subsequent to and affected by facts in issue.

The fact that at the time when he left home he had sudden and urgent business at the place to which he went is relevant, as tending to explain the fact that he left home suddenly.

The details of the business on which he left are not relevant, except in so far as they are necessary to show that the business was sudden and urgent.

(d) A sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A. C, on leaving A's service, says to A—"I am leaving you because B has made me a better offer". This statement is a relevant fact as explanatory of C's conduct, which is relevant as a fact in issue.

(e) A, accused of theft, is seen to give the stolen property to B, who is seen to give it to A's wife. B says as he delivers it—"A says you are to hide this". B's statement is relevant as explanatory of a fact which is part of the transaction.

(f) A is tried for a riot and is proved to have marched at the head of a mob. The cries of the mob are relevant as explanatory of the nature of the transaction.

10. Things said or done by conspirator in reference to common design—Where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offence or an actionable wrong, anything said, done or written by any one of such persons in reference to their common intention, after the time when such intention was first entertained by any one of them, is a relevant fact as against each of the persons believed to be so conspiring, as well for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it.

Illustration

Reasonable ground exists for believing that A has joined in a conspiracy to wage war against the [Government of India].

The facts that B procured arms in Europe for the purpose of the conspiracy, C collected money in Calcutta for a like object, D persuaded persons to join the conspiracy in Bombay, E published writings advocating the object in view at Agra, and F transmitted from Delhi to G at Kabul the money which C had collected at Calcutta, and the contents of a letter written by H giving an account of the conspiracy, are each relevant, both to prove the existence of the conspiracy, and to prove A's complicity in it, although he may have been ignorant of all of them, and although the persons by whom they were done were stranger to him, and although they may have taken place before he joined the conspiracy or after he left it.

11. When facts not otherwise relevant become relevant—Facts not otherwise relevant are relevant—

(1) If they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact;

(2) If by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable.

स्पष्टता

(क) प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज क को विल है।

अभिकथित विल की तारीख पर क की सम्पत्ति को, या उसके कटम्य की अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकती है।

(ख) क पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान लेख के लिये ख पर क बाद लाता है। ख प्रतिज्ञान करता है की वह बात, जिसका अपमान-लेख होना अभिकथित है, सच है।

पक्षकारों को उस समय की स्थिति और सम्बन्ध, जब अपमान-लेख प्रकाशित हुआ था, विवाचक तथ्यों की पुरः स्थापना के रूप में सुसंगत तथ्य हो सकते हैं।

क और ख के बीच किसी ऐसी बात के विषय में विवाद की विशिष्टता, जो अभिकथित अपमान-लेख से असंसक्त है, विसंगत है यद्यपि यह तथ्य कि कोई विवाद हुआ था, यदि उससे क और ख के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रभाव पड़ा हो, सुसंगत हो सकता है।

(ग) क एक अपराध का अभियुक्त है।

यह तथ्य कि उस अपराध के किए जाने के तुरन्त पश्चात् क अपने घर से फरार हो गया, धारा 8 के अधीन विवाचक तथ्यों के पश्चात् और उसके प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है।

यह तथ्य कि उस समय, जब वह घर से चला था, उसका उस स्थान में, जहां वह गया था, अचानक और अर्द्ध कार्य था, उसके अचानक घर से चले जाने के तथ्य के स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति रखने के कारण सुसंगत है।

जिस काम के लिए वह चला उसका व्यौरा सुसंगत नहीं है सिवाए इसके कि जहां तक वह यह दर्शित करने के लिए आवश्यक हो कि वह काम अचानक और अर्द्ध था।

(घ) क के साथ की गई सेवा की सविदा को भंग करने के लिए ग को उत्प्रेरित करने के कारण ख पर क बाद लाता है क की तीव्ररी छाड़ते समय क से ग कहता है कि "मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि ख ने मुझे तुम्हें अधिक अच्छी प्रतिस्थापना की है।" यह कथन ग के आचरण को, जो विवाचक तथ्य होने के रूप में सुसंगत है, स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है।

(ङ) चोरी का अभियुक्त क चराई हुई सम्पत्ति ख को देते हुए देखा जाता है जो उसे क की पत्नी को देते हुए देखा जा रहा है। ख उसे परिदान करते हुए कहता है "क ने कहा कि तुम इसे छिपा दो।" ख का कथन उस सत्यबुद्धि का भाग होते वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है।

(च) क बल्ले के लिये विचारित किया जा रहा है और उसका भौड़ के आगे-आगे चलना साबित हो चुका है। इस में व्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण साक्ष्य की आवाज सुसंगत है।

10. सामान्य परिकल्पना के बारे में पड़यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें—जहां कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने आपस में या अथवा तीसरे को लिये मिलकर पड़यंत्र किया है, वहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात् जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही, की, या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विषय, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार पड़यंत्र किया है, पड़यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका परिकर था।

स्पष्टता

यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि क [भारत सरकार] के विषय मुद्द करने के पड़यंत्र में सम्मिलित हुआ है।

ख ने उस पड़यंत्र के प्रयोजनार्थ यूरोप में आमुद्ध उपाप्त किए, ग ने वैसे ही उद्देश्य से कलकत्ते में धन संग्रह किया, घ ने मुम्बई में लोगों को उस पड़यंत्र में सम्मिलित होने के लिये प्रेरित किया, ङ ने आगरे में उस उद्देश्य के पक्षपोषण में लेख प्रकाशित किए और ग द्वारा कलकत्ते में संग्रहित धन को ख ने दिल्ली में ख के पास काबुल में जा। इन तथ्यों और उस पड़यंत्र को बतान्त देने वाले झ द्वारा लिखित पत्र की अन्तर्वस्तु में से एक पड़यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए तथा उसमें क की सह अपराधित साबित करने के लिए भी सुसंगत है, चाहे वह उन सभी के बारे में अनभिज्ञ रहा हो और चाहे उन्हें करने वाले व्यक्ति उसके लिए अपरिचित रहे हो और चाहे वे उसके पड़यंत्र में सम्मिलित होने से पूर्व या उसके पड़यंत्र से अलग हो जाने के पश्चात् घटित हुए हो।

11. वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत हैं—वे तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत हैं —

(1) यदि वे किसी विवाचक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं,

(2) यदि वे स्वयंमेव या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी विवाचक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यन्त अधिसम्भाव्य या अनधिसम्भाव्य बनाते हैं।

1. विधि अनुसूचक धारक, 1950 द्वारा "क्वीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Illustrations

(a) The question is, whether A committed a crime at Calcutta on a certain day.

The fact that, on that day, A was at Lahore is relevant.

The fact that, near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it, is relevant.

(b) The question is, whether A committed a crime.

The circumstances are such that the crime must have been committed either by A, B, C or D. Every fact which shows that the crime could have been committed by no one else and that it was not committed by either B, C or D is relevant.

12. In suits for damages, facts tending to enable Court to determine amount are relevant—In suits in which damages are claimed, any fact which will enable the Court to determine the amount of damages which ought to be awarded, is relevant.

13. Facts relevant when right or custom is in question—Where the question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant—

(a) Any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted, or denied, or which was inconsistent with its existence;

(b) Particular instances in which the right or custom was claimed, recognized, or exercised or in which its exercise was disputed, asserted or departed from.

Illustration

The question is, whether A has a right to a fishery. A deed conferring the fishery on A's ancestors, a mortgage of the fishery by A's father, a subsequent grant of the fishery by A's father, irreconcilable with the mortgage, particular instances in which A's father exercised the right, or in which the exercise of the right was stopped by A's neighbours are relevant facts.

14. Facts showing existence of state of mind, or of body or bodily feeling—Facts showing the existence of any state of mind, such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill will or good-will towards any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feeling, are relevant, when the existence of any such state of mind or body or bodily feeling, is in issue or relevant.

Explanation 1—A fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists, not generally, but in reference to the particular matter in question.

Explanation 2—But where, upon the trial of a person accused of an offence, the previous commission by the accused of an offence is relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such person shall also be a relevant fact.]

Illustrations

(a) A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. It is proved that he was in possession of a particular stolen article.

1. Subs. by Act 3 of 1891, s. 1, for the original *Explanation*.

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या क ने किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया।

तथ्य तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था, सुसंगत है।

यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग क उस स्थान से जहां कि वह अपराध किया गया था, इतनी दूरी पर था कि क द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त अनधि सम्भाव्य था, सुसंगत है।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया है।

परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपराध क, ख, ग, या घ में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया होगा। वह हर तथ्य, जिससे यह दर्शाया जाता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था और वह ख, ग या घ में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था, सुसंगत है।

12. नुकसानी के लिए बादों में एकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं—उन बादों में, जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है, कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह एकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए, जो अधिनिर्णीत की जानी चाहिए।

13. जब कि अधिकार या रुढ़ि प्ररनगत है तब सुसंगत तथ्य—जहां कि किसी अधिकार या रुढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं—

(क) कोई संस्मरण, जितके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रुढ़ि सृष्ट, दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, प्राख्यात वा प्रत्याख्यात की गई थी या जो उसके अस्तित्व से असंगत था,

(ख) वे विशिष्ट उदाहरण, जिनमें वह अधिकार या रुढ़ि दावाकृत, मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी या जिनमें उक्तका प्रयोग विशादप्रस्त या प्राख्यात किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था।

दृष्टांत

प्रश्न यह है कि क्या क का एक मीनक्षेत्र पर अधिकार है। क के पूर्वजों को मीनक्षेत्र प्रदान करने वाला विलय, क के पिता द्वारा उस मीनक्षेत्र का बन्धक, क के पिता द्वारा उस बन्धक से अनमोल पाश्चिक अनुदान, विशिष्ट उदाहरण, जिनमें क के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया था जिनमें अधिकार का प्रयोग क के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था, सुसंगत तथ्य हैं।

14. मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शा करने वाले तथ्य—मन की कोई भी दशा जैसे आसक्त, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शा करने वाले अथवा शरीर को वा शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शा करने वाले तथ्य तब सुसंगत है, जब कि ऐसी मन की या शरीर की वा शारीरिक संवेदन की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवादायक या सुसंगत है।

¹[स्पष्टीकरण 1—जो तथ्य इस नाते सुसंगत है कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शा करता है उससे यह दर्शा होता ही चाहिए कि मन की वह दशा साधारणतः नहीं, अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में, अस्तित्व में है।

स्पष्टीकरण 2—किन्तु जब कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत उस अभि. पूरक द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोषसिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी।]

दृष्टांत

(क) क चुराया हुआ भास यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है, प्राप्त करने का अभियुक्त है। यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज थी।

The fact that, at the same time, he was in possession of many other stolen articles is relevant, as tending to show that he knew each and all of the articles of which he was in possession to be stolen.

1[(b) A is accused of fraudulently delivering to another person a counterfeit coin which, at the time when he delivered it, he knew to be counterfeit.

The fact that, at the time of its delivery, A was possessed of a number of other pieces of counterfeit coin is relevant.

The fact that A had been previously convicted of delivering to another person as genuine a counterfeit coin knowing it to be counterfeit is relevant.]

(c) A sues B for damage done by a dog of B's which B knew to be ferocious.

The facts that the dog had previously bitten X, Y, and Z, and that they had made complaints to B, are relevant.

(d) The question is whether A, the acceptor of a bill of exchange, knew that the name of the payee was fictitious.

The fact that A had accepted other bills drawn in the same manner before they could have been transmitted to him by the payee if the payee had been a real person, is relevant, as showing that A knew that the payee was a fictitious person.

(e) A is accused of defaming B by publishing an imputation intended to harm the reputation of B.

The fact of previous publications by A respecting B, showing ill-will on the part of A towards B, is relevant, as proving A's intention to harm B's reputation by the particular publication in question.

The facts that there was no previous quarrel between A and B, and that A repeated the matter complained of as he heard it are relevant, as showing that A did not intend to harm the reputation of B.

(f) A is sued by B for fraudulently representing to B that C was solvent, whereby B, being induced to trust C, who was insolvent, suffered loss.

The fact that, at the time when A represented C to be solvent, C was supposed to be solvent by his neighbours and by persons dealing with him is relevant, as showing that A made the representation in good faith.

(g) A is sued by B for the price of work done by B, upon a house of which A is owner, by the order of C, a contractor.

A's defence is that B's contract was with C.

The fact that A paid C for the work in question is relevant, as proving that A did, in good faith make over to C the management of the work in question, so that C was in a position to contract with B on C's own account, and not as agent for A.

(h) A is accused of the dishonest misappropriation of property which he had found; and the question is whether when he appropriated it, he believed in good faith that the real owner could not be found.

यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कोई अन्य चुराई हुई चीजें भी वह दक्षित करने की प्रवृत्ति रखने वाला होने के नाते सुसंगत है कि चीजें उसके कब्जे में थीं उसमें से हर एक और सब के बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई है।

1[(ख) क पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत सिक्का कपटपूर्वक परिदान करने का अभियोग है, जिसे वह परिदान करते समय जानता था कि वह कूटकृत है।

यह तथ्य कि उसके परिदान के समय क के कब्जे में वैसे ही दूसरे कूटकृत सिक्के थे, सुसंगत है।

यह तथ्य कि क एक कूटकृत सिक्के को, यह जानते हुए कि वह सिक्का कूटकृत है, उसे असली के रूप में किसी अन्य व्यक्ति को परिदान करने के लिए पहले भी दोषसिद्ध हुआ था, [सुसंगत है।]

(ग) ख के कत्ते द्वारा, जिसका हिस्सा होता ख जानता था, किए गए नुकसान के लिए ख पर क वाद लाता है।

ये तथ्य कि कुत्ते ने पहले, भ म और य को काटा था और यह कि उन्होंने ख से भिकायतें की थीं, सुसंगत है।

(घ) प्रश्न यह कि क्या विनिमय प्रवृत्ति का प्रतिग्रहीता क यह जानता था कि उसके पाने वाले का नाम काल्पनिक है।

यह तथ्य है कि क ने उसी प्रकार से लिखित अन्य विनिमयपत्रों को इसके पहले कि वे पाने वाले द्वारा, यदि पान वाला वास्तविक व्यक्ति होता तो, उसको पारेपित किए जा सकते, प्रतिग्रहीत किया था, यह दक्षित करने के नाते सुसंगत है कि क यह जानता था कि पाने वाले व्यक्ति काल्पनिक है।

(ङ) क पर ख की ख्याति को अपहानि करने के आशय से एक लाछन प्रकाशित करके ख की मानहानि करने का अभियोग है।

यह तथ्य कि ख के बारे में क ने पूर्व प्रकाशन किए, जिनसे ख के प्रति क का वैमनस्य दक्षित होता है, इस कारण सुसंगत है कि उससे प्रश्नगत विशिष्ट प्रकाशन द्वारा ख की ख्याति को अपहानि करने का क का आशय साबित होता है।

ये तथ्य कि क और ख के बीच पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ कि क ने परिवादगत बात को जैसा सुना था वैसे ही बुरा दिया था, यह दक्षित करने के नाते कि क का आशय ख की ख्याति को अपहानि करना नहीं था सुसंगत है।

(च) ख द्वारा क पर यह वाद लाया जाता है कि ग के बारे में क ने ख से यह कपटपूर्ण व्यपदेशन किया कि ग शोधक्षम है जिससे उत्प्रेरित होकर ख ने ग का, जो दिया लिया था, भरोसा किया और हानि उठाई।

यह तथ्य कि ख ने ग को शोधक्षम व्यपदिष्ट किया था, तब ग को उसके पड़ोसी और उससे व्याहार करने वाले व्यक्ति शोधक्षम समझते थे, यह दक्षित करने के नाते कि क ने व्यपदेशन सद्भावपूर्वक किया था सुसंगत है।

(छ) क पर ख उस काम की कीमत के लिए वाद लाता है जो ठेकेदार ग के आदेश से किसी गृह पर, जिसका क स्वामी है, ख ने किया था।

क का प्रतिवाद है कि ख का ठेका ग के साथ था।

यह तथ्य कि क ने प्रश्नगत काम के लिए ग को कीमत के दो रूप लिए सुसंगत है कि उससे यह मानित होता है कि क ने सद्भावपूर्वक ग को प्रश्नगत काम का प्रबन्ध दे दिया था, जिससे कि ख के साथ ग अपने ही निमित्त, न कि क के अभिकर्ता के रूप में, संचिदा करने की स्थिति में था।

(ज) क ऐसी सम्पत्ति का, जो उसने पड़ी पाई थी, बेईमानी से दुविनियोग करने का अभियुक्त है और प्रश्न यह है कि क्या जब उसने उसका विनियोग किया उसे सद्भावपूर्वक विश्वास था कि वास्तविक स्वामी मिल नहीं सकता।

The fact that public notice of the loss of the property had been given in the place where A was, is relevant, as showing that A did not in good faith believe that the real owner of the property could not be found.

The fact that A knew, or had reason to believe, that the notice was given fraudulently by C, who had heard of the loss of the property and wished to set up a false claim to it, is relevant, as showing the fact that A knew of the notice did not disprove A's good faith.

(i) A is charged with shooting at B with intent to kill him. In order to show A's intent, the fact of A's having previously shot at B may be proved.

(j) A is charged with sending threatening letters to B. Threatening letters previously sent by A to B may be proved as showing intention of the letters.

(k) The question, is whether A has been guilty of cruelty towards B, his wife.

Expressions of their feeling towards each other shortly before or after the alleged cruelty, are relevant facts.

(l) The question is, whether A's death was caused by poison.

Statements made by A during his illness as to his symptoms, are relevant facts.

(m) The question is, what was the state of A's health at the time when an assurance on his life was effected.

Statements made by A as to the state of his health at or near the time in question, are relevant facts.

(n) A sues B for negligence in providing him with a carriage for hire not reasonably fit for use, whereby A was injured.

The fact that B's attention was drawn on other occasions to the defect of that particular carriage, is relevant.

The fact that B was habitually negligent about the carriages which he let to hire, is irrelevant.

(o) A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead.

The fact that A, on other occasions shot at B is relevant; as showing his intention to shoot B.

The fact that A was in the habit of shooting at people with intent to murder them, is irrelevant.

(p) A is tried for a crime.

The fact that he said something indicating an intention to commit that particular crime is relevant.

The fact that he said something indicating a general disposition to commit crimes of that class is irrelevant.

15. Facts bearing on question whether act was accidental or intentional—When there is a question whether an act was accidental or intentional, ¹[or done with a particular knowledge or intention,] the fact that such act formed part of a series of similar occurrences, in each of which the person doing the act was concerned, is relevant.

Illustrations

(a) A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured.

The facts that A lived in several houses successively, each of which he insured in each of which a fire occurred, and after each of which fires A received payment from a different insurance office, are relevant, as tending to show that the fires were not accidental.

यह तथ्य कि सम्पत्ति के खो जाने की लोक सूचना उस स्थान में, जहां क था, दी जा चुकी थी, यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क को सद्भावपूर्वक यह विश्वास नहीं था कि उस सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी मिल नहीं सकता।

यह तथ्य कि क यह जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि सूचना कपटपूर्वक ग द्वारा दी गई थी जिसने संपत्ति की हानि के बारे में सुन रखा था और जो उस पर मिथ्या दावा करने का इच्छुक था यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क का सूचना के बारे में ज्ञान क के सद्भाव को भासावित नहीं करता।

(ग) क पर क को मार डालने के आशय से उस पर असन करने का अभियोग है। क का आशय दर्शित करने के लिए यह तथ्य साबित किया जा सके कि क ने पहले भी क पर असन किया था।

(घ) क पर क को धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप है। इन पत्रों का आशय दर्शित करने के नाते क द्वारा क को पहले भेजे गए धमकी भरे पत्र साबित किए जा सकेंगे।

(ङ) प्रश्न यह है कि क्या क अपनी पत्नी क के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है।

अभिकथित क्रूरता के थोड़ी देर पहले या पीछे उनकी एक दूसरे के प्रति भावना की अभिव्यक्तियां सुसंगत तथ्य हैं।

(च) प्रश्न यह है क्या क की मृत्यु विष से कारित की गई थी।

अपनी रूग्नावस्था में क द्वारा अपने लक्षणों के बारे में किए हुए कथन सुसंगत तथ्य हैं।

(छ) प्रश्न यह है कि क के स्वास्थ्य की दशा उच्च समय कैसी थी जित्त कम उच्चके जीवन का बीमा कराया गया था।

प्रश्नगत समय पर या उसके लगभग अपने स्वास्थ्य की दशा के बारे में क द्वारा किए गए कथन सुसंगत तथ्य हैं।

(ज) क ऐसी उपेक्षा के लिए क पर वाद लाया है जो क ने उसे बुद्धिबुधत रूप से अनुपयोग्य गाड़ी के भाड़े पर देने द्वारा की जिससे क को क्षति हुई थी।

यह तथ्य कि उस विशिष्ट गाड़ी की त्रुटि की ओर अन्य अबसरों पर भी क का ध्यान आकृष्ट किया गया था सुसंगत है।

यह तथ्य कि क उन गाड़ियों के बारे में जिन्हें वह भाड़े पर देता था, अध्यासतः उपेक्षावान था, विसंगत है।

(झ) क साक्ष्य असन द्वारा क की की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित है।

यह तथ्य कि क ने अन्य अबसरों पर क पर असन किया था, क का क पर असन करने का आशय दर्शित करने के नाते सुसंगत है।

यह तथ्य कि क लोगों की उन पर हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यासी था विसंगत है।

(ञ) क का किसी अपराध के लिए विचारण किया जाता है।

यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस विशिष्ट अपराध के करने का आशय उपदर्शित होता है, सुसंगत है।

यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस प्रकार के अपराध करने की साधारण प्रवृत्ति उपदर्शित होती है, विसंगत है।

15. कार्य आकस्मिक या साध्य या इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य—जब कि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या साध्य या [या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था], तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवृत्ति का भाग या जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति सम्बन्धित वा सुसंगत है।

वृद्धांत

(क) क पर यह अभियोग है कि अपने गृह के बीमे का धन अभिप्राप्त करने के लिए उसने उसे जला दिया।

ये तथ्य कि क कई गृहों में एक के पश्चात् दूसरे में रहा जिनमें से हर एक का उसने बीमा कराया, जिनमें से हर एक में आग लगी और जिन अग्निकांडों में से हर एक के उपरान्त क की किसी भिन्न बीमा कार्यालय से बीमा धन मिला, इस नाते सुसंगत है कि उसने यह दर्शित होता है कि वे अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे।

(b) A is employed to receive money from the debtors of B. It is A's duty to make entries in a book showing the amounts received by him. He makes an entry showing that on a particular occasion he received less than he really did receive.

The question is, whether this false entry was accidental or intentional.

The facts that other entries made by A in the same book are false, and that the false entry is in each case in favour of A, are relevant.

(c) A is accused of fraudulently delivering to B a counterfeit rupee.

The question is, whether the delivery of the rupee was accidental.

The facts that, soon before or soon after the delivery to B, A delivered counterfeit rupees to C, D and E are relevant, as showing that the delivery to B was not accidental.

16. ~~Existence of course of business when relevant~~—When there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business, according to which it naturally would have been done, is a relevant fact.

Illustrations

(a) The question is, whether a particular letter was despatched.

The facts that it was the ordinary course of business, for all letters put in a certain place to be carried to the post, and that that particular letter was put in that place are relevant.

(b) The question is, whether a particular letter reached A. The facts that it was posted in due course, and was not returned through the Dead Letter Office, are relevant.

ADMISSIONS

17. **Admission defined**—An admission is a statement, oral or documentary, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the persons, and under the circumstances, hereinafter mentioned.

18. **Admission—by party to proceeding or his agent**—Statements made by a party to the proceeding, or by an agent to any such party, whom the Court regards, under the circumstances of the case, as expressly or impliedly authorized by him to make them, are admissions.

By suitor in representative character—Statements made by parties to suits, suing or sued in a representative character, are not admissions, unless they were made while the party making them held that character.

Statements made by—

(1) **By party interested in subject-matter**—persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject-matter of the proceeding, and who make the statement in their character of persons so interested, or

(2) **By person from whom interest derived**—persons from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject-matter of the suit,

are admissions, if they are made during the continuance of the interest of the persons making the statements.

(ख) के ऋणियों से धन प्राप्त करने के लिए केनियोजित है। के को यह कर्तव्य है कि वह वहीं में अपने द्वारा प्राप्त राशियाँ दणित करने वाली प्रविष्टियाँ करे। वह एक प्रविष्टि करता है जिससे यह दणित होता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर उस वास्तव में प्राप्त राशि से कर्म राशि प्राप्त हुई।

प्रश्न यह है कि यह मिथ्या प्रविष्टि आकस्मिक थी या साशय।

ये तथ्य कि उसी वहाँ में क द्वारा की हुई अन्य प्रविष्टियाँ मिथ्या हैं और कि हर एक अवस्था में मिथ्या प्रविष्टि के पक्ष में है सुसंगत है।

(ग) ख को कपटपूर्वक कूटकृत रुपया परिदान करने का क अभियुक्त है।

प्रश्न यह है कि क्या रुपए का परिदान आकस्मिक था।

ये तथ्य कि ख को परिदान के तुरंत पहले या पीछे क ने ग, घ और ङ को कूटकृत रुपए परिदान किए थे इस बातें सुसंगत है कि उनसे यह दणित होता है कि ख को किया गया परिदान आकस्मिक नहीं था।

16. ~~परिदार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है—~~ अर्थात् प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कारदार के ऐसे किसी भी अनुक्रम का अस्तित्व, जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता, सुसंगत है।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया था।

ये तथ्य कि कारदार का यह साधारण अनुक्रम था कि वे सभी पत्र, जो किसी खास स्थान में रख दिए जाते थे, डाक में डाले जाने के लिए ले जाए जाते थे और कि वह पत्र उस स्थान में रख दिया गया था, सुसंगत है।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र क को भिजा। ये तथ्य कि वह साधारण अनुक्रम में डाक में डाला गया था, और कि वह पुनः प्रेषण केन्द्र द्वारा लौटाया नहीं गया था, सुसंगत है।

स्वीकृतियाँ

17. स्वीकृति की परिभाषा—स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी कथन है, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई अनुमान दंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी के द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो ऐतिहासिक तथ्यों से दणित हैं।

18. स्वीकृति—कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा—वे कथन स्वीकृतियाँ हैं, जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया हो, या ऐसे किसी पक्षकार के ऐसे किसी अभिकर्ता ने किया हो जिसे पहले म-परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है।

प्रतिनिधिक रूप से वादकर्ता द्वारा—वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा जो प्रतिनिधिक हैसियत में वाद ला रहे हों या जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो, किए गए कथन, जब तक कि वे उस समय न किए गए हों जबकि उनको करने वाला पक्षकार वही हैसियत धारण करता था, स्वीकृतियाँ नहीं हैं।

वे कथन स्वीकृतियाँ हैं, जो—

(1) विषयवस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा—ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनका कार्यवाही को विषयवस्तु में कोई साम्प्रतिक या धन संबंधी हिता है और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में कथन करते हैं, अथवा

(2) उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो—ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की विषयवस्तु में अपमानहित व्युत्पन्न हुआ है,

यदि व कथन उन्हें करन घाल व्यक्तियों के हित के चालू रहने के दौरान में किए गए हैं।

19. Admissions by persons whose position must be proved as against party to suit—Statements made by persons whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit are admissions, if such statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability.

Illustration

A undertakes to collect rents for B.

B sues A for not collecting rent due from C to B.

A denies that rent was due from C to B.

A statement by C that he owed B rent is an admission, and is a relevant fact as against A, if A denies that C did owe rent to B.

20. Admissions by persons expressly referred to by party to suit—Statements made by persons to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions.

Illustration

The question is, whether a horse sold by A to B is sound.

A says to B—"Go and ask C, C knows all about it". C's statement is an admission.

21. Proof of admissions against persons making them, and by or on their behalf—Admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them, or his representative in interest; but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest, except in the following cases :—

(1) An admission may be proved by or on behalf of the person making it, when it is of such a nature that, if the person making it were dead, it would be relevant as between third persons under section 32.

(2) An admission may be proved by or on behalf of the person making it, when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body, relevant or in issue, made at or about the time when such state of mind or body existed, and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable.

(3) An admission may be proved by or on behalf of the person making it, if it is relevant otherwise than as an admission.

Illustrations

(a) The question between A and B is, whether a certain deed is or is not forged, A affirms that it is genuine B that it is forged.

A may prove a statement by B that the deed is genuine, and B may prove a statement by A that the deed is forged; but A cannot prove a statement by himself that the deed is genuine, nor can B prove a statement by himself that the deed is forged.

(b) A, the Captain of a ship, is tried for casting her away.

Evidence is given to show that the ship was taken out of her proper course.

A produces a book kept by him in the ordinary course of his business showing observations alleged to have been taken by him from day to day, and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements, because they would be admissible between third parties, if he were dead, under section 32, clause (2).

19. उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए—वे कथन, जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियाँ हैं, यदि ऐसे व्यक्तियों द्वारा, या उन पर लाए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के सम्बन्ध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते और यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए है या ऐसे दायित्व के अधीन है।

दृष्टांत

ख के लिए भाटक संग्रह का दायित्व क लेता है।

ग द्वारा ख को शोध्य भाटक संग्रह न करने के लिए क पर ख वाद लाता है।

क इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि ग से ख को भाटक देय था।

य द्वारा यह कथन कि उस पर ख को भाटक देय है स्वीकृति है, और यदि क इस बात से इनकार करता है कि ग द्वारा ख को भाटक देय था तो वह क के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है।

20. वाद के पक्षकार द्वारा अनिश्चित रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियाँ—वे कथन, जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अनिश्चित रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियाँ हैं।

दृष्टांत

प्रश्न यह है कि क्या क द्वारा ख को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है।

ख से क कहता है कि "जाकर ग से पूछ लो, ग इस बारे में सब कुछ जानता है"। य का कथन स्वीकृति है।

21. स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनकी ओर से साबित किया जाना—स्वीकृतियों उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत हैं और साबित की जा सकेंगी, किन्तु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं में के सिवाए उन्हें साबित नहीं किया जा सकेगा :—

(1) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी, जबकि वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता, तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 के अधीन सुसंगत होती।

(2) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी, जबकि वह मन की या शरीर की सुसंगत या विवाच किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी असत्यता को अनिश्चिततापूर्ण कर देता है।

(3) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी, यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किन्तु अन्यथा सुसंगत है।

दृष्टांत

(क) क और ख के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूटरचित है या नहीं। क प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है, ख प्रतिज्ञात करता है कि वह कूटरचित है।

ख का कोई कथन कि विलेख असली है, क साबित कर सकेगा तथा क का कोई कथन कि विलेख कूटरचित है, ख साबित कर सकेगा। किन्तु क अपना यह कथन कि विलेख असली है साबित नहीं कर सकेगा और न ख ही अपना यह कथन कि विलेख कूटरचित है साबित कर सकेगा।

(ख) किसी पोत के कप्तान क का विचारण उस पोत को संत्यक्त करने के लिए किया जाता है।

यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर ले जाया गया था।

क अपने कारबार के मामूली अनुक्रम में अपने द्वारा रखी जाने वाली यह पुस्तक पेश करता है जिसमें वे संप्रेषण दर्शित हैं, जिनके बारे में यह अभिकथित है कि वे दिन प्रति दिन किए गए थे और जिनसे उपदर्शित है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर नहीं ले जाया गया था। क इन कथनों को साबित कर सकेगा क्योंकि, यदि उसकी मृत्यु हो गई होती तो वे कथन अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32, खण्ड (2) के अधीन ग्राह्य होते।

(c) A is accused of a crime committed by him at Calcutta.

He produces a letter written by himself and dated at Lahore on that day, and bearing the Lahore post mark of that day.

The statement in the date of the letter is admissible, because, if A were dead, it would be admissible under section 32, clause (2).

(d) A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen.

He offers to prove that he refused to sell them below their value.

A may prove these statements, though they are admissions, because they are explanatory of conduct influenced by facts in issue.

(e) A is accused of fraudulently having in his possession counterfeit coin, which he knew to be counterfeit.

He offers to prove that he asked a skillful person to examine the coin as he doubted whether it was counterfeit or not, and that that person did examine it and told him it was genuine.

A may prove these facts for the reasons stated in the last preceding illustration.

22. When oral admissions as to contents of documents are relevant—Oral admissions as to the contents of a document are not relevant, unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules herein after contained, or unless the genuineness of a document produced is in question.

23. Admission in civil cases when relevant—In civil cases no admission is relevant, if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given, or under circumstances from which the Court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given.

*Explanation—*Nothing in this section shall be taken to exempt any barrister, pleader, attorney or vakil from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under section 126.

24. Confession caused by inducement, threat or promise when irrelevant in criminal proceeding—A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding, if the making of the confession appears to the Court to have been caused, by any inducement, threat or promise¹, having reference to the charge against the accused person, proceeding from a person in authority and sufficient in the opinion of the Court, to give the accused person grounds, which would appear to him reasonable, for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him.

25. Confession to police officer not to be proved—No confession made to a police officer², shall be proved as against a person accused of any offence.

26. Confession by accused while in custody of police not to be proved against him—No confession made by any person whilst he is in the custody of a police officer, unless it be made in the immediate presence of a Magistrate³, shall be proved as against such person.

1. * For prohibition of such inducement, etc. see the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898), s. 343.

2. * As to statements made to a police officer investigating a case see s. 162, *ibid*.

3. * A Coroner has been declared to be Magistrate for the purposes of this section, see the Coroners Act, 1871 (4 of 1871) s. 10.

(ग) क अपने द्वारा कलकल में किए गए अपराध का अभियुक्त है।

वह अपने द्वारा लिखित और उसी दिन लाहौर में दिनांकित और उसी दिन का लाहौर काफ़ी चिट्ठे धारण करने वाला पत्र पेश करता है।

पत्र की तारीख का कथन ग्राह्य है क्योंकि, यदि क की मृत्यु हो गई होती तो वह धारा 32, खण्ड (2) के अधीन प्राण्य होता।

(घ) क चुराए हुए माल को यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है।

वह यह साबित करने की प्रस्थापना करता है कि उसने उसे उसके मूल्य से कम में घेचने से इंकार किया था।

यद्यपि ये स्वीकृतियां हैं तथापि क इन कथनों को साबित कर सकेगा, क्योंकि ये बिना सबूत तथ्यों से प्रभावित उसको आचरण के स्पष्टीकारक हैं।

(ङ) क अपने कब्जे में कूटकृत सिक्का जिसका कूटकृत होना वह जानता था, कपटपूर्वक रखने का अभियुक्त है।

वह यह साबित करने की प्रस्थापना करता है कि उसने एक कुमारा व्यक्ति के उस सिक्के की परीक्षा करने को कहा था, क्योंकि उसे था कि वह कूटकृत है या नहीं और उस व्यक्ति ने उसकी परीक्षा की थी और उससे कहा था कि वह असली है।

अन्तिम पूर्ववर्ती दृष्टांत में कथित कारणों से क इन तथ्यों को साबित कर सकेगा।

22. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु, के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं—किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब सुसंगत नहीं होतीं, यदि और जब तक उन्हें साबित करने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार यह दावेत न करे कि ऐसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह एतस्मिन्पश्चात् दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है, अथवा जब पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रथमतः न हो।

23. सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं—सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है, यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या ऐसी परिस्थितियों के अधीन की गई हो जिनसे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण—इस धारा को कोई भी बात किसी वैरिस्टर, प्लोडर, अटर्नी या वकील को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए धारा 126 के अधीन उसे निवश किया जा सकता है।

24. उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दण्डिक कार्यवाही में सुसंगत होती है—अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दण्डिक कार्यवाही में सुसंगत होती है, यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता हो कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई है जो प्राविश्वतः दवान व्यक्ति की ओर से किया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में ऐहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या ऐहिक रूप को किसी बुराई का परिचय कर लेगा।

25. पुलिस आफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना—किसी पुलिस आफिसर से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी।

26. पुलिस की अभिरक्षा में हूँ हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना—कोई भी संस्वीकृति, जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक, कि वह मजिस्ट्रेट की साक्षात् उपस्थिति न की गई हो।

1. ऐसी उत्प्रेरणाओं, आदि के प्रतिषेध के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898, (1898 का 5), धारा 343 देखिए।

2. किसी मामले का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को किए गए कथनों के बारे में—देखिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 162।

3. इस धारा के प्रयोजनों के लिए कारोवर को मजिस्ट्रेट घोषित किया गया है—देखिए कारोवर अधिनियम, 1871 (1871 का 4) की धारा 10।

¹[*Explanation*—In this section “Magistrate” does not include the head of a village discharging magisterial functions in the Presidency of Fort St. George^{2***} or elsewhere, unless such headman is a Magistrate exercising the powers of a Magistrate under the Code of Criminal Procedure, 1882³ (10 of 1882)].

27. How much of information received from accused may be proved—Provided that when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offence, in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved.

28. Confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise, relevant—If such a confession as is referred to in section 24 is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise has, in the opinion of the Court, been fully removed, it is relevant.

29. Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy, etc.—If such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy, or in consequence of a deception practised on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to questions which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions; or because he was not warned that he was not bound to make such confession, and that evidence of it might be given against him.

30. Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offence—When more persons than one are being tried jointly for the same offence, and a confession made by one of such persons affecting himself and some other of such persons is proved, the Court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession.

⁴[*Explanation*—“Offence” as used in this section, includes the abetment of, or attempt to commit the offence.]

Illustrations

(a) A and B are jointly tried for the murder of C. It is proved that A said—“B and I murdered C”. The court may consider the effect of this confession as against B.

(b) A is on his trial for the murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A and B, and that B said—“A and I murdered C”.

This statement may not be taken into consideration by the Court against A, as B is not being jointly tried.

31. Admissions not conclusive proof, but may estop—Admissions are not conclusive proof of the matters admitted but they may operate as estoppels under the provisions hereinafter contained.

STATEMENTS BY PERSONS WHO CANNOT BE CALLED AS WITNESSES

32. Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found, etc., is relevant—Statements, written or verbal, of relevant facts made by a person who is dead, or who cannot be found, or who has become incapable of giving evidence, or whose attendance cannot be procured, without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, appears to the Court unreasonable, are themselves relevant facts in the following cases:—

1. Ins. by Act 3 of 1891, s. 3.
2. The words “or in Burma” omitted by the A.O. 1937.
3. See now the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898).
4. Ins. by Act 3 of 1891, s. 4.

स्पष्टीकरण—इस धारा में “मजिस्ट्रेट” के अन्तर्गत फोटो सेन्ट जार्ज की प्रेसिडेन्सी में ^१ या अन्यत्र मजिस्ट्रेट के कृत्य निर्वहन करने वाला ग्रामणी नहीं आता है, जब कि वह ग्रामणी कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1892^१ (1862 का 10) के अर्धीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न हो।]

27. अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी—परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया सम्बन्धित है, साबित की जा सकेगी।

28. उत्प्रेरणा, धमकी या बचन से पैदा हुए भ्रम पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात् की गई संस्वीकृति सुसंगत है—यदि ऐसी कोई संस्वीकृति, जैसी धारा 24 में निर्दिष्ट है, न्यायालय की राय में उसके मन पर प्रभाव के, जो ऐसी किसी उत्प्रेरणा, धमकी या बचन से कारित हुआ है, पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात् की गई है, तो वह सुसंगत है।

29. अग्र्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के बचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना—यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है, तो वह केवल इसलिए कि वह गुप्त रखने के बचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवचन के परिणामस्वरूप, या उस समय जबकि वह भ्रम था, की गई थी अथवा इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के, चाहे उनका रूप कैसा ही क्यों न रहा हो, उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, अथवा केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आवश्यक नहीं था और कि उसके विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती।

30. साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है विचार में लेना—जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा, अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसे संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा में प्रयुक्त “अपराध” शब्द के अन्तर्गत उस अपराध का उत्प्रेरण या उसे करने का प्रयत्न आता है।]

बुद्धांत

(क) क और ख को ग की हत्या के लिए संयुक्ततः विचारित किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि क ने कहा, “ख और मैंने ग की हत्या की है।” ख के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा।

(ख) ग की हत्या करने के लिए क का विचारण हो रहा है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि ग की हत्या क और ख द्वारा की गई थी और यह कि ख ने कहा था कि “क और ग की हत्या की है”।

न्यायालय इस कथन को क के विरुद्ध विचारार्थ नहीं ले सकेगा, क्योंकि ख संयुक्ततः विचारित नहीं हो रहा है।]

31. स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं किन्तु विबंध कर सकती हैं—स्वीकृतियां, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं हैं, किन्तु एतद्विषयगत अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगे।

उन व्यक्तियों के कथन, जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता

32. वे दस्तावेज जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिला नहीं सकता। इत्यादि—सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे, जो मर गया है या मिला नहीं सकता है या जो साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी ह्राजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्तियुक्त प्रतीत होता है निम्नलिखित दशाओं में स्वयंभू सुसंगत हैं:—

1. 1891 के अधिनियम सं० 9 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. भारत शासक (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “या धनी में” शब्दों का लोप किया गया।
3. देखिए बब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)।
4. 1891 के अधिनियम सं० 3 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित।

(1) **When it relates to cause of death**—When the statement is made by a person as to the cause of his death, or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in cases in which the cause of that person's death comes into question.

Such statements are relevant whether the person who made them was or was not, at the time when they were made, under expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death comes into question.

(2) **Or is made in course of business**—When the statement was made by such person in the ordinary course of business, and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business, or in the discharge of professional duty; or of an acknowledgment written or signed by him of the receipt of money, goods, securities or property of any kind; or of a document used in commerce written or signed by him; or of the date of a letter or other document usually dated, written or signed by him.

(3) **Or against interest of maker**—When the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it or when, if true, it would expose him or would have exposed him to a criminal prosecution or to a suit for damages.

(4) **Or gives opinion as to public right or custom, or matters of general interests**—When the statement gives the opinion of any such person, as to the existence of any public right or custom or matter of public or general interest, of the existence of which, if it existed, he would have been likely to be aware, and when such statement was made before any controversy as to such right, custom or matter had arisen.

(5) **Or relates to existence of relationship**—When the statement relates to the existence of any relationship [by blood, marriage or adoption] between persons as to whose relationship [by blood, marriage or adoption] the person making the statement had special means of knowledge, and when the statement was made before the question in dispute was raised.

(6) **Or is made in will or deed relating to family affairs**—When the statement relates to the existence of any relationship [by blood, marriage or adoption] between persons deceased, and is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any such deceased person belonged, or in any family pedigree, or upon any tombstone, family portrait or other thing on which such statements are usually made, and when such statement was made before the question in dispute was raised.

(7) **Or in document relating to transaction mentioned in section 13, clause (a)**—When the statement is contained in any deed, will or other document which relates to any such transaction as is mentioned in section 13, clause (a).

(8) **Or is made by several persons and expresses feelings relevant to matter in question**—When the statement was made by a number of persons, and expressed feelings or impressions on their part relevant to the matter in question.

Illustrations

(a) The question is, whether A was murdered by B, or

A dies of injuries received in a transaction in the course of which she was ravished. The question is whether she was ravished by B; or

The question is, whether A was killed by B under such circumstances that a suit would lie against B by A's widow.

Statements made by A as to the cause of his or her death, referring respectively to the murder, the rape and the actionable wrong under consideration, are relevant facts.

(1) जब कि वह मृत्यु के कारण से सम्बन्धित है—जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो।

ऐसे कथन सुसंगत हैं चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है, उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो।

(2) अथवा कारबार के अनुक्रम में किया गया है—जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था तथा विशेषतः जबकि वह, उसके द्वारा कारबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में है, अथवा उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की सम्पत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है, अथवा वाणिज्य में उपयोग में आने वाली उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है, जो कि उसके द्वारा प्रायः दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी।

(3) अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध है—जबकि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन सम्बन्धी या साम्प्रतिक हित के विरुद्ध है या जबकि, यदि वह सत्य हो, तो उसके कारण उस पर दाण्डिक अभियोजन या नुकसानी का बाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था।

(4) अथवा लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है—जबकि उस कथन में उपर्युक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रूढ़ि अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में है, जिसके अस्तित्व से, यदि वह अस्तित्व में होता तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना सम्भाव्य होता और जब कि ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार, रूढ़ि या बात के बारे में किसी संविवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था।

(5) अथवा नातेदारी के अस्तित्व से सम्बन्धित है—जब कि कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच ¹[रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित] किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है, जिन व्यक्तियों की ¹[रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित] नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास, जिसने वह कथन किया है, ज्ञान के विशेष साधन थे और जब कि वह कथन विवादग्रस्त प्रश्न उठाए जान से पूर्व किया गया था।

(6) अथवा कुटुम्बिक बातों से सम्बन्धित विल या विलेख में किया गया है—जब कि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच ¹[रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित] किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है और उस कुटुम्ब की बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था, सम्बन्धी किसी विल या विलेख में या किसी कुटुम्ब-वंशावली में या किसी समाधि-प्रस्त, कुटुम्ब-चित्र या अन्य चीज पर जिस पर ऐसे कथन प्रायः किए जाते हैं किया गया है, और जब कि ऐसा कथन विवादग्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था।

(7) अथवा धारा 13, खण्ड (क) में वर्णित संव्यवहार से सम्बन्धित दस्तावेज में किया गया है—जब कि वह कथन किसी ऐसे विलेख, विल या अन्य दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है, जो किसी ऐसे संव्यवहार से सम्बन्धित है जैसा धारा 13 खण्ड (क) में वर्णित है।

(8) अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है—जब कि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या क की हत्या ख द्वारा की गई थी, अथवा

क की मृत्यु किसी संव्यवहार में हुई क्षतियों से हुई है, जिसके अनुक्रम में उससे बलात्संग किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या उससे ख द्वारा बलात्संग किया गया था, अथवा

प्रश्न यह कि क्या क ख द्वारा ऐसी परिस्थितियों में मारा गया था कि क की विधवा द्वारा ख पर वाद लाया जा सकता है।

अपनी मृत्यु के कारण के बारे में क द्वारा किए गए वे कथन जो उसने क्रमशः विचाराधीन हत्या, बलात्संग और अनुयोज्य दोष को निर्देशित करत हुए किए हैं, सुसंगत तथ्य हैं।

- (b) The question is as to the date of A's birth.

An entry in the diary of a deceased surgeon, regularly kept in the course of business, stating that, on a given day he attended A's mother and delivered her of a son, is a relevant fact.

- (c) The question is, whether A was in Calcutta on a given day.

A statement in the diary of a deceased solicitor, regularly kept in the course of business, that on a given day the solicitor attended A at a place mentioned, in Calcutta, for the purpose of conferring with him upon specified business, is a relevant fact.

- (d) The question is, whether a ship sailed from Bombay harbour on a given day.

A letter written by a deceased member of a merchants firm by which she was chartered, to their correspondants in London to whom the cargo was consigned, stating that the ship sailed on a given day from Bombay harbour, is a relevant fact.

- (e) The question is, whether rent was paid to A for certain land.

A letter from A's deceased agent to A, saying that he had received the rent on A's account and held it at A's orders is a relevant fact.

- (f) The question is, whether A and B were legally married.

The statement of a deceased clergyman that he married them under such circumstances that the celebration would be a crime, is relevant.

- (g) The question is, whether A, a person who cannot be found, wrote a letter on a certain day. The fact that a letter written by him is dated on that day is relevant.

- (h) The question is, what was the cause of the wreck of a ship.

A protest made by the Captain, whose attendance cannot be procured, is a relevant fact.

- (i) The question is, whether a given road is a public way.

A statement by A, a deceased headman of the village, that the road was public, is a relevant fact.

- (j) The question is, what was the price of grain on a certain day in a particular market.

A statement of the price, made by a deceased banya in the ordinary course of his business is a relevant fact

- (k) The question is, whether A, who is dead, was the father of B.

A statement by A that B was his son, is a relevant fact.

- (l) The question is, what was the date of the birth of A.

A letter from A's deceased father to a friend, announcing the birth of A on a given day, is a relevant fact.

- (m) The question is, whether, and when, A and B were married.

An entry in a memorandum book by C, the deceased father of B, of his daughter's marriage with A on a given date, is a relevant fact.

- (n) A sues B for a libel expressed in a painted caricature exposed in a shop window. The question is as to the similarity of the caricature and its libellous character. The remarks of a crowd of spectators on these points may be proved.

(ख) प्रश्न क के जन्म की तारीख के धारे में है।

एक मृत शल्य-चिकित्सक की अपने कारवार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप में रखी जाने वाली डायरी में इस कथन की प्रविष्टि की अमुक दिन उसने क की माता की परिचर्या की और उसे पुत्र का प्रसव कराया सुसंगत तथ्य है।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या क अमुक दिन कलकत्ते में था।

कारवार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई एक मृत सोलिसिटर की डायरी में यह कथन कि अमुक दिन वह सोलिसिटर कलकत्ते में एक वर्णित स्थान पर विनिदिष्ट कारवार के बारे में विचार-विमर्श के प्रयोजनार्थ क के पास रहा सुसंगत तथ्य है।

(घ) प्रश्न यह है कि क्या कोई पोत मुम्बई बन्दरगाह से अमुक दिन रवाना हुआ।

किसी वाणिज्यिक फर्म के, जिसके द्वारा यह पोत भाड़े पर लिया गया था, मृत भागीदार द्वारा लन्दन स्थित अपने सम्पर्कियों को जिन्हें वह स्थोरा परेषित किया गया था, यह कथन करने वाला पत्र कि पोत मुम्बई बन्दरगाह से अमुक दिन चल दिया सुसंगत तथ्य है।

(ङ) प्रश्न यह है कि क्या क को अमुक भूमि का भाटक दिया गया था।

क के मृत अभिकर्ता का क के नाम पत्र जिसमें यह कथन है कि उसने क के निमित्त भाटक प्राप्त किया है और वह उसे क के आदेशाधीन रखे हुए है सुसंगत तथ्य है।

(च) प्रश्न यह है कि क्या क और ख का विवाह धर्म रूप से हुआ था।

एक मृत पादरी का यह कथन कि उसने उनका विवाह ऐसी परिस्थितियों में कराया था, जिनमें उसका कराना अपराध होता, सुसंगत है।

(छ) प्रश्न यह है कि क्या एक व्यक्ति क ने, जो मिल नहीं सकता अमुक दिन एक पत्र लिखा था। यह तथ्य कि उसके द्वारा लिखित एक पत्र पर उस दिन की तारीख दिनांकित है सुसंगत है।

(ज) प्रश्न यह है कि किसी पोत के ध्वंस का कारण क्या है।

कप्तान द्वारा, जिसकी हाजिरी उपाप्त नहीं की जा सकती, दिया गया प्रसाक्ष्य सुसंगत तथ्य है।

(झ) प्रश्न यह है कि क्या अमुक सड़क लोक मार्ग है।

ग्राम के मृत ग्रामणी क के द्वारा किया गया कथन कि वह सड़क लोक मार्ग है सुसंगत तथ्य है।

(ञ) प्रश्न यह है कि विशिष्ट बाजार में अमुक दिन अनाज की क्या कीमत थी।

एक मृत बनिए द्वारा अपने कारवार के मामूली अनुक्रम में किया गया कीमत का कथन सुसंगत तथ्य है।

(ट) प्रश्न यह है कि क्या क, जो मर चुका है क का पिता था।

क द्वारा किया गया यह कथन कि ख उसका पुत्र है सुसंगत तथ्य है।

(ठ) प्रश्न यह है कि क के जन्म की तारीख क्या है।

क के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र, जिसमें यह बताया गया है कि क का जन्म अमुक दिन हुआ सुसंगत तथ्य है।

(ड) प्रश्न यह है कि क्या और कच क और ख का विवाह हुआ था।

ख के मृत पिता द्वारा किसी याददास्त पुस्तक में अपनी पुत्री का क के साथ अमुक तारीख को विवाह होने की प्रविष्टि सुसंगत तथ्य है।

(ह) दुकान की खिड़की में अभिदर्शित रंगित उपहासांकन में अभिव्यक्त अपमान-लेख के लिए ख पर क वाद लाता है। प्रश्न उपहासांकन की समरूपता तथा उसके अपमान लेखीय प्रकृति के बारे में है। इन बातों पर दर्शकों की भीड़ की टिप्पणियाँ साबित की जा सकेंगी।

33. Relevancy of certain evidence for proving, in subsequent proceeding, the truth of facts therein stated—Evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any person authorized by law to take it, is relevant for the purpose of proving, in a subsequent judicial proceeding, or in a later stage of the same judicial proceeding, the truth of the facts which it states, when the witness is dead or cannot be found, or is incapable of giving evidence, or is kept out of the way by the adverse party, or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, the Court considers unreasonable :

Provided—

that the proceeding was between the same parties or their representatives in interest;

that the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine:

that the questions in issue were substantially the same in the first as in the second proceeding.

Explanation.—A criminal trial or inquiry shall be deemed to be a proceeding between the prosecutor and the accused within the meaning of this section.

STATEMENTS MADE UNDER SPECIAL CIRCUMSTANCES

34. Entries in books of account when relevant—Entries in books of account, regularly kept in the course of business, are relevant whenever they refer to a matter into which the Court has to inquire but such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability.

Illustration

A sues B for Rs. 1,000 and shows entries in his account-books showing B to be indebted to him to this amount. The entries are relevant, but are not sufficient, without other evidence, to prove the debt

35. Relevancy of entry in public record made in performance of duty—An entry in any public or other official book, register or record, stating a fact in issue or relevant fact, and made by a public servant in the discharge of his official duty, or by any other person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country in which such book, register, or record is kept, is itself a relevant fact.

36. Relevancy of statements in maps, charts and plans—Statements of facts in issue or relevant facts, made in published maps or charts generally offered for public sale, or in maps or plans made the authority of [the Central Government or any State Government], as to matters usually represented or stated in such maps, charts or plans, are themselves relevant facts.

37. Relevancy of statement as to fact of public nature, contained in certain acts or notifications—When the Court has to form an opinion as to the existence on any fact of a Public nature, any statement of it, made in a recital contained in any Act of Parliament ²[of the United Kingdom], or in any ³[Central Act, Provincial Act, or ⁴[a State Act], or in a Government notification or notification by the Crown Representative appearing in the Official Gazette or in any printed paper purporting to be the London Gazette or the Government Gazette of any Dominion, colony or possession of His Majesty is a relevant fact].

•

•

•

•

•

1. Subs. by the A.O. 1948 for "any Government in British India".

2. Ins. by the A.O. 1950.

3. The original words "Act of the Governor General of India in Council or of the Governors in Council of Madras or Bombay, or of the Lieutenant Governor in Council of Bengal, or in a notification of the Government appearing in the Gazette of India, or in the Gazette of any L.G. or in any printed paper purporting to be the London Gazette or the Government Gazette of any colony or possession of the Queen, is a relevant fact" were successively amended by Act 10 of 1914, A.O. 1937, A.O. 1948 and A.O. 1950 to read as above.

4. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "an Act of the Legislature of Part A State or a Part C State".

5. The last paragraph added by Act 5 of 1899, s. 2, omitted by Act 10 of 1914, s. 3 and Sch. II.

33. किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चात्बर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति— वह साक्ष्य, जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही में, या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों की सत्यता को, जो उस साक्ष्य में कथित हैं, किसी पश्चात्बर्ती न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत है, जब कि वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता है, या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पकड़ के बाहर कर दिया गया है अथवा यदि उसकी उपस्थिति इतने बिलम्ब या व्यय के बिना, जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अत्यन्तवत्त समझता है, अधिप्राप्त नहीं की जा सकती:

परन्तु वह तब जब कि—

वह कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच मंथी,
प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था,
विवाद्य प्रश्न प्रथम कार्यवाही में सारत वही थे जो द्वितीय कार्यवाही में ।

स्पष्टीकरण—दाण्डिक विचारण या जांच इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्यवाही समझी जाएगी ।

विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन

34. लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं—कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप में रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां, जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिसमें न्यायालय की जांच करनी है, सुसंगत हैं, किन्तु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे ।

दृष्टांत

ख पर क 1,000 रुपयों के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा बहियों की वे प्रविष्टियां दर्शित करता है, जिनमें ख को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है । ये प्रविष्टियां सुसंगत हैं किन्तु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य के बिना पर्याप्त नहीं हैं ।

35. कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति—किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख में की गई प्रविष्टि जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की, जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है ।

36. मानचित्रों, चाटों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति—विवाद्यक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के वे कथन, जो प्रकाशित मानचित्रों या चाटों में, जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्थापित किए जाते हैं, अथवा ¹[केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य-सरकार] के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों में किए गए हैं उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्रों, चाटों या रेखांकों में प्रायः रूपित या कथित होते हैं स्वयं सुसंगत तथ्य हैं ।

37. किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति—जबकि न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है तब ²[यूनाइटेड किंगडम की] पार्लियामेंट के ऐक्ट में या किसी ³[केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या] ⁴[राज्य अधिनियम में] या शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किसी सरकारी अधिसूचना या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव द्वारा की गई अधिसूचना में या लन्दन गजट या हिज मंजस्टी के किसी डोमिनियन, उपनिवेश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र तात्पर्यित होने वाले किसी मुद्रित पत्र में अन्तर्विष्ट परिवर्णन में किया गया उसका कोई कथन सुसंगत तथ्य है ।

5*

*

*

*

1. भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "विदिष्ट भारत में किसी सरकार" के स्थान पर प्रति-स्थापित ।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्तःस्थापित ।
3. "सपरिषद् गवर्नर जनरल का, या मद्रास अथवा बम्बई के सपरिषद् गवर्नर का या बंगाल के सपरिषद् लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिनियम, या भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सरकार की अधिसूचना में या किसी स्थानीय सरकार के राजपत्र में या लन्दन गजट अथवा क्वीन के किसी उपनिवेश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र में तात्पर्यित होने वाले किसी मुद्रित पत्र के सुसंगत तथ्य" मूल शब्दों का संशोधन अनुक्रमशः 1914 के अधिनियम सं० 10, भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937, भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन), आदेश, 1948 और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा किया गया है ।
4. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग क राज्य या भाग ग राज्य के विधान-मण्डल के अधिनियम" के स्थान पर प्रति-स्थापित ।
5. 1899 के अधिनियम सं० 5 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए अन्तिम पैरे का 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा लोप किया गया ।

38. Relevancy of statements as to any law contained in law-books—When the Court has to form an opinion as to a law of any country, any statement of such law contained in a book purporting to be printed or published under the authority of the Government of such country and to contain any such law, and any report of a ruling of the Courts of such country contained in a book purporting to be a report of such rulings, is relevant.

HOW MUCH OF A STATEMENT IS TO BE PROVED

39. What evidence to be given when statement forms part of a conversation, document, book, or series of letters or papers—When any statement of which evidence is given forms part of a longer statement or of a conversation or part of an isolated document, or is contained in a document which forms part of a book, or of a connected series of letters or papers, evidence shall be given of so much and no more of the statement, conversation, document, book, or series of letters or papers as the Court considers necessary in that particular case to the full understanding of the nature and effect of the statement, and of the circumstances under which it was made.

JUDGMENTS OF COURTS OF JUSTICE WHEN RELEVANT

40. Previous judgments relevant to bar a second suit or trial—The existence of any judgment order or decree which by law prevents any Courts from taking cognizance of a suit or holding a trial is a relevant fact when the question is whether such Court ought to take cognizance of such suit, or to hold such trial.

41. Relevancy of certain judgments in probate, etc., jurisdiction—A final judgment, order or decree of a competent Court, in the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction which confers upon or takes away from any person any legal character, or which declares any person to be entitled to any such character, or to be entitled to any specific thing, not as against any specified person but absolutely, is relevant when the existence of any such legal character, or the title of any such person to any such thing, is relevant.

Such judgment, order or decree is conclusive proof—

that any legal character which it confers accrued at the time when such judgment, order or decree came into operation;

that any legal character, to which it declares any such person to be entitled, accrued, to that person at the time when such judgment, [order or decree] declares it to have accrued to that person;

That any legal character which it takes away from any such person ceased at the time from which such judgment, [order or decree] declared that it had ceased or should cease;

and that anything to which it declares any person to be so entitled was the property of that person at the time from which such judgment, [order or decree] declares, that it had been or should be his property.

42. Relevancy and effect of judgments, orders or decrees, other than those mentioned in section 41—Judgments, orders or decrees other than those mentioned in section 41, are relevant if they relate to matters of a public nature relevant to the enquiry, but such judgments, orders or decrees are not conclusive proof of that which they state.

Illustration

A Sues B for trespass on his land. B alleges the existence of a public right of way over the land, which A denies.

The existence of a decree in favour of the defendant, in a suit by A against C for a trespass on the same land in which C alleged the existence of the same right of way, is relevant, but it is not conclusive proof that the right of way exists.

38. विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति—जब कि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन, जो ऐसी किसी पुस्तक में अन्तर्विष्ट है जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित और ऐसी किसी विधि को अन्तर्विष्ट करने वाली तात्पर्यित है, और ऐसे देश के न्यायालयों के किसी विनिर्णय की कोई रिपोर्ट जो ऐसे विनिर्णयों की रिपोर्ट तात्पर्यित होने वाली किसी पुस्तक में अन्तर्विष्ट है सुसंगत है।

किसी कथन में से कितना सावित किया जाए

39. जब कि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज-पत्रों की आवली का भाग हो तब क्या साक्ष्य दिया जाए—जबकि कोई कथन जिसका साक्ष्य दिया जाता है, किसी बृहत्तर कथन का या किसी बातचीत का भाग है या किसी एकल दस्तावेज का भाग है या किसी ऐसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है जो किसी पुस्तक का अथवा पत्रों या कागज-पत्रों की संसक्त आवली का भाग है तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज-पत्रों की आवली के उतने का ही न कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव को तथा उन परिस्थितियों को, जिनके अधीन वह किया गया था, पूर्णतः समझने के लिए उस विधिष्ट मामले में आवश्यक विचार करता है।

न्यायालयों का निर्णय कब सुसंगत है

40. द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है—किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व, जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, सुसंगत तथ्य है जब कि प्रश्न यह हो कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान या ऐसा विचारण करना चाहिए।

41. प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति—किसी सक्षम न्यायालय के प्रोबेट विषयक, विवाह विषयक, नावधिकरण विषयक या दिवाला विषयक अधिकारिता के प्रयोग में दिया हुआ अन्तिम निर्णय, आदेश या डिक्री, जो किसी व्यक्ति को, या से कोई विधिक हैसियत प्रदान करती या ले लेती है या जो सर्वतः न किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी हैसियत का हकदार या किसी विनिर्दिष्ट चीज का हकदार घोषित करती है, तब सुसंगत हैं जब कि किसी विधिक हैसियत, या किसी ऐसी चीज पर किसी ऐसे व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगत है।

ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात का निश्चायक सबूत है—

कि कोई विधिक हैसियत, जो वह प्रदत्त करती है, उस समय प्रोद्भूत हुई जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री परिवर्तन में आई,

कि कोई विधिक हैसियत, जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को हकदार, घोषित करती है उस व्यक्ति को उस समय प्रोद्भूत हुई जो समय ऐसे निर्णय [आदेश या डिक्री] द्वारा घोषित है कि उस समय वह उस व्यक्ति को प्रोद्भूत हुई,

कि कोई विधिक हैसियत, जिसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से ले लती है उस समय खत्म हुई जो उस समय ऐसे निर्णय, [आदेश या डिक्री] द्वारा घोषित है कि उस समय से वह हैसियत खत्म हो गई थी या खत्म हो जानी चाहिए,

और कि कोई चीज जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को ऐसा हकदार घोषित करती है उस व्यक्ति की उस समय सम्पत्ति थी जो समय ऐसे निर्णय, [आदेश या डिक्री] द्वारा घोषित है कि उस समय से वह चीज उसकी सम्पत्ति थी या होनी चाहिए।

42. धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव—वे निर्णय, आदेश या डिक्रियां जो धारा 41 में वर्णित से भिन्न हैं, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से संबंधित हैं, तो वे सुसंगत हैं, किन्तु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियां उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं हैं जिनका वे कथन करती हैं।

बुद्धांत

क अपनी भूमि पर अतिचार के लिए ख पर वाद लाता है। ख उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अभिकथित करता है जिसका क प्रत्याख्यान करता है।

क द्वारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए वाद में, जिसमें ग ने उसी मार्गाधिकार का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व सुसंगत है किन्तु वह इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि वह मार्गाधिकार अस्तित्व में है।

43. Judgments, etc., other than those mentioned in sections 40 to 42, when relevant—Judgments, orders or decrees, other than those mentioned in sections 40, 41 and 42, are irrelevant, unless the existence of such judgment, order or decree, is a fact in issue, or is relevant under some other provision of this Act.

Illustrations

(a) A and B separately sue C for a libel which reflects upon each of them. C in each case says, that the matter alleged to be libellous is true, and the circumstances are such that it is probably true in each case, or in neither.

A obtains a decree against C for damages on the ground that C failed to make out his justification. The fact is irrelevant as between B and C.

(b) A prosecutes B for adultery with C, A's wife.

B denies that C is A's wife, but the Court convicts B of adultery.

Afterwards, C is prosecuted for bigamy in marrying B during A's lifetime. C says that she never was A's wife.

The judgment against B is irrelevant as against C.

(c) A prosecutes B for stealing a cow from him, B is convicted.

A afterwards sues C for the cow, which B had sold to him before his conviction. As between A and C, the judgment against B is irrelevant.

(d) A has obtained a decree for the possession of land against B, C, B's son, murders A in consequence.

The existence of the judgment is relevant, as showing motive for a crime.

¹(e) A is charged with theft and with having been previously convicted of theft. The previous conviction is relevant as a fact in issue.

(f) A is tried for the murder of B. The fact that he prosecuted A for libel and that A was convicted and sentenced is relevant under section 8 as showing the motive for the fact in issue.]

44. Fraud or collusion in obtaining judgment, or incompetency of Court, may be proved—Any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order or decree which is relevant under sections 40, 41 or 42 and which has been proved by the adverse party, was delivered by a Court not competent to deliver it, or was obtained by fraud or collusion.

OPINIONS OF THIRD PERSONS WHEN RELEVANT

45. Opinions of experts—When the Court has to form an opinion upon a point of foreign law or of science or art, or as to identity of handwriting ²[or finger impressions], the opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art, ³[or in questions as to identity of handwriting] ²[or finger impressions] are relevant facts.

Such persons are called experts.

1. Ins. by Act 3 of 1891, s. 5.

2. Ins. by Act 5 of 1899, s. 3.

3. Ins. by Act 18 of 1872, s. 4.

43. धाराओं 40 से 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं—धाराओं 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रीयां विसंगत हैं जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व विवाहक तथ्य न हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत सुसंगत न हो।

दृष्टांत

(क) क और ख किसी अपमान-लेख के लिए जो उनमें से हर एक पर लागू न लगाता है, ग पर पृथक्-पृथक् वाद लाते हैं। हर एक मामले में ग कहता है कि वह बात, जिसका अपमान-लेखीय होना अभिकथित है, सत्य है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अधिसम्भाव्यतः या तो हर मामले में तथ्य है या किसी में नहीं।

ग के विरुद्ध क इस आधार पर कि ग अपना न्यायोचित साबित करने में असफल रहा नुकसानी की डिक्री अभिप्राप्त करता है। यह तथ्य ख और ग के बीच विसंगत है।

(ख) क अपनी पत्नी ग के साथ जारकर्म करने के लिए ख का अभियोजन करता है।

ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि ग क की पत्नी है किन्तु न्यायालय ख को जारकर्म के लिए दोषसिद्ध करता है।

तत्पश्चात् क के जीवन काल में ख के साथ विवाह करने पर द्वि-विवाह के लिए ग अभियोजित की जाती है। ग कहती है कि वह क की पत्नी कभी नहीं थी।

ख के विरुद्ध द्विग्रा गग्रा निर्णय ग के विरुद्ध विसंगत है।

(ग) ख का अभियोजन क इसलिये करता है कि उसने क को गाय चुराई है। ख दोषसिद्ध किया जाता है।

तत्पश्चात् क उस गाय के लिए जिसे ख ने दोषसिद्ध होने से पूर्व ग को बेव दिया था, ग पर वाद लाता है। ख के विरुद्ध वह निर्णय क और ग के बीच विसंगत है।

(घ) क ने ख के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिक्री अभिप्राप्त की है। ख का पुत्र ग परिणामस्वरूप क की हत्या करता है उस निर्णय का अस्तित्व अपराध का हेतु दशित करने के नाते सुसंगत है।

1[(ङ) क पर चोरी का और चोरी के लिए पूर्व दोषसिद्धि का आरोप है। पूर्व दोषसिद्धि विवाहक तथ्य होने के नाते सुसंगत है।

(च) ख की हत्या के लिए क विचारित किया जाता है। यह तथ्य कि ख ने क पर अपमान-लेख के लिए अभियोजन चलाया था और क दोषसिद्ध और दण्डित किया गया था धारा 8 के अधीन विवाहक तथ्य का हेतु दशित करने के नाते सुसंगत है।]

44. निर्णय अधिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि अथवा न्यायालय की क्षमता साबित की जा सकेगी—वाद या अन्य कार्य-वाही का कोई भी पक्षकार यह दशित कर सकेगा कि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री जो धारा 40, 41 या 42 के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी जो उसे देने के लिए अक्षम था या कपट या दुस्सन्धि द्वारा अभिप्राप्त की गई थी।

अन्य दृष्टान्तों की राय कब तक सुसंगत है

45. विशेषज्ञों की राय—जबकि न्यायालय को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्त-लेख²[या अंगुली चिह्नों] की अनन्यता के बारे में राय बनानी होती तब उस बात पर एसी विदेशी विधि, विज्ञान या कला में³[या हस्तलेख]²[या अंगुली चिह्नों] की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की राय सुसंगत तथ्य हैं।

एसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं।

1. 1891 के अधिनियम सं० 3 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. 1899 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।

3. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित।

Illustrations

- (a) The question is, whether the death of A was caused by poison.

The opinions of experts as to the symptoms produced by the poison by which A is supposed to have died, are relevant.

- (b) The question is, whether A, at the time of doing a certain act, was, by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of the Act, or that he was doing what was either wrong or contrary to law.

The opinions of experts upon the question whether the symptoms exhibited by A commonly show unsoundness of mind, and whether such unsoundness of mind usually renders persons incapable of knowing the nature of the acts which they do, or of knowing that what they do is either wrong or contrary to law, are relevant.

- (c) The question is, whether a certain document was written by A. Another document is produced which is proved or admitted to have been written by A.

The opinions of experts on the question whether the two documents were written by the same person or by different persons are relevant.

46. Facts bearing upon opinions of experts—Facts, not otherwise relevant, are relevant if they support or are inconsistent with the opinions of experts, when such opinions are relevant.

Illustrations

- (a) The question is, whether A was poisoned by a certain poison.

The fact that other persons, who were poisoned by that poison, exhibited certain symptoms which experts affirm or deny to be the symptoms of that poison, is relevant.

- (b) The question is, whether an obstruction to a harbour is caused by a certain sea-wall.

The fact that other harbours similarly situated in other respects, but where there were no such sea-walls began to be obstructed at about the same time, is relevant.

47. Opinion as to handwriting, when relevant—When the Court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed that it was or was not written or signed by that person, is a relevant fact.

Explanation—A person is said to be acquainted with the handwriting of another person when he has seen that person write, or when he has received documents purporting to be written by that person in answer to documents written by himself or under his authority and addressed to that person, or when, in the ordinary course of business, documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him.

Illustration

The question is, whether a given letter is in the handwriting of A, a merchant in London.

B is a merchant in Calcutta, who has written letters addressed to A and received letters purporting to be written by him. C is B's clerk, whose duty it was to examine and file B's correspondence. D is B's broker, to whom B habitually submitted the letters purporting to be written by A for the purpose of advising with him thereon.

The opinions of B, C and D on the question whether the letter is in the handwriting of A are relevant, though neither B, C nor D ever saw A write.

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष द्वारा कारित हुई।

जिस विष के बारे में अनुमान है कि उससे क की मृत्यु हुई है, उस विष से पदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क अमुक कार्य करने में समय चित्तविकृति के कारण उस काय की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ था।

इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं, कि क्या क द्वारा प्रदर्शित लक्षणों से चित्तविकृति सामान्यतः दर्शित होती है तथा क्या ऐसी चित्तविकृति लोगों को उन कार्यों की प्रकृति जिन्हें वह करते हैं, या यह कि जो कुछ वह कर रहे हैं वह या तो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में प्रायः असमर्थ बना देती है।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क द्वारा लिखी गई थी। एक अन्य दस्तावेज पेश की जाती है जिसका क द्वार लिखा जाना साबित या स्वीकृत है।

इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं कि क्या दोनों दस्तावेज एक ही व्यक्ति द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखी गई थीं।

46. विशेषज्ञों की रायों से सम्बन्धित तथ्य—य तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की रायोंका समर्थन करते हों या उनसे असंगत हों जबकि ऐसी राय सुसंगत हों।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या क को अमुक विष दिया गया था।

यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य व्यक्तियों में भी, जिन्हें वह विष दिया गया था, अमुक लक्षण प्रकट हुए थे जिनका उस विष के लक्षण होना विशेषज्ञ प्रतिज्ञात या प्रत्याख्यात करते हैं।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या किसी बन्दरगाह में कोई बाधा अमुक समुद्र-भित्ति से कारित हुई है।

यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य बन्दरगाह, जो अन्य दृष्टियों से वैसे ही स्थित थे, किन्तु जहाँ ऐसी समुद्र-भित्तियां नहीं थीं लगभग उसी समय बाधित होने लग थे।

47. हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है—जबकि न्यायालय को राय बचानी हो कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति ने लिखी या हस्ताक्षरित की थी, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से, जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है, परिचित किसी व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी अथवा लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी सुसंगत तथ्य है।

स्पष्टीकरण—कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित तब कहा जाता है, जबकि उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा है या जबकि स्वयं अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित और उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेज के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई, तात्पर्यित होने वाली दस्तावेज प्राप्त की हैं, या जबकि कारबार के सामूची अनुक्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्यित होने वाली दस्तावेजों उसके समक्ष बराबर रखी जाती रही हैं।

दृष्टांत

प्रश्न यह है कि क्या अमुक पत्र लन्दन के एक व्यापारी क के हस्तलेख में है।

ख कलकत्ता में एक व्यापारी है जिसने क को पत्र संबोधित किए हैं तथा उसके द्वारा लिख हुए तात्पर्यित होने वाले पत्र प्राप्त किए हैं। ग, ख का लिपिक है, जिसका कर्तव्य ख के पत्र-व्यवहार को देखना और फाइल करना था। ख का दलाल घ है, जिसके समक्ष क द्वारा लिख गए तात्पर्यित होने वाले पत्रों को उनके बारे में उससे सलाह करने के लिए ख बराबर रखा करता था।

ख, ग और घ की इस प्रश्न पर रायें कि क्या वह पत्र क के हस्तलेख में है सुसंगत है, यद्यपि घ तो ख ने, ग ने, न घ ने क को लिखते हुए कभी देखा था।

48. Opinion as to existence of right or custom, when relevant—When the Court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinions, as to the existence of such custom or right, of persons who would be likely to know of its existence if it existed, are relevant.

Explanation—The expression “general custom or right” includes customs or rights common to any considerable class of persons.

Illustration

The right of the villagers of a particular village to use the water of a particular well is a general right within the meaning of this section.

49. Opinion as to usages, tenets, etc., when relevant—When the Court has to form an opinion as to—

the usages and tenets of any body of men or family,
the constitution and government of any religious or charitable foundation, or
the meaning of words or terms used in particular districts or by particular classes of people
the opinions of persons having special means of knowledge thereon, are relevant facts.

50. Opinion on relationship, when relevant—When the Court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, the opinion, expressed by conduct, as to the existence of such relationship, of any person who, as a member of the family or otherwise, has special means of knowledge on the subject, is a relevant fact :

Provided that such opinion shall not be sufficient to prove a marriage in proceedings under the Indian Divorce Act, 1869 (4 of 1869) or in prosecutions under sections 494, 495, 497 or 498 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

Illustrations

(a) The question is, whether A and B, were married.

The fact that they were usually received and treated by their friends as husband and wife, is relevant.

(b) The question is, whether A was the legitimate son of B. The fact that A was always treated as such by members of the family, is relevant.

51. Grounds of opinion, when relevant—Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant.

Illustration

An expert may give an account of experiments performed by him for the purpose of forming his opinion.

CHARACTER WHEN RELEVANT

52. In civil cases character to prove conduct imputed, irrelevant—In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him, is irrelevant, except in so far as such character appears from facts otherwise relevant.

53. In criminal cases previous good character relevant—In criminal proceedings, the fact that the person accused is of a good character, is relevant.

48. अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है—जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की रायें सुसंगत हैं जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभवतः उसे जानते होते।

स्पष्टीकरण—“साधारण रूढ़ियां अधिकार” के अन्तर्गत ऐसी रूढ़ियां या अधिकार आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए सामान्य हैं।

दृष्टांत

किसी विशिष्ट ग्राम के निवासियों का अमुक कूप के पानी का उपयोग करने का अधिकार इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत साधारण अधिकार हैं।

49. प्रथाओं, सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है—जबकि न्यायालय को—

मनुष्यों के किसी निकाय या कुटुम्ब की प्रथाओं और सिद्धांतों के,

किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के, अथवा

विशिष्ट जिले में विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों के अर्थों के,

बारे में राय बनानी हो, तब उनके संबंध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय संगत तथ्य हैं।

50. नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है—जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय, जिसके पास कुटुम्ब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन हैं, सुसंगत तथ्य हैं:

परन्तु भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 (1869 का 4) के अधीन कार्यवाहियों में या भारतीय विधि संहिता (1860 का 45) को धारा 494, 495, 497 या 498 के अधीन अभियोजनों में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या क और ख विवाहित थे।

यह तथ्य कि वे अपने मित्रों द्वारा पति और पत्नी के रूप में प्रायः स्वीकृत किए जाते थे और उनसे वसा बरताव किया जाता था सुसंगत है।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क ख का धर्मज पुत्र है। यह तथ्य कि कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा क से सदा उस रूप में बरताव किया जाता था सुसंगत है।

51. राय के आधार कब सुसंगत है—जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब व आधार भी जिन पर वह आधारित है, सुसंगत है।

दृष्टांत

कौई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजनार्थ किए हुए प्रयोगों का विवरण दे सकता है।

शील कब सुसंगत है

52. सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील सुसंगत है—सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी सम्पूक्त व्यक्ति का शील ऐसा है जो उस पर अध्यारोपित किसी आचरण को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बना देता है, सुसंगत है वहां तक के सिवाए जहां तक कि ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है।

53. दार्मिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है—दार्मिक कार्यवाहियों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है।

¹[54. Previous bad character not relevant, except in reply—In criminal proceedings the fact that the accused person has a bad character is irrelevant, unless evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant.

Explanation 1—This section does not apply to cases in which the bad character of any person is itself a fact in issue.

Explanation 2—A previous conviction is relevant as evidence of bad character.]

55. Character as affecting damages—In civil cases, the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages which he ought to receive, is relevant.

Explanation—In sections 52, 53, 54 and 55, the word “character” includes both reputation and disposition; but ²[except as provided in section 54], evidence may be given only of general reputation and general disposition, and not of particular acts by which reputation or disposition were shown.]

PART II

ON PROOF

CHAPTER III

FACTS WHICH NEED NOT BE PROVED

56. Fact judicially noticeable need not be proved—No fact of which the Court will take judicial notice need to be proved.

57. Facts of which Court must take judicial notice—The Court shall take judicial notice of the following facts :—

³[(1) All laws in force in the territory of India;]

(2) All public Acts passed or hereafter to be passed by Parliament ⁴[of the United Kingdom] and all local and personal Acts directed by Parliament ⁴[of the United Kingdom] to be judicially noticed;

(3) Articles of War for ⁵[the Indian] Army ⁶[Navy or Air Force];

⁷[(4) The course of proceeding of Parliament of the United Kingdom, of the Constituent Assembly of India, of Parliament and of the legislatures established under any laws for the time being in force in a Province or in the States;]

(5) The accession and the sign manual of the Sovereign ⁸[for the time being] of the United Kingdom of Great Britain and Ireland;

(6) All seals of which English Courts take judicial notice : the seals of all the ⁹[Courts in India] and of all Courts out of ⁹[India] established by the authority of ¹⁰[the Central Government or the Crown Representative]; the seals of Courts of Admiralty and Maritime Jurisdiction and of Notaries Public, and all seals which any person is authorized to use by ¹¹[the Constitution or an Act of Parliament of the United Kingdom or an] Act or Regulation having the force of law in ⁹[India];

1. Subs. by Act 3 of 1891, s. 6, for the original section.
 2. Ins. by Act 3 of 1891, s. 7.
 3. Subs. by the A.O. 1950, for the former [para. 1].
 4. Ins. *ibid.*
 5. Subs. by *ibid.*, for “Her Majesty’s”.
 6. Subs. by Act 10 of 1927, s. 2 and Sch. I, for “or Navy”.
 7. Subs. by the A.O. 1950, for the former para (4).
 8. Subs. by the A.O. 1948, for “Courts of British India”.
 9. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for “the States”.
 10. Subs. by the A.O. 1937, for “the G.G. or any L.G. in Council”.
 11. Subs. by the A.O. 1950, “any Act of Parliament or other”.

¹[54. उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है—दाण्डक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे शील का है, विसंगत है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे शील का है, जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता है।

स्पष्टीकरण 1—यह धारा उन मामलों में लागू नहीं है जिनमें किसी व्यक्ति का बुरा शील स्वयं विवाचक तथ्य है।

स्पष्टीकरण 2—पूर्व दोषसिद्धि बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है।]

55. नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील—सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर, जो उसे मिलनी चाहिए, प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है।

स्पष्टीकरण—धारा 52, 53, 54 और 55 में “शील” शब्द के अन्तर्गत ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं, किन्तु ²[धारा 54 में यथा उपबंधित के सिवाए] केवल साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव का ही न कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का, जिनके द्वारा ख्याति या स्वभाव दर्शाते हुए थे, साक्ष्य दिया जा सकेगा।

भाग 2

सबूत के विषय में

अध्याय 3

तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है

56. न्यायिक रूप से अपेक्षनीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है—जिस तथ्य की न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करेगा उसे साबित करना आवश्यक नहीं है।

57. वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अवेक्षा न्यायालय को करनी होगी—न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अवेक्षा करेगा—

³[(1) भारत के राज्य क्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियां;]

(2) ⁴[यूनाइटेड किंगडम की] पार्लिमेंट द्वारा पारित या एतत्पश्चात् पारित किए जाने वाले समस्त पब्लिक ऐक्ट तथा वे समस्त स्थानीय और पर्सनल ऐक्ट जिनके बारे में ⁴[यूनाइटेड किंगडम की] पार्लिमेंट ने निर्दिष्ट किया है कि उनकी न्यायिक अवेक्षा की जाए ;

(3) ⁵[भारतीय] सेना, ⁶[नौसेना] या वायुसेना के लिए युद्ध की नियमावली;

⁷[(4) यूनाइटेड किंगडम की पार्लिमेंट की, भारत की संविधान सभा की, संसद् की तथा किसी प्रान्त या राज्यों में तत्समय प्रवृत्त विधियों के अधीन स्थापित विधान-मण्डलों की कार्यवाही का अनुक्रम ;]

(5) ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के तत्समय प्रभु का राज्यारोहण और राजहस्ताक्षर ;

(6) वे सब मद्राएं, जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक अवेक्षा करते हैं, ⁸[भारत] में के सब न्यायालयों की ओर से ¹⁰[केन्द्रीय सरकार या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के प्राधिकार द्वारा] ⁹[भारत] के बाहर स्थापित सब न्यायालयों की मद्राएं, नावधिकरण और समुद्रीय अधिकारिता वाले न्यायालयों की और नोटरीज पब्लिक की मद्राएं और वे सब मद्राएं, जिनका कोई व्यक्ति ¹¹[संविधान या यूनाइटेड किंगडम की पार्लिमेंट के किसी ऐक्ट या] ⁹[भारत] में विधि का बल रखने वाले अधिनियम या चिनियम द्वारा उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है;

1. 1891 के अधिनियम सं० 3 की धारा 6 द्वारा मूल धारा के स्थान पर प्रतिस्थापित।]

2. 1891 के अधिनियम सं० 3 की धारा 7 द्वारा अन्तःस्थापित।

3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्तःस्थापित।

5. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हर मजिस्ट्री की” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

6. 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “या सीलेना” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

7. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती पैरा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित।]

8. भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा “ब्रिटिश भारत के न्यायालयों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

9. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “राज्यों” के स्थान पर प्रतिस्थापित।]

10. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “सपरिषद् गवर्नर जनरल या परिषद् स्थानीय सरकार” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

11. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “पालियामेंट के या किसी अधिनियम” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(7) The accession to office, names, titles, functions and signatures of the persons filling for the time being any public office in any State, if the fact of their appointment to such office is notified in ¹[any Official Gazette] ;

(8) The existence, title and national flag of every State or Sovereign recognized by ²[the Government of India] ;

(9) The divisions of time, the geographical divisions of the world, and public festivals, fasts and holidays notified in the Official Gazette ;

(10) The territories under the dominion of ³[the Government of India] ;

(11) The commencement, continuance, and termination of hostilities between ⁴[the Government of India] and any other State or body of persons ;

(12) The names of the members and officers of the Court and of their deputies and subordinate officers and assistants, and also of all officers acting in execution of its process, and of or all advocates, attorneys, proctors, vakils, pleaders and other persons authorized by law to appear or act before it ;

(13) The rule of the road ⁵[on land or at sea].

In all these cases, and also on all matters of public history, literature, science or art, the Court may resort for its aid to appropriate books or documents of reference.

If the Court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so.

58. Facts admitted need not be proved—No fact need to be proved in any proceeding which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing, or which, before the hearing, they agree to admit by any writing under their hands, or which by any rule of pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings ;

Provided that the Court may, in its discretion, require the facts admitted to be proved otherwise than by such admissions.

CHAPTER IV

OF ORAL EVIDENCE

59. Proof of facts by oral evidence—All facts, except the contents of documents, may be proved by oral evidence.

60. Oral evidence must be direct—Oral evidence must, in all cases whatever, be direct; that is to say—

if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it ;

1. Subs. by the A.O. 1937, for "the Gazette of India, or in the Official Gazette of any L.G.".

2. Subs. by the A.O. 1950, for "the British Crown".

3. Ins. by Act 18 of 1872, s. 5.

(7) किसी राज्य में किसी लोक पद पर तत्समय आरूढ़ व्यक्तियों के कोई पदारोहण, नाम, उपाधियां, कृत्य और हस्ताक्षर, यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य ¹[किसी शासकीय राजपत्र] में अधिसूचित किया गया हो;

(8) ²[भारत सरकार] द्वारा मान्यताप्राप्त हर राज्य या प्रभ का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज;

(9) समय के प्रभाग, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग तथा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित लोक उत्सव, उपवास और अवकाश-दिन;

(10) ³[भारत सरकार] के आधिपत्य के अधीन राज्यक्षेत्र;

(11) ²[भारत सरकार] और अन्य किसी राज्य या व्यक्तियों के निकाय के बीच संघर्ष का प्रारम्भ, चालू रहन और पर्यवसान;

(12) न्यायालय के सदस्यों और आफिसरों के तथा उनके उप-पदियों और अधीनस्थ आफिसरों और सहायकों के और उसकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सब आफिसरों के भी, तथा सब अधिवक्ताओं, अटर्नियों, प्रोक्टरों, वकीलों, प्लीडरों, और उसके समक्ष उपसंजात होने या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम;

(13) ³[भूमि या समुद्र पर] मार्ग का नियम ।

इन सभी मामलों में, तथा लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के सब विषयों में भी न्यायालय समुपयुक्त निर्देश पुस्तकों या दस्तावेजों की सहायता ले सकेगा :

यदि न्यायालय से किसी तथ्य की न्यायिक अवेक्षा करने की किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना की जाती है, तो यदि और जब तक वह व्यक्ति कोई एसी पुस्तक या दस्तावेज पेश न कर दे, जिसे ऐसा न्यायालय अपने को ऐसा करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, न्यायालय ऐसा करने से इन्कार कर सकेगा ।

58. स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है—किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है, जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता मुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसे वे मुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिनके बारे में अभिवचन सम्बन्धी किसी तत्समय प्रवृत्त नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है :

परन्तु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों को ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकेगा ।

अध्याय 4

मौखिक साक्ष्य के विषय में

59. मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना—दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के सिवाए सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे ।

60. मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए—मौखिक साक्ष्य, समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी ही हों, प्रत्यक्ष ही होगा अर्थात्—

यदि वह किसी देख जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह एसी साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा ;

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत के राजपत्र या किसी स्थानीय सरकार के शासकीय राजपत्र में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "ब्रिटिश काउन" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

3. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 5 द्वारा अन्तः स्थापित ।

if it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard it ;

if it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner;

if it refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds :

Provided that the opinions of experts expressed in any treatise commonly offered for sale, and the grounds on which such opinions are held, may be proved by the production of such treatises if the author is dead or cannot be found, or has become incapable of giving evidence, or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the Court regards as unreasonable:

Provided also that, if oral evidence refers to the existence or condition of any material thing other than a document, the Court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for its inspection.

CHAPTER V

OF DOCUMENTARY EVIDENCE

61. Proof of contents of documents—The contents of documents may be proved either by primary or by secondary evidence.

62. Primary evidence—Primary evidence means the documents itself produced for the inspection of the Court.

Explanation 1—Where a document is executed in several parts, each part is primary evidence of the document :

Where a document is executed in counterpart, each counterpart being executed by one or some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against the parties executing it.

Explanation 2—Where a number of documents are all made by one uniform process, as in the case of printing, lithography, or photography, each is primary evidence of the contents of the rest; but, where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original.

Illustration

A person is shown to have been in possession of a number of placards, all printed at one time from one original. Any one of the placards is primary evidence of the contents of any other, but no one of them is primary evidence of the contents of the original.

63. Secondary evidence—Secondary evidence means and includes—

- (1) certified copies given under the provisions hereinafter contained ;
- (2) Copies made from the original by mechanical processes which in themselves ensure the accuracy of the copy, and copies compared with such copies ;
- (3) copies made from or compared with the original ;
- (4) counterparts of documents as against the parties who did not execute them ;
- (5) oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it.

यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना ;

यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध इस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से किया :

यदि वह किसी राय के, या उन आधारों के, जिन पर वह राय धारित है, बारे में है, तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह राय उस आधारों पर धारण करता है :

परन्तु विशेषज्ञों की राय, जो सामान्यतः विक्रय के लिये प्रस्थापित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्त है, और वे आधार, जिन पर ऐसी राय धारित है, यदि रचयिता मर गया है, या वह मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या उसे इतने विलम्ब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है, साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता हो, ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किए जा सकेंगे :

परन्तु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है, तो न्यायालय यदि वह ठीक समझे, ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा ।

अध्याय 5

दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

61. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत—दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी ।

62. प्राथमिक साक्ष्य—प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षण के लिये पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण 1—जहां कि कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है ।

जहां कि कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, प्राथमिक साक्ष्य है ।

स्पष्टीकरण 2—जहां कि अनेक दस्तावेजों एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं जैसा कि मद्रण, शिलामद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से हर एक शेष सब की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किन्तु जहां कि वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं वहां वे मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है ।

दृष्टांत

यह दर्शित किया जाता है कि एक ही समय एक ही मूल से मुद्रित अनेक प्लेकार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं इन प्लेकार्डों में से कोई भी एक अन्य किसी भी अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है किन्तु उसमें से कोई भी मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है ।

63. द्वितीयक साक्ष्य—द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं —

- (1) एतस्मिन् पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां ;
- (2) मूल से ऐसी यान्त्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां ;
- (3) मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां ;
- (4) उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख ;
- (5) किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा, जिसने स्वयं उसे देखा है, दिया हुआ मौखिक वृत्तांत ।

Illustrations

(a) A photograph of an original is secondary evidence of its contents, though the two have not been compared, if it is proved that the thing photographed was the original.

(b) A copy compared with a copy of a letter made by a copying machine is secondary evidence of the contents of the letter, if it is shown that the copy made by the copying machine was made from the original.

(c) A copy transcribed from a copy, but afterwards compared with the original, is secondary evidence; but the copy not so compared is not secondary evidence of the original, although the copy from which it was transcribed was compared with the original.

(d) Neither an oral account of a copy compared with the original, nor an oral account of a photograph or machine copy of the original, is secondary evidence of the original.

64. Proof of documents by primary evidence—Documents must be proved by primary evidence except in the cases hereinafter mentioned.

65. Cases in which secondary evidence relating to documents may be given—Secondary evidence may be given of the existence, condition, or contents of a document in the following cases :—

- (a) When the original is shown or appears to be in the possession or power—
of the person against whom the document is sought to be proved, or
of any person out of reach of, or not subject to, the process of the court, or
of any person legally bound to produce it,

and when, after the notice mentioned in section 66, such person does not produce it,

(b) when the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest

(c) when the original has been destroyed or lost, or when the party offering evidence of its contents cannot, for any other reason not arising from his own default or neglect, produce it in reasonable time ;

(d) when the original is of such a nature as not to be easily movable ;

(e) when the original is a public document within the meaning of section 74 ;

(f) when the original is a document of which a certified copy is permitted by this Act, or by any other law in force in ¹[India] to be given in evidence.

(g) when the originals consist of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in Court and the fact to be proved is the general result of the whole collection.

In cases (a), (c) and (d), any secondary evidence of the contents of the document is admissible

In case (b), the written admission is admissible.

In case (e) or (f), a certified copy of the document, but no other kind of secondary evidence, is admissible.

In case (g), evidence may be given as to the general result of the documents by any person who has examined them, and who is skilled in the examination of such documents.

1. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States".

दृष्टांत

(क) किसी मूल का फोटोचित्र, यद्यपि दोनों की तुलना न की गई हो तथापि यदि यह साबित किया जाता है कि फोटो चित्रित वस्तु मूल थी, उस मूल की अन्तर्वस्तु का द्वितीयिक साक्ष्य है।

(ख) किसी पत्र की वह प्रति, जिसकी तुलना उस पत्र की, उस प्रति से कर ली गई है जो प्रतिलिपि यंत्र द्वारा तैयार की गई है, उस पत्र की अन्तर्वस्तु का द्वितीयिक साक्ष्य है, यदि यह दर्शाते कर दिया जाता है कि प्रतिलिपि-यंत्र द्वारा तैयार की गई प्रतिमूल से बनाई गई थी।

(ग) प्रति की नकल करके तैयार की गई किन्तु तत्पश्चात् मूल से तुलना की हुई प्रतिलिपि द्वितीयिक साक्ष्य है किन्तु इस प्रकार तुलना नहीं की हुई प्रति मूल का द्वितीयिक साक्ष्य नहीं है, यद्यपि उस प्रति की, जिससे वह नकल की गई है, मूल से तुलना की गई थी।

(घ) न तो मूल से तुलना कृत प्रति का भौखिक वृत्तान्त और न मूल के किसी फोटोचित्र या यंत्रकृत प्रति का भौखिक वृत्तान्त मूल का द्वितीयिक साक्ष्य है।

64. दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना—दस्तावेजों एतस्मिन्पश्चात् वर्णित अवस्थाओं के सिवा प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करनी होगी।

65. अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में द्वितीयिक साक्ष्य दिया जा सकेगा—किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु का द्वितीयिक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा—

- (क) जबकि यह दर्शाते कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्यधीन है,— जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज को साबित किया जाना ईप्सित है, अथवा जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अध्वधीन नहीं है, अथवा जो उसे पेश करने के लिए बंध रूप से आबद्ध है,

और जब कि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात् उसे पेश नहीं करता है।

(ख) जब कि मूल के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है,

(ग) जबकि मूल नष्ट हो गया है, या खो गया है, अथवा जबकि उसकी अन्तर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापन करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुभूत अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता,

(घ) जबकि मूल ऐसी प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता,

(ङ) जबकि मूल धारा 74 के अर्थ के अन्तर्गत एक लोक दस्तावेज है;

(च) जबकि मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या ¹[भारत] में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है,

(छ) जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है सम्पूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है।

अवस्थाओं (क), (ग) और (घ) में दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का कोई भी द्वितीयिक साक्ष्य ग्राह्य है।

अवस्था (ख) में वह लिखित स्वीकृति ग्राह्य है।

अवस्था (ङ) या (च) में दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ग्राह्य है, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का द्वितीयिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है।

अवस्था (छ) में दस्तावेजों के साधारण परिणाम का साक्ष्य ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उनकी परीक्षा की है और जो ऐसी दस्तावेजों की परीक्षा करने में कुशल है।

1. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

66. Rules as to notice to produce—Secondary evidence of the contents of the documents referred to in section 65, clause (a), shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose possession or power the document is, ¹[or to his attorney or pleader,] such notice to produce it as is prescribed by law, and if no notice is prescribed by law, then such notice as the Court considers reasonable under the circumstances of the case :

Provided that such notice shall not be required in order to render secondary evidence admissible in any of the following cases, or in any other case in which the Court thinks fit to dispense with it:—

- (1) when the document to be proved is itself a notice ;
- (2) when, from the nature of the case, the adverse party must know that he will be required to produce it ;
- (3) when it appears or is proved that the adverse party has obtained possession of the original by fraud or force ;
- (4) when the adverse party or his agent has the original in Court ;
- (5) when the adverse party or his agent has admitted the loss of the document ;
- (6) when the person in possession of the document is out of reach of, or not subject to, the process of the Court.

67. Proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produced—If a document is alleged to be signed or to have been written wholly or in part by any person, the signature or the handwriting of so much of the document as is alleged to be in that person's handwriting must be proved to be in his handwriting.

68. Proof of execution of document required by law to be attested—If a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution, if there be an attesting witness alive, and subject to the process of the Court and capable of giving evidence :

²[Provided that it shall not be necessary to call an attesting witness in proof of the execution of any document, not being a will, which has been registered in accordance with the provisions of the Indian Registration Act, 1908 (16 of 1908), unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied.]

69. Proof where not attesting witness found—If no such attesting witness can be found, or if the document purports to have been executed in the United Kingdom, it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting, and that the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person.

70. Admission of execution by party to attested document—The admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested.

71. Proof when attesting witness denies the execution—If the attesting witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence.

1. Ins. by Act 18 of 1872, s.6.

2. Ins. by Act 31 of 1926, s. 2.

66. पेश करने की सूचना के बारे में नियम—धारा 65, खण्ड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य तब तक न दिया जा सकेगा जब तक ऐसे द्वितीयक साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को जिसके कब्जे में या शक्त्यधीन वह दस्तावेज है¹ [या उसके अटर्नी या प्लीडर को,] उससे पेश करने के लिए ऐसी सूचना, जैसी कि विधि द्वारा विहित है, और यदि विधि द्वारा कोई सूचना विहित नहीं हो तो ऐसी सूचना, जैसी न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त समझता है, न दे दी हो :

परन्तु ऐसी सूचना निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी में अथवा किसी भी अन्य अवस्था में, जिसमें न्यायालय उसके दिए जाने से अभिमुक्ति प्रदान कर दे, द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए अपेक्षित नहीं की जाएगी :—

- (1) जबकि साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना है,
- (2) जबकि प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि उसे पेश करने की उससे अपेक्षा की जाएगी,
- (3) जब कि यह प्रतीत होता है या साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा कपट या बल द्वारा अभिप्राप्त कर लिया है,
- (4) जबकि मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में है,
- (5) जबकि प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने उसका खो जाना स्वीकार कर लिया है,
- (6) जबकि दस्तावेज कर पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय आदेशिका की पट्टी के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अध्यक्षीन की नहीं है ।

67. जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था उस व्यक्ति के हस्ताक्षर और हस्तलेख का साबित किया जाना :—यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या पूर्णतः या भागतः लिखी गई अभिकथित है तो यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर या उस दस्तावेज के उतने का हस्तलेख, जितने के बारे में यह अभिकथित है कि वह उस व्यक्ति के हस्तलेख में है उसके हस्तलेख में है ।

68. ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है—यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में न लाया जाएगा, जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी, यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित और न्यायालय की आदेशिका के अध्यक्षीन हो तथा साक्ष्य देने के योग्य हो, उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से न बुलाया गया हो :

²[परन्तु ऐसी किसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए, जो बिल नहीं है, और जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है, किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक न होगा, जब तक कि उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा उसका निष्पादित होना तात्पर्यित है विनिर्दिष्टतः न किया गया हो ।]

69. जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले तब सबूत—यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके अथवा यदि दस्तावेज का यूनाइटेड किंगडम में निष्पादित होना तात्पर्यित हो तो यह साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाण उसी के हस्तलेख में है, तथा यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख में है ।

70. अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति—अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी पक्षकार की अपन द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा, यद्यपि वह ऐसी दस्तावेज हो जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है ।

71. जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत—यदि अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे या उसे उसके निष्पादन का स्मरण न हो, तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा ।

1. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 6 द्वारा अन्तःस्थापित ।

2. 1926 के अधिनियम सं० 31 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित ।

72. Proof of document not required by law to be attested—An attesting document not required by law to be attested may be proved as if it was unattested.

73. Comparison of signature, writing or seal with others admitted or proved—In order to ascertain whether a signature, writing, or seal is that of the person by whom it purports to have been written or made, any signature, writing, or seal admitted or proved to the satisfaction of the Court to have been written or made by that person may be compared with the one which is to be proved, although that signature, writing, or seal has not been produced or proved for any other purpose.

The Court may direct any person present in Court to write any words or figures for the purpose of enabling the Court to compare the words or figures so written with any words or figures alleged to have been written by such person.

¹[This section applies also, with any necessary modifications, to finger-impressions.]

PUBLIC DOCUMENTS

74. Public documents—The following documents are public documents :—

- (1) documents forming the acts, or records of the acts—
 - (i) of the sovereign authority,
 - (ii) of official bodies and tribunals, and
 - (iii) of public officers, legislative, judicial and executive, ²[of any part of India or of the Commonwealth], or of a foreign country ;
- (2) Public records kept ³[in any State] of private documents.

75. Private documents—All other documents are private.

76. Certified copies of public documents—Every public officer having the custody of a public document, which any person has a right to inspect, shall give that person on demand a copy of it on payment of the legal fees therefore, together with a certificate written at the foot of such copy that it is a true copy of such document or part thereof, as the case may be and such certificate shall be dated and subscribed by such officer with his name and his official title, and shall be sealed, whenever such officer is authorised by law to make use of a seal ; and such copies so certified shall be called certified copies.

Explanation—Any officer who, by the ordinary course of official duty, is authorized to deliver such copies, shall be deemed to have the custody of such documents within the meaning of this section.

77. Proof of documents by production of certified copies—Such certified copies may be produced in proof of the contents of the public documents or parts of the public documents of which they purport to be copies.

1. Ins. by Act 5 of 1899, s. 3.

2. The original words "whether of British India, or of any other part of Her Majesty's dominions" have successively been amended by the A.O. 1948 and the A.O. 1950 to read as above.

3. Subs. by the A.O. 1950, for "in any province".

72. उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है—कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज, जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, ऐसे साबित की जा सकेगी, मानो वह अनुप्रमाणित नहीं हो।

73. हस्ताक्षर लेख या मुद्रा की तुलना अन्यो से जो स्वीकृत या साबित हैं—यह अभिनिश्चित, करने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा उस व्यक्ति की है, जिसके द्वारा उसका लिया या किया जाना तात्पर्यित है किसी हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की जिसके बारे में, यह स्वीकृत है या न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा या किया गया था, उससे, जिसे साबित किया जाना है, तुलना की जा सकेगी, यद्यपि वह हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिए पेश साबित न की गई हो।

न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को किन्हीं शब्दों या अंकों के लिखने का निदेश न्यायालय इस प्रयोजन से दे सकेगा कि ऐसे लिखे गए शब्दों या अंकों की किन्हीं ऐसे शब्दों या अंकों से तुलना करने के लिए न्यायालय समर्थ हो सके जिनके बारे में अभिकथित है कि वे उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे।

¹[यह धारा किन्हीं आवश्यक उपान्तरों के साथ अंगुली छापों को भी लागू है।]

लोक दस्तावेज

74. लोक दस्तावेजों—निम्नलिखित दस्तावेजों लोक दस्तावेजों हैं :—

(1) वे दस्तावेजों जो—

(i) प्रभुत्तासम्पन्न प्राधिकारी के,

(ii) शासकीय निकायों और अधिकरणों के, तथा

(iii) ²[भारत के किसी भाग के या कामनवेल्थ के,] या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक आफिसरों के,

कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं।

(2) ³[किसी राज्य में] रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख।

75. प्राइवेट दस्तावेजों—अन्य सभी दस्तावेजों प्राइवेट हैं।

76. लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ—हर लोक आफिसर जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसी लोक दस्तावेज है, जिसके निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस चुकाए जाने पर प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाणपत्र के सहित देगा कि वह, यथास्थिति, ऐसी दस्तावेज की या उसके भाग की शुद्ध प्रति है तथा ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे आफिसर द्वारा दिनांकित किया जाएगा और उसके नाम और पदाभिधान से हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा जब कभी ऐसा आफिसर विधि द्वारा किसी मुद्रा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है तब मुद्रायुक्त किया जाएगा, तथा इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रतियाँ प्रमाणित प्रतियाँ कहलाएगी।

स्पष्टीकरण—जो कोई आफिसर पदीय कर्तव्य के मामूली अनुक्रम में ऐसी प्रतियाँ परिदान करने के लिए प्राधिकृत है वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत ऐसी दस्तावेजों की अभिरक्षा रखता है, यह समझा जाएगा।

77. प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत—ऐसी प्रमाणित प्रतियाँ उन लोक दस्तावेजों की या उपलोक दस्तावेज के भागों की अन्तर्वस्तु के सबूत में पेश की जा सकेंगी जिनकी वे प्रतियाँ होना तात्पर्यित हैं।

1. 1899 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. "जाहे वे ब्रिटिश भारत के हों या हर मजिस्ट्री के डोमिनियन के किसी अन्य भाग के हों" मूल शब्दों का संशोधन अनुक्रमणः भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुसूचक) आदेश, 1948 और विधि अनुसूचक आदेश, 1950 द्वारा किया है।

3. विधि अनुसूचक आदेश, 1950 द्वारा "किसी प्रांत में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

78. Proof of other official documents—The following public documents may be proved as follows :—

(1) Acts, orders or notifications of ¹[the Central Government] in any of its departments, ²[or of the Crown Representative] or of any State Government or any department of any State Government,—

by the records of the departments, certified by the heads of those departments respectively, or by any document purporting to be printed by order of any such Government ²[or as the case may be, of the Crown Representative] ;

(2) the proceedings of the Legislatures,—

by the journals of those bodies respectively, or by published Acts or abstracts, or by copies purporting to be printed ³[by order of the Government concerned] ;

(3) proclamations, orders or regulations issued by ⁴[Her Majesty or by the Privy Council, or by any department of ⁴Her Majesty's Government,—

by copies or extracts contained in the London Gazette, or purporting to be printed by the Queen's printer ;

(4) the acts of the Executive or the proceedings of the Legislature of a foreign country,—

by journals published by their authority, or commonly received in that country as such or by a copy certified under the seal of the country or sovereign, or by a recognition thereof in some ⁵[Central Act] ;

(5) the proceedings of a municipal body in ⁶[a State],

by a copy of such proceedings, certified by the legal keeper thereof, or by a printed book purporting to be published by the authority of such body ;

(6) Public documents of any other class in a foreign country,—

by the original, or by a copy certified ⁷[by the legal keeper thereof, with a certificate under the seal] of a Notary Public, or of ⁷[an Indian Consul] or diplomatic agent that the copy is duly certified by the officer having the legal custody of the original, and upon proof of the character of the document according to the law of the foreign country.

PRESUMPTIONS AS TO DOCUMENTS

79. Presumption as to genuineness of certified copies—The Court shall presume ⁸[to be genuine] every document purporting to be a certificate, certified copy or other document, which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact and which purports to be duly certified by any officer ⁹[of the Central Government or of a State Government, or by any officer ¹⁰[in the State of Jammu and Kashmir] who is duly authorised thereto by the Central Government] :

1. Subs. by the A.O. 1937, for "the Executive Government of British India".

2. Ins. *ibid.*

3. Subs. *ibid.*, for "by order of Government".

4. The words "Her Majesty" stand unmodified. See the A.O. 1950.

5. Subs. by the A.O. 1937, for "public Act of the Governor General of India in Council".

6. Subs. by the A.O. 1950, for "a Province".

7. Subs. by the A.O. 1950, for "a British Counsel".

8. Ins. by the A.O. 1948.

9. The original words beginning from "in British India" and ending with the words "to be genuine" have been successively amended by the A.O. 1937, A.O. 1948 and A.O. 1950 to read as above.

10. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "in a Part B State".

78. अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत—निम्नलिखित लोक दस्तावेजों निम्नलिखित रूप से साबित की जा सकेंगी :—

(1) ¹[केन्द्रीय सरकार] के किसी विभाग के, ²[या क्राउन रिप्रेजेन्टिव के] या किसी राज्य सरकार के, या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग के कार्य, आदेश या अधिसूचनाएं,—

उन विभागों के अभिलेखों द्वारा, जो क्रमशः उन विभागों के मुख्य पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित हैं,

या किसी दस्तावेज द्वारा जो ऐसी किसी सरकार के ²[या यथास्थिति क्राउन रिप्रेजेन्टिव के] आदेश द्वारा मुद्रित हुईं तात्पर्यित हैं।

(2) विधान-मण्डलों की कार्यवाहियां,—

क्रमशः इन निकायों के जर्नलों द्वारा या प्रकाशित अधिनियमों या संधिपत्रियों द्वारा, या ³[सम्पूक्त सरकार के आदेश द्वारा] मुद्रित होना तात्पर्यित होने वाली प्रतियों द्वारा;

(3) ⁴हर मजेस्टी द्वारा या प्रिवी कौन्सिल द्वारा या ⁴हर मजेस्टी की सरकार के किसी विभाग द्वारा निकाली गई उद्घोषणाएं, आदेश या विनियम,—

लन्दन गजट में अन्तर्विष्ट या क्वीन्स प्रिन्टर द्वारा मुद्रित होना तात्पर्यित होने वाली प्रतियों या उद्धरणों द्वारा;

(4) किसी विदेश की कार्यपालिका के कार्य या विधान-मण्डल की कार्यवाहियां:—

उनके प्राधिकार से प्रकाशित, या उस देश में सामान्यतः इस रूप में गृहीत, जर्नलों द्वारा, या उस देश या प्रभु की मुद्रा के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा, या किसी ⁵[केन्द्रीय अधिनियम] में उनकी मान्यता द्वारा;

(5) ⁶[किसी राज्य] के नगरपालिका निकाय की कार्यवाहियां,—

ऐसी कार्यवाहियों की ऐसी प्रति द्वारा, जो उनके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित हैं, या ऐसे निकाय के प्राधिकार से प्रकाशित हुईं तात्पर्यित होने वाली किसी मुद्रित पुस्तक द्वारा;

(6) किसी विदेश की किसी अन्य प्रकार की लोक दस्तावेजों,—

मूल द्वारा या उसके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित किसी प्रति द्वारा, जिस प्रति के साथ किसी नोटरी पब्लिक कि, या ⁷[भारतीय कौन्सिल] राजनयिक अधिकर्ता की मुद्रा के अधीन यह प्रमाणपत्र है कि वह प्रति मूल की विधि अभिरक्षा रखने वाले आफिसर द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित है, तथा उस दस्तावेज की प्रकृति उस विदेश की विधि के अनुसार साबित किए जाने पर।

VI दस्तावेजों के बार में उपधारणा

79. प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा—न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज ⁸[का असली होना] उप धारित करेगा जो ऐसा प्रमाणपत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होनी तात्पर्यित है जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका ⁹[केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी आफिसर द्वारा या ¹⁰[जम्मू-कश्मीर राज्य के] किसी ऐसे आफिसर द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो] सम्यक् रूप से प्रमाणित होना तात्पर्यित है :

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "ब्रिटिश भारत की कार्यपालिका सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार के आदेश द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. हर मजेस्टी शब्दों में परिवर्तन नहीं किया गया है। देखिए विधि अनुकूलन आदेश, 1950।
5. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत के सपरिषद् गवर्नर जनरल के लोक अधिनियम" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "ब्रिटिश कौन्सिल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा अन्तःस्थापित।
9. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937, भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अनुक्रमशः संशोधन के पश्चात् इसका वर्तमान स्वरूप उपरोक्त है।
10. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग छ राज्य में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Provided that such document is substantially in the form and purports to be executed in the manner directed by law in that behalf.

The Court shall also presume that any officer by whom any such document purports to be signed or certified held when he signed it, the official character which he claims in such paper.

80. Presumption as to documents produced as record of evidence—Whenever any document in produced before any Court, purporting to be a record or memorandum of the evidence, or of any part of the evidence, given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorised by law to take such evidence or to be a statement or confession by any prisoner or accused person, taken in accordance with law, and purporting to be signed by any judge or Magistrate or by any such officer as aforesaid, the Court shall presume—

that the document is genuine; that any statements as to the circumstances under which it was taken, purporting to be made by the person signing it, are true, and that such evidence, statement or confession was duly taken.

81. Presumption as to Gazettes, newspapers, private Acts of Parliament and other documents—The Court shall presume the genuineness of every document purporting to be the London Gazette or ¹[any Official Gazette, or the Government Gazette] of any colony, dependency or possession of the British Crown, or to be a newspaper or journal, or to be a copy of a private Act of Parliament ²[of the United Kingdom] printed by the Queen's Printer and of every document purporting to be a document directed by any law to be kept by any person, if such document is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody.

82. Presumption as to document admissible in England without proof of seal or signature—When any document is produced before any Court, purporting to be a document which, by the law in force for the time being in England or Ireland, would be admissible in proof of any particular in any Court of justice in England or Ireland, without proof of the seal or stamp or signature authenticating it, or of the judicial or official character claimed by the person by whom it purports to be signed, the Court shall presume that such seal, stamp or signature is genuine, and that the person signing it held, at the time when he signed it, the judicial or official character which he claims,

and the document shall be admissible for the same purpose [for which it would be admissible in England or Ireland.

83. Presumption as to maps or plans made by authority of Government—The Court shall presume that maps or plans purporting to be made by the authority of ³[the Central Government or any State Government] were so made, and are accurate; but maps or plans made for the purposes of any cause must be proved to be accurate.

84. Presumption as to collections of laws and reports of decisions—The Court shall presume the genuineness of every book purporting to be printed or published under the authority of the Government of any country, and to contain any of the laws of that country,

and of every book purporting to contain reports of decisions of the Courts of such country.

1. Subs. by the A.O. 1937, for "the Gazette of India, or the Government Gazette of any L.G., or".

2. Ins. by the A.O. 1950.

3. The original word "Government" has successively been amended by the A.O. 1937, A.O. 1948, Act 40 of 1949, s. 3 and Sch. II and the A.O. 1950, to read as above.

परन्तु यह तब जबकि ऐसी दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में हो तथा ऐसी रीति से निष्पादित हुई तात्पर्यित हो जो विधि द्वारा तन्निमित्त निर्दिष्ट है।

न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई आफिसर, जिसके द्वारा ऐसी दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यित है, वह पदीय हैसियत, जिसका वह ऐसे कागज में दावा करता है, उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था।

80. साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा—जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है, जिसका किसी न्यायाधिक कार्यवाही में, या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी आफिसर के समक्ष, किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य या साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना, अथवा किसी कैदी या अभियुक्त का विधि के अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पर्यित हो और जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या उपर्युक्त जैसे किसी आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित हो, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा—

कि वह दस्तावेज असली है, कि उन परिस्थितियों के बारे में, जिनके अधीन वह लिया गया था, कोई भी कथन जिनका उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्यित है, सत्य है तथा कि ऐसा साक्ष्य, कथन या संस्वीकृति सम्यक रूप से ली गई थी।

81. राजपत्रों, समाचारपत्रों, पार्लियामेंट क प्राइवेट ऐक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा—न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जिसका लन्दन गजट, या ¹[कोई शासकीय राजपत्र] या ब्रिटिश क्राउन के किसी उप-निवेश आश्रित देश या कब्जाधीन क्षेत्र का ¹[सरकारी राजपत्र होना या कोई समाचार पत्र या जर्नल होना, या क्राउन ²[यूनाइटेड किंगडम की] पार्लियामेंट क प्राइवेट ऐक्ट की क्वीन्स प्रिन्टर द्वारा मुद्रित प्रति होना, तात्पर्यित है तथा हर ऐसी दस्तावेज का, जिसका ऐसी दस्तावेज होना तात्पर्यित है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्ट है; यदि ऐसी दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में रखी गई हो, जो विधि द्वारा अपेक्षित है, और उचित अभिरक्षा में से पेश की गई हो, असली होना उपधारित करेगा।

82. मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा—जबकि किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है जिसका ऐसी दस्तावेज होना तात्पर्यित है, जो इंग्लैंड या आयरलैंड के किसी न्यायालय में किसी विशिष्ट को साबित करने के लिए उस दस्तावेज को अभिप्रामाणीकृत करने वाला, मुद्रा या स्टॉप या हस्ताक्षर को उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा उसका हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है, दावाकृत न्यायिक या पदीय हैसियत को साबित किए बिना इंग्लैंड या आयरलैंड में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ग्राह्य होता, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा कि ऐसी मुद्रा, स्टॉप या हस्ताक्षर असली है और उसको हस्ताक्षरित करने वाला व्यक्ति वह न्यायिक या पदीय हैसियत, जिसका वह दावा करता है, उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था,

तथा दस्तावेज उसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए इंग्लैंड या आयरलैंड में ग्राह्य होती, ग्राह्य होगी।

83. सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा—न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखांक, जो ³[केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार] के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्यित है, वैसे ही बनाए गए थे और वे शुद्ध हैं किन्तु किसी मामले के प्रयोजनों के लिए बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही हैं।

84. विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा—न्यायालय हर ऐसी पुस्तक का जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना और जिसमें उस देश की कोई विधियां अन्तर्विष्ट होना तात्पर्यित है।

तथा हर ऐसी पुस्तक का जिसमें उस देश के न्यायालय के विनिश्चयों की रिपोर्ट अन्तर्विष्ट होना तात्पर्यित है, असली होना उपधारित करेगा।

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश 1937 द्वारा "भारत के राजपत्र या किसी स्थानीय सरकार के "राजपत्र या" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्तःस्थापित
3. मूल शब्द "सरकार" का संशोधन अनुक्रमणिका: भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937, भारतीय स्वतन्त्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, 1949 के अधिनियम सं० 40 की धारा 3 और अनुसूची 2 तथा विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा किया गया है।

85. Presumption as to powers-of-attorney—The Court shall presume that every document purporting to be a power-of-attorney, and to have been executed before, and authenticated by, a Notary Public, or any Court, Judge, Magistrate, ¹[Indian] Consul or Vice-Consul, or representative ²***of the ³[Central Government], was so executed and authenticated.

86. Presumption as to certified copies of foreign judicial records—The Court may presume that any document purporting to be a certified copy of any judicial record of ⁴***[any country and not forming part of India or] of Her Majesty's dominions is genuine and accurate, if the document purports to be certified in any manner which is certified by any representative of ⁵***the ⁶[Central Government] ⁷[in or for] ⁸[such country] to be the manner commonly in use in ⁹[that country] for the certification of copies of judicial records.

¹⁰[An Officer who, with respect to ¹¹*** any territory or place not forming part of ¹²[India or] Her Majesty's dominions, is a Political Agent therefor, as defined in section 3, ¹³[clause (43)], of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), shall, for the purposes of this section, be deemed to be a representative of the ³[Central Government] ¹⁴[in and for the country] comprising that territory or place.]

87. Presumption as to books, maps and charts—The Court may presume that any book to which it may refer for information on matters of public or general interest, and that any published map or chart, the statements of which are relevant facts and which is produced for its inspection, was written and published by the person and at the time and place, by whom or at which it purports to have been written or published.

88. Presumption as to telegraphic Messages—The Court may presume that a message, forwarded from a telegraph office to the person to whom such message purports to be addressed, corresponds with a message delivered for transmission at the office from which the message purports to be sent; but the Court shall not make any presumption as to the person by whom such message was delivered for transmission.

89. Presumption as to due execution, etc., of documents not produced—The Court shall presume that every document, called for and not produced after notice to produce, was attested, stamped and executed in the manner required by law.

-
1. Subs. by the A.O. 1950, for "British".
 2. The words "of Her Majesty, or" omitted, *ibid.*
 3. Subs. by the A.O. 1937, for "G. of I."
 4. Subs. by the A.O. 1950, for "any country not forming part".
 5. The words "a Part B State or of" omitted by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch.
 6. The words "Her Majesty or of" omitted by the A.O. 1950.
 7. Subs. by Act 3 of 1891, s. 8, for "resident in".
 8. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch. for "such Part B State or country".
 9. Subs. by s. 3 and Sch. *ibid.*, for "that State or country".
 10. Subs. by Act 5 of 1899, s. 4, for the former paragraph which had been ins. by Act 3 of 1891, s. 3.
 11. The words "a Part B State or" which were ins. by the A.O. 1950 omitted by Act 3 of 1951, s. 3. and Sch.
 12. Ins. by the A.O. 1950.
 13. Subs. *ibid.*, for "clause (40)".
 14. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "in and for that Part B State or country".

85. **मुख्तारनामों के बारे में उपधारणा**—न्यायालय यह उपधारित करेगा कि हर ऐसी दस्तावेज जिसका मुख्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, ¹[भारतीय] कौन्सल या उप कौन्सल या ²के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और उस द्वारा अधिप्रमाणीकृत होना तात्पर्यित है, ऐसे निष्पादित और अधिप्रमाणीकृत की गई थी।

86. **विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा**—न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे किसी देश के, जो ⁴[भारत ⁵का या हर मजिस्ट्री के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है,] न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रति तात्पर्यित होने वाली कोई दस्तावेज असली और शुद्ध है, यदि वह दस्तावेज किसी ऐसी रीति से प्रमाणित हुई तात्पर्यित हो जिसका न्यायिक अभिलेखों की प्रतियों के प्रमाणन के लिए ⁹[उस देश] में साधारणतः काम में लाई जानें वाली रीति होना ⁸[ऐसे देश] ⁷[में या के लिए] ³[केन्द्रीय सरकार] के किसी प्रतिनिधि ⁶द्वारा प्रमाणित है।

¹⁰[जो आफिसर ऐसे किसी ¹¹राज्यक्षेत्र या स्थान के लिए, जो ¹²[भारत का या] हर मजिस्ट्री के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 3, ¹³[खण्ड (43)] में यथा परिभाषित राज-नैतिक अभिकर्ता है, वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए ³[केन्द्रीय सरकार] का ¹⁴[उस देश में, और के लिए] प्रतिनिधि समझा जाएगा जिसमें वह राज्यक्षेत्र या स्थान समाविष्ट है।]

87. **पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा**—न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि कोई पुस्तक, जिसे वह लोक या साधारण हित सम्बन्धी बातों की जानकारी के लिए देखें और कोई प्रकाशित मानचित्र या चार्ट, जिसके कथन सुसंगत तथ्य हैं, और जो उसके निरीक्षणार्थ पेश किया गया है, उस व्यक्ति द्वारा तथा उस समय और उस स्थान पर लिखा गया और प्रकाशित किया गया था जिनके द्वारा या जिस समय या जिस स्थान पर उसका लिखा जाना या प्रकाशित होना तात्पर्यित है।

88. **तार संदेशों के बारे में उपधारणा**—न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि कोई संदेश, जो किसी तार घर से उस व्यक्ति को भेजा गया है, जिसे ऐसे संदेश का सम्बोधित होना तात्पर्यित है, उस संदेश के समरूप है जो भेजे जाने के लिए उस कार्यालय को, जहां से वह संदेश पारेषित किया गया तात्पर्यित है, परिदत्त किया गया था, किन्तु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में, जिसने संदेश पारेषित किया जाने के लिए परिदत्त किया था, कोई उपधारणा नहीं करेगा।

89. **पेश न की गई दस्तावेजों के लम्पक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा**—न्यायालय उपधारित करेगा कि हर दस्तावेज, जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी और जो पेश करने की सूचना के पश्चात् पेश नहीं की गई है, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित की गई थी।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "ब्रिटिश" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हर मजिस्ट्री के, या" शब्दों का लोप किया गया।
3. भारत शासन (भारतीय अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "ऐसे किसी देश के, जो हर मजिस्ट्री के डोमिनियन का भाग नहीं है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग ख राज्य या" शब्दों का लोप किया गया।
6. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हर मजिस्ट्री या" शब्दों का लोप किया गया।
7. 1891 के अधिनियम सं० 3 की धारा 8 द्वारा "में निवासी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "ऐसे भाग ख राज्य या देश" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "वह राज्य या देश" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
10. 1899 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा पूर्ववर्ती पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित जिसे 1891 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 द्वारा अन्त-स्थापित किया गया था।
11. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भाग ख राज्य या" शब्द अन्तःस्थापित किए गए थे। इन शब्दों का 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लोप किया गया।
12. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्तःस्थापित।
13. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "खण्ड (40)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
14. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "उस भाग ख राज्य या देश में और के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

90. Presumption as to documents thirty years old—Where any document, purporting or proved to be thirty years old, is produced from any custody which the Court in the particular case considers proper, the Court may presume that the signature and every other part of such document, which purports to be in the handwriting of any particular person, is in that person's handwriting, and, in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the persons by whom it purports to be executed and attested.

Explanation—Documents are said to be in proper custody if they are in the place in which, and under the care of the person with whom, they would naturally be; but no custody is improper if it is proved to have had a legitimate origin, or the circumstances of the particular case are such as to render such an origin probable.

This explanation applies also to section 81.

Illustrations

(a) A has been in possession of landed property for a long time. He produces from his custody deeds relating to the land showing his titles to it. The custody is proper.

(b) A produces deeds relating to landed property of which he is the mortgagee. The mortgagor is in possession. The custody is proper.

(c) A, a connection of B, produces deeds relating to lands in B's possession, which were deposited with him by B for safe custody. The custody is proper.

CHAPTER VI

OF THE EXCLUSION OF ORAL BY DOCUMENTARY EVIDENCE

91. Evidence of terms of contracts, grants and other dispositions of property reduced to form of document—When the terms of a contract, or of a grant, or of any other disposition of property, have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property, or of such matter, except the document itself, or secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible under the provisions hereinafter contained.

Exception 1—When a public officer is required by law to be appointed in writing, and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not be proved.

Exception 2—Wills ¹[admitted to probate in ²[India]] may be proved by the probate.

Explanation 1—This section applies equally to cases in which the contracts grants or dispositions of property referred to are contained in one document and to cases in which they are contained in more documents than one.

Explanation 2—Where there are more originals than one, one original only need be proved.

Explanation 3—The statement, in any document whatever, of a fact other than the facts referred to in this section, shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact.

¹ Subs. by Act 18 of 1872, s. 7, for "under the Indian Succession Act".

² Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States".

90. तीस वर्ष पुरानी दस्तावेजों के बारे में उपधारणा—जहां कि कोई दस्तावेज, जिसका तीस वर्ष पुरानी होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से, जिसे न्यायालय उक्त विशिष्ट मामले में उचित समझता है, पेश की गई है, वहां न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्बन्ध रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित की गई थी जिनके द्वारा उसका निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है।

स्पष्टीकरण—दस्तावेजों का उचित अभिरक्षा में होना कहा जाता है, यदि वे ऐसे स्थान में और उस व्यक्ति की देखरेख में है, जहां और जिसके पास वे प्रकृत्या होनी चाहिए; किन्तु कोई भी अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि यह साबित कर दिया जाए कि उस अभिरक्षा का उद्गम विधिसम्मत था या यदि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियां ऐसी हों जिनसे ऐसा उद्गम अधिसम्भाव्य हो जाता है।

यह स्पष्टीकरण धारा 81 को भी लागू है।

दस्तावेज

(क) कसबू-सम्पत्ति पर दीर्घकाल से कब्जा रखता आया है। वह उस भूमि सम्बन्धी विलेख, जिनसे उस भूमि पर उसका हक दर्शित होता है, अपनी अभिरक्षा में से पेश करता है। यह अभिरक्षा उचित है।

(ख) क उस भू-सम्पत्ति से सम्बद्ध विलेख, जिसका वह बन्धकदार है, पेश करता है। बन्धककर्ता सम्पत्ति पर कब्जा रखता है। वह अभिरक्षा उचित है।

(ग) ख का संसगी क, ख के कब्जे वाली भूमि से सम्बन्धित विलेख पेश करता है, जिन्हें ख ने उसके पास सुरक्षित अभिरक्षा के लिए निशित किया था। यह अभिरक्षा उचित है।

अध्याय 6

दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में

91. दस्तावेजों के रूप में लिखबद्ध सिद्धांतों, अनुदानों तथा सम्पत्ति के अन्य व्ययनों के निबन्धनों का साक्ष्य—जबकि किसी सिद्धांत के या अनुदान के या सम्पत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबन्ध दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए हों, तब, तथा उन सब दशाओं में, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, ऐसी सिद्धांत, अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन के निबन्धनों के या ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय, या उन दशाओं में जिनमें एतस्मिन्पूर्व अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन द्वितीयिक साक्ष्य ग्राह्य है, उसकी अन्तर्वस्तु के द्वितीयिक साक्ष्य के सिवाय, कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा।

अपवाद 1—जबकि विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि किसी लोक आफिसर की नियुक्ति लिखित रूप में हो और जब यह दर्शाया गया है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने ऐसे आफिसर के ताते कार्य किया है तब उस लेख का, जिसके द्वारा वह नियुक्ति किया गया था, साबित किया जाना आवश्यक नहीं है।

अपवाद 2—जिन विलों का [भारत] में प्रोबेट मिला है, वे प्रोबेट द्वारा साबित की जा सकेंगी।

स्पष्टीकरण 1—यह धारा उन दशाओं को, जिनमें निदिष्ट सिद्धांत, अनुदान या सम्पत्ति के व्ययन एक ही दस्तावेज में अन्तर्विष्ट हैं तथा उन दशाओं को, जिनमें वे एक से अधिक दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट हैं, समान रूप से लागू है।

स्पष्टीकरण 2—जहां कि एक से अधिक मूल हैं, वहां केवल एक मूल साबित करना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण 3—इस धारा में निदिष्ट तथ्यों से भिन्न किसी तथ्य का किसी भी दस्तावेज में कबन, उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रचारण नहीं करेगा।

1. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 7 द्वारा "भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Illustrations

- (a) If a contract be contained in several letters, all the letters in which it is contained must be proved.
- (b) If a contract is contained in a bill of exchange, the bill of exchange must be proved.
- (c) If a bill of exchange is drawn in a set of three, one only need be proved.
- (d) A contracts, in writing, with B for the delivery of indigo upon certain terms. The contract mentions the fact that B had paid A the price of other indigo contracted for verbally on another occasion. Oral evidence is offered that no payment was made for the other indigo. The evidence is admissible.
- (e) A gives B receipt for money paid by B.

Oral evidence is offered of the payment.

The evidence is admissible.

92. Exclusion of evidence of oral agreement—When the terms of any such contract, grant or other disposition of property, or any matter required by law to be reduced to the form of a document, have been proved according to the last section, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted, as between the parties to any such instrument or their representatives in interest, for purpose of contradicting, varying, adding to, or subtracting from, its terms :

Proviso (1)—Any fact may be proved which would invalidate any document, or which would entitle any person to any decree or order relating thereto; such as fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity in any contracting party, ¹[want or failure] of consideration, or mistake in fact or law.

Proviso (2)—The existence of any separate oral agreement as to any matter on which a document is silent, and which is not inconsistent with its terms, may be proved. In considering whether or not this proviso applies, the Court shall have regard to the degree of formality of the document.

Proviso (3)—The existence of any separate oral agreement, constituting a condition precedent to the attaching of any obligation under any such contract, grant or disposition of property, may be proved.

Proviso (4)—The existence of any distinct subsequent oral agreement to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property, may be proved, except in cases in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing, or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of documents.

Proviso (5)—Any usage or custom by which incidents not expressly mentioned in any contract are usually annexed to contracts of that description, may be proved :

Provided that the annexing of such incident would not be repugnant to, or inconsistent with the express terms of the contract.

Proviso (6)—Any fact may be proved which shows in what manner the language of a document is related to existing facts.

1. Subs. by Act 18 of 1872, s. 8, "for want of failure".

दृष्टांत

- (क) यदि कोई संविदा कई पत्रों में अन्तर्विष्ट है, तो वे सभी पत्र, जिनमें वह अन्तर्विष्ट है, साबित करने होंगे।
- (ख) यदि कोई संविदा किसी विनिमय-पत्र में अन्तर्विष्ट है, तो वह विनिमय-पत्र साबित करना होगा।
- (ग) यदि विनिमय-पत्र तीन परतों में लिखित है, तो केवल एक को साबित करना आवश्यक है।

(घ) ख से कतिपय निबन्धनों पर क नील के परिदान के लिए लिखित संविदा करता है। संविदा इस तथ्य का वर्णन करती है कि ख ने क को किसी अन्य अवसर पर मौखिक रूप से संविदाकृत अन्य नील का मूल्य चुकाया था।

मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है कि अन्य नील के लिए कोई संदाय नहीं किया गया। यह साक्ष्य ग्राह्य है।

(ङ) ख द्वारा दिए गए धन की रसीद ख को क देता है।

संदाय कनने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है।

यह साक्ष्य ग्राह्य है।

92. मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन—जबकि किसी ऐसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन के निबन्धनों को, या किसी बात को, जिनके बारे में विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, अंतिम पिछली धारा के अनुसार साबित किया जा चुका हो, तब ऐसी किसी लिखत के पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच के किसी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य उसके निबन्धनों का खण्डन करने के या उनमें फेरफार करने के या जोड़ने के या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण न किया जाएगा :

परन्तुक (1)—ऐसा कोई तथ्य साबित किया जा सकेगा, जो किसी दस्तावेज को अविधिमान्य बना दे या जो किसी व्यक्ति को तत्सम्बन्धी किसी डिक्री या आदेश का हकदार बना दे, यथा कपट, अभिवास, अवैधता, सम्यक् निष्पादन का अभाव किसी संविदाकारी पक्षकार में सामर्थ्य का अभाव, प्रतिफल का [अभाव या निष्फलता] या विधि की या तथ्य की भूल।

परन्तुक (2)—किसी विषय के बारे में, जिसके बारे में दस्तावेज मौन है और जो उसके निबन्धनों से असंगत नहीं है किसी पृथक मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा। इस पर विचार करते समय कि यह परन्तुक लागू होता है या नहीं न्यायालय दस्तावेज की प्ररूपिता की मात्रा को ध्यान में रखेगा।

परन्तुक (3)—ऐसी किसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के व्ययन के अधीन कोई बाध्यता संलग्न होने की पुरोभाव्य शर्त गठित करने वाले किसी पृथक् मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा।

परन्तुक (4)—ऐसी किसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के व्ययन को विखंडित या उपांतरित करने के लिए किसी सुभिन्न पाश्चिक मौखिक करार का अस्तित्व उन अवस्थाओं के सिवाय साबित किया जा सकेगा, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि ऐसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति का व्ययन लिखित हो अथवा जिनमें दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के बारे में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार उसका रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका है।

परन्तुक (5)—कोई प्रथा या रूढ़ि, जिसके द्वारा किसी संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली प्रसंगतियां उस प्रकार की संविदाओं से प्रायः उपाबद्ध रहती हैं, साबित की जा सकेगी :

परन्तु यह तब जबकि ऐसी प्रसंगतियों का उपाबन्धन संविदा के अभिव्यक्त निबन्धनों के विरुद्ध या उनसे असंगत न हो।

परन्तुक (6)—कोई तथ्य, जो यह दर्शाता करता है कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार सम्बन्धित है, साबित किया जा सकेगा।

Illustrations

(a) A policy of insurance is effected on goods "in ships from Calcutta to London". The goods are shipped in a particular ship which is lost. The fact that that particular ship was orally excepted from the policy cannot be proved.

(b) A agrees absolutely in writing to pay B Rs. 1,000 on the first March, 1873. The fact that, at the same time an oral agreement was made that the money should not be paid till the thirty-first March cannot be proved.

(c) An estate called "the Rampore tea estate" is sold by a deed which contains a map of the property sold. The fact that land not included in the map had always been regarded as part of the estate and was meant to pass by the deed cannot be proved.

(d) A enters into a written contract with B to work certain mines, the property of B, upon certain terms. A was induced to do so by a misrepresentation of B's as to their value. This fact may be proved.

(e) A institutes a suit against B for the specific performance of a contract, and also prays that the contract may be reformed as to one of its provisions, as that provision was inserted in it by mistake. A may prove that such a mistake was made as would be law entitle him to have the contract reformed.

(f) A orders goods of B by a letter in which nothing is said as to the time of payment, and accepts the goods on delivery. B sues A for the price. A may show that the goods were supplied on credit for a term still unexpired.

(g) A sells B a horse and verbally warrants him sound. A gives B a paper in these words "Bought of A a horse Rs. 500". B may prove the verbal warranty.

(h) A hires lodging of B, and gives B a card on which is written— "Rooms, Rs. 200 a month". A may prove a verbal agreement that these terms were to include partial board.

A hires lodging of B for a year, and a regularly stamped agreement, drawn up by an attorney, is made between them. It is silent on the subject of board. A may not prove that board was included in the term verbally.

(i) A applies to B for a debt due to A by sending a receipt for the money. B keeps the receipt and does not send the money. In a suit for the amount, A may prove this.

(j) A and B make a contract in writing to take effect upon the happening of a certain contingency. The writing is left with B, who sues A upon it. A may show the circumstances under which it was delivered.

93. Exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document—When the language used in a document is, on its face, ambiguous or defective, evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply its defects.

Illustrations

(a) A agrees, in writing, to sell a horse to B for "Rs. 1,000 or Rs. 1,500".

Evidence cannot be given to show which price was to be given.

(b) A deed contains blanks. Evidence cannot be given of facts which would show how they were meant to be filled.

दृष्टांत

(क) बीमा की एक पालिसी उस माल के लिए की गई है जो "कलकत्ते से लन्दन जाने वाले पोतों में" है। माल किसी विशिष्ट पोत से भेजा जाता है, जो पोत नष्ट हो जाता है। यह तथ्य कि वह विशिष्ट पोत उस पालिसी से मौखिक रूप से अपवादित या साबित नहीं किया जा सकता है।

(ख) ख को पहली मार्च, 1873 को 1,000 रुपया देने का पक्का लिखित करार क करता है। यह तथ्य कि उसी समय एक मौखिक करार हुआ था कि यह धन इकतीस मार्च तक न दिया जाएगा, साबित नहीं किया जा सकता।

(ग) "रामपुर चाय सम्पदा" नामक एक सम्पदा किसी विलेख द्वारा बेची जाती है, जिसमें विक्रीत सम्पत्ति का मानचित्र अन्तर्विष्ट है। यह तथ्य कि मानचित्र में न दिखाई गई भूमि सदैव सम्पदा का भागरूप मानी जाती रही थी और उस विलेख द्वारा उसका अन्तर्गत होना अभिप्रेत था, साबित नहीं किया जा सकता।

(घ) क किन्हीं खानों को, जो ख की सम्पत्ति हैं, किन्हीं निबन्धनों पर काम में लाने का ख से लिखित करार करता है। उनके मूल्य के बारे में ख के दुर्व्यपदेशन द्वारा क ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित हुआ था। यह तथ्य साबित किया जा सकेगा।

(ङ) ख पर क किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद संस्थित करता है और यह प्रार्थना भी करता है कि संविदा का सुधार उसके एक उपबन्ध के बारे में किया जाए क्योंकि यह उपबन्ध उसमें भूल से अन्तःस्थापित किया गया था। क साबित कर सकेगा कि ऐसी भूल की गई थी जिससे संविदा के सुधार करने का हक उसे विधि द्वारा मिलता है।

(च) क पत्र द्वारा ख का माल आदिष्ट करता है जिसमें संदाय करने के समय के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और परिदान पर माल को प्रतिगृहीत करता है। ख मूल्य के लिए क पर वाद लाता है। क दर्शित कर सकेगा कि माल ऐसी अवधि लिए उधार पर दिया गया था जो अभी अनवसित नहीं हुई है।

(छ) ख को क एक घोड़ा बेचना है और मौखिक वारण्टी देता है कि वह अच्छा है। ख को क इन शब्दों को लिख कर एक कागज देता है "क से 500 रुपए में एक घोड़ा खरीदा" ख मौखिक वारण्टी साबित कर सकेगा।

(ज) ख का बासा क भाड़े पर लेता है और एक कार्ड देता है जिसमें लिखा है, "कमरे, 200 रुपए प्रतिमास"। क यह मौखिक करार साबित कर सकेगा कि इन निबन्धनों के अन्तर्गत भागतः भोजन भी था।

ख का बासा क एक वर्ष के लिए भाड़े पर लेता है और उनके बीच अटर्नी द्वारा तैयार किया हुआ एक स्टैम्पित करार किया जाता है। वह करार भोजन देने के विषय में मौन है। क साबित नहीं कर सकेगा कि मौखिक तौर पर उस निबन्धन के अन्तर्गत भोजन देना भी था।

(झ) ख से शोधन ऋण के लिए धन की रसीद भेज कर ऋण चुकाने का क आवेदन करता है। ख रसीद रख लेता है और धन नहीं भेजता। उस रकम के लिए बाद में क इसे साबित कर सकेगा।

(ञ) क और ख लिखित संविदा करते हैं जो अमुक अनिश्चित घटना के घटित होने पर प्रभावशील होंगी हैं। वह लेख ख के पास छोड़ दिया जाता है जो उसके आधार पर क पर वाद लाता है। क उन परिस्थितियों को दर्शित कर सकेगा जिनके अधीन वह परिदत्त किया गया था।

93. संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन—जबकि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा, जो उनका अर्थ दर्शित या उसकी त्रुटियों की पूर्ति कर दे।

दृष्टांत

(क) ख को क 1,000 रुपयों या 1,500 रुपयों में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है।

यह दर्शित करने के लिए कि कौन सा मूल्य दिया जाना था साक्ष्य नहीं दिया जा सकता।

(ख) किसी विलेख में रिक्त स्थान है। उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो यह दर्शित करते हों कि उनकी किस प्रकार पूर्ति अभिप्रेत थी।

94. Exclusion of evidence against application of document to existing facts—When language used in a document is plain in itself, and when it applies accurately to existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts.

Illustration

A sells to B, by deed, "my estate at Rampur containing 100 bighas". A has an estate at Rampur containing 100 bighas. Evidence may not be given of the fact that the estate meant to be sold was one situated at a different place and of a different size.

95. Evidence as to document unmeaning in reference to existing facts—When language used in a document is plain in itself, but is unmeaning in reference to existing facts, evidence may be given to show that it was used in a peculiar sense.

Illustrations

A sells to B, by deed, "my house in Calcutta".

A had no house in Calcutta, but it appears that he had a house at Howrah, of which B had been in possession since the execution of the deed.

These facts may be proved to show that the deed related to the house at Howrah.

96. Evidence as to application of language which can apply to one only of several persons—When the facts are such that the language used might have been meant to apply to any one, and could not have been meant to apply to more than one, of several persons or things, evidence may be given of facts which show which of those persons or things it was intended to apply to.

Illustrations

(a) A agrees to sell to B, for Rs. 1,000, "my white horse". A has two white horses. Evidence may be given of facts which show which of them was meant.

(b) A agrees to accompany B to Haidarabad. Evidence may be given of facts showing whether Haidarabad in the Dekkhan or Haidarabad in Sindh was meant.

97. Evidence as to application of language to one of two sets of facts, to neither of which the whole correctly applies—When the language used applies partly to one set of existing facts, and partly to another set of existing facts, but the whole of it does not apply correctly to either, evidence may be given to show to which of the two it was meant to apply.

Illustration

A agrees to sell to B "my land at X in the occupation of Y". A has land at X, but not in the occupation of Y and he has land in the occupation of Y but it is not at X. Evidence may be given of facts showing which he meant to sell.

98. Evidence as to meaning of illegible characters, etc.—Evidence may be given to show the meaning of illegible or not commonly intelligible characters, of foreign, obsolete, technical, local and provincial expressions, of abbreviations and of words used in a peculiar sense.

Illustration

A, a sculptor, agrees to sell to B, "all my mods". A has both models and modelling tools. Evidence may be given to show which he meant to sell.

94. विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन—जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जब वह विद्यमान तथ्यों को ठीक-ठीक लागू होती हो, तब यह दशित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी।

दृष्टांत

ख को क “रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी सम्पदा” विलेख द्वारा बेचता है। क के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक सम्पदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत सम्पदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित और भिन्न माप की थी।

95. विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य—जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किन्तु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो, तो यह दशित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह एक विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी।

दृष्टांत

ख को क “मेरा कलकत्ते का गृह” विलेख द्वारा बेचता है।

क का कलकत्ते में कोई गृह नहीं था किन्तु यह प्रतीत होता है कि उसका हावड़ा में एक गृह था जो विलेख के निष्पादन के समय से ख के कब्जे में था।

इन तथ्यों को यह दशित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि विलेख का सम्बन्ध हावड़ा के गृह से था।

96. उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है—जबकि तथ्य ऐसे हैं कि प्रयुक्त भाषा कई व्यक्तियों या चीजों में से किसी एक को लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती थी तथा एक से अधिक को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती थी, तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दशित करते हैं कि उन व्यक्तियों या चीजों में से किस को लागू होने के लिए वह आशयित थी।

दृष्टांत

(क) क 1,000 रुपए में “मेरा सफेद घोड़ा” ख को बेचने का करार करता है। क के पास दो सफेद घोड़े हैं। उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दशित करते हैं कि उनमें से कौन सा घोड़ा अभिप्रेत था।

(ख) ख के साथ क हैदराबाद जाने के लिए करार करता है। यह दशित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि दक्षिण का हैदराबाद अभिप्रेत था या सिन्ध का हैदराबाद।

97. तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी को पूरी ठीक-ठीक लागू नहीं होती उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य—जबकि प्रयुक्त भाषा भागतः विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग को और भागतः विद्यमान तथ्यों के अन्य संवर्ग को लागू होती है, किन्तु वह पूरी को पूरी दोनों में से किसी एक को भी ठीक-ठीक लागू नहीं होती, तब यह दशित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह दोनों में से किस को लागू होने के लिए अभिप्रेत थी।

दृष्टांत

ख को “मेरी भ में स्थित म के अधिभाग में भूमि” बेचने का क करार करता है। क के पास भ में स्थित भूमि है, किन्तु वह म के कब्जे में नहीं है तथा उसके पास म के कब्जे वाली भूमि है, किन्तु वह भ में स्थित नहीं है। यह दशित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि उसका अभिप्राय कौन सी भूमि बेचने का था।

98. न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य—ऐसी लिपि का, जो पढ़ी न जा सके या सामान्यतः समझी न जाती हो, विदेशी, अप्रचलित, पारिभाषिक, स्थानिक और प्रान्तीय शब्द प्रयोग का, संक्षेपाक्षरों का और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दशित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा।

दृष्टांत

एक मूतिकार, क “मेरी सभी प्रतिमाएं” ख को बेचने का करार करता है। क के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं। यह दशित कराने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता था साक्ष्य दिया जा सकेगा।

99. Who may give evidence of agreement varying terms of document.—Persons who are not parties to a document, or their representatives in interest, may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document.

Illustration

A and B make a contract in writing that B shall sell A certain cotton, to be paid for on delivery. At the same time they make an oral agreement that three months' credit shall be given to A. This could not be shown as between A and B, but it might be shown by C, if it affected his interests.

100. Saving of provisions of Indian Succession Act relating to wills.—Nothing in this Chapter contained shall be taken to affect any of the provisions of the Indian Succession Act¹ (10 of 1865), as to the construction of wills.

PART III

PRODUCTION AND EFFECT OF EVIDENCE

CHAPTER VII

OF THE BURDEN OF PROOF

101. Burden of proof.—Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.

When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Illustrations

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed.

A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true.

A must prove the existence of those facts.

102. On whom burden of proof lies.—The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

Illustrations

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father.

If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession.

Therefore the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond.

1. See now the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925), Pt. VI, Ch. VI.

99. दस्तावेज के निबन्धनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन ले सकेगा—वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं हैं, ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे, जो दस्तावेज के निबन्धनों में फेरफार करने वाली किसी समकालीन करार को दणित करने की प्रवृत्ति रखते हों।

दृष्टांत

क और ख लिखित संविदा करते हैं कि क को कुछ कपास ख बेचेगा जिसके लिए संदाय कपास के परिदान किए जाने पर किया जाएगा। उसी समय वे एक मौखिक करार करते हैं कि क की तीन मास का प्रत्यय दिया जाएगा। क और ख के बीच यह तथ्य दणित नहीं किया जा सकता था किन्तु यदि यह क के हित पर प्रभाव डालता है, तो यह क द्वारा दणित किया जा सकेगा।

100. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बिल सम्बन्धी उपबन्धों की व्यावृत्ति—इस अध्याय की कोई भी बात बिल का अर्थ लगाने के भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम¹ (1865 का 10) के किन्हीं भी उपबन्धों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

भाग 3

साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव

अध्याय 7

सबूत के भार के विषय में

101. सबूत का भार—जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर हैं, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है।

जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

दृष्टांत

(क) क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दण्डित करने का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है।

क को यह साबित करना होगा कि ख ने वह अपराध किया है।

(ख) क न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्राख्यात और ख प्रत्याख्यात करता है, यह निर्णय दे कि वह ख के कब्जे में की अमुक भूमि का हकदार है।

क को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा।

102. सबूत का भार किस पर होता है—किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा, यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए।

दृष्टांत

(क) ख पर उस भूमि के लिए क वाद लाता है जो ख के कब्जे में है और जिसके बारे में क प्राख्यात करता है कि वह ख के पिता ग की विल द्वारा क के लिए दी गई थी।

यदि किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए, तो ख इसका हकदार होगा कि वह अपना कब्जा रखे रहे।

अतः सबूत का भार क पर है।

(ख) ख पर एक बन्धपत्र मद्धे प्रोध्य धन के लिए क वाद लाता है।

1. देखिए अब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) भाग 6, अध्याय 6।

The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies.

If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved.

Therefore the burden of proof is on B.

103. Burden of proof as to particular fact—The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.

Illustration

[(a)] A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission.

B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

104. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible—The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.

Illustrations

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document.

A must prove that the document has been lost.

105. Burden of proving that case of accused comes within exceptions—When a person is accused of any offence, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the General Exceptions in the Indian Penal Code (45 of 1860) or within any special exception or proviso contained in any other part of the same Code, or in any law defining the offence, is upon him; and the Court shall presume the absence of such circumstances.

Illustrations

(a) A, accused of murder, alleges that, by reason of unsoundness of mind, he did not know the nature of the act

The burden of proof is on A.

(b) A, accused of murder, alleges that, by grave and sudden provocation, he was deprived of the power of self-control.

The burden of proof is on A.

(c) Section 325 of the Indian Penal Code (45 of 1860) provides that whoever, except in the case provided for by section 335, voluntarily causes grievous hurt, shall be subject to certain punishments.

A is charged with voluntarily causing grievous hurt under section 325.

The burden of proving the circumstances bringing the case under section 335 lies on A.

1. *Sic.* In the Act as published in Gazette of India, 1872, Pt. IV, P. 1, there is no illustration (b).

उस बन्धपत्र का निष्पादन स्वीकृत है किन्तु ख कहता है कि वह कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया था, जिस बात का क प्रत्याख्यान करता है।

यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए, तो क सफल होगा क्योंकि बन्धपत्र विवादग्रस्त नहीं है और कपट साबित नहीं किया गया।

अतः सबूत का भार क पर है।

103. विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार—किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबन्धित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा।

दृष्टांत

¹[(क)] ख को क चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति ग से की। क को यह स्वीकृति साबित करनी होगी।

ख न्यायालय से चाहता है कि वह यह विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वह अन्यत्र था। उसे यह बात साबित करनी होगी।

104. साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार—ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है।

दृष्टांत

(क) ख द्वारा किए गए मृत्यु-कालिक कथन को क साबित करना चाहता है। क को ख की मृत्यु साबित करनी होगी।

(ख) क किसी खोई हुई दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है।

क को यह साबित करना होगा कि दस्तावेज खो गई है।

105. यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है—जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार, जो उस मामले को भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) के साधारण अपवादों में से किसी के अन्तर्गत या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में, या उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि में, अन्तर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परन्तुक के अन्तर्गत कर देती है, उस व्यक्ति पर है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा।

दृष्टांत

(क) हत्या का अभियुक्त, क अभिकथित करता है कि वह चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति नहीं जानता था।

सबूत का भार क पर है।

(ख) हत्या का अभियुक्त, क, अभिकथित करता है कि वह गम्भीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया है।

सबूत का भार क पर है।

(ग) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 325 उपबन्ध करती है कि जो कोई उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबन्ध है, स्वेच्छया घोर उपहृति करेगा, वह अमुक दण्डों से दण्डनीय होगा।

क पर स्वेच्छया घोर उपहृति कारित करने का, धारा 325 के अधीन आरोप है।

इस मामले को धारा 335 के अधीन लाने वाली परिस्थितियों को साबित करने का भार क पर है।

1. अधिनियम में ऐवमेव जैसा भारत के राजपत्र (अंग्रेजी), 1872, भाग 4, पृष्ठ 1 में प्रकाशित किया गया था दृष्टांत (ख) को नहीं रखा गया है।

106. Burden of proving fact especially within knowledge—When any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him.

Illustrations

(a) When a person does an act with some intention other than that which the character and circumstances of the act suggest, the burden of proving that intention is upon him.

(b) A is charged with travelling on a railway without a ticket. The burden of proving that he had a ticket is on him.

107. Burden of proving death of person known to have been alive within thirty years—When the question is whether a man is alive or dead, and it is shown that he was alive within thirty years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it.

108. Burden of proving that person is alive who has not been heard of for seven years—[Provided that when] the question is whether a man is alive or dead, and it is proved that he has not been heard of for seven years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is [shifted to] the person who affirms it.

109. Burden of proof as to relationship in the cases of partners, landlord and tenant, principal and agent—When the question is whether persons are partners, landlord and tenant, or principal and agent, and it has been shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand, or have ceased to stand, to each other in those relationships respectively, is on the person who affirms it.

110. Burden of proof as to ownership—When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner.

111. Proof of good faith in transactions where one party is in relation of active confidence—Where there is a question as to the good faith of a transaction between parties, one of whom stands to the other in a position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in a position of active confidence.

Illustrations

(a) The good faith of a sale by a client to an attorney is in question in a suit brought by the client. The burden proving the good faith of the transaction is on the attorney.

(b) The good faith of a sale by a son just come of age to a father is in question in a suit brought by the son. The burden of proving the good faith of the transaction is on the father.

111A. Presumption as to certain offences—(1) Where a person is accused of having committed any offence specified in sub-section (2), in—

(a) any area declared to be a disturbed area under any enactment, for the time being in force, making provision for the suppression of disorder and restoration and maintenance of public order; or

(b) any area in which there has been, over a period of more than one month, extensive disturbance of the public peace,

and it is shown that such person had been at a place in such area at a time when firearms or explosives were used at or from that place to attack or resist the members of any armed forces or the forces charged with the maintenance of public order acting in the discharge of their duties, it shall be presumed, unless the contrary is shown, that such person had committed such offence.

1. Subs. by Act 18 of 1872, s. 9, for "When".

2. Subs. by s. 9, *ibid.*, for "on".

3. Ins. by Act 61 of 1984, s. 20 (w.e.f. 14-7-1984).

106. विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार—जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

दृष्टांत

(क) जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है, जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियाँ इंगित करती हैं, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है।

(ख) ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है। यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उस पर है।

107. उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है—जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह दर्शाया गया है कि वह तीस वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है।

108. यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है—¹[परन्तु जबकि] प्रश्न यह है कि कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन्हींने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वभाविकतया सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर ²[चला जाता] है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है।

109. भागीदारों, भू-स्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार—जब कि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भू-स्वामी और अभिधारी, या मालिक और अभिकर्ता है, और यह दर्शाया गया है कि वे इस रूप में कार्य करते रहे हैं, तब यह साबित करने का भार कि क्रमशः इन सम्बन्धों में वे परस्पर अवस्थित नहीं हैं या अवस्थित होने से परिवारित हो चुके हैं, उस व्यक्ति पर है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है।

110. स्वामित्व के बारे में सबूत का भार—जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शाया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है, उस व्यक्ति पर है, जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है।

111. उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का सम्बन्ध सक्रिय विश्वास का है—जहां कि उन पक्षकारों के बीच के संव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है, जिनमें से एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहां उस संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है।

दृष्टांत

(क) कक्षीकार द्वारा अटर्नी के पक्ष में लिए गए विक्रय का सद्भाव कक्षीकार द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। संव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार अटर्नी पर है।

(ख) पुत्र द्वारा, जोकि हाल ही में प्राप्तवय हुआ है, पिता को किए गए किसी विक्रय का सद्भाव पुत्र द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार पिता पर है।

³[111क. कुछ अपराधों के बारे में उपधारणा—(1) जहां कोई व्यक्ति उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट ऐसे किसी अपराध के—

(क) ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसे उपद्रव को दवाने के लिए और लोक व्यवस्था की बहाली और उसे बनाए रखने के लिए उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अधिनियमिति के अधीन विक्षुब्ध क्षेत्र घोषित किया गया है; या

(ख) ऐसे किसी क्षेत्र में, जिसमें एक मास से अधिक की अवधि के लिए लोक शान्ति में व्यापक विघ्न रहा है, किए जाने का अभियुक्त है और यह दर्शाया जाता है कि ऐसा व्यक्ति ऐसे क्षेत्र में किसी स्थान पर ऐसे समय पर था जब ऐसे किसी सशस्त्र बल या बलों के, जिन्हें लोक व्यवस्था बनाए रखने का भार सौंपा गया है, ऐसे सदस्यों पर, जो अप्रत्यक्ष कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, आक्रमण करने के लिए या उनका प्रतिरोध करने के लिए उस स्थान पर था; उस स्थान से अस्त्रायुधों या विस्फोटकों का प्रयोग किया गया था, वहां जब तक कि तत्प्रतिकूल दर्शाया नहीं किया जाता, यह उपधारणा की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया है।

1. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 9 द्वारा "जब" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 9 द्वारा "पर" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. 1984 के अधिनियम सं० 61 धारा 20 द्वारा (14-7-1984 से) अन्तःस्थापित।

(2) The offences referred to in sub-section (1) are the following, namely :—

(a) an offence under section 121, section 121A, section 122 or section 123 of the Indian Penal Code (45 of 1860) ;

(b) criminal conspiracy or attempt to commit, or a betment of, an offence under section 122 or section 123 of the Indian Penal Code (45 of 1860).]

112. Birth during marriage, conclusive proof of legitimacy—The fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man, or within two hundred and eighty days after its dissolution, the mother remaining unmarried, shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten.

113. Proof of cession of territory—A notification in the Official Gazette that any portion of British territory has ¹[before the commencement of Part III of the Government of India Act, 1935 (26 Geo. 5, c. 2)] been ceded to any Native State, Prince or Ruler, shall be conclusive proof that a valid cession of such territory took place at the date mentioned in such notification.

²[**113A. Presumption as to abetment of suicide by a married woman**—When the question is whether the commission of suicide by a woman had been abetted by her husband or any relative of her husband and it is shown that she had committed suicide within a period of seven years from the date of her marriage and that her husband or such relative of her husband had subjected her to cruelty, the court may presume, having regard to all the other circumstances of the case, that such suicide had been abetted by her husband or by such relative of her husband.

Explanation—For the purposes of this section, “cruelty” shall have the same meaning as in section 498A of the Indian Penal Code (45 of 1860)].

³[**113B Presumption as to dowry death**—When the question is whether a person has committed the dowry death of a woman and it is shown that soon before her death such woman had been subjected by such person to cruelty or harassment for, or in connection with, any demand for dowry, the court shall presume that such person had caused the dowry death.

Explanation—For the purposes of this section “dowry death” shall have the same meaning as in section 304B of the Indian Penal Code (45 of 1860)].

114. Court may presume existence of certain acts—The court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened regard being had to the common course of natural events human conduct and public and private business, in their relation to the facts of the particular case.

Illustrations

The Court may presume—

(a) That a man who is in possession of stolen goods soon after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen, unless he can account for his possession.

(b) That an accomplice is unworthy of credit, unless he is corroborated in material particulars.

(c) That a bill of exchange, accepted or endorsed, was accepted or endorsed for good consideration.

(d) That a thing or state of things which has been shown to be in existence within a period shorter than that within which such things or states of things usually cease to exist, is still in existence;

(e) That judicial and official acts have been regularly performed.

(f) That the common course of business has been followed in particular cases;

1. Ins. by the A.O. 1937, Pt. III of the Government of India Act, 1935 came into force on the 1st April, 1937.

2. Ins. by Act 46 of 1983, s. 7.

3. Ins. by Act 43 of 1986, s. 12 (w.e.f. 19-11-1986).

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध निम्नलिखित हैं, अर्थात्:—

(क) भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 121, धारा 121क, धारा 122 या धारा 123 के अधीन कोई अपराध;

(ख) आपराधिक षड्यन्त्र या भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 122 या धारा 123 के अधीन कोई अपराध करने का प्रयत्न या उसका दुष्प्रेरण।]

112. विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजन्म का निश्चयक सबूत है—यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए, या उसका विघटन होने के उपरान्त माता के अविवाहित रहते हुए दो सौ अस्सी दिन के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चयक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि यह दक्षिण न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी कि जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था।

113. राज्यक्षेत्र के अध्वर्षण का सबूत—शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना कि ब्रिटिश राज्यक्षेत्र का कोई भाग किसी भारतीय राज्य, राजा या शासक को [गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के भाग 3 के प्रारम्भ से पूर्व] (26जं० 5, अ० 2) अध्वर्षित किया गया है इस बात का निश्चयक सबूत होगी कि ऐसे राज्यक्षेत्र का ऐसी अधिसूचना में वर्णित तारीख को विधिमान्य अध्वर्षण हुआ।

²[113क. किसी विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा—जब प्रश्न यह है कि किसी स्त्री द्वारा आत्महत्या का करना उसके पति या उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित किया गया है और यह दक्षिण किया गया है कि उसने अपने विवाह की तारीख से सात वर्ष की अवधि के भीतर आत्महत्या की थी और यह कि उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार ने उसके प्रति क्रूरता की थी, तो न्यायालय मामले की सभी अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यह उपधारणा कर सकेगा कि ऐसी आत्महत्या उसके पति या उसके पति के ऐसे नातेदार द्वारा दुष्प्रेरित की गई थी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “क्रूरता” का वही अर्थ है, जो भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 498क में है।]

³[113ख. दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा—जब प्रश्न यह है कि किसी व्यक्ति ने किसी स्त्री की दहेज मृत्यु की है और यह दक्षिण किया जाता है कि मृत्यु के कुछ पूर्व ऐसे व्यक्ति ने दहेज की किसी मांग के लिए, या उसके संबंध में उस स्त्री के साथ क्रूरता की थी या उसको तंग किया था तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने दहेज मृत्यु कारित की थी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए “दहेज मृत्यु” का वही अर्थ है जो भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 304ख में है।]

114. न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा—न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका घटित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह सम्भाव्य समझता है।

दृष्टांत

न्यायालय उपधारित कर सकेगा —

(क) कि चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरान्त कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है;

(ख) कि सह-अपराधी विश्वसनीयता को अयोग्य है, जब तक कि तात्त्विक विशिष्टियों में उसकी सम्पुष्टि नहीं होती;

(ग) कि कोई प्रतिगृहीत या पृष्ठांकित विनिमय-पत्र समुचित प्रतिफल के लिए प्रतिगृहीत या पृष्ठांकित किया गया था;

(घ) कि ऐसी कोई चीज या चीजों की दशा अब भी अस्तित्व में है, जिसका उतनी कालावधि से, जितनी में ऐसी चीजें या चीजों की दशाएं प्रायः अस्तित्व-शून्य हो जाती हैं, लघुतर कालावधि में अस्तित्व में होना दक्षिण किया गया है;

(ङ) कि न्यायिक और पदीय कार्य नियमित रूप में संपादित किए गए हैं;

(च) कि विशिष्ट मामलों में कारबार के सामान्य अनुक्रम का अनुसरण किया गया है;

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित भारत शासन अधिनियम, 1935 का भाग 3, 1 अप्रैल, 1937 को प्रवृत्त हुआ था।

2. 1983 के अधिनियम सं० 46 की धारा 7 द्वारा अन्तःस्थापित।

3. 1986 के अधिनियम सं० 43 की धारा 12 द्वारा (19-11-1986 से) अन्तःस्थापित।

(g) That evidence which could be and is not produced would, if produced, be unfavourable to the person with holds it,

(h) That if a man refuses to answer a question which he is not compelled to answer by law, the answer, if given would be unfavourable to him;

(i) That when a document creating an obligation is in the hands of the obligor, the obligation has been discharged.

But the Court shall also have regard to such facts as the following, in considering whether such maxims do or do not apply to the particular case before it :—

As to illustration (a)—A shop-keeper has in his till a marked rupee soon after it was stolen, and cannot account for its possession specifically, but is continually receiving rupees in the course of his business;

As to illustration (b)—A person of the highest character is tried for causing a man's death by an act of negligence in arranging certain machinery. B, a person of equally good character, who also took part in the arrangement, describes precisely what was done, and admits and explains the common carelessness of A and himself;

As to illustration (b)—A crime is committed by several persons. A, B and C, three of the criminals, are captured on the spot and kept apart from each other. Each gives an account of the crime implicating D; and the accounts corroborate each other in such a manner as to render previous concert highly improbable;

As to illustration (c)—A, the drawer of a bill of exchange, was a man of business. B, the acceptor, was young and ignorant person, completely under A's influence;

As to illustration (d)—It is proved that a river ran in a certain course five years ago, but it is known that there have been floods since that time which might change its course;

As to illustration (e)—A judicial Act, the regularity of which is in question, was performed under exceptional circumstances;

As to illustration (f)—The question is, whether a letter was received. It is shown to have been posted, but the usual course of the post was interrupted by disturbances;

As to illustration (g)—A man refuses to produce a document which would bear on a contract of small importance on which he is sued, but which might also injure the feelings and reputation of his family;

As to illustration (h)—A man refuses to answer a question which he is not compelled by law to answer, but the answer to it might cause loss to him in matters unconnected with the matter in relation to which it is asked;

As to illustration (i)—A bond is in possession of the obligor, but the circumstances of the case are such that he may have stolen it.

[114A. Presumption as to absence of consent in certain prosecutions for rape—In a prosecution for rape under clause (a) or clause (b) or clause (c) or clause (d) or clause (e) or clause (g) or sub-section (2) of section 376 of the Indian Penal Code, (45 of 1860) where sexual intercourse by the accused is proved and the question is whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped and she states in her evidence before the Court that she did not consent, the Court shall presume that she did not consent.]

(छ) कि यदि वह साक्ष्य जो पेश किया जा सकता था और पेश नहीं किया गया है, पेश किया जाता है, तो उस व्यक्ति के अननुकूल होता, जो उसका विधारण किए हुए है;

(ज) कि यदि कोई मनुष्य ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करता है, जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश नहीं है, तो उत्तर यदि दिया जाता, उसके अननुकूल होता;

(झ) कि जब किसी बाध्यता का सृजन करती वाली दस्तावेज बाध्यताधारी के हाथ में है, तब उस बाध्यता का उन्मोचन ही चुका है।

किन्तु न्यायालय यह विचार करने में कि ऐसे सूत उसके समक्ष के विशिष्ट मामले को लागू होते हैं या नहीं, निम्न-लिखित प्रकार के तथ्यों का भी ध्यान रखेगा—

दृष्टांत (क) के बारे में—किसी दुकानदार के पास उसके गल्ले में कोई चिह्नित रुपया उसके चुराए जाने के शीघ्र पश्चात् है, और वह उसके कब्जे का कारण विनिर्दिष्टतः नहीं बता सकता किन्तु अपने कारबार के अनुक्रम में वह रुपए लगातार लगाकर प्राप्त कर रहा है;

दृष्टांत (ख) के बारे में—एक अत्यन्त ऊँच शाल का व्यक्ति, क, किसी मशीनरी को ठीक-ठीक लगाने में किसी उपेक्षापूर्वक कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए विचारित है। वैसा ही अच्छे शील का व्यक्ति, ख, जिसने मशीनरी लगाने के उस काम में भाग लिया था, ब्यौरेवार वर्णन करता है कि क्या-क्या किया गया था, और क की और स्वयं अपनी सामान्य असावधानी स्वीकृत और स्पष्ट करता है;

दृष्टांत (ख) के बारे में—कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अपराधियों में से तीन क, ख और ग घटनास्थल पर पकड़े जाते हैं और एक दूसरे से अलग रखे जाते हैं। अपराध का विवरण उनमें से हर एक ऐसा देता है जो घ को आलिप्त करता है और ये विवरण एक दूसरे को किसी ऐसी रीति में सम्पुष्ट करते हैं जिससे उनमें यह अति अनधिसम्भाव्य हो जाता है कि उन्होंने इसके पूर्व मिलकर कोई योजना बनाई थी;

दृष्टांत (ग) के बारे में—किसी विनिमय-पत्र का लेखीवाल, क व्यापारी था। प्रतिगृहीता ख पूर्णतः क के असर के अधीन एक युवक और नासमझ व्यक्ति था;

दृष्टांत (घ) के बारे में—यह साबित किया गया है कि कोई नदी अमुक मार्ग में पांच वर्ष पूर्व बहती थी किन्तु यह ज्ञात है कि उस समय से ऐसी बाढ़ें आई हैं जो उसके मार्ग को परिवर्तित कर सकती थीं;

दृष्टांत (ङ) के बारे में—कोई न्यायिक कार्य, जिसकी नियमितता प्रश्नगत है, असाधारण परिस्थितियों में किया गया था;

दृष्टांत (च) के बारे में—प्रश्न यह है कि क्या कोई पत्र प्राप्त हुआ था। उसका डाक में डाला जाना दक्षित किया गया है किन्तु डाक के सामान्य अनुक्रम में उपद्रवों के कारण बिग्न पड़ा था;

दृष्टांत (छ) के बारे में—कोई मनुष्य किसी ऐसी दस्तावेज को पेश करने से इन्कार करता है जिसका असर किसी अल्प-महत्व की ऐसी सविदा पर पड़ता है, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध वाद में लाया गया है, किन्तु जो उसके कुटुम्ब की भावनाओं और छत्राति को भी क्षति पहुंचा सकती है;

दृष्टांत (ज) के बारे में—कोई मनुष्य किसी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश नहीं है, किन्तु उसका उत्तर उसे उस विषय से असंसकत विषयों में हानि पहुंचा सकता है, जिसके सम्बन्ध में वह पूछा गया है;

दृष्टांत (झ) के बारे में—कोई बन्धुपत्र बाध्यताधारी के कब्जे में है किन्तु मामले की परिस्थितियां ऐसी हैं कि हो सकता है उसने उसे चुराया हो।

¹[114क. बलात्संग के लिए कुछ अभियोजनों में सम्मति न होने की उपधारणा—भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45 की धारा 376 की उपधारा (2) के खण्ड (क) या खण्ड (ख) या खंड (ग) या खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) या खण्ड (च) के) अधीन बलात्संग के लिए किसी अभियोजन में जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की सम्मति के बिना किया गया है जिससे बलात्संग किया जाना अभिकथित है और वह स्त्री न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी।]

CHAPTER VIII

ESTOPPEL

115. Estoppel—When one person has, by his declaration, act or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed, in any suit or proceeding between himself and such person or his representative, to deny the truth of that thing.

Illustration

A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A, and thereby induces B to buy and pay for it.

The land afterwards becomes the property of A, and A seeks to set aside the sale on the ground that, at the time of the sale, he had no title. He must not be allowed to prove his want of title.

116. Estoppel of tenant; and of licensee of person in possession—No tenant of immovable property or person claiming through such tenant, shall, during the continuance of the tenancy, be permitted to deny that the landlord of such tenant had, at the beginning of the tenancy, a title to such immovable property; and no person who came upon any immovable property by the license of the person in possession thereof, shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given.

117. Estoppel of acceptor of bill of exchange, bailee or licensee—No acceptor of a bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer had authority to draw such bill or to endorse it; nor shall any bailee or licensee be permitted to deny that his bailor or licensor had, at the time when the bailment or licence commenced, authority to make such bailment or grant such licence.

Explanation 1.—The acceptor of a bill of exchange may deny that the bill was really drawn by the person by whom it purports to have been drawn.

Explanation 2.—If a bailee delivers the goods bailed to a person other than the bailor, he may prove that such person had a right to them as against the bailor.

CHAPTER IX

OF WITNESSES

118. Who may testify—All persons shall be competent to testify unless the Court considers that they are prevented from understanding the questions put to them, or from giving rational answers to those questions, by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind.

Explanation—A lunatic is not incompetent to testify, unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them.

119. Dumb witnesses—A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing or by signs; but such writing must be written and the signs made in open Court. Evidence so given shall be deemed to be oral evidence.

120. Parties to civil suit, and their wives or husbands. Husbands or wife of person under criminal trial—In all civil proceedings the parties to the suit, and the husband or wife of any party to the suit, shall be competent witnesses. In criminal proceedings against any person, the husband or wife of such person, respectively, shall be a competent witness.

अध्याय 8

विबंध

115. विबंध—जबकि एक व्यक्ति ने अपनी घोषणा, कार्य या लोप द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास साक्ष्य कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है, तब न तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के, या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी वाद या कार्यवाही में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा ।

दृष्टांत

क साक्ष्य और मिथ्या रूप से ख को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि अमुक भूमि क की है, और तद्द्वारा ख को उसे क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए उत्प्रेरित करता है ।

तत्पश्चात् भूमि क की सम्पत्ति हो जाती है और क इस आधार पर कि विक्रय के समय उसका उसमें हक नहीं था विक्रय अपास्त करने की ईप्सा करता है । उसे अपने हक का अभाव साबित नहीं करने दिया जाएगा ।

116. अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबंध—स्थायर सम्पत्ति के किसी भी अभिधारी को या ऐसे अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को, ऐसी अभिवृत्ति के चालू रहते हुए, इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे अभिधारी के भू-स्वामी का ऐसी स्थावर सम्पत्ति पर, उस अभिवृत्ति के आरम्भ पर हक था तथा किसी भी व्यक्ति को, जो किसी स्थावर सम्पत्ति पर उस पर कब्जाधारी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति द्वारा आया है, इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को उस समय, जब ऐसी अनुज्ञप्ति दी गई थी, ऐसे कब्जे का हक था ।

117. विनिमय-पत्र के प्रतिगृहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबंध—किसी विनिमय-पत्र के प्रतिगृहीत को इसका प्रत्याख्यान करने की अनुज्ञा न दी जाएगी कि लेखीवाल को ऐसा विनिमय-पत्र लिखने या उसे पृष्ठीकृत करन का प्राधिकार था, और न किसी उपनिहिती या अनुज्ञप्तिधारी को इसका प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा कि उपनिधाता या अनुज्ञापक को उस समय, जब ऐसा उपनिधान या अनुज्ञप्ति आरम्भ हुई, ऐसे उपनिधान करने या अनुज्ञप्ति अनुदान करने का प्राधिकार था ।

स्पष्टीकरण 1—किसी विनिमय-पत्र का प्रतिगृहीता इसका प्रत्याख्यान कर सकता है कि विनिमय-पत्र वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके द्वारा लिखा गया वह तात्पर्यित है ।

स्पष्टीकरण 2—यदि कोई उपनिहिती, उपनिहित माल उपनिधाता स अन्य किसी व्यक्ति को परिदत्त करता है, तो वह साबित कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति का उस पर उपनिधाता के विरुद्ध अधिकार था ।

अध्याय 9

साक्षियों के विषय में]

118. कौन साक्ष्य दे सकेगा—सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए समक्ष होंगे, जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अतिवार्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित हैं ।

स्पष्टीकरण—कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है, जब तक कि वह अपन पालशालपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उनके युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो ।

119. सूक साक्षी—वह साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है, अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से, जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता हो, यथा लिखकर या संकेतों द्वारा दे सकेगा, किन्तु ऐसा लख और वे संकेत खुले न्यायालय में ही लिखने होंगे या करने होंगे । इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जाएगा ।

120. सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति । दण्डिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी—सभी सिविल कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे । किसी व्यक्ति के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी ।

121. Judges and Magistrates—No Judge or Magistrate shall, except upon the special order of some Court to which he is subordinate, be compelled to answer any questions as to his own conduct in Court as such Judge or Magistrate, or as to anything which came to his knowledge in Court as such Judge or Magistrate; but he may be examined as to other matters which occurred in his presence whilst he was so acting.

Illustrations }

(a) A, on his trial before the Court of Session, says that a deposition was improperly taken by B, the Magistrate. B cannot be compelled to answer questions as to this, except upon the special order of a superior Court.

(b) A is accused before the Court of Session of having given false evidence before B, a Magistrate. B cannot be asked what A said, except upon the special order of the superior Court.

(c) A is accused before the Court of Session of attempting to murder a police officer whilst on his trial before B, a Session Judge. B may be examined as to what occurred.

122. Communications during marriage—No person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married; nor shall he be permitted to disclose any such communication, unless the person who made it, or his representative in interest, consents, except in suits between married persons, or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other.

123. Evidence as to affairs of State—No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affairs of State, except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit.

124. Official communications—No public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence, when he considers that the public interests would suffer by the disclosure.

125. Information as to commission of offences—No Magistrate or Police-officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence, and no Revenue officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence against the public revenue.

Explanation—“Revenue-officer” in this section means any officer employed in or about the business of any branch of the public revenue.]

126. Professional communications—No barrister, attorney, pleader or vakil shall at any time be permitted, unless with his client's express consent, to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such barrister, pleader, attorney or vakil, by or on behalf of his client, or to state the contents or condition of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment :

Provided that nothing in this section shall protect from disclosure—

(1) Any such communication made in furtherance of any [illegal] purpose.

(2) Any fact observed by any barrister, pleader, attorney or vakil, in the course of his employment as such, showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment.

Subs. by Act 3 of 1887, s. 1, for the original s. 125.

Subs. by Act 8 of 1872, s. 10, for “criminal”.

121. न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट—कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में, या ऐसी किसी बात के बारे में, जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ, किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए एस किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय, जिसके वह अधीनस्थ है, विवश नहीं किया जाएगा किन्तु अन्य बातों के बारे में जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थीं, जब वह ऐसे कार्य कर रहा था उसकी परीक्षा की जा सकती।

वृष्टांत

(क) सेशन न्यायालय के समक्ष अपने विचार में क कहता है कि अभिसाक्ष्य मजिस्ट्रेट ख द्वारा अनुचित रूप से लिया गया था। तद्विषयक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क किसी वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जा सकता।

(ख) मजिस्ट्रेट ख के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का क सेशन न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है। वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश सिवाय ख से यह नहीं पूछा जा सकता कि कने क्या कहा था।

(ग) क सेशन न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सशंस न्यायाधीश ख के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस आफिसर को हत्या करने का प्रयत्न किया। ख की यह परीक्षा की जा सकती कि क्या घटित हुआ था।

122. विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं—कोई भी व्यक्ति, जो विवाहित है या जो विवाहित रह चुका है, किसी संसूचना को, जो किसी व्यक्ति द्वारा, जिससे वह विवाहित है या रह चुका है, विवाहित स्थिति के दौरान में उसे दी गई थी प्रकट करने के लिए विवश न किया जाएगा, और न वह किसी ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा जब तक वह व्यक्ति, जिसने वह संसूचना दी है, या उसका हित-प्रतिनिधि सम्मत न हो, सिवाय उन वादों में, जो विवाहित व्यक्तियों के बीच हों, या उन कार्य बाहियों में, जिनमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए अभियोजित है।

123. राज्य का कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य—कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलापों से सम्बन्धित अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा, सिवाय सम्पूक्त विभाग के प्रमुख आफिसर की अनुज्ञा के जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे विधारित करेगा, जैसा करना वह ठीक समझे।

124. शासकीय संसूचनाएं—कोई भी लोक आफिसर उसे शासकीय विश्वास में दी हुई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब कि वह समझता है कि उस प्रकटन से लोक हित की हानि होगी।

[125. अपराधों के करने के बारे में जानकारी—कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस आफिसर यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कहां से मिली और किसी भी राजस्व आफिसर को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहां से मिली।

स्पष्टीकरण—इस धारा में “राजस्व आफिसर” स लोक राजस्व की किसी शाखा के कारवार में या के बारे में नियोजित आफिसर अभिप्रेत है।]

126. वृत्तिक संसूचनाएं—कोई भी बैरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर या वकील अपने कक्षीकार की अभिव्यक्त सम्मति के सिवाय ऐसी किसी संसूचना को प्रकट करने के लिए, जो उसके ऐसे बैरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर या वकील की हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में, या के प्रयोजनार्थ उसके कक्षीकार द्वारा, या की ओर से उसे दी गई हो अथवा किसी दस्तावेज की, जिससे वह अपने वृत्तिक नियोजन के अनुक्रम में या प्रयोजनार्थ परिचित हो गया है, अन्तर्वस्तु या दशा कथित करने को अथवा किसी सलाह को, जो ऐसे नियोजन के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ उसने अपन कक्षीकार की दी है, प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात निम्नलिखित बात को प्रकटीकरण से संरक्षण न देगी—

- (1) किसी भी [अवैध] प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई भी ऐसी संसूचना;
- (2) एसा कोई भी तथ्य जो किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी या वकील ने अपनी ऐसी हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में संप्रेक्षित किया हो, और जिससे दशित हो कि उसके नियोजन के प्रारम्भ के पश्चात् कोई अपराध या कपट किया गया है।

1. 1887 के अधिनियम सं० 3 की धारा 1 द्वारा मूल धारा 125 के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 10 द्वारा “आपराधिक” के स्थान पर प्रतिस्थापित।

It is material whether the attention of such barrister, [pleader], attorney or vakil was or was not directed to such fact by or on behalf of his client.

Explanation—The obligation stated in this section continues after the employment has ceased

Illustration:

(a) A, a client, says to B, an attorney—"I have committed forgery and I wish you to defend me". As the defence of a man known to be guilty is not a criminal purpose, this communication is protected from disclosure.

(b) A, a client, says to B, an attorney—"I wish to obtain possession of property by the use of forged deed on which I request you to sue".

This communication, being made in furtherance of a criminal purpose, is not protected from disclosure.

(c) A, being charged with embezzlement, retains B, an attorney, to defend him. In the course of the proceedings B observes that an entry has been made in A's account book, charging A with the sum said to have been embezzled, which entry was not in the book at the commencement of his employment.

This being a fact observed by B in the course of his employment, showing that a fraud has been committed since the commencement of the proceedings, it is not protected disclosure.

127. Section 126 to apply to interpreters etc.—The provision of section 126 shall apply to interpreters, and the clerks or servants of barristers, pleaders, attorneys and vakils.

128. Privilege not waived by volunteering evidence—If any party to a suit gives evidence there at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in section 126; and if any party to a suit or proceeding calls any such barrister [pleader], attorney or vakil as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such barrister, attorney or vakil on matters which, but for such question, he would not be at liberty to disclose.

129. Confidential communications with legal advisers—No one shall be compelled to disclose to the Court any confidential communication which has taken place between him and his legal professional adviser, unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communications as may appear to the Court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given, but no others.

130. Production of title-deeds of witness not a party—No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title-deeds to any property, or any document in virtue of which he holds a property as pledgee or mortgaggee or any document the production of which might tend to criminate him, unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims.

131. Production of documents which another person, having possession, could refuse to produce—No one shall be compelled to produce documents in his possession, which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession, unless such last-mentioned person consents to their production.

132. Witness not excused from answering on ground that answer will criminate—A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding, upon the ground that the answer to such question will criminate, or may tend directly or indirectly to criminate, such witness, or that it will expose, or tend directly or indirectly to expose, such witness to a penalty or forfeiture of any kind:

यह तत्वहीन है कि ऐसे बैरिस्टर, ¹[प्लीडर], अटर्नी या वकील का ध्यान ऐसे तथ्य के प्रति उसके कक्षीकार के द्वारा या की ओर आकर्षित किया गया था या नहीं।

स्पष्टीकरण—इस धारा में कथित बाधता नियोजन के अवसित हो जाने के उपरान्त भी बनी रहती है।

दृष्टांत

(क) कक्षीकार क, अटर्नी ख से कहता है, “मैंने कूट रचना की है और मैं चाहता हूँ कि आप मरी प्रतिरक्षा करें”।

यह संसूचना प्रकटन से संरक्षित है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की प्रतिरक्षा अपराधिक प्रयोजन नहीं है, जिसका दोषी होना ज्ञात हो।

(ख) कक्षीकार क, अटर्नी ख से कहता है, “मैं सम्पत्ति पर कब्जा कूटरचित विलेख के उपयोग द्वारा अभिप्राप्त करना चाहता हूँ और इस आधार पर बाद जाने में आप से प्रार्थना करता हूँ”।

यह संसूचना आपराधिक प्रयोजन के अग्रसर करने में की गई होने से प्रकटन से संरक्षित नहीं है।

(ग) क पर गबन का आरोप लगाए जाने पर वह अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए अटर्नी ख को प्रतिधारित करता है। कार्यवाही के अनुक्रम में ख देखता है कि क की लेखाबही में यह प्रविष्टि की गई है कि क द्वारा उतनी रकम देनी है जितनी के बारे में अभिकथित है कि उसका गबन किया गया है, जो प्रविष्टि उसके नियोजन के आरम्भ के समय उस वही में नहीं थी।

यह ख द्वारा अपने नियोजन के अनुक्रम में सम्प्रेक्षित ऐसा तथ्य होने से, जिससे दक्षित होता है कि कपट उस कार्यवाही के प्रारम्भ होने के पश्चात् किया गया है, प्रकटन से संरक्षित नहीं है।

127. धारा 126 दुष्प्रमाणों आदि को लागू होगी—धारा 126 के उपबन्ध दुष्प्रमाणों और बैरिस्टर्स, प्लीडरों, अटर्नियों और वकीलों के लिपिकों या सेवकों को लागू होंगे।

128. साक्ष्य देने के लिए स्वयंसेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभिहित नहीं हो जाता—यदि किसी वाद का कोई पक्षकार स्वप्रेरणा से ही या अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है तो यह न समझा जाएगा कि तद्द्वारा उसने ऐसे प्रकटन के लिए, जैसा धारा 126 में वर्णित है, सम्मति दे दी है, तथा यदि किसी वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसे किसी बैरिस्टर, ¹[प्लीडर], अटर्नी या वकील को साक्षी के रूप में बुलाता है, तो यह कि उसने ऐसे प्रकटन के लिए अपने सम्मति दे दी है केवल तभी समझा जाएगा, जबकि वह ऐसे बैरिस्टर, अटर्नी या वकील से उन बातों के बारे में प्रश्न करे जिनके प्रकटन के लिए वह ऐसे प्रश्नों के अभाव में स्वाधीन न होता।

129. विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं—कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को, जो उसके और उसके विधि वृत्तिक सलाहकार के बीच हुई है, न्यायालय को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपने को साक्षी के तौर पर पेश न कर दे; ऐसे पेश करने की दशा में किन्हीं भी ऐसी संसूचनाओं को, जिन्हें उस किसी साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए जानना, जो उसने दिया है, न्यायालय को आवश्यक प्रतीत हो, प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकेगा किन्तु किन्हीं भी अन्य संसूचनाओं को नहीं।

130. जो साक्षी पक्षकार नहीं है, उसके हक-विलेखों का पेश किया जाना—कोई भी साक्षी, जो वाद का पक्षकार नहीं है, किसी सम्पत्ति सम्बन्धी अपने हक-विलेखों को, या किसी ऐसी दस्तावेज को, जिसके बल पर वह गिरवीदार या बन्धकदार के रूप में कोई सम्पत्ति धारण करता है, या किसी दस्तावेज को, जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसे विलेखों के पेश करने की इप्सा रखने वाले व्यक्ति के साथ, या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिससे व्युत्पन्न अधिकार से वह व्यक्ति दावा करता है, उन्हें पेश करने का लिखित करार न कर लिया हो।

131. उन दस्तावेजों का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इन्कार कर सकता था—कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे में की ऐसी दस्तावेजों को पेश करने के लिए, जिनको पेश करने से कोई अन्य व्यक्ति, यदि वे उसके कब्जे में होती, इन्कार करने का हकदार होता, विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अन्तिम वर्णित व्यक्ति उनके पेशकरण के लिए सम्मति नहीं देता।

132. इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा—कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल या दाण्डिक कार्यवाही में विवाद्यक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसाएगा या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपराध में फंसाने की होगी अथवा वह ऐसे साक्षी को किसी किस्म की शास्ति या समपहरण के लिए उच्छन्न करेगा या इसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उच्छन्न करने की होगी।

1. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 10 द्वारा अन्तःस्थापित।

Proviso—Provided that no such answer, which a witness shall be compelled to give, shall subject him to any arrest or prosecution, or be proved against him in any criminal proceeding, except a prosecution for giving false evidence by such answer.

133. Accomplice—An accomplice shall be a competent witness against an accused person; and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice.

134. Number of witnesses—No particular number of witnesses shall in any case be required for the proof of any fact.

CHAPTER X

OF THE EXAMINATION OF WITNESSES

135. Order of production and examination of witnessing—The order in the which witness are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively, and in the absence of any such law, by the discretion of the Court.

136. Judge to decide as to admissibility of evidence—When either party proposes to give evidence of any fact, the Judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant; and the Judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant, and otherwise.

If the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact, such last-mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first-mentioned, unless the party undertakes to give proof of such fact, and the Court is satisfied with such undertaking.

If the relevancy of one alleged fact depends upon another alleged fact being first proved, the Judge may, in his discretion, either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved, or require evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact.

Illustrations

(a) It is proposed to prove a statement about a relevant fact by person alleged to be dead, which statement is relevant under section 32.

The fact that the person is dead must be proved by the person proposing to prove the statement, before evidence is given of the statement.

(b) It is proposed to prove, by a copy, the contents of a document said to be lost.

The fact that the original is lost must be proved by the person proposing to produce the copy, before the copy is produced.

(c) A is accused of receiving stolen property knowing it to have been stolen.

It is proposed to prove that he denied the possession of the property.

The relevancy of the denial depends on the identity of the property. The Court may, in its discretion, either require the property to be identified before the denial of the possession is proved, or permit the denial of the possession to be proved before the property is identified.

परन्तु—परन्तु ऐसा कोई भी उत्तर, जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अभ्यधीन नहीं करेगा और न ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन में के सिवाय वह उसके विरुद्ध किसी दण्डक कार्यवाही में साबित किया जाएगा।

133. सहअपराधी—सहअपराधी, अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सहअपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।

134. साक्षियों की संख्या—किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या अपेक्षित नहीं होगी।

अध्याय 10

साक्षियों की परीक्षा के विषय में

135. साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम—साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम, क्रमशः सिविल और दण्ड प्रक्रिया से तत्समय संबंधित विधि और पद्धति द्वारा, तथा ऐसी किसी विधि के अभाव में न्यायालय के धिवेक द्वारा, विनियमित होगा।

136. न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा—जबकि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करता है, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार से पूछ सकेगा कि अभिकथित तथ्य, यदि वह साबित हो जाए, किस प्रकार असंगत होगा, और यदि न्यायाधीश यह समझता है कि वह तथ्य यदि साबित हो गया तो सुसंगत होगा, तो वह उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं।

यदि वह तथ्य, जिसका साबित करना प्रस्थापित ऐसा है, जिसका साक्ष्य किसी अन्य तथ्य के साबित होने पर ही ग्राह्य होता है, तो ऐसा अन्तिम वर्णित तथ्य प्रथम वर्णित तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व साबित करना होगा, जब तक कि पक्षकार ऐसा तथ्य को साबित करने का वचन न दे दे और न्यायालय ऐसे वचन से संतुष्ट न हो जाए।

यदि एक अभिकथित तथ्य की सुसंगति अन्य अभिकथित तथ्य के प्रथम साबित होने पर निर्भर हो, तो न्यायाधीश अपना विवेकानुसार या तो दूसरे तथ्य के साबित होने के पूर्व प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिया जाना अनुज्ञात कर सकेगा, या प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व द्वितीय तथ्य का साक्ष्य दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा।

दृष्टान्त

(क) यह प्रस्थापना की गई है कि एक व्यक्ति को, जिसका मृत होना अभिकथित है, सुसंगत तथ्य के बारे में एक कथन को, जो कि धारा 32 के अधीन सुसंगत है, साबित किया जाए।

इससे पूर्व कि उस कथन का साक्ष्य दिया जाए उस कथन को साबित करने की प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को यह तथ्य साबित करना होगा कि वह व्यक्ति मर गया है।

(ख) यह प्रस्थापना की गई है कि एक ऐसे दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को, जिसका खोई हुई होना कथित है, प्रतिलिपि द्वारा साबित किया जाए।

यह तथ्य कि मूल खो गया है प्रतिलिपि पेश करने की प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को वह प्रतिलिपि पेश करने से पूर्व साबित करना होगा।

(ग) क चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है प्राप्त करने का अभियुक्त है।

यह साबित करने की प्रस्थापना की गई है कि उसने उस सम्पत्ति के कब्जे का प्रत्याख्यान किया।

इस प्रत्याख्यान की सुसंगत सम्पत्ति की अनन्यथा पर निर्भर है। न्यायालय अपने विवेकानुसार या तो कब्जे के प्रत्याख्यान के साबित होने से पूर्व सम्पत्ति की पहिचान की जानी अपेक्षित कर सकेगा, या सम्पत्ति की पहिचान की जाने के पूर्व कब्जे का प्रत्याख्यान साबित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(d) It is proposed to prove a fact (A) which is said to have been the cause or effect of a fact in issue. There are several intermediate facts (B, C and D) which must be shown to exist before the fact (A) can be regarded as the cause or effect of the fact in issue. The Court may either permit A to be proved before B, C or D is proved, or may require proof of B, C and D before permitting proof of A.]

137. Examination in chief—The examination of a witness by the party who calls him shall be called his examination-in-chief.

Cross-examination—The examination of a witness by the adverse party shall be called his cross-examination.

Re-examination—The examination of a witness, subsequent to the cross-examination by the party who called him, shall be called his re-examination.

138. Order of examinations—Witnesses shall be first examined-in-chief, then (if the adverse party so desires) cross-examined, then (if the party calling him so desires) re-examined.

The examination and cross-examination must relate to relevant facts but the cross-examination need not be confined to the facts to which the witness testified on his examination-in-chief.

Direction of re-examination—The re-examination shall be directed to the explanation of matters referred to in cross-examination; and, if new matter is, by permission of the Court, introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine upon that matter.

139. Cross-examination of person called to produce a document—A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produces it and cannot be cross-examined unless and until he is called as a witness.

140. Witnesses to character—Witnesses to character may be cross-examined and re-examined

141. Leading questions—Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive is called a leading question.

142. When they must not be asked—Leading questions must not, if objected to by the adverse party be asked in an examination-in-chief, or in a re-examination, except with the permission of the Court.

The Court shall permit leading questions as to matters which are introductory or undisputed, or which have, in its opinion, been already sufficiently proved.

143. When they may be asked—Leading questions may be asked in cross-examination.

144. Evidence as to matters in writing—Any witness may be asked, whilst under examination whether any contract, grant or other disposition of property, as to which he is giving evidence, was not contained in a document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to the contents of any document, which in the opinion of the Court, ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced, or until facts have been proved which entitle the a party who called the witness to give secondary evidence of it.

Explanation—A witness may give oral evidence of statements made by other persons about the contents of documents if such statements are in themselves relevant facts.

(घ) किसी तथ्य (क) के, जिसका किसी विवाद्यक तथ्य का हेतुक या परिणाम होना कथित है, साबित करने की प्रस्थापना की गई है। कई मध्यान्तरिक तथ्य (ख), (ग) और (घ) हैं, जिनका, इसके पूर्व कि तथ्य (क) उस विवाद्यक तथ्य का हेतुक या परिणाम माना जा सके, अस्तित्व में होना दर्शित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय या तो ख, ग या घ के साबित किए जाने के पूर्व क के साबित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा, या क का साबित किया जाना अनुज्ञात करने के पूर्व ख, ग और घ क साबित किया जाना अपेक्षित कर सकेगा।

137. मुख्य परीक्षा—किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, जो उसे बुलाता है, परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा कहलाएगी।

प्रतिपरीक्षा—किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा द्वारा दी गई परीक्षा उसकी प्रति परीक्षा कहलाएगी।

पुनःपरीक्षा—किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसकी उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया था, परीक्षा उसकी पुनःपरीक्षा कहलाएगी।

138. परीक्षाओं का क्रम—साक्षियों से प्रथमतः मुख्य परीक्षा होगी, तत्पश्चात् (यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहे तो) प्रतिपरीक्षा होगी, तत्पश्चात् (यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो) पुनःपरीक्षा होगी।

परीक्षा और प्रतिपरीक्षा को सुसंगत तथ्यों से संबंधित होना होगा, किन्तु प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है, जिनका साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है।

पुनःपरीक्षा को दिशा—पुनः परीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी जो प्रतिपरीक्षा में निदिष्ट हुए हों; तथा यदि पुनः परीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो, तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा।

139. किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समन्वित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा—किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समन्वित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह उसे पेश करता है साक्षी नहीं हो जाता तथा यदि और जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं जाता है उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती।

140. शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी—शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा की जा सकेगी।

141. सूचक प्रश्न—कोई प्रश्न, जो उस उत्तर को सुझाता है, जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या पाने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहा जाता है।

142. उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए—सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनःपरीक्षा में, यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप किया जाता है, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए।

न्यायालय उन बातों के बारे में, जो पुनःस्थापना के रूप में या निर्विवाद है या जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं, सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा।

143. उन्हें कब पूछा जा सकेगा—सूचक प्रश्न प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकेंगे।

144. लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य—किसी साक्षी से, जबकि वह परीक्षाधीन है, यह पूछा जा सकेगा कि क्या कोई संविदा, अनुदान या सम्पत्ति का अन्य व्ययन, जिसके बारे में वह साक्ष्य दे रहा है, किसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट नहीं था, और यदि वह कहता है कि वह था, या यदि वह किसी ऐसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के बारे में कोई कथन करने ही वाला है, जिसे न्यायालय की राय में, पेश किया जाना चाहिए, तो प्रतिपक्षी आक्षेप कर सकेगा कि ऐसा साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाए जब तक ऐसी दस्तावेज पेश नहीं कर दी जाती, या जब तक वे तथ्य साबित नहीं कर दिये जाते, जो उस पक्षकार को, जिसने साक्षी को बुलाया है उसका द्वितीयक साक्ष्य देने का हक देते हैं।

स्पष्टीकरण—कोई साक्षी उन कथनों का, जो दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए थे, मौखिक; साक्ष्य दे सकेगा, यदि ऐसे कथन स्वयंमेव सुसंगत तथ्य हैं।

Illustration

The question is, whether A assaulted B.

C deposes that he heard A say to D—"B wrote a letter accusing me of theft, and I will be revenged on him". This statement is relevant, as showing A's motive for the assault, and evidence may be given of it, though no other evidence is given about the letter.

145. Cross-examination as to previous Statements in writing—A witness may be cross-examined as to previous statements made by him in writing or reduced into writing, and relevant to matters in question, without such writing being shown to him, or being proved; but, if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him.

146. Questions lawful in cross-examination—When a witness is cross-examined, he may, in addition to the questions herein before referred to be asked any questions which tend—

(1) to test his veracity.

(2) to discover who he is and what is his position in life, or

(3) to shake his credit, by injuring his character, although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture.

147. When witness to be compelled to answer—If any such question relates to a matter relevant to the suit or proceeding, the provisions of section 132 shall apply thereto.

148. Court to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer—If an such question relates to a matter not relevant to the suit or proceeding, except in so far as it affect the credit of the Witness by injuring his character, the Court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it, and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer it. In exercising its discretion, the Court shall have regard to the following considerations :—

(1) such questions are proper if they are of such a nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the Courts as to the credibility of the witness on the matter to which testifies;

(2) such questions are improper if the imputation which they convey relates to matters so remote in time, or of such a character, that the truth of the imputation would not affect, or would affect in a slight degree, the opinion of the Court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies;

(3) such questions are improper if there is a great disproportion between the importance of the imputation made against the witness's character and the importance of his evidence;

(4) the court may, if it sees fit, draw, from the witness's refusal to answer, the inference that the answer if given would be unfavourable.

149. Question not to be asked without reasonable grounds—No such question as is referred to in section 148 ought to be asked, unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that the imputation which it conveys is well-founded.

वृद्धांत

प्रश्न यह है कि क्या क ने ख पर हमला किया।

यं अभिसाक्ष्य देता है कि उसने क को घ से यह कहते सुना है कि “ख ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें मुझ पर चोरी का अभियोग लगाया था और मैं उससे बदला लूंगा।” यह कथन हमले के लिए क का आशय दर्शित करने वाला होने के नाते संगत है और उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, चाहे पत्र के बारे में कोई अन्य साक्ष्य न भी दिया गया हो।

145. पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा—किसी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में, जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो लेखबद्ध किये गए हैं और जो प्रश्नगत बातों से सुसंगत हैं, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना, या ऐसे लेख के साबित हुए बिना, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी, किन्तु यदि उस लेख द्वारा उसका खण्डन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खण्डन करने के प्रयोजन से किया जाना है।

146. प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्वक प्रश्न—जबकि किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाती है, तब उससे एतद्विषयपूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे, जिनकी प्रवृत्ति—

- (1) उसकी सत्यवादिता परखने की है;
- (2) यह पता चलाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है, अथवा
- (3) उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को भ्रंजा पहुँचाने की है, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपराध में फँसाने की प्रवृत्ति रखता हो, या उसे किसी शास्ति या समपहरण के लिए उच्छन्न करता हो या प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उच्छन्न करने की प्रवृत्ति रखता हो।

147. साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए—यदि ऐसा कोई प्रश्न उस बाद या कार्यवाही से सुसंगत किसी बात से संबंधित है, तो धारा 132 के अन्वय उसको लागू होंगे।

148. न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा—यदि ऐसा कोई प्रश्न ऐसी बात से संबंधित है, जो उस बात या कार्यवाही से वहाँ तक के सिवाय, जहाँ तक कि वह साक्षी के शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती है, सुसंगत नहीं है, तो न्यायालय विनिश्चित करेगा कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं और यदि वह ठीक समझे, तो साक्षी को सचेत कर सकेगा कि वह उसका उत्तर देने के लिए आनन्द नहीं है। अपने विवेक का प्रयोग करने में न्यायालय निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखेगा :—

- (1) ऐसे प्रश्न उचित हैं, यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनके द्वारा प्रवहण किये गए लांछन की सत्यता उस विषय में, जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर गम्भीर प्रभाव डालेगी;
- (2) ऐसे प्रश्न अनुचित हैं, यदि उनके द्वारा प्रवहण किया गया लांछन ऐसी बातों के संबंध में है जो समय में उतनी अतीत हैं या जो इस प्रकार की हैं कि लांछन की सत्यता उस विषय में, जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर प्रभाव नहीं डालेगी या बहुत थोड़ी मात्रा में प्रभाव डालेगी;
- (3) ऐसे प्रश्न अनुचित हैं, यदि साक्षी के शील के विरुद्ध किये गए लांछन के महत्व और उसके साक्ष्य के महत्व के बीच भारी अनुपात है;
- (4) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, साक्षी के उत्तर देने से इन्कार करने पर यह अनुमान लगा सकेगा कि उत्तर यदि दिया जाता तो, प्रतिकूल होता।

149. युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा—कोई भी ऐसा प्रश्न, जैसा धारा 148 में निर्दिष्ट है, नहीं पूछा जाना चाहिए, जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार न हो कि वह लांछन, जिसका उससे वहण होता है, सुधारित है।

1. पुलिस डायरियों की धारा 145 के लागू होने के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का अधिनियम सं० 5) की धारा 172 देखिए।

Illustrations

(a) A barrister is instructed by an attorney or vakil that an important witness is a dakait. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is a dakait.

(b) A pleader is informed by a person in Court that an important witness is a dakait. The informant on being questioned by the pleader, gives satisfactory reasons for his statement. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is a dakait.

(c) A witness, of whom nothing whatever is known, is asked at random whether he is a dakait. There are here no reasonable grounds for the question.

(d) A witness, of whom nothing whatever is known, being questioned as to his mode of life and means of living, gives unsatisfactory answers. This may be a reasonable ground for asking him if he is a dakait.

150. Procedure of Court in case of question being asked without reasonable grounds—If the Court is of opinion that any such question was asked without reasonable grounds, it may, if it was asked by any barrister, pleader, vakil or attorney, report the circumstances of the case to the High Court or other authority to which such barrister, pleader, vakil or attorney is subject in the exercise of his profession.

151. Indecent and scandalous questions—The Court may forbid any questions or inquiries which it regards as indecent or scandalous, although such questions or inquiries may have some bearing on the questions before the Court, unless they relate to facts in issue, or to matters necessary to be known in order to determine whether or not the facts in issue existed.

152. Questions intended to insult or annoy—The Court shall forbid any question which appears to it to be intended to insult or annoy, or which, though proper in itself, appears to the Court needlessly offensive in form.

153. Exclusion of evidence to contradict answers to questions testing veracity—When a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only in so far as it tends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given to contradict him; but, if he answers falsely, he may afterwards be charged with giving false evidence.

Exception 1—If a witness is asked whether he has been previously convicted of any crime and denies it, evidence may be given of his previous conviction.

Exception 2—If a witness is asked any question tending to impeach his impartiality, and answers it by denying the facts suggested, he may be contradicted.

Illustrations

(a) A claim against an underwriter is resisted on the ground of fraud.

The claimant is asked whether, in a former transaction, he had not made a fraudulent claim. He denies it. Evidence is offered to show that he did make such a claim.

The evidence is inadmissible.

(b) A witness is asked whether he was not dismissed from a situation for dishonesty. He denies it.

Evidence is offered to show that he was dismissed for dishonesty.

The evidence is not admissible.

दृष्टांत

(क) किसी बैरिस्टर को किसी अटर्नी या वकील द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, यह युक्तियुक्त आधार है।

(ख) किसी वकील को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकैत है। जानकारी देने वाला वकील द्वारा प्रश्न किए जाने पर अपने कथन के लिए समाधानप्रद कारण बताता है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकैत है, युक्तियुक्त आधार है।

(ग) किसी साक्षी से, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अटकलपच्चू पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है। यहाँ इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है।

(घ) कोई साक्षी, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अपने जीवन के ढंग और जीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर असमाधान प्रद उत्तर देता है उससे यह पूछने का कि क्या वह डकैत है यह युक्तियुक्त आधार हो जाता है।

150. युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रशिक्षा—यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया था, तो यदि वह किसी बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटर्नी द्वारा पूछा गया था, तो वह मामले की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को, जिसके ऐसा बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटर्नी अपनी वृत्ति के प्रयोग में अधीन है, रिपोर्ट कर सकेगा।

151. अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न—न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछों का, जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हों, निशेध कर सकेगा, जब तक कि वे विवादात्मक तथ्यों के या उन विषयों के संबंध में न हों, जिनका ज्ञात होना यह अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवादात्मक तथ्य विचामन थे या नहीं।

152. अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न—न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा, जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित है, या जो यद्यपि स्वयं में उचित है, तथापि रूप में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक तौर पर संतापकारी है।

153. सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खण्डन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन—जबकि किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया हो, जो जांच से केवल वहीं तक सुसंगत है जहाँ तक कि वह उससे शील को क्षति पहुंचा कर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है, और उसने उसका उत्तर दे दिया हो, तब उसका खण्डन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा; किन्तु यदि वह मिथ्या उत्तर देता है, तो तत्पश्चात् उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा।

अपवाद 1—यदि किसी साक्षी से पूछा जाए कि क्या वह तत्पूर्व किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ था और वह उसका प्रत्याख्यान करे, तो उसकी पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकेगा।

अपवाद 2—यदि किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाए और वह सुझाए हुए तथ्यों के प्रत्याख्यान द्वारा उसका उत्तर देता है, तो उसका खण्डन किया जा सकेगा।

दृष्टांत

(क) किसी निम्नांकक के विरुद्ध एक दावे का प्रतिरोध कपट के आधार पर किया जाता है।

दावेदार से पूछा जाता है कि क्या उसने एक पिछले संव्यवहार में कपटपूर्ण दावा नहीं किया था। वह इसका प्रत्याख्यान करता है।

यह दक्षित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि उसने ऐसा दावा सचमुच किया था।

यह साक्ष्य अग्राह्य है।

(ख) किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी ओहदे से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था। वह इसका प्रत्याख्यान करता है।

यह दक्षित करने के लिए कि वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है।

यह साक्ष्य अग्राह्य नहीं है।

(c) A affirms that on a certain day he saw B at Lahore.

A is asked whether he himself was not on that day at Calcutta. He denies it.

Evidence is offered to show that A was on that day at Calcutta.

The evidence is admissible, not as contradicting A on a fact which affects his credit, but as contradicting the alleged fact that B was seen on the day in question in Lahore.

In each of these cases the witness might, if his denial was false, be charged with giving false evidence.

(d) A is asked whether his family has not had a blood feud with the family of B against whom he gives evidence.

He denies it. He may be contradicted on the ground that the question tends to impeach his impartiality.

154. Question by party to his own witness—The Court may, in its discretion, permit the person who calls a witness to put any questions to him which might be put in cross-examination by the adverse party.

155. Impeaching credit of witness—The credit of a witness may be impeached in the following ways by the adverse party, or with the consent of the Court, by the party who calls him:—

(1) by the evidence of persons who testify that they, from their knowledge of the witness believe him to be unworthy of credit;

(2) by proof that the witness has been bribed, or has ¹[accepted] the offer of a bribe, or has received any other corrupt inducement to give his evidence;

(3) by proof of former statements inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted;

(4) when a man is prosecuted for rape or an attempt to ravish, it may be shown that the prosecutrix was of generally immoral character.

*Explanation—*A witness declaring another witness to be unworthy of credit may not, upon his examination-in-chief, give reasons for his belief, but he may be asked his reasons in cross-examination, and the answers which he gives cannot be contradicted, though if they are false, he may afterwards be charged with giving false evidence.

Illustrations

(a) A sues B for the price of goods sold and delivered to B. C says that he delivered the goods to B.

Evidence is offered to show that, on a previous occasion, he said that he had not delivered goods to B.

The evidence is admissible.

(b) A is indicted for the murder of B.

C says that B, when dying, declared that A had given B the wound of which he died.

Evidence is offered to show that, on a previous occasion, C said that the wound was not given by A or in his presence.

The evidence is admissible.

1. Subs. by Act 18 of 1872, s. 11, for "had".

(ग) क प्रतिज्ञात करता है कि उसके अमूल्य दिन ख को जाहीर में देखा।

क से पूछा जाता है कि क्या वह स्वयं उस दिन कलकत्ते में नहीं था। वह इसका प्रत्याख्यान करता है।

यह दशित करने के लिए कि क उस दिन कलकत्ते में था साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है।

यह साक्ष्य ग्राह्य है, इस नाते नहीं कि वह क का एक तथ्य के बारे में खण्डन करता है तो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है, वरन् इस नाते कि वह इस अभिकथित तथ्य का खण्डन करता कि ख प्रश्नगत दिन लाहौर में देखा गया था।

इनमें से हर एक मामले में साक्षी पर, यदि उसका प्रत्याख्यान मिथ्या था, मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप ल गाया जा सकेगा।

(घ) क से पूछा जाता है कि क्या उसके कुटुम्ब और ख क, जिसके बिरुद्ध वह साक्ष्य देता है, कुटुम्ब में कुल बँर नहीं रहा था।

वह इसका प्रत्याख्यान करता है। उसका खण्डन इस आधार पर किया जा सकेगा कि यह प्रश्न उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षप करन की प्रवृत्ति रखता है।

154. पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न—न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं।

155. साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप—किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा, या न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया है, निम्नलिखित प्रकारों से अधिक्षेप किया जा सकेगा:—

(1) उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा, जो यह परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के वार में अपने ज्ञान के आधार पर, वे उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं;

(2) यह साबित किए जाने द्वारा कि साक्षी को रिश्तत दी गई है या उसने रिश्तत की प्रस्थापना [प्रबिगृहीत] कर ली है या उसे अपना साक्ष्य देने के लिए कोई अन्य अष्ट उत्प्रेरणा मिली है;

(3) उसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से, जिसका खण्डन किया जा सकता है, असंगत पिछले कथनों को साबित करने द्वारा;

(4) जबकि कोई मनुष्य बलात्संग या बलात्संग के प्रयत्न के लिए अभियोजित है, तब वह दशित किया जा सकता है कि अभियोजित साधारणतः व्यभिचारिणी है।

स्पष्टीकरण—कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिए अपात्र घोषित करता है, अपने से की गई मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारणों को चाहे न बताए, किन्तु प्रतिपरीक्षा में उससे उनके कारणों को पूछा जा सकेगा, और उन उत्तरों का, जिन्हें वह देता है, खण्डन नहीं किया जा सकता, तथापि यदि वे मिथ्या हों, तो तत्पश्चात् उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा।

दृष्टांत

(क) ख को बेचे गए और परिदान किए गए माल के मूल्य के लिए ख पर क बाव लाता है। ग कहता है कि उसने ख को माल का परिदान किया।

यह दशित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर उसने कहा था कि उसने उस माल का परिदान ख को नहीं किया था।

यह साक्ष्य ग्राह्य है।

(ख) ख की हत्या के लिए क पर अभ्यारोप लगाया गया है।

ग कहता है कि ख ने मरते समय घोषित किया था कि क ने ख को यह बाव किया था; जिसे वह मर गया।

यह दशित करन के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर ग ने कहा था कि बाव क द्वारा या उसकी उपस्थिति में नहीं किया गया था।

यह साक्ष्य ग्राह्य है।

156. Question tending to corroborate evidence of relevant fact, admissible—When a witness whom it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact, he may be questioned as to any other circumstances which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred, if the Court is of opinion that such circumstances, if proved, would corroborate testimony of the witness as to the relevant fact which he testifies.

Illustration

A, an accomplice, gives an account of a robbery in which he took part. He describes various incidents unconnected with the robbery which occurred on his way to and from the place where it was committed.

Independent evidence of these facts may be given in order to corroborate his evidence as to the robbery itself.

157. Former statements of witness may be proved to corroborate later testimony as to same act—In order to corroborate the testimony of a witness, any former statement made by such witness relating to the same fact at or about the time when the fact took place, or before any authority legally competent to investigate the fact, may be proved.

158. What matters may be proved in connection with proved statement relevant under section 32 or 33—Whenever any statement, relevant under section 32 or 33, is proved, all matters may be proved either in order to contradict or to corroborate it, or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross-examination the of truth the matter suggested.

159. Refreshing memory—A witness may, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction concerning which he is questioned, or so soon afterwards that the Court considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory.

The witness may also refer to any such writing made by any other person, and read by the witness within the time aforesaid, if when he read it he knew it to be correct.

When witness may use copy of document to refresh memory—Whenever a witness may refresh his memory by reference to any document, he may, with the permission of the Court, refer to a copy of such document:

Provided the Court be satisfied that there is sufficient reason for the non-production of the original.

An expert may refresh his memory by reference to professional treatises.

160. Testimony to facts stated in document mentioned in section 159—A witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in section 159, although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the document.

Illustration

A book-keeper may testify to facts recorded by him in books regularly kept in the course of business, if he knows that the books were correctly kept, although he has forgotten the particular transactions entered.

161. Right of adverse party as to writing used to refresh memory—Any writing referred to under the provisions of the two last preceding sections must be produced and shown to the adverse party if he requires it; such party may, if he pleases, cross-examine the witness thereupon.

1. As to the application of s. 161 to Police-Diaries, see the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. 5 of 1898) s. 172.

156. सुसंगत तथ्य के साक्ष्य को संपुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे—जबकि कोई साक्षी, जिसकी सम्पुष्टि करना आज्ञावित हो, किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देता है, तब उसमें ऐसी अन्य किन्हीं भी परिस्थितियों के बारे में प्रश्न किया जा सकता, जिन्हें उसने उस समय या स्थान पर, या के निकट सम्प्रेक्षित किया, जिस पर ऐसा सुसंगत तथ्य घटित हुआ, यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियाँ, यदि वे साबित हो जाएँ साक्षी के सुसंगत तथ्य के बारे में, जिसका वह साक्ष्य देता है, परिसाक्ष्य को सम्पुष्टि करेगी।

दृष्टांत

क एक सह अपराधी किसी लूट का, जिसमें उसने भाग लिया था, वृत्तान्त देता है, वह लूट से असंस्कृत विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता है जो उस स्थान को और जहाँ कि वह लूट की गई थी, जाते हुए और वहाँ से आते हुए मार्ग में घटित हुई थी।

उन तथ्यों का स्वतंत्र साक्ष्य स्वयं उम लूट के बारे में उसके साक्ष्य को सम्पुष्टि करने के लिए दिया जा सकेगा।

157. उसी तथ्य के बारे में पश्चात्पूर्वी अभिसाक्ष्य को सम्पुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे—किसी साक्षी के परिसाक्ष्य को सम्पुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित, उस समय पर या के लगभग जब वह तथ्य घटित हुआ था, किया हुआ, या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा।

158. साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी—जब कभी कोई कथन, जो धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत है, साबित कर दिया जाए, तब चाहे उसके खंडन के लिए या संपुष्टि के लिए या जिसके द्वारा वह किया गया था उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को अधिक्षिप्त या पुष्ट करने के लिए वे सभी बातें साबित की जा सकेंगी, जो यदि वह व्यक्ति साक्षी के रूप में बुलाया गया हो और उसने प्रतिपरीक्षा में सुनाई हुई बात की सत्यता का प्रत्याख्यान किया होता, तो साबित की जा सकती।

159. स्मृति ताजी करना—कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है, किसी ऐसे लेख को देख करके, जो कि स्वयं उसने उस संब्यवहार के समय जिसके संबंध में उससे प्रश्न किया जा रहा है, या इतन शीघ्र पश्चात् बनाया हो कि न्यायालय इसे संभाव्य समझता हो कि वह संब्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताजा था, अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा।

साक्षी उपर्युक्त प्रकार के किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो और उस साक्षी द्वारा उपर्युक्त समय के भीतर पढ़ा गया हो, यदि वह उस लेख का, उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था, सही होना जानता था।

साक्षी स्मृति ताजी करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि का उपयोग कर सकेगा—जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने से ताजी कर सकता है, तब वह न्यायालय की अनुज्ञा से, ऐसी दस्तावेज की प्रतिलिपि को देख सकेगा परन्तु यह तब जबकि न्यायालय का समाधान हो गया हो कि मूल को पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण हैं।

विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देख कर ताजी कर सकेगा।

160. धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य—कोई साक्षी किसी ऐसी दस्तावेज में, जैसी धारा 159 में वर्णित है, वर्णित तथ्यों का भी, चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण नहीं हो, परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि उसे यकीन है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक-ठीक अभिलिखित थे।

दृष्टांत

कोई लेखाकार कारखाने के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली बहियों में उसके द्वारा अभिलिखित तथ्यों का परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि वह जानता हो कि बहियाँ ठीक-ठीक रखी गई थीं, यद्यपि वह प्रविष्ट किए गए विशिष्ट संब्यवहारी को मूल गया हो।

161. स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार—पूर्ववर्ती अन्तिम दो धाराओं के उपबन्धों के अधीन देखा गया कोई लेख करना और प्रतिपक्षी को दिखाना होगा, यदि वह उसकी अपेक्षा करे। ऐसा पक्षकार, यदि वह चाहे, उस साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा।

1. पुलिस हायरियों की धारा 161 के लागू होने के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का अधिनियम सं० 5) की धारा 172 देखिए।

162. Production of documents—A witness summoned to produce a document shall, if it is in his possession or power, bring it to Court, notwithstanding any objection which there may be to its production or to its admissibility. The validity of any such objection shall be decided on by the Court.

The Court, if it sees fit, may inspect the document, unless it refers to matters of state, or take other evidence to enable it to determine on its admissibility.

Translation of documents—If for such a purpose it is necessary to cause any document to be translated, the Court may, if it thinks fit, direct the translator to keep the contents secret, unless the document is to be given in evidence: and, if the interpreter disobeys such direction, he shall be held to have committed an offence under section 166 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

163. Giving, as evidence, of document called for and produced on notice—When a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, and such document is produced and inspected by the party calling for its production, he is bound to give it as evidence if the party producing it requires him to do so.

164. Using, as evidence, of document production of which was refused on notice—When a party refuses to produce a document which he has had notice to produce, he cannot afterwards use the document as evidence without the consent of the other party or the order of the Court.

Illustration

A sues B on an agreement and gives B notice to produce it. At the trial A calls for the document and B refuses to produce it. A gives secondary evidence of its contents. B seeks to produce the document itself to contradict the secondary evidence given by A, or in order to show that the agreement is not stamped. He cannot do so.

165. Judge's power to put questions or order production—The Judge may, in order to discover or to obtain proper proof of relevant facts, ask any question he pleases, in any form, at any time, of any witness, or of the parties about any fact relevant or irrelevant; and may order the production of any document or thing; and neither the parties nor their agents shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor, without the leave of the Court, to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question :

Provided that the judgment must be based upon facts declared by this Act to be relevant, and duly proved :

Provided also that this section shall not authorize any Judge to compel any witness to answer any question or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under sections 121 to 131, both inclusive, if the question were asked or the document were called for by the adverse party; nor shall the Judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under section 148 or 149; nor shall he dispense with primary evidence of any document, except in the cases hereinbefore excepted.

166. Power of jury or assessors to put questions—In cases tried by jury or with assessors, the jury or assessors may put any questions to the witnesses, through or by leave of the judge, which the Judge himself might put and which he considers proper.

162. दस्तावेजों का पेश किया जाना—किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित साक्षी, यदि वह उसके कब्जे में और शक्यधीन हो, ऐसे किसी आक्षेप के होने पर भी, जो उसे पेश करने या उसकी ग्राह्यता के बारे में हो, उसे न्यायालय में लाएगा। ऐसे किसी आक्षेप की विधिमान्यता न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, उस दस्तावेज का, यदि वह राज्य की बातों से संबंधित न हो, निरीक्षण कर सकेगा, या अपने को उसकी ग्राह्यता अवधारित करने के योग्य बनाने के लिए अन्य साक्ष्य ले सकेगा।

दस्तावेजों का अनुवाद—यदि ऐसे प्रयोजन के लिए किसी दस्तावेज का अनुवाद कराना आवश्यक हो तो न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, अनुवादक को निदेश दे सकेगा कि वह उसकी अन्तर्वस्तु को गुप्त रखे, सिवाय जबकि दस्तावेज को साक्ष्य में दिया जाना हो; तथा यदि अनुवादक ऐसे निदेश की अवज्ञा करे, तो यह धारित किया जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 166 के अधीन अपराध किया है।

163. मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना—जबकि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज को, जिसे पेश करने की उसने दूसरे पक्षकार को सूचना दी है, मंगाता है और ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है और उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसके पेश करने की मांग की थी, निरीक्षित हो जाती है, तब यदि उसे पेश करने वाला पक्षकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करता है, तो वह उसे साक्ष्य के रूप में देने के लिए आबद्ध होगा।

164. सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इन्कार कर दिया गया है उसकी साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना—जबकि कोई पक्षकार ऐसी किसी दस्तावेज को पेश करने से इन्कार कर देता है, जिसे पेश करने की उसे सूचना मिल चुकी है, तब वह तत्पश्चात्, उस दस्तावेज को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा।

वृष्ठांत

ख पर किसी करार के आधार पर क बाद लाता है और वह ख को उसे पेश करने की सूचना देता है। विचारण में क उस दस्तावेज की मांग करता है और ख उसे पेश करने से इन्कार करता है। क उसकी अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देता है। क द्वारा दिए हुए द्वितीयक साक्ष्य का खण्डन करने के लिए या यह दर्शित करने के लिए कि वह करार सदास्पित नहीं है, ख दस्तावेज को ही पेश करना चाहता है। वह ऐसा नहीं कर सकता।

165. प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति—न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए, किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकारों से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे, पूछ सकेगा, तथा किसी भी दस्तावेज या चीज को पेश करने का आदेश दे सकेगा, और न तो पक्षकार और न उनके अभिकर्ता हकदार होंगे कि वे किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करे, न ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की इजाजत के बिना प्रति-परीक्षा करने के हकदार होंगे:

परन्तु निर्णय को उन तथ्यों पर, जो इस अधिविषय द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक् रूप से साबित किए गए हों, आधारित होना होगा।

परन्तु यह भी कि न तो यह धारा न्यायाधीश को किसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या किसी ऐसी दस्तावेज को पेश करने को विवश करने के लिए प्राधिकृत करेगी, जिसका उत्तर देने से या जिसे पेश करने से, यदि प्रतिपक्षी द्वारा वह प्रश्न पूछा गया होता या वह दस्तावेज मंगाई गई होती, तो ऐसा साक्षी दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए धारा 121 से धारा 131 पर्यन्त धाराओं के अधीन इन्कार करने का हकदार होता; और न न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका पूछना किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 148 या धारा 149 के अधीन अनर्था होता; और न वह एतस्मिन्पूर्व अपवादित दशाओं के सिवाय कभी भी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य का दिया जाना अभिमुक्त करेगा।

166. जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति—जूरी द्वारा या असेसरों की सहायता से विचारित मामलों में जूरी या असेसर साक्षियों से कोई भी ऐसे प्रश्न न्यायाधीश के माध्यम से या इजाजत से कर सकेंगे, जिन्हें न्यायाधीश स्वयं कर सकता हो और जिन्हें वह उचित समझे।

CHAPTER XI

OF IMPROPER ADMISSION AND REJECTION OF EVIDENCE

167. No new trial for improper admission or rejection of evidence—The improper admission or rejection of evidence shall not be ground of itself for a new trial or reversal of any decision in any case, if it shall appear to the Court before which such objection is raised that, independently of the evidence objected to and admitted, there was sufficient evidence to justify the decision, or that, if the rejected evidence had been received, it ought not to have varied the decision.

THE SCHEDULE—[Enactments repealed.] Rep. by the Repealing Act, 1938 (1 of 1938), s. 2 and Sch.

अध्याय 11

साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में

167. साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा—साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अग्रहण स्वयं सेव किसी भी मामले में नवीन विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उलटे जाने के लिए आधार नहीं होगा, यदि उस न्यायालय को जिसके समक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है, यह प्रतीत हो कि आक्षिप्त और गृहीत उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय के न्यायोचित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य था अथवा यह कि यदि अग्रहीत साक्ष्य लिया भी गया होता, तो उससे विनिश्चय में फेरफार न होना चाहिए था ।

अनुसूची—[अधिनियमितियां निरसित ।] निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

विश्लेषण—(1) प्रकाशन और विक्रय प्रबन्धक, विधि साहित्य प्रकाशन, भारत सरकार,
भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110 001.

(2) प्रकाशन नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाईन्स, दिल्ली-110 054.


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 4] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 1, 2003 / पौष 11, 1924

No. 4] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 1, 2003 / PAUSA 11, 1924

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 1st January, 2003/Pausa 11, 1924 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 31st December, 2002 and is hereby published for general information:—

THE INDIAN EVIDENCE (AMENDMENT) ACT, 2002

No. 4 of 2003

[31st December, 2002.]

An Act further to amend the Indian Evidence Act, 1872.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Indian Evidence (Amendment) Act, 2002.

Short title.

2. In section 146 of the Indian Evidence Act, 1872 (hereinafter referred to as the principal Act), after clause (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

Amendment of section 146.

“Provided that in a prosecution for rape or attempt to commit rape, it shall not be permissible to put questions in the cross-examination of the prosecutrix as to her general immoral character.”

3. In section 155 of the principal Act, clause (4) shall be omitted.

Amendment of section 155.

SUBHASH C. JAIN,
Secy. to the Govt. of India.

17
18
19
20

C E 6

Kerala Gazette No. 44 dated 5th November 2013.

PART I

Section i



GOVERNMENT OF KERALA

Law (Leg-Publication) Department

NOTIFICATION

No: 18568/Leg.Pbn.2/2013/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 12th September 2013.

The following Act of Parliament published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section I dated 2nd day of April, 2013 is hereby republished for general information. The Bill as passed by the Houses of Parliament received the assent of the President on 2nd April, 2013.

By order of the Governor,

C. P. RAMARAJA PREMA PRASAD,
Law Secretary.

THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) ACT, 2013

(ACT No. 13 OF 2013)

AN

ACT

further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973, the Indian Evidence Act, 1872 and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. *Short title and commencement.*—(1) This Act may be called the Criminal Law (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 3rd day of February, 2013.

CHAPTER II

AMENDMENTS TO THE INDIAN PENAL CODE

2. *Amendment of section 100.*—In the Indian Penal Code (hereafter in this Chapter referred to as the Penal Code) (45 of 1860), in section 100, after clause *Sixthly*, the following clause shall be inserted, namely:—

“*Seventhly.*—An act of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act.”.

3. *Insertion of new sections 166A and 166B.*—After section 166 of the Penal Code, the following sections shall be inserted, namely:—

“166A. *Public servant disobeying direction under law.*—
Whoever, being a public servant,—

(a) knowingly disobeys any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offence or any other matter, or

(b) knowingly disobeys, to the prejudice of any person, any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation, or

(c) fails to record any information given to him under sub-section (1) of section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), in relation to cognizable offence punishable under section 326A, section 326B, section 354, section 354B, section 370, section 370A, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E or section 509,

shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years; and shall also be liable to fine:

166B. *Punishment for non-treatment of victim.*—Whoever, being in charge of a hospital, public or private, whether run by the Central Government, the State Government, local bodies or any other person, contravenes the provisions of section 357C of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.”

4. *Amendment of section 228A.*—In section 228A of the Penal Code, in sub-section (1), for the words, figures and letters “offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C or section 376D”, the words, figures and letters “offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D or section 376E” shall be substituted.

5. *Insertion of new sections 326A and 326B.*—After section 326 of the Penal Code, the following sections shall be inserted, namely:—

326A. *Voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc.*—Whoever causes permanent or partial damage or deformity to, or burns or maims or disfigures or disables, any part or parts of the body of a person or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person, or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and with fine:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

326B. *Voluntarily throwing or attempting to throw acid.*—Whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person, or attempts to use any other means, with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Explanation 1.—For the purposes of section 326A and this section, “acid” includes any substance which has acidic or corrosive character or burning nature, that is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability.

Explanation 2.—For the purposes of section 326A and this section, permanent or partial damage or deformity shall not be required to be irreversible.

6. *Amendment of section 354.*—In section 354 of the Penal Code, for the words “shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both”, the words “shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to five years, and shall also be liable to fine” shall be substituted.

7. *Insertion of new sections 354A, 354B, 354C and 354D.*—After section 354 of the Penal Code, the following sections shall be inserted, namely:—

‘354A. *Sexual harassment and punishment for sexual harassment.*—

(1) A man committing any of the following acts—

(i) physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures; or

(ii) a demand or request for sexual favours; or

(iii) showing pornography against the will of a woman; or

(iv) making sexually coloured remarks,

shall be guilty of the offence of sexual harassment.

(2) Any man who commits the offence specified in clause (i) or clause (ii) or clause (iii) of sub-section (1) shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

(3) Any man who commits the offence specified in clause (iv) of sub-section (1) shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

354B. *Assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe.*—Any man who assaults or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

354C. *Voyeurism.*—Any man who watches, or captures the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed, either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator or disseminates such image shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year, but which may extend to three years, and shall also be liable to fine, and be punished on a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years, but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Explanation 1.—For the purpose of this section, “private act” includes an act of watching carried out in a place which, in the circumstances, would reasonably be expected to provide privacy and where the victim’s genitals, posterior or breasts are exposed or covered only in underwear; or the victim is using a lavatory; or the victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinarily done in public.

Explanation 2.—Where the victim consents to the capture of the images or any act, but not to their dissemination to third persons and where such image or act is disseminated, such dissemination shall be considered an offence under this section.

354D. *Stalking.*—(1) Any man who—

(i) follows a woman and contacts, or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman; or

(ii) monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication,
 commits the offence of stalking:

Provided that such conduct shall not amount to stalking if the man who pursued it proves that—

(i) it was pursued for the purpose of preventing or detecting crime and the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the State; or

(ii) it was pursued under any law or to comply with any condition or requirement imposed by any person under any law; or

(iii) in the particular circumstances such conduct was reasonable and justified:

(2) Whoever commits the offence of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine; and be punished on a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine.

8. *Substitution of new sections 370 and 370A for section 370.*—For section 370 of the Penal Code, the following sections shall be substituted, namely:—

'370. *Trafficking of person.*—(1) Whoever, for the purpose of exploitation, (a) recruits, (b) transports, (c) harbours, (d) transfers, or (e) receives, a person or persons, by—

First.—using threats, or

Secondly.—using force, or any other form of coercion, or

Thirdly.—by abduction, or

Fourthly.—by practising fraud, or deception, or

Fifthly.—by abuse of power, or

Sixthly.—by inducement, including the giving or receiving of payments or benefits, in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, harboured, transferred or received,

commits the offence of trafficking.

Explanation 1.—The expression “exploitation” shall include any act of physical exploitation or any form of sexual exploitation, slavery or practices similar to slavery, servitude, or the forced removal of organs.

Explanation 2.—The consent of the victim is immaterial in determination of the offence of trafficking.

(2) Whoever commits the offence of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

(3) Where the offence involves the trafficking of more than one person, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(4) Where the offence involves the trafficking of a minor, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(5) Where the offence involves the trafficking of more than one minor, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than fourteen years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(6) If a person is convicted of the offence of trafficking of minor on more than one occasion, then such person shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine.

(7) When a public servant or a police officer is involved in the trafficking of any person then, such public servant or police officer shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine.

370A. *Exploitation of a trafficked person.*—(1) Whoever, knowingly or having reason to believe that a minor has been trafficked, engages such minor for sexual exploitation in any manner, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than five years, but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

(2) Whoever, knowingly by or having reason to believe that a person has been trafficked, engages such person for sexual exploitation in any manner, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years, but which may extend to five years, and shall also be liable to fine.

9. *Substitution of new sections for sections 375, 376, 376A, 376B, 376C and 376D.*—For sections 375, 376, 376A, 376B, 376C and 376D of the Penal Code, the following sections shall be substituted, namely:—

'375. *Rape.*—A man is said to commit "rape" if he—

(a) penetrates his penis, to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person; or

(b) inserts, to any extent, any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person; or

(c) manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of such woman or makes her to do so with him or any other person; or

(d) applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person,

under the circumstances falling under any of the following seven descriptions:—

First.—Against her will.

Secondly.—Without her consent.

Thirdly.—With her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested, in fear of death or of hurt.

Fourthly.—With her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married.

Fifthly.—With her consent when, at the time of giving such consent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent.

Sixthly.—With or without her consent, when she is under eighteen years of age.

Seventhly.—When she is unable to communicate consent.

Explanation 1.—For the purposes of this section, “vagina” shall also include *labia majora*.

Explanation 2.—Consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gestures or any form of verbal or non-verbal communication, communicates willingness to participate in the specific sexual act :

Provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by the reason only of that fact, be regarded as consenting to the sexual activity.

Exception 1.—A medical procedure or intervention shall not constitute rape.

Exception 2.—Sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under fifteen years of age, is not rape.

376. *Punishment for rape.*—(1) Whoever, except in the cases provided for in sub-section (2), commits rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than seven years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(2) Whoever,—

(a) being a police officer, commits rape—

(i) within the limits of the police station to which such police officer is appointed ; or

(ii) in the premises of any station house ; or

(iii) on a woman in such police officer’s custody or in the custody of a police officer subordinate to such police officer ; or

(b) being a public servant, commits rape on a woman in such public servant's custody or in the custody of a public servant subordinate to such public servant ; or

(c) being a member of the armed forces deployed in an area by the Central or a State Government commits rape in such area ; or

(d) being on the management or on the staff of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force or of a women's or children's institution, commits rape on any inmate of such jail, remand home, place or institution ; or

(e) being on the management or on the staff of a hospital, commits rape on a woman in that hospital ; or

(f) being a relative, guardian or teacher of, or a person in a position of trust or authority towards the woman, commits rape on such woman ; or

(g) commits rape during communal or sectarian violence ; or

(h) commits rape on a woman knowing her to be pregnant ; or

(i) commits rape on a woman when she is under sixteen years of age ; or

(j) commits rape, on a woman incapable of giving consent ; or

(k) being in a position of control or dominance over a woman, commits rape on such woman ; or

(l) commits rape on a woman suffering from mental or physical disability ; or

(m) while committing rape causes grievous bodily harm or maims or disfigures or endangers the life of a woman ; or

(n) commits rape repeatedly on the same woman,

shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine.

Explanation.—For the purposes of this sub-section,—

(a) "armed forces" means the naval, military and air forces and includes any member of the Armed Forces constituted under any law for the time being in force, including the paramilitary forces and any auxiliary forces that are under the control of the Central Government or the State Government ;

(b) "hospital" means the precincts of the hospital and includes the precincts of any institution for the reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring medical attention or rehabilitation ;

(c) "police officer" shall have the same meaning as assigned to the expression "police" under the Police Act, 1861 (5 of 1861);

(d) "women's or children's institution" means an institution, whether called an orphanage or a home for neglected women or children or a widow's home or an institution called by any other name, which is established and maintained for the reception and care of women or children.

376A. *Punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim.*—Whoever, commits an offence punishable under sub-section (1) or sub-section (2) section 376 and in the course of such commission inflicts an injury which causes the death of the woman or causes the woman to be in a persistent vegetative state, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, or with death.

376B. *Sexual intercourse by husband upon his wife during separation.*—Whoever has sexual intercourse with his own wife, who is living separately, whether under a decree of separation or otherwise, without her consent, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Explanation.—In this section, "sexual intercourse" shall mean any of the acts mentioned in clauses (a) to (d) of section 375.

376C. *Sexual intercourse by a person in authority.*—Whoever, being—

- (a) in a position of authority or in a fiduciary relationship; or
 (b) a public servant; or

(c) superintendent or manager of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force, or a women's or children's institution; or

(d) on the management of a hospital or being on the staff of a hospital,

abuses such position or fiduciary relationship to induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation 1.—In this section, “sexual intercourse” shall mean any of the acts mentioned in clauses (a) to (d) of section 375.

Explanation 2.—For the purposes of this section, *Explanation 1* to section 375 shall also be applicable.

Explanation 3.—“Superintendent”, in relation to a jail, remand home or other place of custody or a women's or children's institution, includes a person holding any other office in such jail, remand home, place or institution by virtue of which such person can exercise any authority or control over its inmates.

Explanation 4.—The expressions “hospital” and “women's or children's institution” shall respectively have the same meaning as in *Explanation* to sub-section (2) of section 376.

376D. *Gang rape.*—Where a woman is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

376E. *Punishment for repeat offenders.*—Whoever has been previously convicted of an offence punishable under section 376 or section 376A or section 376D and is subsequently convicted of an offence punishable under any of the said sections shall be punished with imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, or with death.

10. *Amendment of section 509.*—In section 509 of the Penal Code, for the words “shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both”, the words “shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three years, and also with fine” shall be substituted.

CHAPTER III

AMENDMENTS TO THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

11. *Amendment of section 26.*—In the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) (hereafter in this Chapter referred to as the Code of Criminal Procedure), in section 26, in the proviso to clause (a), for the words, figures and letters “offence under section 376 and sections 376A to 376D of the Indian Penal Code” (45 of 1860), the words, figures and letters “offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D or section 376E of the Indian Penal Code” shall be substituted.

12. *Amendment of section 54A.*—In section 54A of the Code of Criminal Procedure, the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that, if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a Judicial Magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with:

Provided further that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, the identification process shall be videographed.”

13. *Amendment of section 154.*—In section 154 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (1), the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that if the information is given by the woman against whom an offence under section 326A, section 326B, section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded, by a woman police officer or any woman officer:

Provided further that—

(a) in the event that the person against whom an offence under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer, at the residence of the person seeking to report such offence or at a convenient place of such person's choice, in the presence of an interpreter or a special educator, as the case may be;

(b) the recording of such information shall be videographed;

(c) the police officer shall get the statement of the person recorded by a Judicial Magistrate under clause (a) of sub-section (5A) of section 164 as soon as possible.”

14. *Amendment of section 160.*—In section 160 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (1), in the proviso, for the words “under the age of fifteen years or woman”, the words “under the age of fifteen years or above the age of sixty-five years or a woman or a mentally or physically disabled person” shall be substituted.

15. *Amendment of section 161.*—In section 161 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (3), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the statement of a woman against whom an offence under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376B section 376C, section 376D, section 376E or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is alleged to have been committed or attempted shall be recorded, by a woman police officer or any woman officer.”

16. *Amendment of section 164.*—In section 164 of the Code of Criminal Procedure, after sub-section (5), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(5A) (a) In cases punishable under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, sub-section (1) or sub-section (2) of section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860), the Judicial Magistrate shall record the statement of the person against whom such offence has been committed in the manner prescribed in sub-section (5), as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police:

Provided that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the Magistrate shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement:

Provided further that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the statement made by the person, with the assistance of an interpreter or a special educator, shall be videographed:

(b) A statement recorded under clause (a) of a person, who is temporarily or permanently mentally or physically disabled, shall be considered a statement in lieu of examination-in-chief, as specified in section 137 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872). Such that the maker of the statement can be cross-examined on such statement, without the need for recording the same at the time of trial.”

17. *Amendment of section 173.*—In section 173 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (2), in sub-clause (h) of clause (i), for the words, figures and letter “or 376D of the Indian Penal Code” (45 of 1860), the words, figures and letters “376D or section 376E of the Indian Penal Code” shall be substituted.

18. *Amendment of section 197.*—In section 197 of the Code of Criminal Procedure, after sub-section (1), the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

Explanation.—For the removal of doubts it is hereby declared that no sanction shall be required in case of a public servant accused of any offence alleged to have been committed under section 166A, section 166B, section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 370, section 375, section 376, section 376A, section 376C, section 376D or section 509 of the Indian Penal Code. (45 of 1860).”

19. *Insertion of new section 198B.*—After section 198A of the Code of Criminal Procedure, the following section shall be inserted, namely:—

“198B. *Cognizance of offence.*—No Court shall take cognizance of an offence punishable under section 376B of the Indian Penal Code (45 of 1860) where the persons are in a marital relationship, except upon *prima facie* satisfaction of the facts which constitute the offence upon a complaint having been filed or made by the wife against the husband.”

20. *Amendment of section 273.*—In section 273 of the Code of Criminal Procedure, before the *Explanation*, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where the evidence of a woman below the age of eighteen years who is alleged to have been subjected to rape or any other sexual offence, is to be recorded, the court may take appropriate measures to ensure that such woman is not confronted by the accused while at the same time ensuring the right of cross-examination of the accused.”

21. *Amendment of section 309.*—In section 309 of the Code of Criminal Procedure, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

“(1) In every inquiry or trial the proceedings shall be continued from day-to-day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded:

Provided that when the inquiry or trial relates to an offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C or section 376D of the Indian Penal Code (45 of 1860), the inquiry or trial shall, as far as possible be completed within a period of two months from the date of filing of the charge sheet.”

22. *Amendment of section 327.*—In section 327 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (2), for the words, figures and letter “or section 376D of the Indian Penal Code” (45 of 1860), the words, figures and letters “section 376D or section 376E of the Indian Penal Code” shall be substituted.

23. *Insertion of new sections 357B and 357C.*—After section 357 A of the Code of Criminal Procedure, the following sections shall be inserted, namely:—

“357B. *Compensation to be in addition to fine under section 326A or section 376D of Indian Penal Code.*—The compensation payable by the State Government under section 357A shall be in addition to the payment of fine to the victim under section 326A or section 376D of the Indian Penal Code (45 of 1860).

357C. *Treatment of victims.*—All hospitals, public or private, whether run by the Central Government, the State Government, local bodies or any other person, shall immediately, provide the first-aid or medical treatment, free of cost, to the victims of any offence covered under section 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D or section 376E of the Indian Penal Code (45 of 1860) and shall immediately inform the police of such incident.”

24. *Amendment of First Schedule.*—In the First Schedule to the Code of Criminal Procedure, under the heading “I.—OFFENCES UNDER THE INDIAN PENALCODE” (45 of 1860).—

(a) after the entries relating to section 166, the following entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6
“166A	Public servant disobeying direction under law.	Imprisonment for minimum 6 months which may extend to 2 years and fine.	Cognizable	Bailable	Magistrate of the first class.
166B	Non-treatment of victim by hospital.	Imprisonment for 1 year or fine or both.	Non-cognizable	Bailable	Magistrate of the first class.”

(b) after the entries relating to section 326, the following entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6
“326A.	Voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc.	Imprisonment for not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and fine to be paid to the victim.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
326B	Voluntarily throwing or attempting to throw acid.	Imprisonment for 5 years but which may extend to 7 years and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.”;

(c) for the entries relating to section 354, the following entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6
“354	Assault or use of criminal force to woman with intent to outrage her modesty.	Imprisonment of 1 year which may extend to 5 years, and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Any Magistrate.

1	2	3	4	5	6
354A	Sexual harassment of the nature of unwelcome physical contact and advances or a demand or request for sexual favours, showing pornography.	Imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both.	Cognizable	Bailable	Any Magistrate.
	Sexual harassment of the nature of making sexually coloured remark.	Imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both.	Cognizable	Bailable	Any Magistrate.
354B	Assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe.	Imprisonment of not less than 3 years but which may extend to 7 years and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Any Magistrate.
354C	Voyeurism.	Imprisonment of not less than 1 year but which may extent to 3 years and with fine for first conviction.	Cognizable	Bailable	Any Magistrate.

1	2	3	4	5	6
		Imprisonment of not less than 3 years but which may extend to 7 years and with fine for second or subsequent conviction.	Cognizable	Non-bailable	Any Magistrate.
354D	Stalking.	Imprisonment up to 3 years and with fine for first conviction.	Cognizable	Bailable	Any Magistrate.
		Imprisonment up to 5 years and with fine for second or subsequent conviction.	Cognizable	Non-bailable	Any Magistrate.

(d) for the entries relating to section 370, the following entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"370	Trafficking of person.	Imprisonment of not less than 7 years but which may extend to 10 years and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.

1	2	3	4	5	6
	Trafficking of more than one person.	Imprisonment of not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
	Trafficking of a minor.	Imprisonment of not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
	Trafficking of more than one minor.	Imprisonment of not less than 14 years but which may extend to imprisonment for life and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.

1	2	3	4	5	6
	Person convicted of offence of trafficking of minor on more than one occasion.	Imprisonment for life which shall mean the remainder of that person's natural life and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
	Public servant or a police officer involved in trafficking of minor.	Imprisonment for life which shall mean the remainder of that person's natural life and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
370A	Exploitation of a trafficked child.	Imprisonment of not less than 5 years but which may extend to 7 years and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
	Exploitation of a trafficked person.	Imprisonment of not less than 3 years but which may extend to 5 years and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.

(e) for the entries relating to sections 376, 376A, 376B, 376C and 376D, the following entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"376	Rape.	Rigorous imprisonment of not less than 7 years but which may extend to imprisonment for life and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
	Rape by a police officer or a public servant or member of armed forces or a person being on the management or on the staff of a jail, remand home or other place of custody or women's or children's institution or by a person on the management or on the staff of a	Rigorous imprisonment of not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean the remainder of that person's natural life and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.

1	2	3	4	5	6
376A	<p>hospital, and rape committed by a person in a position of trust or authority towards the person raped or by a near relative of the person raped.</p>	<p>Rigorous imprisonment of not less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death.</p>	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
376B	<p>Sexual intercourse by husband upon his wife during separation.</p>	<p>Imprisonment for not less than 2 years but which may extend to 7 years and with fine.</p>	Cognizable (but only on the complaint of the victim)	Bailable	Court of Session.

1	2	3	4	5	6
376C	Sexual intercourse by a person in authority.	Rigorous imprisonment for not less than 5 years but which may extend to 10 years and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
376D	Gang rape.	Rigorous imprisonment for not less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine to be paid to the victim.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.

1	2	3	4	5	6
376E	Repeat offenders.	Imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.”;

(f) in entry relating to section 509, in column 3, for the words “Simple imprisonment for one year, or fine, or both,” the words and figure “Simple imprisonment for 3 years and with fine” shall be substituted.

CHAPTER IV

AMENDMENTS TO THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

25. *Insertion of new section 53A.*—After section 53 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) (hereafter in this Chapter referred to as the Evidence Act), the following section shall be inserted, namely:—

“53A. *Evidence of character or previous sexual experience not relevant in certain cases.*—In a prosecution for an offence under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D or section 376E of the Indian Penal Code (45 of 1860) or for attempt to commit any such offence, where the question of consent is in issue, evidence of the character of the victim or of such person's previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent.”.

26. *Substitution of new section for section 114A.*—For section 114A of the Evidence Act, the following section shall be substituted, namely:—

114A. *Presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape.*—In a prosecution for rape under clause (a), clause (b), clause (c), clause (d), clause (e), clause (f), clause (g), clause (h), clause (i), clause (j), clause (k), clause (l), clause (m) or clause (n) of sub-section (2) of section 376 of the Indian Penal Code, (45 of 1860) where sexual intercourse by the accused is proved and the question is whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped and such woman states in her evidence before the court that she did not consent, the court shall presume that she did not consent.

Explanation.—In this section, “sexual intercourse” shall mean any of the acts mentioned in clauses (a) to (d) of section 375 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

27. *Substitution of new section for section 119.*—For section 119 of the Evidence Act, the following section shall be substituted, namely:—

“119. *Witness unable to communicate verbally.*—A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing or by signs; but such writing must be written and the signs made in open Court, evidence so given shall be deemed to be oral evidence:

Provided that if the witness is unable to communicate verbally, the Court shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement, and such statement shall be photographed.”

28. *Amendment of section 146.*—In section 146 of the Evidence Act, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that in a prosecution for an offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D or section 376E of the Indian Penal Code (45 of 1860) or for attempt to commit any such offence, where the question of consent is an issue, it shall not be permissible to adduce evidence or to put questions in the cross-examination of the victim as to the general immoral character, or previous-sexual experience, of such victim with any person for proving such consent or the quality of consent.”

AMENDMENT TO THE PROTECTION OF CHILDREN
FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012

29. *Substitution of new sections for section 42.*—For section 42 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012), the following sections shall be substituted, namely:—

“42. *Alternate punishment.*—where an act or omission constitutes an offence punishable under this Act and also under sections 166A, 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 370A, 375, 376, 376A, 376C, 376D, 376E or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860), then, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the offender found guilty of such offence shall be liable to punishment under this Act or under the Indian Penal Code as provides for punishment which is greater in degree.

42A. *Act not in derogation of any other law.*—The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force and, in case of any inconsistency, the provisions of this Act shall have overriding effect on the provisions of any such law to the extent of the inconsistency.”

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

30. *Repeal and savings.*—(1) The Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013 (Ord. 3 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Indian Penal Code (45 of 1860), the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), and the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872), as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of those Acts, as amended by this Act.

CCB

Kerala Gazette No. 28 dated 9th July 2013.

PART I

Section i



GOVERNMENT OF KERALA

Law (Legislation-Publication) Department

NOTIFICATION

No. 10520/Leg.Pbn.4/2013/Law. *Dated, Thiruvananthapuram, 6th June, 2013.*

The following Act of Parliament published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section I dated the 2nd day of April, 2013 is hereby republished for general information. The Bill as passed by the Houses of Parliament received the assent of the President on the 2nd April, 2013.

By order of the Governor,

C. P. RAMARAJA PREMA PRASAD,
Law Secretary.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

*New Delhi, the 2nd April, 2013**Chaitra 12, 1935 (Saka)*

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 2nd April, 2013, and is hereby published for general information:—

THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) ACT, 2013

(No. 13 OF 2013)

AN

ACT

further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973, the Indian Evidence Act, 1872 and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

BE it enacted by Parliament in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. *Short title and commencement.*—(1) This Act may be called the Criminal Law (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on the 3rd day of February, 2013.

CHAPTER II

AMENDMENTS TO THE INDIAN PENAL CODE

2. *Amendment of section 100.*—In the Indian Penal Code (45 of 1860) (hereafter in this Chapter referred to as the Penal Code), in section 100, after clause *Sixthly*, the following clause shall be inserted, namely:—

“*Seventhly.*—An act of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act.”

3. *Insertion of new sections 166A and 166B.*—After section 166 of the Penal Code, the following sections shall be inserted, namely:—

“166A. *Public servant disobeying direction under law.*—Whoever, being a public servant,—

(a) knowingly disobeys any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offence or any other matter, or

(b) knowingly disobeys, to the prejudice of any person, any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation, or

(c) fails to record any information given to him under sub-section (1) of section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), in relation to cognizable offence punishable under section 326A, section 326B, section 354, section 354B, section 370, section 370A, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E or section 509,

shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years, and shall also be liable to fine.

166B. *Punishment for non-treatment of victim.*—Whoever, being in charge of a hospital, public or private, whether run by the Central Government, the State Government, local bodies or any other person, contravenes the provisions of section 357C of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both.”

4. *Amendment of section 228A.*—In section 228A of the Penal Code, in sub-section (1), for the words, figures and letters “offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C or section 376D”, the words, figures and letters “offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D or section 376E” shall be substituted.

5. *Insertion of new sections 326A and 326B.*—After section 326 of the Penal Code, the following sections shall be inserted, namely:—

‘326A. *Voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc.*—
Whoever causes permanent or partial damage or deformity to, or burns or maims or disfigures or disables, any part or parts of the body of a person or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person, or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and with fine:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

326B. *Voluntarily throwing or attempting to throw acid.*—
Whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person, or attempts to use any other means, with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine:

Explanation 1.—For the purposes of section 326A and this section, “acid” includes any substance which has acidic or corrosive character or burning nature, that is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability.

Explanation 2.— For the purposes of section 326A and this section, permanent or partial damage or deformity shall not be required to be irreversible.’

6. *Amendment of section 354.*—In section 354 of the Penal Code, for the words “shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both”, the words “shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to five years, and shall also be liable to fine” shall be substituted.

7. *Insertion of new sections 354A, 354B, 354C and 354D.*—After section 354 of the Penal Code, the following sections shall be inserted, namely:—

‘354A. *Sexual harassment and punishment for sexual harassment.*—(1) A man committing any of the following acts—

(i) physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures; or

(ii) a demand or request for sexual favours; or

(iii) showing pornography against the will of a woman; or

(iv) making sexually coloured remarks,

shall be guilty of the offence of sexual harassment.

(2) Any man who commits the offence specified in clause (i) or clause (ii) or clause (iii) of sub-section (1) shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

(3) Any man who commits the offence specified in clause (iv) of sub-section (1) shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

354B. *Assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe.*—Any man who assaults or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

354C. *Voyeurism*.—Any man who watches, or captures the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator or disseminates such image shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year, but which may extend to three years, and shall also be liable to fine, and be punished on a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years, but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Explanation 1.—For the purpose of this section, “private act” includes an act of watching carried out in a place which, in the circumstances, would reasonably be expected to provide privacy and where the victim’s genitals, posterior or breasts are exposed or covered only in underwear; or the victim is using a lavatory; or the victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinarily done in public.

Explanation 2.—Where the victim consents to the capture of the images or any act, but not to their dissemination to third persons and where such image or act is disseminated, such dissemination shall be considered an offence under this section.

354D. *Stalking*.—(1) Any man who—

(i) follows a woman and contacts, or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman; or

(ii) monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication,
commits the offence of stalking :

Provided that such conduct shall not amount to stalking if the man who pursued it proves that—

(i) it was pursued for the purpose of preventing or detecting crime and the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the State; or

(ii) it was pursued under any law or to comply with any condition or requirement imposed by any person under any law; or

(iii) in the particular circumstances such conduct was reasonable and justified.

(2) Whoever commits the offence of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine; and be punished on a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine.

8. *Substitution of new sections 370 and 370A for section 370.*—For section 370 of the Penal Code, the following sections shall be substituted, namely:—

370. *Trafficking of person.*—(1) Whoever, for the purpose of exploitation, (a) recruits, (b) transports, (c) harbours, (d) transfers or (e) receives, a person or persons, by—

First.—using threats, or

Secondly.—using force, or any other form of coercion, or

Thirdly.—by abduction, or

Fourthly.—by practising fraud, or deception, or

Fifthly.—by abuse of power, or

Sixthly.—by inducement, including the giving or receiving of payments or benefits, in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, harboured, transferred or received.

commits the offence of trafficking.

Explanation 1.—The expression “exploitation” shall include any act of physical exploitation or any form of sexual exploitation, slavery or practices similar to slavery, servitude, or the forced removal of organs.

Explanation 2.—The consent of the victim is immaterial in determination of the offence of trafficking.

(2) Whoever commits the offence of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

(3) Where the offence involves the trafficking of more than one person, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(4) Where the offence involves the trafficking of a minor, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(5) Where the offence involves the trafficking of more than one minor, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than fourteen years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(6) If a person is convicted of the offence of trafficking of minor on more than one occasion, then such person shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine.

(7) When a public servant or a police officer is involved in the trafficking of any person then, such public servant or police officer shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine.

370A. *Exploitation of a trafficked person.*—(1) Whoever, knowingly or having reason to believe that a minor has been trafficked, engages such minor for sexual exploitation in any manner, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than five years, but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

(2) Whoever, knowingly by or having reason to believe that a person has been trafficked, engages such person for sexual exploitation in any manner, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years, but which may extend to five years, and shall also be liable to fine.

9. *Substitution of new sections for sections 375, 376, 376A, 376B, 376C and 376D.*—For sections 375, 376, 376A, 376B, 376C and 376D of the Penal Code, the following sections shall be substituted, namely:—

'375. *Rape.*—A man is said to commit "rape" if he—

(a) penetrates his penis, to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person; or

(b) inserts, to any extent, any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person; or

(c) manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of such woman or makes her to do so with him or any other person; or

(d) applies his mouth to the vagina, anus, urethra of woman, or makes her to do so with him or any other person,

under the circumstances falling under any of the following seven descriptions:—

First.—Against her will.

Secondly.—Without her consent.

Thirdly.—With her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested, in fear of death or of hurt.

Fourthly.—With her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married.

Fifthly.—With her consent, when, at the time of giving such consent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent.

Sixthly.—With or without her consent, when she is under eightteencars of age.

Seventhly.—When she is unable to communicate consent.

Explanation 1.—For the purposes of this section, “vagina” shall also include *labia majora*.

Explanation 2.—Consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gestures or any form of verbal or non-verbal communication, communicates willingness to participate in the specific sexual act:

Provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by the reason only of that fact, be regarded as consenting to the sexual activity.

Exception 1.—A medical procedure or intervention shall not constitute rape.

Exception 2.—Sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under fifteen years of age, is not rape.

376. *Punishment for rape—(1)* Whoever, except in the cases provided for in sub-section (2), commits rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than seven years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(2) Whoever,—

(a) being a police officer, commits rape—

- (i) within the limits of the police station to which such police officer is appointed; or
- (ii) in the premises of any station house; or
- (iii) on a woman in such police officer’s custody or in the custody of a police officer subordinate to such police officer; or

(b) being a public servant, commits rape on a woman in such public servant’s custody or in the custody of a public servant subordinate to such public servant; or

(c) being a member of the armed forces deployed in an area by the Central or a State Government commits rape in such area; or

(d) being on the management or on the staff of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force or of a women's or children's institution, commits rape on any inmate of such jail, remand home, place or institution; or

(e) being on the management or on the staff of a hospital, commits rape on a woman in that hospital; or

(f) being a relative, guardian or teacher of, or a person in a position of trust or authority towards the woman, commits rape on such woman; or

(g) commits rape during communal or sectarian violence; or

(h) commits rape on a woman knowing her to be pregnant; or

(i) commits rape on a woman when she is under sixteen years of age; or

(j) commits rape, on a woman incapable of giving consent; or

(k) being in a position of control or dominance over a woman, commits rape on such woman; or

(l) commits rape on a woman suffering from mental or physical disability; or

(m) while committing rape causes grievous bodily harm or maims or disfigures or endangers the life of a woman; or

(n) commits rape repeatedly on the same woman,

shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine.

Explanation.—For the purposes of this sub-section,—

(a) “armed forces” means the naval, military and air forces and includes any member of the Armed Forces constituted under any law for the time being in force, including the paramilitary forces and any auxiliary forces that are under the control of the Central Government or the State Government;

(b) “hospital” means the precincts of the hospital and includes the precincts of any institution for the reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring medical attention or rehabilitation;

(c) “police officer” shall have the same meaning as assigned to the expression “police” under the Police Act, 1861 (5 of 1861);

(d) “women’s or children’s institution” means an institution, whether called an orphanage or a home for neglected women or children or a widow’s home or an institution called by any other name, which is established and maintained for the reception and care of women or children.

376A. *Punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim.*—Whoever, commits an offence punishable under sub-section (1) or sub-section (2) of section 376 and in the course of such commission inflicts an injury which causes the death of the woman or causes the woman to be in a persistent vegetative state, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person’s natural life, or with death.

376B. *Sexual intercourse by husband upon his wife during separation.*—Whoever has sexual intercourse with his own wife, who is living separately, whether under a decree of separation or otherwise, without her consent, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Explanation.—In this section, “sexual intercourse” shall mean any of the acts mentioned in clauses (a) to (d) of section 375.

376 C. *Sexual intercourse by a person in authority.*—Whoever, being—

(a) in a position of authority or in a fiduciary relationship; or

(b) a public servant; or

(c) superintendent or manager of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force, or a women's or children's institution; or

(d) on the management of a hospital or being on the staff of a hospital,

abuses such position or fiduciary relationship to induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation 1.—In this section, “sexual intercourse” shall mean any of the acts mentioned in clauses (a) to (d) of section 375.

Explanation 2.—For the purposes of this section, *Explanation 1* to section 375 shall also be applicable.

Explanation 3.—“Superintendent”, in relation to a jail, remand home or other place of custody or a women's or children's institution, includes a person holding any other office in such jail, remand home, place or institution by virtue of which such person can exercise any authority or control over its inmates.

Explanation 4.—The expressions “hospital” and “women's or children's institution” shall respectively have the same meaning as in *Explanation* to sub-section (2) of section 376.

376 D. *Gang rape.*—Where a woman is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

376E. *Punishment for repeat offenders.*—Whoever has been previously convicted of an offence punishable under section 376 or section 376A or section 376D and is subsequently convicted of an offence punishable under any of the said sections shall be punished with imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, or with death.'

10. *Amendment of section 509.*—In section 509 of the Penal Code, for the words "shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both", the words "shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three years, and also with fine" shall be substituted.

CHAPTER III

AMENDMENTS TO THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

11. *Amendment of section 26.*—In the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974) (hereafter in this Chapter referred to as the Code of Criminal Procedure), in section 26, in the proviso to clause (a), for the words, figures and letters "offence under section 376 and sections 376A to 376D of the Indian Penal code" (45 of 1860), the words, figures and letters "offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D or section 376E of the Indian Penal Code" shall be substituted.

12. *Amendment of section 54A.*—In section 54A of the Code of Criminal Procedure, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that, if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a Judicial Magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with:

Provided further that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, the identification process shall be videographed."

13. *Amendment of section 154.*—In section 154 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (1), the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that if the information is given by the woman against whom an offence under section 326A, section 326B, section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded, by a woman police officer or any woman officer:

Provided further that—

(a) in the event that the person against whom an offence under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E, or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer, at the residence of the person seeking to report such offence or at a convenient place of such person's choice, in the presence of an interpreter or a special educator, as the case may be;

(b) the recording of such information shall be videographed;

(c) the police officer shall get the statement of the person recorded by a Judicial Magistrate under clause (a) of sub-section (5A) of section 164 as soon as possible.”

14. *Amendment of section 160.*—In section 160 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (1), in the proviso, for the words “under the age of fifteen years or woman”, the words “under the age of fifteen years or above the age of sixty-five years or a woman or a mentally or physically disabled person” shall be substituted.

15. *Amendment of section 161.*—In section 161 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (3), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided further that the statement of a woman against whom an offence under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860) is alleged to have been committed or attempted shall be recorded, by a woman police officer or any woman officer.”.

16. *Amendment of section 164.*—In section 164 of the Code of Criminal Procedure, after sub-section (5), the following sub-section shall be inserted, namely:—

“(5A) (a) In cases punishable under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, sub-section (1) or sub-section (2) of section 376, section 376A section 376B, section 376C, section 376D, section 376E, or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860) the Judicial Magistrate shall record the statement of the person against whom such offence has been committed in the manner prescribed in sub-section (5), as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police:

Provided that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the Magistrate shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement:

Provided further that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the statement made by the person, with the assistance of an interpreter or a special educator, shall be videographed.

(b) A statement recorded under clause (a) of a person, who is temporarily or permanently mentally or physically disabled, shall be considered a statement in lieu of examination-in-chief, as specified in section 137 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) such that the maker of the statement can be cross-examined on such statement, without the need for recording the same at the time of trial.”.

17. *Amendment of section 173.*—In section 173 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (2), in sub-clause (h) of clause (i), for the words, figures and letter “or 376D of the Indian Penal Code” (45 of 1860) the words, figures and letters “376D or section 376E of the Indian Penal Code” shall be substituted.

18. *Amendment of section 197.*—In section 197 of the Code of Criminal Procedure, after sub-section (1), the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

“*Explanation.*—For the removal of doubts it is hereby declared that no sanction shall be required in case of a public servant accused of any offence alleged to have been committed under section 166A, section 166B, section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354 D, section 370, section 375, section 376, section 376A, section 376C, section 376D or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860)”.

19. *Insertion of new section 198B.*—After section 198A of the Code of Criminal Procedure, the following section shall be inserted, namely:—

“198B. *Cognizance of offence.*—No Court shall take cognizance of an offence punishable under section 376B of the Indian Penal Code (45 of 1860) where the persons are in a marital relationship, except upon *prima facie* satisfaction of the facts which constitute the offence upon a complaint having been filed or made by the wife against the husband.”.

20. *Amendment of section 273.*—In section 273 of the Code of Criminal Procedure, before the *Explanation*, the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that where the evidence of a woman below the age of eighteen years who is alleged to have been subjected to rape or any other sexual offence, is to be recorded, the court may take appropriate measures to ensure that such woman is not confronted by the accused while at the same time ensuring the right of cross-examination of the accused.”.

21. *Amendment of section 309.*—In section 309 of the Code of Criminal Procedure, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

G. 35/2013

“(1) In every inquiry or trial the proceedings shall be continued from day-to-day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded:

“Provided that when the inquiry or trial relates to an offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C or section 376D of the Indian Penal Code (45 of 1860), the inquiry or trial shall, as far as possible be completed within a period of two months from the date of filing of the charge sheet.”:

22. *Amendment of section 327.*—In section 327 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (2), for the words, figures and letter “or section 376D of the Indian Penal Code” (45 of 1860), the words, figures and letters “section 376D or section 376E of the Indian Penal Code” shall be substituted.

23. *Insertion of new sections 357B and 357C.*—After section 357A of the Code of Criminal Procedure, the following sections shall be inserted, namely:—

“357B. *Compensation to be in addition to fine under section 326A or section 376D of Indian Penal Code.*—The compensation payable by the State Government under section 357A shall be in addition to the payment of fine to the victim under section 326A or section 376D of the Indian Penal Code (45 of 1860).

357C. *Treatment of victims.*—All hospitals, public or private, whether run by the Central Government, the State Government, local bodies or any other person, shall immediately, provide the first-aid or medical treatment, free of cost, to the victims of any offence covered under section 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D or section 376E of the Indian Penal Code (45 of 1860), and shall immediately inform the police of such incident.”.

24. *Amendment of First Schedule.*—In the First Schedule to the Code of Criminal Procedure, under the heading “I.—OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE” (45 of 1860)---

(a) after the entries relating to section 166, the following entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"166A	Public servant disobeying direction under law	Imprisonment for minimum 6 months which may extend to 2 years and fine	Cognizable	Bailable	Magistrate of the first class
166B	Non-treatment of victim by hospital	Imprisonment for 1 year or fine or both	Non-cognizable	Bailable	Magistrate of the first class."

(b) after the entries relating to section 326, the following entries shall be inserted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"326A	Voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc.	Imprisonment for not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and fine to be paid to the victim	Cognizable	Non-bailable	Court of Session
326B	Voluntarily throwing or attempting to throw acid	Imprisonment for 5 years but which may extend to 7 years and with fine	Cognizable	Non-bailable	Court of Session."

(c) for the entries relating to section 354, the following entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"354	Assault or use of criminal force to woman with intent to outrage her modesty	Imprisonment of 1 year which may extend to 5 years, and with fine	Cognizable	Non-bailable	Any Magistrate
354A	Sexual harassment of the nature of unwelcome physical contact and advances or a demand or request for sexual favours, showing pornography	Imprisonment which may extend to 3 years, or with fine or with both	Cognizable	Bailable	Any Magistrate
	Sexual harassment of the nature of making sexually coloured remark	Imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both	Cognizable	Bailable	Any Magistrate
354B	Assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe	Imprisonment of not less than 3 years but which may extend to 7 years and with fine	Cognizable	Non-bailable	Any Magistrate

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
354C	Voyeurism	Imprisonment of not less than 1 year but which may extend to 3 years and with fine for first conviction	Cognizable	Bailable	Any Magistrate
		Imprisonment of not less than 3 years but which may extend to 7 years and with fine for second or subsequent conviction	Cognizable	Non-bailable	Any Magistrate
354D	Stalking	Imprisonment up to 3 years and with fine for first conviction	Cognizable	Bailable	Any Magistrate
		Imprisonment up to 5 years and with fine for second or subsequent conviction	Cognizable	Non-bailable	Any Magistrate."

(d) for the entries relating to section 370, the following entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"370	Trafficking of person	Imprisonment of not less than 7 years but which may extend to 10 years and with fine	Cognizable	Non-bailable	Court of Session
	Trafficking of more than one person	Imprisonment of not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and with fine	Cognizable	Non-bailable	Court of Session
	Trafficking of a minor	Imprisonment of not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and with fine	Cognizable	Non-bailable	Court of Session
	Trafficking of more than one minor	Imprisonment of not less than 14 years but which may extend to imprisonment for life and with fine	Cognizable	Non-bailable	Court of Session

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Person convicted of offence of trafficking of minor on more than one occasion	Imprisonment for life which shall mean the remainder of that person's natural life and with fine	Cognizable	Non-bailable	Court of Session
	Public servant or a police officer involved in trafficking of minor	Imprisonment for life which shall mean the remainder of that person's natural life and with fine	Cognizable	Non-bailable	Court of Session
370A	Exploitation of a trafficked child	Imprisonment of not less than 5 years but which may extend to 7 years and with fine	Cognizable	Non-bailable	Court of Session
	Exploitation of a trafficked person	Imprisonment of not less than 3 years but which may extend to 5 years and with fine	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.";

(e) for the entries relating to sections 376, 376A, 376B, 376C and 376D the following entries shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"376	Rape	Rigorous imprisonment of not less than 7 years but which may extend to imprisonment for life and with fine	Cognizable	Non-bailable	Court of Session
	Rape by a police officer or a public servant or member of armed forces or a person being on the management or on the staff of a jail, remand home or other place of custody or women's or children's institution or by a person on the management or on the staff of a	Rigorous imprisonment of not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean the remainder of that person's natural life and with fine	Cognizable	Non-bailable	Court of Session

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	hospital and rape committed by a person in a position of trust or authority towards the person raped or by a near relative of the person raped				
376A	Person committing an offence of rape and inflicting injury which causes death or causes the woman to be in a persistent vegetative state	Rigorous imprisonment of not less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death	Cognizable	Non-bailable	Court of Session
376B	Sexual Intercourse by husband upon his wife during separation	Imprisonment for not less than 2 years but which may extend to 7 years and with fine	Cognizable (but only on the complaint of the victim)	Bailable	Court of Session

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
376C	Sexual Intercourse by a person in authority	Rigorous imprisonment for not less than 5 years but which may extend to 10 years and with fine	Cognizable	Non-bailable	Court of Session
376D	Gang Rape	Rigorous imprisonment for not less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean Imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine to be paid to the victim	Cognizable	Non-Bailable	Court of Session
376E	Repeat offenders	Imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.;"

(f) in entry relating to section 509, in column 3, for the words "Simple imprisonment for one year, or fine, or both," the words and figure "Simple imprisonment for 3 years and with fine" shall be substituted.

CHAPTER IV

AMENDMENTS TO THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

25. *Insertion of new section 53A.*—After section 53 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) (hereafter in this Chapter referred to as the Evidence Act), the following section shall be inserted, namely:—

"53A. *Evidence of character or previous sexual experience not relevant in certain cases.*—In a prosecution for an offence under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D or section 376E of the Indian Penal Code (45 of 1860) or for attempt to commit any such offence, where the question of consent is in issue, evidence of the character of the victim or of such person's previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent."

26. *Substitution of new section for section 114A.*—For section 114A of the Evidence Act, the following section shall be substituted, namely:—

"114A. *Presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape.*—In a prosecution for rape under clause (a), clause (b), clause (c), clause (d), clause (e), clause (f), clause (g), clause (h), clause (i), clause (j), clause (k), clause (l), clause (m) or clause (n) of sub-section (2) of section 376 of the Indian Penal Code (45 of 1860), where sexual intercourse by the accused is proved and the question is whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped and such woman states in her evidence before the court that she did not consent, the court shall presume that she did not consent.

Explanation.—In this section, "sexual intercourse" shall mean any of the acts mentioned in clauses (a) to (d) of section 375 of the Indian Penal Code (45 of 1860).

27. *Substitution of new section for section 119.*—For section 119 of the Evidence Act, the following section shall be substituted, namely:—

“119. *Witness unable to communicate verbally.*—A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing or by signs; but such writing must be written and the signs made in open Court, evidence so given shall be deemed to be oral evidence:

Provided that if the witness is unable to communicate verbally, the Court shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement, and such statement shall be videographed.”

28. *Amendment of section 146.*—In section 146 of the Evidence Act, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that in a prosecution for an offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, or section 376E of the Indian Penal Code (45 of 1860) or for attempt to commit any such offence, where the question of consent is an issue, it shall not be permissible to adduce evidence or to put questions in the cross-examination of the victim as to the general immoral character, or previous sexual experience, of such victim with any person for proving such consent or the quality of consent.”

CHAPTER V

AMENDMENT TO THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012

29. *Substitution of new sections for section 42.*—For section 42 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012 (32 of 2012), the following sections shall be substituted, namely:—

“42. *Alternate punishment.*—Where an act or omission constitutes an offence punishable under this Act and also under sections 166A, 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 370A, 375, 376, 376A, 376C, 376D, 376E or section 509 of the Indian Penal Code (45 of 1860), then, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the offender found guilty of such offence shall be liable to punishment under this Act or under the Indian Penal Code as provides for punishment which is greater in degree.

42A. *Act not in derogation of any other law.*—The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force and, in case of any inconsistency, the provisions of this Act shall have overriding effect on the provisions of any such law to the extent of the inconsistency.”

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

30. *Repeal and savings.*—(1) The Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013 Ord. (3 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Indian Penal Code (45 of 1860), the Code of Criminal Procedure, 1973, (2 of 1974) and the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of those Acts, as amended by this Act.

P. K. MALHOTRA,

Secretary to the Government of India.

CORRIGENDA

In the Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliamentary and Assembly Constituencies Ordinance, 2013 (Ord. 2 of 2013) as published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, dated the 30th January, 2013 (Issu No. 7) :—

1. At page 1, in the long title, for “the inclusion”, read “inclusion”.
2. At page 2, in the line 9, for “Sheduled”, read “Scheduled”.
3. At page 3,—
 - (i) in line 31, for “disolution”, read “dissolution”;
 - (ii) in line 37, for “ommission”, read “omission”;
 - (iii) in line 40, for “expendient”, read “expedient”.

CORRIGENDA

The Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013 (Ord. 3 of 2013) as published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, dated the 3rd February, 2013 (Issue No. 8):--

1. At page 11, in line 30, *for* "proviso", *read* "provisos".
 2. At page 15, in column 3 against section 354C, in line 38, *for* "year", *read* "years".
 3. At page 16, in line 1, *for* "sections", *read* "section".
-



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II — खण्ड 1

PART II — Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 17] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 2, 2013/चैत्र 12, 1935 (शक)
No. 17] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 2, 2013/CHAITRA 12, 1935 (SAKA)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

New Delhi, the 2nd April, 2013/Chaitra 12, 1935 (Saka)

The following Act of Parliament received the assent of the President on the 2nd April, 2013, and is hereby published for general information:—

THE CRIMINAL LAW (AMENDMENT) ACT, 2013

No. 13 OF 2013

[2nd April, 2013]

AN ACT further to amend the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973, the Indian Evidence Act, 1872 and the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012.

Be it enacted by Parliament in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

- (1) This Act may be called the Criminal Law (Amendment) Act, 2013.
- (2) It shall be deemed to have come into force on the 3rd day of February, 2013.

Short title and commencement.

CHAPTER II

AMENDMENTS TO THE INDIAN PENAL CODE

2. In the Indian Penal Code (hereafter in this Chapter referred to as the Penal Code), in section 100, after clause *Sixthly*, the following clause shall be inserted, namely:—

"*Seventhly*.—An act of throwing or administering acid or an attempt to throw or administer acid which may reasonably cause the apprehension that grievous hurt will otherwise be the consequence of such act."

Amendment of section 100.

Insertion of new sections 166A and 166B.

3. After section 166 of the Penal Code, the following sections shall be inserted, namely:—

Public servant disobeying direction under law.

"166A. Whoever, being a public servant,—

(a) knowingly disobeys any direction of the law which prohibits him from requiring the attendance at any place of any person for the purpose of investigation into an offence or any other matter, or

(b) knowingly disobeys, to the prejudice of any person, any other direction of the law regulating the manner in which he shall conduct such investigation, or

(c) fails to record any information given to him under sub-section (1) of section 154 of the Code of Criminal Procedure, 1973, in relation to cognizable offence punishable under section 326A, section 326B, section 354, section 354B, section 370, section 370A, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E or section 509,

shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years, and shall also be liable to fine.

166B. Whoever, being in charge of a hospital, public or private, whether run by the Central Government, the State Government, local bodies or any other person, contravenes the provisions of section 357C of the Code of Criminal Procedure, 1973, shall be punished with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both."

Punishment for non-treatment of victim.

Amendment of section 228A.

4. In section 228A of the Penal Code, in sub-section (1), for the words, figures and letters "offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C or section 376D", the words, figures and letters "offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D or section 376E" shall be substituted.

Insertion of new sections 326A and 326B.

5. After section 326 of the Penal Code, the following sections shall be inserted, namely:—

Voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc.

'326A. Whoever causes permanent or partial damage or deformity to, or burns or maims or disfigures or disables, any part or parts of the body of a person or causes grievous hurt by throwing acid on or by administering acid to that person, or by using any other means with the intention of causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and with fine:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

Voluntarily throwing or attempting to throw acid.

326B. Whoever throws or attempts to throw acid on any person or attempts to administer acid to any person, or attempts to use any other means, with the intention of causing permanent or partial damage or deformity or burns or maiming or disfigurement or disability or grievous hurt to that person, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Explanation 1.—For the purposes of section 326A and this section, "acid" includes any substance which has acidic or corrosive character or burning nature, that is capable of causing bodily injury leading to scars or disfigurement or temporary or permanent disability.

Explanation 2.—For the purposes of section 326A and this section, permanent or partial damage or deformity shall not be required to be irreversible.

Substi
of nev
sectio
sectio
Alter
punis

Act r
derog
any c

Repe
savit

2 of 1974.

2 of 1974.

6. In section 354 of the Penal Code, for the words "shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years, or with fine, or with both", the words "shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year but which may extend to five years, and shall also be liable to fine" shall be substituted.

Amendment of section 354.

7. After section 354 of the Penal Code, the following sections shall be inserted, namely:—

Insertion of new sections 354A, 354B, 354C and 354D.

354A. (1) A man committing any of the following acts—

Sexual harassment and punishment for sexual harassment.

(i) physical contact and advances involving unwelcome and explicit sexual overtures; or

(ii) a demand or request for sexual favours; or

(iii) showing pornography against the will of a woman; or

(iv) making sexually coloured remarks,

shall be guilty of the offence of sexual harassment.

(2) Any man who commits the offence specified in clause (i) or clause (ii) or clause (iii) of sub-section (1) shall be punished with rigorous imprisonment for a term which may extend to three years, or with fine, or with both.

(3) Any man who commits the offence specified in clause (iv) of sub-section (1) shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

354B. Any man who assaults or uses criminal force to any woman or abets such act with the intention of disrobing or compelling her to be naked, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe.

354C. Any man who watches, or captures the image of a woman engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator or disseminates such image shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which shall not be less than one year, but which may extend to three years, and shall also be liable to fine, and be punished on a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which shall not be less than three years, but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Voyeurism.

Explanation 1.—For the purpose of this section, "private act" includes an act of watching carried out in a place which, in the circumstances, would reasonably be expected to provide privacy and where the victim's genitals, posterior or breasts are exposed or covered only in underwear; or the victim is using a lavatory; or the victim is doing a sexual act that is not of a kind ordinarily done in public.

Explanation 2.—Where the victim consents to the capture of the images or any act, but not to their dissemination to third persons and where such image or act is disseminated, such dissemination shall be considered an offence under this section.

354D. (1) Any man who—

Stalking.

(i) follows a woman and contacts, or attempts to contact such woman to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest by such woman; or

(ii) monitors the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication,

commits the offence of stalking:

Provided that such conduct shall not amount to stalking if the man who pursued it proves that—

(i) it was pursued for the purpose of preventing or detecting crime and the man accused of stalking had been entrusted with the responsibility of prevention and detection of crime by the State; or

(ii) it was pursued under any law or to comply with any condition or requirement imposed by any person under any law; or

(iii) in the particular circumstances such conduct was reasonable and justified.

(2) Whoever commits the offence of stalking shall be punished on first conviction with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, and shall also be liable to fine; and be punished on a second or subsequent conviction, with imprisonment of either description for a term which may extend to five years, and shall also be liable to fine.

8. For section 370 of the Penal Code, the following sections shall be substituted, namely:—

370. (1) Whoever, for the purpose of exploitation, (a) recruits, (b) transports, (c) harbours, (d) transfers, or (e) receives, a person or persons, by—

First.— using threats, or

Secondly.— using force, or any other form of coercion, or

Thirdly.— by abduction; or

Fourthly.— by practising fraud, or deception, or

Fifthly.— by abuse of power, or

Sixthly.— by inducement, including the giving or receiving of payments or benefits, in order to achieve the consent of any person having control over the person recruited, transported, harboured, transferred or received,

commits the offence of trafficking.

Explanation 1.—The expression "exploitation" shall include any act of physical exploitation or any form of sexual exploitation, slavery or practices similar to slavery, servitude, or the forced removal of organs.

Explanation 2.—The consent of the victim is immaterial in determination of the offence of trafficking.

(2) Whoever commits the offence of trafficking shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than seven years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

(3) Where the offence involves the trafficking of more than one person, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(4) Where the offence involves the trafficking of a minor, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(5) Where the offence involves the trafficking of more than one minor, it shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than fourteen years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

St
ol
st
si
A
F

Substitution of
new sections
370 and 370A
for section
370.

Trafficking of
person.

(6) If a person is convicted of the offence of trafficking of minor on more than one occasion, then such person shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine.

(7) When a public servant or a police officer is involved in the trafficking of any person then, such public servant or police officer shall be punished with imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine.

370A. (1) Whoever, knowingly or having reason to believe that a minor has been trafficked, engages such minor for sexual exploitation in any manner, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than five years, but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Exploitation
of a trafficked
person.

(2) Whoever, knowingly by or having reason to believe that a person has been trafficked; engages such person for sexual exploitation in any manner, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than three years, but which may extend to five years, and shall also be liable to fine.

9. For sections 375, 376, 376A, 376B, 376C and 376D of the Penal Code, the following sections shall be substituted, namely:—

Substitution of
new sections
for sections
375, 376,
376A, 376B,
376C and
376D.

'375. A man is said to commit "rape" if he—

Rape.

(a) penetrates his penis, to any extent, into the vagina, mouth, urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person; or

(b) inserts, to any extent, any object or a part of the body, not being the penis, into the vagina, the urethra or anus of a woman or makes her to do so with him or any other person; or

(c) manipulates any part of the body of a woman so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body of such woman or makes her to do so with him or any other person; or

(d) applies his mouth to the vagina, anus, urethra of a woman or makes her to do so with him or any other person,

under the circumstances falling under any of the following seven descriptions:—

First.—Against her will.

Secondly.—Without her consent.

Thirdly.—With her consent, when her consent has been obtained by putting her or any person in whom she is interested, in fear of death or of hurt.

Fourthly.—With her consent, when the man knows that he is not her husband and that her consent is given because she believes that he is another man to whom she is or believes herself to be lawfully married.

Fifthly.—With her consent when, at the time of giving such consent, by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another of any stupefying or unwholesome substance, she is unable to understand the nature and consequences of that to which she gives consent.

Sixthly.—With or without her consent, when she is under eighteen years of age.

Seventhly.—When she is unable to communicate consent.

Explanation 1.—For the purposes of this section, "vagina" shall also include *labia majora*.

Explanation 2.—Consent means an unequivocal voluntary agreement when the woman by words, gestures or any form of verbal or non-verbal communication, communicates willingness to participate in the specific sexual act:

Provided that a woman who does not physically resist to the act of penetration shall not by the reason only of that fact, be regarded as consenting to the sexual activity.

Exception 1.—A medical procedure or intervention shall not constitute rape.

Exception 2.—Sexual intercourse or sexual acts by a man with his own wife, the wife not being under fifteen years of age, is not rape.

Punishment
for rape.

376. (1) Whoever, except in the cases provided for in sub-section (2), commits rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than seven years, but which may extend to imprisonment for life, and shall also be liable to fine.

(2) Whoever,—

(a) being a police officer, commits rape—

(i) within the limits of the police station to which such police officer is appointed; or

(ii) in the premises of any station house; or

(iii) on a woman in such police officer's custody or in the custody of a police officer subordinate to such police officer; or

(b) being a public servant, commits rape on a woman in such public servant's custody or in the custody of a public servant subordinate to such public servant; or

(c) being a member of the armed forces deployed in an area by the Central or a State Government commits rape in such area; or

(d) being on the management or on the staff of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force or of a women's or children's institution, commits rape on any inmate of such jail, remand home, place or institution; or

(e) being on the management or on the staff of a hospital, commits rape on a woman in that hospital; or

(f) being a relative, guardian or teacher of, or a person in a position of trust or authority towards the woman, commits rape on such woman; or

(g) commits rape during communal or sectarian violence; or

(h) commits rape on a woman knowing her to be pregnant; or

(i) commits rape on a woman when she is under sixteen years of age;

or

- (f) commits rape, on a woman incapable of giving consent; or
- (k) being in a position of control or dominance over a woman, commits rape on such woman; or
- (l) commits rape on a woman suffering from mental or physical disability; or
- (m) while committing rape causes grievous bodily harm or maims or disfigures or endangers the life of a woman; or
- (n) commits rape repeatedly on the same woman.

shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and shall also be liable to fine.

Explanation.—For the purposes of this sub-section,—

(a) "armed forces" means the naval, military and air forces and includes any member of the Armed Forces constituted under any law for the time being in force, including the paramilitary forces and any auxiliary forces that are under the control of the Central Government or the State Government;

(b) "hospital" means the precincts of the hospital and includes the precincts of any institution for the reception and treatment of persons during convalescence or of persons requiring medical attention or rehabilitation;

(c) "police officer" shall have the same meaning as assigned to the expression "police" under the Police Act, 1861;

(d) "women's or children's institution" means an institution, whether called an orphanage or a home for neglected women or children or a widow's home or an institution called by any other name, which is established and maintained for the reception and care of women or children.

376A. Whoever, commits an offence punishable under sub-section (1) or sub-section (2) of section 376 and in the course of such commission inflicts an injury which causes the death of the woman or causes the woman to be in a persistent vegetative state, shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to imprisonment for life, which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, or with death.

Punishment for causing death or resulting in persistent vegetative state of victim.

376B. Whoever has sexual intercourse with his own wife, who is living separately, whether under a decree of separation or otherwise, without her consent, shall be punished with imprisonment of either description for a term which shall not be less than two years but which may extend to seven years, and shall also be liable to fine.

Sexual intercourse by husband upon his wife during separation.

Explanation.—In this section, "sexual intercourse" shall mean any of the acts mentioned in clauses (a) to (d) of section 375.

376C. Whoever, being—

- (a) in a position of authority or in a fiduciary relationship; or
- (b) a public servant; or
- (c) superintendent or manager of a jail, remand home or other place of custody established by or under any law for the time being in force, or a women's or children's institution; or
- (d) on the management of a hospital or being on the staff of a hospital,

Sexual intercourse by a person in authority.

abuses such position or fiduciary relationship to induce or seduce any woman either in his custody or under his charge or present in the premises to have sexual intercourse with him, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape, shall be punished with rigorous imprisonment of either description for a term which shall not be less than five years, but which may extend to ten years, and shall also be liable to fine.

Explanation 1.—In this section, "sexual intercourse" shall mean any of the acts mentioned in clauses (a) to (d) of section 375.

Explanation 2.—For the purposes of this section, *Explanation 1* to section 375 shall also be applicable.

Explanation 3.—"Superintendent", in relation to a jail, remand home or other place of custody or a women's or children's institution, includes a person holding any other office in such jail, remand home, place or institution by virtue of which such person can exercise any authority or control over its inmates.

Explanation 4.—The expressions "hospital" and "women's or children's institution" shall respectively have the same meaning as in *Explanation* to sub-section (2) of section 376.

Gang rape.

376D. Where a woman is raped by one or more persons constituting a group or acting in furtherance of a common intention, each of those persons shall be deemed to have committed the offence of rape and shall be punished with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than twenty years, but which may extend to life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, and with fine:

Provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses and rehabilitation of the victim:

Provided further that any fine imposed under this section shall be paid to the victim.

Punishment for repeat offenders.

376E. Whoever has been previously convicted of an offence punishable under section 376 or section 376A or section 376D and is subsequently convicted of an offence punishable under any of the said sections shall be punished with imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life, or with death.

Amendment of section 509.

10. In section 509 of the Penal Code, for the words "shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both"; the words "shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to three years, and also with fine" shall be substituted.

CHAPTER III

AMENDMENTS TO THE CODE OF CRIMINAL PROCEDURE, 1973

Amendment of section 26.

11. In the Code of Criminal Procedure, 1973 (hereafter in this Chapter referred to as the Code of Criminal Procedure), in section 26, in the proviso to clause (a), for the words, figures and letters "offence under section 376 and sections 376A to 376D of the Indian Penal Code", the words, figures and letters "offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D or section 376E of the Indian Penal Code" shall be substituted.

2 of 1974.

45 of 1860.

Amendment of section 54A.

12. In section 54A of the Code of Criminal Procedure, the following provisos shall be inserted, namely:—

"Provided that, if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a Judicial Magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with:

Provided further that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, the identification process shall be videographed."

13. In section 154 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (1), the following provisos shall be inserted, namely:—

Amendment
of section
154.

"Provided that if the information is given by the woman against whom an offence under section 326A, section 326B, section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E or section 509 of the Indian Penal Code is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded, by a woman police officer or any woman officer:

45 of 1860

Provided further that—

(a) in the event that the person against whom an offence under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E or section 509 of the Indian Penal Code is alleged to have been committed or attempted, is temporarily or permanently mentally or physically disabled, then such information shall be recorded by a police officer, at the residence of the person seeking to report such offence or at a convenient place of such person's choice, in the presence of an interpreter or a special educator, as the case may be;

45 of 1860.

(b) the recording of such information shall be videographed;

(c) the police officer shall get the statement of the person recorded by a Judicial Magistrate under clause (a) of sub-section (5A) of section 164 as soon as possible."

14. In section 160 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (1), in the proviso, for the words "under the age of fifteen years or woman", the words "under the age of fifteen years or above the age of sixty-five years or a woman or a mentally or physically disabled person" shall be substituted.

Amendment
of section
160.

15. In section 161 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (3), after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

Amendment
of section
161.

"Provided further that the statement of a woman against whom an offence under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E or section 509 of the Indian Penal Code is alleged to have been committed or attempted shall be recorded, by a woman police officer or any woman officer."

45 of 1860.

16. In section 164 of the Code of Criminal Procedure, after sub-section (5), the following sub-section shall be inserted, namely:—

Amendment
of section
164.

"(5A) (a) In cases punishable under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, sub-section (1) or sub-section (2) of section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D, section 376E or section 509 of the Indian Penal Code, the Judicial Magistrate shall record the statement of the person against whom such offence has been committed in the manner prescribed in sub-section (5), as soon as the commission of the offence is brought to the notice of the police:

45 of 1860.

Provided that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the Magistrate shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement:

Provided further that if the person making the statement is temporarily or permanently mentally or physically disabled, the statement made by the person, with the assistance of an interpreter or a special educator, shall be videographed.

(b) A statement recorded under clause (a) of a person, who is temporarily or permanently mentally or physically disabled, shall be considered a statement in lieu of examination-in-chief, as specified in section 137 of the Indian Evidence Act, 1872 such that the maker of the statement can be cross-examined on such statement, without the need for recording the same at the time of trial."

Amendment of section 173.

17. In section 173 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (2), in sub-clause (h) of clause (i), for the words, figures and letter "or 376D of the Indian Penal Code", the words, figures and letters "376D or section 376E of the Indian Penal Code" shall be substituted.

Amendment of section 197.

18. In section 197 of the Code of Criminal Procedure, after sub-section (1), the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

"*Explanation.*—For the removal of doubts it is hereby declared that no sanction shall be required in case of a public servant accused of any offence alleged to have been committed under section 166A, section 166B, section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 370, section 375, section 376, section 376A, section 376C, section 376D or section 509 of the Indian Penal Code."

Insertion of new section 198B.

19. After section 198A of the Code of Criminal Procedure, the following section shall be inserted, namely:—

Cognizance of offence.

"198B. No Court shall take cognizance of an offence punishable under section 376B of the Indian Penal Code where the persons are in a marital relationship, except upon *prima facie* satisfaction of the facts which constitute the offence upon a complaint having been filed or made by the wife against the husband."

Amendment of section 273.

20. In section 273 of the Code of Criminal Procedure, before the *Explanation*, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided that where the evidence of a woman below the age of eighteen years who is alleged to have been subjected to rape or any other sexual offence, is to be recorded, the court may take appropriate measures to ensure that such woman is not confronted by the accused while at the same time ensuring the right of cross-examination of the accused."

Amendment of section 309.

21. In section 309 of the Code of Criminal Procedure, for sub-section (1), the following sub-section shall be substituted, namely:—

"(1) In every inquiry or trial the proceedings shall be continued from day-to-day until all the witnesses in attendance have been examined, unless the Court finds the adjournment of the same beyond the following day to be necessary for reasons to be recorded:

Provided that when the inquiry or trial relates to an offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C or section 376D of the Indian Penal Code, the inquiry or trial shall, as far as possible be completed within a period of two months from the date of filing of the charge sheet."

Amendment of section 327.

22. In section 327 of the Code of Criminal Procedure, in sub-section (2), for the words, figures and letter "or section 376D of the Indian Penal Code", the words, figures and letters "section 376D or section 376E of the Indian Penal Code" shall be substituted.

Insertion of new sections 357B and 357C.

23. After section 357A of the Code of Criminal Procedure, the following sections shall be inserted, namely:—

Compensation to be in addition to fine under section 326A or section 376D of Indian Penal Code.

"357B. The compensation payable by the State Government under section 357A shall be in addition to the payment of fine to the victim under section 326A or section 376D of the Indian Penal Code.

Treatment of victims.

357C. All hospitals, public or private, whether run by the Central Government, the State Government, local bodies or any other person, shall immediately, provide the first-aid or medical treatment, free of cost, to the victims of any offence covered under section 326A, 376, 376A, 376B, 376C, 376D or section 376E of the Indian Penal Code, and shall immediately inform the police of such incident."

45 of 1860.

24. In the First Schedule to the Code of Criminal Procedure, under the heading "I.-OFFENCES UNDER THE INDIAN PENAL CODE",—

Amendment of First Schedule.

(a) after the entries relating to section 166, the following entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"166A	Public servant disobeying direction under law.	Imprisonment for minimum 6 months which may extend to 2 years and fine.	Cognizable	Bailable	Magistrate of the first class.
166B	Non-treatment of victim by hospital.	Imprisonment for 1 year or fine or both.	Non-cognizable	Bailable	Magistrate of the first class."

(b) after the entries relating to section 326, the following entries shall be inserted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"326A	Voluntarily causing grievous hurt by use of acid, etc.	Imprisonment for not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and fine to be paid to the victim.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
326B	Voluntarily throwing or attempting to throw acid.	Imprisonment for 5 years but which may extend to 7 years and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session."

(c) for the entries relating to section 354, the following entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"354	Assault or use of criminal force to woman with intent to outrage her modesty.	Imprisonment of 1 year which may extend to 5 years, and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Any Magistrate.
354A	Sexual harassment of the nature of unwelcome physical contact and advances or a demand or request for sexual favours, showing pornography.	Imprisonment which may extend to 3 years or with fine or with both.	Cognizable	Bailable	Any Magistrate.
	Sexual harassment of the nature of making sexually coloured remark.	Imprisonment which may extend to 1 year or with fine or with both.	Cognizable	Bailable	Any Magistrate.

1	2	3	4	5	6
354B	Assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe.	Imprisonment of not less than 3 years but which may extend to 7 years and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Any Magistrate.
354C	Voyeurism.	Imprisonment of not less than 1 year but which may extend to 3 years and with fine for first conviction.	Cognizable	Bailable	Any Magistrate.
		Imprisonment of not less than 3 years but which may extend to 7 years and with fine for second or subsequent conviction.	Cognizable	Non-bailable	Any Magistrate.
354D	Stalking.	Imprisonment up to 3 years and with fine for first conviction.	Cognizable	Bailable	Any Magistrate.
		Imprisonment up to 5 years and with fine for second or subsequent conviction.	Cognizable	Non-bailable	Any Magistrate.

(d) for the entries relating to section 370, the following entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6
370	Trafficking of person.	Imprisonment of not less than 7 years but which may extend to 10 years and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
	Trafficking of more than one person.	Imprisonment of not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
	Trafficking of a minor.	Imprisonment of not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
	Trafficking of more than one minor	Imprisonment of not less than 14 years but which may extend to imprisonment for life and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.

1	2	3	4	5	6
	Person convicted of offence of trafficking of minor on more than one occasion.	Imprisonment for life which shall mean the remainder of that person's natural life and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
	Public servant or a police officer involved in trafficking of minor.	Imprisonment for life which shall mean the remainder of that person's natural life and with fine	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
370A	Exploitation of a trafficked child.	Imprisonment of not less than 5 years but which may extend to 7 years and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
	Exploitation of a trafficked person.	Imprisonment of not less than 3 years but which may extend to 5 years and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.;

(e) for the entries relating to sections 376, 376A, 376B, 376C and 376D, the following entries shall be substituted, namely:—

1	2	3	4	5	6
"376	Rape.	Rigorous imprisonment of not less than 7 years but which may extend to imprisonment for life and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
	Rape by a police officer or a public servant or member of armed forces or a person being on the management or on the staff of a jail, remand home or other place of custody or women's or children's institution or by a person on the management or on the staff of a hospital, and rape committed by a person in a position of trust or authority towards the person raped or by a near relative of the person raped.	Rigorous imprisonment of not less than 10 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean the remainder of that person's natural life and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.

1	2	3	4	5	6
376A	Person committing an offence of rape and inflicting injury which causes death or causes the woman to be in a persistent vegetative state.	Rigorous imprisonment of not less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
376B	Sexual intercourse by husband upon his wife during separation.	Imprisonment for not less than 2 years but which may extend to 7 years and with fine.	Cognizable (but only on the complaint of the victim)	Bailable	Court of Session.
376C	Sexual intercourse by a person in authority.	Rigorous imprisonment for not less than 5 years but which may extend to 10 years and with fine.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
376D	Gang rape.	Rigorous imprisonment for not less than 20 years but which may extend to imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life and with fine to be paid to the victim.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.
376E	Repeat offenders	Imprisonment for life which shall mean imprisonment for the remainder of that person's natural life or with death.	Cognizable	Non-bailable	Court of Session.

(f) in entry relating to section 509, in column 3, for the words "Simple imprisonment for one year, or fine, or both," the words and figure "Simple imprisonment for 3 years and with fine" shall be substituted.

CHAPTER IV

AMENDMENTS TO THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

1 of 1872.

25. After section 53 of the Indian Evidence Act, 1872 (hereafter in this Chapter referred to as the Evidence Act), the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of new section 53A.

45 of 1860.

"53A. In a prosecution for an offence under section 354, section 354A, section 354B, section 354C, section 354D, section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D or section 376E of the Indian Penal Code or for attempt to commit any such offence, where the question of consent is in issue, evidence of the character of the victim or of such person's previous sexual experience with any person shall not be relevant on the issue of such consent or the quality of consent."

Evidence of character or previous sexual experience not relevant in certain cases.

26. For section 114A of the Evidence Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of new section for section 114A.

45 of 1860.

"114A. In a prosecution for rape under clause (a), clause (b), clause (c), clause (d), clause (e), clause (f), clause (g), clause (h), clause (i), clause (j), clause (k), clause (l), clause (m) or clause (n) of sub-section (2) of section 376 of the Indian Penal Code, where sexual intercourse by the accused is proved and the question is whether it was without the consent of the woman alleged to have been raped and such woman states in her evidence before the court that she did not consent, the court shall presume that she did not consent.

Presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape.

45 of 1860.

Explanation.— In this section, "sexual intercourse" shall mean any of the acts mentioned in clauses (a) to (d) of section 375 of the Indian Penal Code.

27. For section 119 of the Evidence Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of new section for section 119. Witness unable to communicate verbally.

"119. A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing or by signs; but such writing must be written and the signs made in open Court, evidence so given shall be deemed to be oral evidence:

Provided that if the witness is unable to communicate verbally, the Court shall take the assistance of an interpreter or a special educator in recording the statement, and such statement shall be videographed."

28. In section 146 of the Evidence Act, for the proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

Amendment of section 146.

45 of 1860.

"Provided that in a prosecution for an offence under section 376, section 376A, section 376B, section 376C, section 376D or section 376E of the Indian Penal Code or for attempt to commit any such offence, where the question of consent is an issue, it shall not be permissible to adduce evidence or to put questions in the cross-examination of the victim as to the general immoral character, or previous sexual experience, of such victim with any person for proving such consent or the quality of consent."

CHAPTER V

AMENDMENT TO THE PROTECTION OF CHILDREN FROM SEXUAL OFFENCES ACT, 2012

Substitution
of new
sections for
section 42.

Alternate
punishment.

Act not in
derogation of
any other law.

Repeal and
savings.

29. For section 42 of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012, the following sections shall be substituted, namely:—

“42. Where an act or omission constitutes an offence punishable under this Act and also under sections 166A, 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 370A, 375, 376, 376A, 376C, 376D, 376E or section 509 of the Indian Penal Code, then, notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, the offender found guilty of such offence shall be liable to punishment under this Act or under the Indian Penal Code as provides for punishment which is greater in degree.

42A. The provisions of this Act shall be in addition to and not in derogation of the provisions of any other law for the time being in force and, in case of any inconsistency, the provisions of this Act shall have overriding effect on the provisions of any such law to the extent of the inconsistency.”

CHAPTER VI

MISCELLANEOUS

30. (1) The Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Indian Penal Code, the Code of Criminal Procedure, 1973 and the Indian Evidence Act, 1872, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of those Acts, as amended by this Act.

P.K. MALHOTRA,
Secretary to the Govt. of India.

CORRIGENDA

In the Readjustment of Representation of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Parliamentary and Assembly Constituencies Ordinance, 2013 (Ord. 2 of 2013) as published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, dated the 30th January, 2013 (Issue No. 7):—

1. At page 1, in the long title, for "the inclusion", read "inclusion".
2. At page 2, in line 9, for "Sheduled", read "Scheduled".
3. At page 3,—
 - (i) in line 31, for "disolution", read "dissolution";
 - (ii) in line 37, for "ommission", read "omission";
 - (iii) in line 40, for "expedient", read "expedient".

CORRIGENDA

The Criminal Law (Amendment) Ordinance, 2013 (Ord. 3 of 2013) as published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1, dated the 3rd February, 2013 (Issue No. 8):—

1. At page 11, in line 30, for "proviso", read "provisos".
2. At page 15, in column 3 against section 354C, in line 38, for "year", read "years".
3. At page 16, in line 1, for "sections", read "section".

©
भारत सरकार
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय



सत्यमेव जयते

14933

LAW DEPT.
MINISTRY OF
22 APR 1983

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

(1872 का अधिनियम संख्यांक 1)

[1 सितम्बर, 1982 को यथाविद्यमान]

The Indian Evidence Act, 1872

(Act No. 1 of 1872)

[As on the 1st September, 1982]

1983

प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय, शिमला द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशन-नियंत्रक,
भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054 द्वारा प्रकाशित।

मूल्य : (देश में) ₹ 5.65; (विदेश में) £ 0.65 या 2 \$ 00 सेंट्स

PREFACE TO THE FIRST EDITION

This is a diglot edition of the Indian Evidence Act, 1872 as modified upto 1st January, 1965 containing the English text and the authoritative Hindi text thereof. The authorised Hindi version of the Act was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 1A, No. 2, dated January 27, 1965.

The Hindi version of the Indian Evidence Act was prepared by the Official Language (Legislative) Commission and it was published under the authority of the President under section 5 (1) of the Official Languages Act, 1963 and on such publication, it became the authoritative text of that Act in Hindi.

While preparing the Hindi version of the Act, the Commission made use of the Indian language equivalents approved for use as far as possible in all the languages in use in the States. But as some of them may not be readily assimilable in some of these languages, some alternative terms have also been selected by the Commission. These have been shown in a list at the beginning and each such alternative term has been indicated throughout the Hindi text by a number which it bears in the said list.

NEW DELHI :
21ST JUNE, 1965.

R. C. S. SARKAR,
Secretary to the Government of India.

PREFACE TO THE THIRD EDITION


As all the copies of the previous two diglot editions of the Indian Evidence Act, 1872 have been sold the third edition is being published, incorporating the amendments made in it till the 1st June 1976. The present edition also gives legislative history of the Act.

NEW DELHI :
1ST JUNE, 1976.

K. K. SUNDARAM,
Secretary to the Government of India.

Reprinted : { 1st September, 1982

14983



प्रथम संस्करण का प्राक्कथन

यह 1 जनवरी, 1965 तक यथा उपान्तरित भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का द्विभाषीय संस्करण है, जिसमें अधिनियम का अंग्रेजी पाठ तथा प्राधिकृत हिन्दी पाठ अन्तर्विष्ट है। अधिनियम का प्राधिकृत हिन्दी रूपान्तर तारीख 27 जनवरी, 1965 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 2 में प्रकाशित हुआ था।

भारतीय साक्ष्य अधिनियम का हिन्दी रूपान्तर राजभाषा (विधायी) आयोग ने तैयार किया था और यह राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (1) के अधीन राष्ट्रपति के प्राधिकार के अधीन प्रकाशित हुआ और इस प्रकार प्रकाशित होते ही, उस अधिनियम का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ बन गया।

अधिनियम का हिन्दी रूपान्तर तैयार करने में आयोग ने उन भारतीय भाषा-पर्यायों का प्रयोग किया है जिन्हें इस दृष्टि से अपनाया गया है कि जहां तक सम्भव हो उनका प्रयोग वे सभी भाषाएं कर सकें जो राज्यों में प्रयुक्त हो रही हैं। किन्तु हो सकता है कि इनमें से कुछ ऐसे हों जिन्हें उनमें से कुछ भाषाएं सहज ही न पचा सकती हों। अतः आयोग ने कुछ वैकल्पिक शब्दों का भी चयन किया है। ये शब्द प्रारम्भ में ही एक सूची में दिखा दिए गए हैं और ऐसा प्रत्येक वैकल्पिक शब्द हिन्दी पाठ में सर्वत्र एक ऐसी संख्या से उपदर्शित है जो उक्त सूची में उसे दी गई है।

नई दिल्ली :

21 जून, 1965

आर० सी० एस० सरकार ;

सचिव, भारत सरकार।

तृतीय संस्करण का प्राक्कथन

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के दो पूर्व प्रकाशित द्विभाषीय संस्करणों की प्रतियां बिक गई हैं इसलिए इसका तीसरा संस्करण प्रकाशित किया जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में 1 जून, 1976 तक के सभी संशोधनों का समावेश कर दिया गया है। इस संस्करण में अधिनियम का विधायी इतिहास भी दिया गया है।

नई दिल्ली :

1 जून, 1976

के० के० सुन्दरम्,

सचिव, भारत सरकार।

पुनःमुद्रित : { 1 सितम्बर, 1982

LIST OF AMENDING ACTS AND ADAPTATION ORDERS

1. The Indian Evidence Act Amendment Act, 1872 (18 of 1872).
2. The Indian Evidence Act (1872) Amendment Act, 1887 (3 of 1887).
3. The Indian Evidence Act (1872) Amendment Act, 1891 (3 of 1891)
4. The Indian Evidence Act, 1899 (5 of 1899).
5. The Repealing and Amending Act, 1914 (10 of 1914).
6. The Repealing and Amending Act, 1919 (18 of 1919).
7. The Indian Evidence (Amendment) Act, 1926 (31 of 1926).
8. The Repealing and Amending Act, 1927 (10 of 1927).
9. The Amending Act, 1934 (35 of 1934).
10. The Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order, 1937.
11. The Repealing Act, 1938 (1 of 1938)
12. The Indian Independence (Adaptation of Central Acts and Ordinances) Order, 1948.
13. The Repealing and Amending Act, 1949 (40 of 1949).
14. The Adaptation of Laws Order, 1950.
15. The Part B States (Laws) Act, 1951 (3 of 1951)

LIST OF ABBREVIATIONS USED

A. O. 1937	for Government of India (Adaptation of Indian Laws) Order, 1937.
A.O. 1948	„ Indian Independence (Adaptation of Central Acts and Ordinances) Order, 1948.
A. O. 1950	„ Adaptation of Laws Order, 1950.
Cl.	„ Clause.
G.G.	„ Governor General.
G. of I.	„ Government of India.
Ins.	„ Inserted.
L.G.	„ Local Government.
P	„ Page.
Pt.	„ Part.
Reg.	„ Regulation.
Rep.	„ Repealed.
S.	„ Section.
Sch.	„ Schedule.
Subs.	„ Substituted.

22 APR 1995

संशोधन अधिनियमों तथा अनुकूलन आदेशों की सूची

1. भारतीय साक्ष्य अधिनियम संशोधन अधिनियम, 1872 (1872 का 18)।
2. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) संशोधन अधिनियम, 1887 (1887 का 3)।
3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम (1872) संशोधन अधिनियम, 1891 (1891 का 3)।
4. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1899 (1899 का 5)।
5. निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1914 (1914 का 10)।
6. निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1919 (1919 का 18)।
7. भारतीय साक्ष्य संशोधन अधिनियम, 1926 (1926 का 31)।
8. निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1927 (1927 का 10)।
9. संशोधन अधिनियम, 1934 (1934 का 35)।
10. भारत सरकार (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937।
11. निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1)।
12. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948।
13. निरसन तथा संशोधन अधिनियम, 1949 (1949 का 40)।
14. विधि अनुकूलन आदेश, 1950।
15. भाग ख राज्य (विधि) अधिनियम, 1951 (1951 का 3)।

संक्षेपाक्षर

सं० संख्यांक (नम्बर).

THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872

ARRANGEMENT OF SECTIONS

SECTIONS

PREAMBLE

PART I

RELEVANCY OF FACTS

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and commencement.
2. [*Repealed.*]
3. Interpretation-clause.
 - "Court".
 - "Fact".
 - "Relevant".
 - "Fact is issue".
 - "Document".
 - "Evidence".
 - "Proved".
 - "Disproved".
 - "Not proved".
 - "India".
4. "May presume".
 - "Shall presume".
 - "Conclusive proof".

CHAPTER II

OF THE RELEVANCY OF FACTS

5. Evidence may be given of facts in issue and relevant facts.
6. Relevancy of facts forming part of same transaction.
7. Facts which are the occasion, cause or effect of facts in issue.
8. Motive, preparation and previous or subsequent conduct.
9. Facts necessary to explain or introduce relevant facts.
10. Things said or done by conspirator in reference of common design.
11. When facts not otherwise relevant become relevant.
12. In suits for damages, facts tending to enable Court to determine amount are relevant.
13. Facts relevant when right or custom is in question.
14. Facts showing existence of state of mind, or of body or bodily feeling.
15. Facts bearing on question whether act was accidental or intentional.
16. Existence of course of business when relevant.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

धाराओं का क्रम

धाराएं
उद्देशिका

भाग 1

तथ्यों की सुसंगति

अध्याय 1

प्रारम्भिक

	पृष्ठ
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ	1
2. [निरसित]	2
3. निर्वचन-खंड	2
"न्यायालय"	2
"तथ्य"	2
"सुसंगत"	2
"विवाद्यक तथ्य"	2
"दस्तावेज"	3
"साक्ष्य"	3
"साबित"	3
"नासाबित"	3
"साबित नहीं हुआ"	3
"भारत"	3
4. "उपधारणा कर सकेगा"	3
"उपधारणा करेगा"	3
"निश्चायक सबूत"	3

अध्याय 2

तथ्यों की सुसंगति के बिषय में

5. विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा	4
6. एक ही संबन्धवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति	4
7. वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं	5
8. हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण	5
9. सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य	7
10. सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें	8
11. वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत हैं	9
12. नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं	10
13. जब कि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है, तब सुसंगत तथ्य	10
14. मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य	10
15. कार्य आकस्मिक या साशय था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य	13
16. कारबार के अनुक्रम का अस्तित्व कब सुसंगत है	14


SECTIONS

ADMISSIONS

17. Admission defined.
18. Admission—
 - by party to proceeding or his agent;
 - by suitor in representative character;
 - by party interested in subject-matter;
 - by person from whom interest derived.
19. Admissions by persons whose position must be proved as against party to suit.
20. Admissions by persons expressly referred to by party to suit.
21. Proof of admissions against persons making them, and by or on their behalf.
22. When oral admissions as to contents of documents are relevant.
23. Admissions in civil cases when relevant.
24. Confession caused by inducement, threat or promise, when irrelevant in criminal proceeding.
25. Confession to police officer not to be proved.
26. Confession by accused while in custody of police not to be proved against him.
27. How much of information received from accused may be proved.
28. Confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise, relevant.
29. Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy etc.
30. Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offence.
31. Admissions not conclusive proof, but may estop.

STATEMENTS BY PERSONS WHO CANNOT BE CALLED AS WITNESSES

32. Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found, etc., is relevant.
 - When it relates to cause of death;
 - or is made in course of business;
 - or against interest of maker;
 - or gives opinion as to public right or custom, or matters of general interests;
 - or relates to existence of relationship;
 - or is made in will or deed relating to family affairs;
 - or in document relating to transaction mentioned in section 13, clause (a) ;
 - or is made by several persons and expresses feelings relevant to matter in question.
33. Relevancy of certain evidence for proving, in subsequent proceeding, the truth of facts therein stated.



धाराएं

स्वीकृतियां

17.	स्वीकृति की परिभाषा	14
18.	स्वीकृति—	14
	कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा	14
	प्रतिनिधिक रूप से वादकर्ता द्वारा	14
	विषयवस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा	15
	उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो	15
19.	उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए	15
20.	वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां	15
21.	स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना	15
22.	दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं	17
23.	सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं	17
24.	उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दाण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है	17
25.	पुलिस आफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना	17
26.	पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना	17
27.	अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी	18
28.	उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात् की गई संस्वीकृति सुसंगत है	18
29.	अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना	18
30.	साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना	18
31.	स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं किन्तु विबंध कर सकती हैं	19

उन व्यक्तियों के कथन, जिन्हें साक्ष्य में बुलाया नहीं जा सकता

32.	वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिल नहीं सकता, इत्यादि	19
	जबकि वह मृत्यु के कारण से सम्बन्धित है	19
	अथवा कारबार के अनुक्रम में किया गया है	19
	अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध है	19
	अथवा लोक अधिकार या रूढ़ि के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है	19
	अथवा नातेदारी के अस्तित्व से सम्बन्धित है	20
	अथवा कौटुम्बिक बातों से सम्बन्धित विल या विलेख में किया गया है	20
	अथवा धारा 13, खंड (क) में वर्णित संव्यवहार से सम्बन्धित दस्तावेज में किया गया है	20
	अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है	20
33.	किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चात्पूर्ती कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति	22

SECTIONS

STATEMENTS MADE UNDER SPECIAL CIRCUMSTANCES

34. Entries in books of account when relevant.
35. Relevancy of entry in public record made in performance of duty.
36. Relevancy of statements in maps, charts and plans.
37. Relevancy of statement as to fact of public nature, contained in certain acts or notifications.
38. Relevancy of statements as to any law contained in law-books.

HOW MUCH OF A STATEMENT IS TO BE PROVED

39. What evidence to be given when statement forms part of a conversation, document, book or series of letters or papers.

JUDGMENTS OF COURTS OF JUSTICE, WHEN RELEVANT

40. Previous judgments relevant to bar a second suit or trial.
41. Relevancy of certain judgments in probate, etc., jurisdiction.
42. Relevancy and effect of judgments, orders or decrees, other than those mentioned in section 41.
43. Judgments, etc., other than those mentioned in sections 40 to 42, when relevant.
44. Fraud or collusion in obtaining judgment, or incompetency of Court, may be proved.

OPINIONS OF THIRD PERSONS WHEN RELEVANT

45. Opinions of experts.
46. Facts bearing upon opinions of experts.
47. Opinion as to handwriting, when relevant.
48. Opinion as to existence of right or custom, when relevant.
49. Opinions as to usages, tenets, etc., when relevant.
50. Opinion on relationship, when relevant.
51. Grounds of opinion, when relevant.

CHARACTER WHEN RELEVANT

52. In civil cases character to prove conduct imputed, irrelevant.
53. In criminal cases, previous good character relevant.
54. Previous bad character not relevant, except in reply.
55. Character as affecting damages.

PART II

ON PROOF

CHAPTER III

FACTS WHICH NEED NOT BE PROVED

56. Fact judicially noticeable need not be proved.
57. Facts of which Court must take judicial notice.
58. Facts admitted need not be proved.

CHAPTER IV

OF ORAL EVIDENCE

59. Proof of facts by oral evidence.
60. Oral evidence must be direct.

धाराएं

पृष्ठ

विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन

- | | |
|--|----|
| 34. लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं | 22 |
| 35. कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति | 22 |
| 36. मानचित्रों, चाटों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति | 22 |
| 37. किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति | 23 |
| 38. विधि की पुस्तकों में अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति | 23 |

किसी कथन में से कितना साबित किया जाए

- | | |
|--|----|
| 39. जबकि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज-पत्रों की आवलि का भाग हो तब क्या साक्ष्य दिया जाए | 23 |
|--|----|

न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं

- | | |
|---|----|
| 40. द्वितीय वाद या विचारण के वारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत हैं | 23 |
| 41. प्रोवेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति | 24 |
| 42. धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव | 24 |
| 43. धाराओं 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं | 24 |
| 44. निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्संधि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी | 25 |

अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है

- | | |
|--|----|
| 45. विशेषज्ञों की राय | 25 |
| 46. विशेषज्ञों की रायों से सम्बन्धित तथ्य | 26 |
| 47. हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है | 26 |
| 48. अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है | 27 |
| 49. प्रथाओं, सिद्धान्तों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है | 27 |
| 50. नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है | 28 |
| 51. राय के आधार कब सुसंगत है | 28 |

शील कब सुसंगत है

- | | |
|--|----|
| 52. सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है | 28 |
| 53. दण्डिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है | 28 |
| 54. उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है | 28 |
| 55. नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील | 29 |

भाग 2

सबूत के विषय में

अध्याय 3

तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है

- | | |
|---|----|
| 56. न्यायिक रूप से अपेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है | 29 |
| 57. वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी | 29 |
| 58. स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है | 31 |

अध्याय 4

मौखिक साक्ष्य के विषय में

- | | |
|--|----|
| 59. मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना | 31 |
| 60. मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए | 31 |

Arrangement of Sections

SECTIONS

CHAPTER V

OF DOCUMENTARY EVIDENCE

61. Proof of contents of documents.
62. Primary evidence.
63. Secondary evidence.
64. Proof of documents by primary evidence.
65. Cases in which secondary evidence relating to documents may be given.
66. Rules as to notice to produce.
67. Proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produced.
68. Proof of execution of document required by law to be attested.
69. Proof where no attesting witness found.
70. Admission of execution by party to attested document.
71. Proof when attesting witness denies the execution.
72. Proof of document not required by law to be attested.
73. Comparison of signature, writing or seal with others admitted or proved.

PUBLIC DOCUMENTS

74. Public documents.
75. Private documents.
76. Certified copies of public documents.
77. Proof of documents by production of certified copies.
78. Proof of other official documents.

PRESUMPTIONS AS TO DOCUMENTS

79. Presumption as to genuineness of certified copies.
80. Presumption as to documents produced as record of evidence.
81. Presumption as to Gazettes, newspapers, private Acts of Parliament and other documents.
82. Presumption as to document admissible in England without proof of seal or signature.
83. Presumption as to maps or plans made by authority of Government.
84. Presumption as to collections of laws and reports of decisions.
85. Presumption as to powers-of-attorney.
86. Presumption as to certified copies of foreign judicial records.
87. Presumption as to books, maps and charts.
88. Presumption as to telegraphic messages.
89. Presumption as to due execution, etc., of documents not produced.
90. Presumption as to documents thirty years old.

CHAPTER VI

OF THE EXCLUSION OF ORAL BY DOCUMENTARY EVIDENCE

91. Evidence of terms of contracts, grants and other dispositions of property reduced to form of document.

अध्याय 5

दस्तावेजों साक्ष्य के विषय में

61. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत	32
62. प्राथमिक साक्ष्य	32
63. द्वितीयक साक्ष्य	32
64. दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना	33
65. अवस्थाएं जिनमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा	33
66. पेश करने की सूचना के बारे में नियम	34
67. जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना	35
68. ऐसे दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है	35
69. जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले तब सबूत	35
70. अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति	35
71. जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत	35
72. उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है	35
73. हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्यो से जो स्वीकृत या साबित हैं	35

लोक दस्तावेजों

74. लोक दस्तावेजों	36
75. प्राइवेट दस्तावेजों	36
76. लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां	36
77. प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत	36
78. अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत	37

दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं

79. प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा	38
80. साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा	38
81. राजपत्रों, समाचारपत्रों, पार्लिमेंट के प्राइवेट ऐक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा	39
82. मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा	39
83. सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा	39
84. विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा	39
85. मुह्तारनामों के बारे में उपधारणा	39
86. विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा	40
87. पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा	40
88. तार संदेशों के बारे में उपधारणा	41
89. पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा	41
90. तीस वर्ष पुरानी दस्तावेजों के बारे में उपधारणा	41

अध्याय 6

दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में

91. दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा संपत्ति के अन्य व्ययनों के निबन्धनों का साक्ष्य	42
--	----

Arrangement of Sections

SECTIONS

92. Exclusion of evidence of oral agreement.
93. Exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document.
94. Exclusion of evidence against application of document to existing facts.
95. Evidence as to document unmeaning in, reference to existing facts.
96. Evidence as to application of language which can apply to one only of several persons.
97. Evidence as to application of language to one of two sets of facts, to neither of which the whole correctly applies.
98. Evidence as to meaning of illegible characters etc.
99. Who may give evidence of agreement varying terms of document.
100. Saving of provisions of Indian Succession Act relating to wills.

PART III

PRODUCTION AND EFFECT OF EVIDENCE

CHAPTER VII

OF THE BURDEN OF PROOF

101. Burden of proof.
102. On whom burden of proof lies.
103. Burden of proof as to particular fact.
104. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.
105. Burden of proving that case of accused comes within exceptions.
106. Burden of proving fact especially within knowledge.
107. Burden of proving death of person known to have been alive within thirty years.
108. Burden of proving that person is alive who has not been heard of for seven years.
109. Burden of proof as to relationship in the cases of partners, landlord and tenant, principal and agent.
110. Burden of proof as to ownership.
111. Proof of good faith in transactions where one party is in relation of active confidence.
112. Birth during marriage, conclusive proof of legitimacy.
113. Proof of cession of territory.
114. Court may presume existence of certain facts.

CHAPTER VIII

ESTOPPEL

115. Estoppel.
116. Estoppel of tenant; and of licensee of person in possession.
117. Estoppel of acceptor of bill of exchange, bailor or licensee.

CHAPTER IX

OF WITNESSES

118. Who may testify.
119. Dumb witnesses.
120. Parties to civil suit, and their wives or husbands.
Husband or wife of person under criminal trial.

धाराएं	पृष्ठ
92. मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन	43
93. संदिग्धार्थ दस्तावेजों को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन	45
94. विद्यमानतथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन	45
95. विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य	45
96. उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है	46
97. तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक-ठीक लागू नहीं होती, उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य	46
98. न पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य	46
99. दस्तावेज के निबन्धनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन दे सकेगा	46
100. भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विलम्ब सम्बन्धी उपबन्धों की व्यावृत्ति	47

भाग 3

साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव

अध्याय 7

सबूत के भार के विषय में

101. सबूत का भार	47
102. सबूत का भार किस पर होता है	47
103. विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार	48
104. साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार	48
105. यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है	48
106. विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार	49
107. उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है	49
108. यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है	49
109. भागीदारों, भू-स्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार	49
110. स्वामित्व के बारे में सबूत का भार	50
111. उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का सम्बन्ध सक्रिय विश्वास का है	50
112. विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है	50
113. राज्यक्षेत्र के अर्घ्यर्पण का सबूत	50
114. न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा	50

अध्याय 8

विबन्ध

115. विबन्ध	52
116. अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध	52
117. विनिमयपत्र के प्रतिगृहीता का, उपनिहिती का या अनुज्ञप्तिधारी का विबन्ध	53

अध्याय 9

साक्षियों के विषय में

118. कौन साक्ष्य दे सकेगा	53
119. सूक साक्षी	53
120. सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति दाण्डिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी	53

SECTIONS

- 121. Judges and Magistrates.
- 122. Communications during marriage.
- 123. Evidence as to affairs of State.
- 124. Official communications.
- 125. Information as to commission of offences.
- 126. Professional communications.
- 127. Section 126 to apply to interpreters, etc.
- 128. Privilege not waived by volunteering evidence.
- 129. Confidential communications with legal advisers.
- 130. Production of title-deeds of witness not a party.
- 131. Production of documents which another person, having possession, could refuse to produce.
- 132. Witness not excused from answering on ground that answer will criminate. Proviso.
- 133. Accomplice.
- 134. Number of witnesses.

CHAPTER X

OF THE EXAMINATION OF WITNESSES

- 135. Order of production and examination of witnesses.
- 136. Judge to decide as to admissibility of evidence.
- 137. Examination-in-chief.
Cross-examination.
Re-examination.
- 138. Order of examinations.
Direction of re-examination.
- 139. Cross-examination of person called to produce a document.
- 140. Witnesses to character.
- 141. Leading questions.
- 142. When they must not be asked.
- 143. When they may be asked.
- 144. Evidence as to matters in writing.
- 145. Cross-examination as to previous statements in writing.
- 146. Questions lawful in cross-examination.
- 147. When witness to be compelled to answer.
- 148. Court to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer.

धाराएं	पृष्ठ
121. न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट	53
122. विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं	54
123. राज्य का कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य	54
124. शासकीय संसूचनाएं	54
125. अपराधों के करने के बारे में जानकारी	54
126. वृत्तिक संसूचनाएं	54
127. धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी	55
128. साक्ष्य देने के लिए स्वयमेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभित्यक्त नहीं हो जाता	56
129. विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं	56
130. जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक-विलेखों का पेश किया जाना	56
131. उन दस्तावेजों का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इंकार कर सकता था	56
132. इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा	56
परन्तुक	56
133. सह-अपराधी	56
134. साक्षियों की संख्या	57

अध्याय 10

साक्षियों की परीक्षा के विषय में

135. साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम	57
136. न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा	57
137. मुख्य परीक्षा	58
प्रतिपरीक्षा	58
पुनः परीक्षा	58
138. परीक्षाओं का क्रम	58
पुनः परीक्षा की दशा	58
139. किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा	58
140. शील का साक्ष्य देने वाले साक्षी	58
141. सूचक प्रश्न	58
142. उन्हें कब नहीं पूछना चाहिए	58
143. उन्हें कब पूछा जा सकेगा	59
144. लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य	59
145. पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा	59
146. प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न	59
147. साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए	60
148. न्यायालय विनिश्चित करेगा कि कब प्रश्न पूछा जाएगा और साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाएगा	60

Arrangement of Sections

SECTIONS

149. Question not to be asked without reasonable grounds.
150. Procedure of Court in case of question being asked without reasonable grounds.
151. Indecent and scandalous questions.
152. Questions intended to insult or annoy.
153. Exclusion of evidence to contradict answers to questions testing veracity.
154. Question by party to his own witness.
155. Impeaching credit of witness.
156. Questions tending to corroborate evidence of relevant fact, admissible.
157. Former statements of witness may be proved to corroborate later testimony as to same fact.
158. What matters may be proved in connection with proved statement relevant under section 32 or 33.
159. Refreshing memory.
When witness may use copy of document to refresh memory.
160. Testimony to facts stated in document mentioned in section 159.
161. Right of adverse party as to writing used to refresh memory.
162. Production of documents.
Translation of documents.
163. Giving, as evidence, of document called for and produced on notice.
164. Using, as evidence, of document production of which was refused on notice.
165. Judge's power to put questions or order production.
166. Power of jury or assessors to put questions.

CHAPTER XI

OF IMPROPER ADMISSION AND REJECTION OF EVIDENCE

167. No new trial for improper admission or rejection of evidence.

THE SCHEDULE.—[Repealed].

धाराएं	पृष्ठ
149. युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा	60
150. युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया	61
151. अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न	61
152. अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न	61
153. सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खण्डन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन	61
154. पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न	62
155. साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप	62
156. सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की सम्पुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे	63
157. उसी तथ्य के बारे में पश्चात्पूर्वी अभिसाक्ष्य की संपुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे	64
158. साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत हैं, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी	64
159. स्मृति ताजी करना साक्षी स्मृति ताजी करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि का उपयोग कब कर सकेगा	64
160. धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य	64
161. स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार	64
162. दस्तावेजों का पेश किया जाना दस्तावेजों का अनुवाद	65
163. मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज का साक्ष्य के रूप में दिया जाना	65
164. सूचना पाने पर जिस दस्तावेज के पेश करने से इंकार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना	65
165. प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति	65
166. जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति	66

अध्याय 11

साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अनुग्रहण के विषय में

167. साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा	66
अनुसूची—[निरसित 1]	66

THE INDIAN EVIDENCE ACT, 1872.

(ACT No. 1 OF 1872)¹

[15th March, 1872]

Preamble.

WHEREAS it is expedient to consolidate, define and amend the law of Evidence; It is hereby enacted as follows :—

PART I

RELEVANCY OF FACTS

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title, extent and commencement.

1. This Act may be called the Indian Evidence Act, 1872.

²It extends to the whole of India ³[except the State of Jammu and Kashmir] and applies to all judicial proceedings in or before any Court, including Courts-martial, ⁴[other than Courts-martial convened under the Army Act.] ⁵[the Naval Discipline Act or ⁶* * * the Indian Navy (Discipline) Act, 1934], ⁸[or the Air Force Act] but not to affidavits presented to any Court or Officer, nor to proceedings before an arbitrator;

44 & 45 Vict., c. 58
29 & 30 Vict., c. 109,
34 of 1934, 7
Geo. 5, c. 51

And it shall come into force on the first day of September, 1872.

1. For Statement of Objects and Reasons see Gazette of India, 1868, p. 1574; for the draft or preliminary Report of the Select Committee, dated 31st March, 1871, see *ibid.*, 1871, Pt. V, p. 273 and for the second Report of the Select Committee, dated 30th January, 1872, see *ibid.*, 1872, Pt. V, p. 34; for discussion in Council, see *ibid.*, 1868, Supplement, pp. 1060 and 1209, *ibid.*, 1871, Extra Supplement, p. 42, and Supplement, p. 1641, and *ibid.*, 1872, pp. 136 and 230.

2. This Act has been extended to Berar by the Berar Laws Act, 1941 (4 of 1941) and has been declared to be in force in the Sonthal Parganas by the Sonthal Parganas Settlement Regulation, 1872 (3 of 1872), s. 3; in Panth Piploda by the Panth Piploda Laws Regulation, 1929 (1 of 1929); in the Khondmals Districts by the Khondmals Laws Regulation, 1936 (4 of 1936), s. 3 and Sch.; and in the Angul District by the Angul Laws Regulation, 1936 (5 of 1936), s. 3 and Sch.; also by notification under s. 3 (a) of the Scheduled Districts Act, 1874 (14 of 1874); in the following Scheduled Districts, namely, the Districts of Hazaribagh, Lohardaga (now the Ranchi District—see Calcutta Gazette, 1899, Pt. I, p. 44) and Manbhum and Pargana Dhalbhum and the Kolhan in the District of Singhbhum—see Gazette of India, 1881, Pt. I, p. 504 (the Lohardaga or Ranchi District included at this time the Palamau District, separated in 1894); and the Tarai of the Province of Agra, *ibid.*, 1876, Pt. I, p. 505; Ganjam and Vizagapatam—see Gazette of India, 1899, Part I, p. 720.

This Act has been extended also to Dadra and Nagar Haveli by Reg. 6 of 1963, s. 2 and Sch. I; to Pondicherry by Reg. 7 of 1963, s. 3 and Sch. I; to Goa, Daman and Diu by Reg. 11 of 1963, s. 3 and Sch. and to Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands by Reg. 8 of 1965, s. 3 and Sch.

3. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "except Part B States".
4. Ins. by Act 18 of 1919, s. 2 and Sch. I See s. 127 of the Army Act (44 and 45 Vict, c. 58).
5. Ins. by Act 35 of 1934, s. 2 and Sch.
6. The words "that Act as modified by" omitted by the A.O. 1950.
7. See now the Navy Act, 1957 (64 of 1957).
8. Ins. by Act 10 of 1927, s. 2 and Sch. I.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872

(1872 का अधिनियम संख्यांक-1)¹

[15 मार्च 1872]

साक्ष्य की विधि का समेकन, परिभाषा और संशोधन करना समीचीन है, अतः एतद्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित किया जाता है :

भाग 1

तथ्यों की सुसंगति

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. यह अधिनियम भारतीय साक्ष्य-अधिनियम, 1872 कहा जा सकेगा।

²इसका विस्तार ³[जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय] सम्पूर्ण भारत पर है और यह किसी न्यायालय में या के समक्ष की जिसके अन्तर्गत ⁴[आर्मी ऐक्ट, ⁵[नेवल डिसिप्लिन ऐक्ट या इण्डियन नेवी (डिसिप्लिन) ऐक्ट, 1934⁷] ⁶**** ⁸[या एअर फोर्स ऐक्ट] के अधीन संयोजित सेना न्यायालयों से भिन्न] सेना न्यायालय आते हैं, समस्त न्यायिक कार्यवाहियों को लागू है, किन्तु न तो किसी न्यायालय या आफिसर के समक्ष पेश किए शपथ-पत्रों को लागू है और न किसी मध्यस्थ के समक्ष की कार्यवाहियों को;

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

44 तथा 45 विक्टो, प्र. 58
29 और 30 तथा विक्ट., 109.
1934 का 34.7 जा. 5, अ. 51

और यह 1872 के सितम्बर के प्रथम दिन को प्रवृत्त होगा।

1. उद्देश्यों और कारणों के कथन के लिए, देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1868, पृष्ठ 1574; प्रवर समिति के प्रारूप या प्रारम्भिक रिपोर्ट, तारीख 31 मार्च, 1871 के लिए देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1871, भाग 5, पृष्ठ 273 और प्रवर समिति की द्वितीय रिपोर्ट, तारीख 30 जनवरी, 1872 के लिए, देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1872, भाग 5, पृष्ठ 34; परिषद में हुए विचार-विमर्श के लिए देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1868, अनुपूरक, पृष्ठ 1060 तथा 1209, भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1871, अतिरिक्त अनुपूरक, पृष्ठ 42, तथा अनुपूरक पृष्ठ 1641, और भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1872, पृष्ठ 136 तथा 230।

2. इस अधिनियम का विस्तार बरार पर बरार विधि अधिनियम, 1941 (1941 का 4) द्वारा किया गया है और इसे संथाल परगना व्यवस्थापन विनियम, 1872 (1872 का 3) की धारा 3 द्वारा संथाल परगनों में, पंच पिपलोड विधि विनियम, 1929 (1929 का 1) द्वारा पय पिपलोड में, खोण्डमल विधि विनियम, 1936 (1936 का 4) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा खोण्डमल जिले में, और अंगूल विधि विनियम, 1936 (1936 का 5) की धारा 3 और अनुसूची द्वारा अंगूल जिले में प्रवृत्त घोषित किया गया है। इसे अनसूचित जिला अधिनियम, 1874 (1874 का 14) की धारा 3 (क) के अधीन अधिसूचना द्वारा भी निम्नलिखित अधिसूचित जिलों में प्रवृत्त घोषित किया गया है, अर्थात् हुजारीबाग, लोहारडागा (जो अब रांची जिला है—देखिए कलकत्ता राजपत्र 1899, भाग 1, पृष्ठ 44) के जिले और सिंहभूम के जिले में परगना डालभूम तथा कोलहन—देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1881, भाग 1, पृष्ठ 504 (लोहारडागा या रांची जिला, जिसे इस समय पाला-माऊ जिले में सम्मिलित कर लिया है, 1894 में पृथक् कर दिया गया था); और आगरा प्रान्त की तराई—देखिए भारत का राजपत्र (अंग्रेजी), 1876, भाग 1, पृष्ठ 505, संजाम तथा विजयापट्टम—देखिए भारत का राजपत्र, 1899 भाग 1, पृष्ठ 720। इस अधिनियम का विस्तार दादरा तथा नागर हवेली पर 1963 के विनियम सं० 6 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा; पाँडिचेरी पर 1963 के विनियम सं० 7 की धारा 3 और अनुसूची 1 द्वारा, गोवा, दमण तथा दीव पर 1963 के विनियम सं० 11 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा और लक्कादीव, मिनिकोय और अमीन दीवी द्वीप पर 1965 के विनियम सं० 8 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा किया गया है।

3. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग ख राज्यों के सिवाय" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. 1919 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अन्तःस्थापित। देखिए सेना अधिनियम (44 तथा 45 विक्ट., अध्याय 58) की धारा 127।
5. 1934 के अधिनियम सं० 35 की धारा 2 और अनुसूची द्वारा अन्तःस्थापित।
6. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "द्वारा यथा संशोधित अधिनियम" शब्दों का लोप किया गया।
7. अब देखिए नौसेना अधिनियम, 1957 (1957 का 64)।
8. 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. [Repeal of enactments.] Rep. by the Repealing Act, 1938 (1 of 1938), s. 2 and Sch.

Interpretation-
clause.

3. In this Act the following words and expressions are used in the following senses, unless a contrary intention appears from the context :—

“Court.”

“Court” includes all Judges and Magistrates, and all persons, except arbitrators, legally authorized to take evidence.

“Fact.”

“Fact” means and includes—

- (1) any thing, state of things, or relation of things, capable of being perceived by the senses;
- (2) any mental condition of which any person is conscious.

Illustrations

- (a) That there are certain objects arranged in a certain order in a certain place, is a fact.
- (b) That a man heard or saw something, is a fact.
- (c) That a man said certain words, is a fact.
- (d) That a man holds a certain opinion, has a certain intention, acts in good faith or fraudulently, or uses a particular word in a particular sense, or is or was at a specified time conscious of a particular sensation, is a fact.
- (e) That a man has a certain reputation, is a fact.

“Relevant.”

One fact is said to be relevant to another when the one is connected with the other in any of the ways referred to in the provisions of this Act relating to the relevancy of facts.

“Facts in issue.”

The expression “facts in issue” means and includes—

any fact from which, either by itself or in connection with other facts, the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability, or disability, asserted or denied in any suit or proceeding, necessarily follows.

Explanation.—Whenever, under the provisions of the law for the time being in force relating to Civil Procedure, any Court records an issue of fact, the fact to be asserted or denied in the answer to such issue is a fact in issue.

Illustrations

A is accused of the murder of B.

At his trial the following facts may be in issue :—

That A caused B's death ;

That A intended to cause B's death ;

That A had received grave and sudden provocation from B;

That A, at the time of doing the act which caused B's death, was, by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing its nature.

2. [अधिनियमितियों का निरसन] निरसन अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित ।

3. इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया निर्वचन-खण्ड ।
है; जब तक कि संदर्भ से तत्प्रतिकूल आशय प्रतीत न हो—

“न्यायालय” शब्द के अन्तर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य “न्यायालय ।”
लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं ।

“तथ्य” से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आती हैं —

“तथ्य ।”

- (1) ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था, या वस्तुओं का सम्बन्ध जो इन्द्रियों द्वारा बोधगम्य हो ;
- (2) कोई मानसिक दशा, जिसका भान किसी व्यक्ति को हो ।

वृष्टांत

(क) यह कि अमुक स्थान में अमुक क्रम से अमुक पदार्थ व्यवस्थित हैं, एक तथ्य है ।

(ख) यह कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है ।

(ग) यह कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है ।

(घ) यह कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावपूर्वक या कपटपूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उस किसी विशिष्ट संवेदना का भान है या किसी विनिर्दिष्ट समय में था, एक तथ्य है ।

(ङ) यह कि किसी मनुष्य की अमुक ख्याति है, एक तथ्य है ।

एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है जब कि तथ्यों की सुसंगति से सम्बन्धित इस अधि- “सुसंगत ।”
नियम के उपबन्धों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी भी प्रकार से वह तथ्य उस दूसरे तथ्य से संसक्त हो ।

“विवाचक तथ्य” से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आता है—

“विवाचक तथ्य ।”

ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले ही से, या अन्य तथ्यों के संसंग में किसी ऐसे अधिकार दायित्व या नियोग्यता के, जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनस्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उपपत्ति अवश्यमेव होती है ।

स्पष्टीकरण—जब कभी कोई न्यायालय विवाचक तथ्य को सिविल प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबन्धों के अधीन अभिलिखित करता है, तब ऐसे विवाचक के उत्तर में जिस तथ्य का प्राख्यान या प्रत्याख्यान किया जाना है, वह विवाचक तथ्य है ।

वृष्टांत

ख की हत्या का क अभियुक्त है ।

उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाच्य हो सकते हैं :—

यह कि क ने ख की मृत्यु कारित की,

यह कि क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था,

यह कि क को ख से गम्भीर और अचानक प्रकोपन मिला था,

यह कि ख की मृत्यु कारित करने का कार्य करते समय क चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था ।

“Document.”

“Document” means any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks, or by more than one of those means, intended to be used, or which may be used, for the purpose of recording that matter.

Illustrations

A writing is a document;

Words printed, lithographed or photographed are documents;

A map or plan is a document;

An inscription on a metal plate or stone is a document;

A caricature is a document.

“Evidence.”

“Evidence” means and includes—

(1) all statements which the Court permits or requires to be made before it by witnesses, in relation to matters of fact under inquiry;

such statements are called oral evidence;

(2) all documents produced for the inspection of the Court;

such documents are called documentary evidence.

“Proved.”

A fact is said to be proved when, after considering the matters before it, the Court either believes it to exist, or considers its existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it exists.

“Disproved.”

A fact is said to be disproved when, after considering the matters before it, the Court either believes that it does not exist, or considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of the particular case, to act upon the supposition that it does not exist.

“Not proved.”

A fact is said not to be proved when it is neither proved nor disproved.

“India.”

1[“India” means the territory of India excluding the State of Jammu and Kashmir.]

“May presume.”

4: Whenever it is provided by this Act that the Court may presume a fact, it may either regard such fact as proved, unless and until it is disproved, or may call for proof of it :

“Shall presume.”

Whenever it is directed by this Act that the Court shall presume a fact, it shall regard such fact as proved, unless and until it is disproved :

“Conclusive proof.”

When one fact is declared by this Act to be conclusive proof of another, the Court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved, and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it.

1. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for the definition of “State” and “States”, which was ins. by the A. O. 1950.

“दस्तावेज” से ऐसा कोई विषय अभिप्रेत है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के साधन द्वारा या उनमें से एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया है जो उस विषय के अभिलेखन के प्रयोजन से उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके। “दस्तावेज।”

दृष्टांत

लेख दस्तावेज है;

मुद्रित, शिला मुद्रित या फोटोचित्रित शब्द दस्तावेज हैं;

मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है;

धातुपट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख दस्तावेज है;

उपहासांकन दस्तावेज है।

“साक्ष्य” शब्द से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं —

“साक्ष्य।”

(1) वे सभी कथन जिनके, जांचाधीन तथ्य के विषयों के सम्बन्ध में न्यायालय अपने सामने साक्षियों द्वारा किए जाने की अनुज्ञा देता है, या अपेक्षा करता है;

ऐसे कथन मौखिक साक्ष्य कहलाते हैं;

(2) न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सब दस्तावेजें;

ऐसी दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य कहलाती हैं।

कोई तथ्य साबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष के विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व है। “साबित।”

कोई तथ्य नासाबित हुआ कहा जाता है, जब न्यायालय अपने समक्ष विषयों पर विचार करने के पश्चात् या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिए कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। “नासाबित।”

कोई तथ्य साबित नहीं हुआ कहा जाता है, जब वह न तो साबित किया गया हो और न नासाबित। “साबित नहीं हुआ।”

[“भारत” से जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है।]

“भारत।”

4. जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह उपबन्धित है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, वहां न्यायालय या तो ऐसे तथ्य को साबित हुआ मान सकेगा, यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है, या उसके सबूत की मांग कर सकेगा। “उपधारणा कर सकेगा।”

जहां कहीं इस अधिनियम द्वारा यह निर्दिष्ट है कि न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा करेगा, वहां न्यायालय ऐसे तथ्य को साबित मानेगा यदि और जब तक वह नासाबित नहीं किया जाता है। “उपधारणा करेगा।”

जहां कि इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य किसी अन्य तथ्य का निश्चायक सबूत घोषित किया गया है, वहां न्यायालय उस एक तथ्य के साबित हो जाने पर उस अन्य को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा। “निश्चायक सबूत।”

1. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा “राज्य” तथा “राज्यों” की परिभाषा के स्थान पर प्रतिस्थापित, जो विधि अनुसूची अधिनियम 1950 द्वारा अंतर्स्थापित की गई थी।

CHAPTER II

OF THE RELEVANCY OF FACTS

Evidence may be given of facts in issue and relevant facts.

5. Evidence may be given in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant, and of no others.

Explanation.—This section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to Civil Procedure.¹

Illustrations

(a) A is tried for the murder of B by beating him with a club with the intention of causing his death.

At A's trial the following facts are in issue:—

A's beating B with the club;

A's causing B's death by such beating;

A's intention to cause B's death.

(b) A suitor does not bring with him, and have in readiness for production at the first hearing of the case, a bond on which he relies. This section does not enable him to produce the bond or prove its contents at a subsequent stage of the proceedings, otherwise than in accordance with the conditions prescribed by the Code of Civil Procedure.¹

Relevancy of facts forming part of same transaction.

6. Facts which, though not in issue, are so connected with a fact in issue as to form part of the same transaction, are relevant, whether they occurred at the same time and place or at different times and places.

Illustrations

(a) A is accused of the murder of B by beating him. Whatever was said or done by A or B or the by-standers at the beating, or so shortly before or after it as to form part of the transaction, is a relevant fact.

(b) A is accused of waging war against the [Government of India] by taking part in an armed insurrection in which property is destroyed, troops are attacked and goals are broken open. The occurrence of these facts is relevant, as forming part of the general transaction, though A may not have been present at all of them.

(c) A sues B for a libel contained in a letter forming part of a correspondence. Letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose, and forming part of the correspondence in which it is contained, are relevant facts, though they do not contain the libel itself.

1. See now the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).

2. Subs. by the A.O. 1950, for "Queen";

अध्याय 2

तथ्यों की सुसंगति के विषय में

5. किसी वाद या कार्यवाही में हर विवाद्यक तथ्य के और ऐसे अन्य तथ्यों के, जिन्हें एतस्मिन्-पश्चात् सुसंगत घोषित किया गया है, अस्तित्व या अनस्तित्व का साक्ष्य दिया जा सकेगा और किन्हीं अन्यो का नहीं।

विवाद्यक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—यह धारा किसी व्यक्ति को ऐसे तथ्य का साक्ष्य देने के लिए योग्य नहीं बनाएगी, जिसमें सिविल प्रक्रिया से सम्बन्धित किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के किसी उपबन्ध द्वारा वह साबित करने से निर्हंकित कर दिया गया है।

वृष्टांत

(क) ख की मृत्यु कारित करने के आशय से उसे लाठी मार कर उसकी हत्या कारित करने के लिए क का विचारण किया जाता है।

क के विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवाद्य हैं :—

क का ख को लाठी से मारना;

क का ऐसी मार द्वारा ख की मृत्यु कारित करना;

ख की मृत्यु कारित करने का क का आशय।

(ख) एक वादकर्ता अपने साथ वह बन्धपत्र, जिस पर वह निर्भर करता है, मामले की पहली सुनवाई पर अपने साथ नहीं लाता और पेश करने के लिए तैयार नहीं रखता। यह धारा उसे इस योग्य नहीं बनाती कि सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा विहित शर्तों के अनुकूल वह उस कार्यवाही के उत्तरवर्ती प्रक्रम में उस बन्धपत्र को पेश कर सके या उसकी अन्तर्बस्तु को साबित कर सके।

6. जो तथ्य विवाद्य न होते हुए भी किसी विवाद्यक तथ्य से उस प्रकार संसन्त हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग हैं, वे तथ्य सुसंगत हैं, चाहे वे उसी समय और उसी स्थान पर या विभिन्न समयों और पर घटित हुए हों।

एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों की सुसंगति।

वृष्टांत

(क) ख को पीट कर उसकी हत्या करने का क अभियुक्त है। क या ख या पास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी पिटाई के समय या उससे इतने अल्पकाल पूर्व या पश्चात् कहा या किया गया था कि वह उसी संव्यवहार का भाग बन गया है, वह सुसंगत तथ्य है।

(ख) क एक सशस्त्र विप्लव में भाग लेकर, जिसमें सम्पत्ति नष्ट की जाती है, फौजों पर आक्रमण किया जाता है और जेलें तोड़ कर खोली जाती हैं। ¹[भारत सरकार] के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। इन तथ्यों का घटित होना साधारण संव्यवहार का भाग होने के नाते सुसंगत है, चाहे क उन सभी में उपस्थित न रहा हो।

(ग) क एक पत्र में, जो एक पत्र-व्यवहार का भाग है, अन्तर्विष्ट अपमान-लेख के लिए ख पर बाद लाता है। जिस विषय में अपमान-लेख उद्भूत हुआ है, उससे सम्बन्ध रखने वाली पक्षकारों के बीच जितनी चिट्ठियां उस पत्र-व्यवहार का भाग हैं जिसमें वह अन्तर्विष्ट है, वे सुसंगत तथ्य हैं, चाहे उनमें वह अपमान-लेख स्वयं अन्तर्विष्ट न हो।

1. अब देखिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5)।

2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "क्वीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(d) The question is, whether certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact.

Facts which are the occasion, cause or effect of facts in issue.

7. Facts which are the occasion, cause, or effect, immediate or otherwise, of relevant facts, or facts in issue, or which constitute the state of things under which they happened, or which afforded an opportunity for their occurrence or transaction, are relevant.

Illustrations

(a) The question is, whether A robbed B.

The facts that, shortly before the robbery, B went to a fair with money in his possession, and that he showed it, or mentioned the fact that he had it, to third persons, are relevant.

(b) The question is, whether A murdered B.

Marks on the ground, produced by a struggle at or near the place where the murder was committed, are relevant facts.

(c) The question is, whether A Poisoned B.

The state of B's health before the symptoms ascribed to poison, and habits of B, known to A, which afforded an opportunity for the administration of poison, are relevant facts.

Motive, preparation and previous or subsequent conduct.

8. Any fact is relevant which shows or constitutes a motive or preparation for any fact in issue or relevant fact.

The conduct of any party, or of any agent to any party, to any suit or proceeding, in reference to such suit or proceeding, or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person an offence against whom is the subject of any proceeding, is relevant, if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact, and whether it was previous or subsequent thereto.

Explanation 1.—The word “conduct” in this section does not include statements, unless those statements accompany and explain acts other than statements, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this Act.

Explanation 2.—When the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing, which affects such conduct, is relevant.

Illustrations

(a) A is tried for the murder of B.

The facts that A murdered C, that B knew that A had murdered C, and that B tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public, are relevant.

(घ) प्रश्न यह है कि क्या ख से आदिष्ट अनुक माल क को परिदत्त किया गया था। वह माल, अनुक्रमशः कई मध्यवर्ती व्यक्तियों को परिदत्त किया गया था। हर एक परिदान सुसंगत तथ्य है।

7. वे तथ्य सुसंगत हैं, जो सुसंगत तथ्यों के या विवाद्यक तथ्यों के अव्यवहित या अन्यथा प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं, या जो उस वस्तुस्थिति को गठित करते हैं, जिसके अन्तर्गत वे घटित हुए या जिसने उनके घटन या संव्यवहार का अवसर दिया।

वे तथ्य जो विवाद्यक तथ्यों के प्रसंग, हेतुक या परिणाम हैं।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा।

ये तथ्य सुसंगत हैं कि लूट के थोड़ी देर पहले ख अपने कब्जे में धन लेकर किसी मेले में गया, और उसने दूसरे व्यक्तियों को उसे दिखाया या उनसे इस तथ्य का कि उसके पास धन है, उल्लेख किया।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख की हत्या की।

उस स्थान पर जहां हत्या की गई थी या उसके समीप भूमि पर गुत्थम-गत्या में बने हुए चिह्न सुसंगत तथ्य हैं।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को विष दिया।

विष से उत्पन्न कहे जाने वाले लक्षणों के पूर्व ख के स्वास्थ्य की दशा और क को ज्ञात ख की वे आदतें, जिनसे विष देने का अवसर मिला, सुसंगत तथ्य हैं।

8. कोई भी तथ्य, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का हेतु या तैयारी दक्षित या गठित करता है, सुसंगत है।

हेतु, तैयारी और पूर्व का या पश्चात् का आचरण।

किसी वाद या कार्यवाही के किसी पक्षकार या किसी पक्षकार के अभिकर्ता का ऐसे वाद या कार्यवाही के बारे में या उसमें विवाद्यक तथ्य या उससे सुसंगत किसी तथ्य के बारे में आचरण और किसी ऐसे व्यक्ति का आचरण, जिसके विरुद्ध कोई अपराध किसी कार्यवाही का विषय है, सुसंगत है, यदि ऐसा आचरण किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य को प्रभावित करता है या उससे प्रभावित होता है, चाहे वह उससे पूर्व का हो या पश्चात् का।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा में “आचरण” शब्द के अन्तर्गत कथन नहीं आते; जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ-साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले न हों, किन्तु इस अधिनियम की किसी अन्य धारा के अधीन उन कथनों की सुसंगति पर इस स्पष्टीकरण का प्रभाव नहीं पड़ेगा।

स्पष्टीकरण 2—जब किसी व्यक्ति का आचरण सुसंगत है, तब उससे, या उसकी उपस्थिति और श्रवणगोचरता में किया गया कोई भी कथन, जो उस आचरण पर प्रभाव डालता है, सुसंगत है।

दृष्टांत

(क) ख की हत्या के लिए क का विचारण किया जाता है।

ये तथ्य कि क ने ग की हत्या की, कि ख जानता था कि क ने ग की हत्या की है और कि ख ने अपनी इस जानकारी को लोक विदित करने की धमकी देकर क से धन उच्चापित करने का प्रयत्न किया था, सुसंगत है।

(b) A sues B upon a bond for the payment of money. B denies the making of the bond.

The fact that, at the time when the bond was alleged to be made, B required money for a particular purpose, is relevant.

(c) A is tried for the murder of B by poison.

The fact that, before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B, is relevant.

(d) The question is, whether a certain document is the will of A.

The facts that, not long before the date of the alleged will, A made inquiry into matters to which the provisions of the alleged will relate; that he consulted vakils in reference to making the will, and that he caused drafts of other wills to be prepared of which he did not approve, are relevant.

(e) A is accused of a crime.

The facts that, either before or at the time of, or after the alleged crime, A provided evidence which would tend to give to the facts of the case an appearance favourable to himself, or that he destroyed or concealed evidence, or prevented the presence or procured the absence of persons who might have been witnesses, or suborned persons to give false evidence respecting it, are relevant.

(f) The question is, whether A robbed B.

The facts that, after B was robbed, C said in A's presence—"the police are coming to look for the man who robbed B," and that immediately afterwards A ran away, are relevant.

(g) The question is, whether A owes B rupees 10,000.

The facts that A asked C to lend him money, and that D said to C in A's presence and hearing—"I advise you not to trust A, for he owes B 10,000 rupees," and that A went away without making any answer, are relevant facts.

(h) The question is, whether A committed a crime.

The fact that A absconded after receiving a letter warning him that inquiry was being made for the criminal, and the contents of the letter, are relevant.

(ख) क बन्धपत्र के आधार पर रुपए के संदाय के लिए ख पर वाद लाता है। ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि उसने बन्धपत्र लिखा।

यह तथ्य सुसंगत है कि उस समय, जब बन्धपत्र का लिखा जाना अभिकथित है, ख को किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए धन चाहिए था।

(ग) विष द्वारा ख की हत्या करने के लिए क को विचारण किया जाता है।

यह तथ्य सुसंगत है कि ख की मृत्यु के पूर्व क ने ख को दिए गए विष के जैसा विष उपाप्त किया था।

(घ) प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क की बिल है।

ये तथ्य सुसंगत है कि अभिकथित विल की तारीख से थोड़े दिन पहले क ने उन विषयों की जांच की जिनसे अधिकथित विल के उपबन्धों का सम्बन्ध है, कि उसने वह विल करने के बारे में वकीलों से परामर्श किया और कि उसने अन्य विलों के प्रारूप बनवाए जिन्हें उसने पसन्द नहीं किया।

(ङ) क किसी अपराध का अभियुक्त है।

ये तथ्य कि अभिकथित अपराध से पूर्व या अपराध करने के समय या पश्चात् क ने ऐसे साक्ष्य का प्रबन्ध किया जिसकी प्रवृत्ति ऐसी थी कि मामले के तथ्य उसके अनुकूल प्रतीत हों या कि उसने साक्ष्य को नष्ट किया या छिपाया या कि उन व्यक्तियों की, जो साक्षी हो सकते थे, उपस्थिति निवारित की या अनुपस्थिति उपाप्त की या लोगों को उसके सम्बन्ध में मिथ्या-साक्ष्य देने के लिए तैयार किया, सुसंगत है।

(च) प्रश्न यह है कि क्या क ने ख को लूटा।

ये तथ्य कि ख के लूटे जाने के पश्चात् ग ने क की उपस्थिति में कहा कि "ख को लूटने वाले आदमी को खोजने के लिए पुलिस आ रही है", और यह कि उसके तुरन्त पश्चात् क भाग गया, सुसंगत है।

(छ) प्रश्न यह है कि क्या ख के प्रति क 10,000 रुपए का देनदार है।

ये तथ्य की क ने ग से धन उधार मांगा और कि घ ने ग से क की उपस्थिति और श्रवण-गोचरता में कहा कि "मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम क पर भरोसा न करो क्योंकि वह ख के प्रति 10,000 रुपए का देनदार है," और कि क कोई उत्तर दिए बिना चला गया, सुसंगत है।

(ज) प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया है।

यह तथ्य कि क एक पत्र पाने के उपरान्त, जिसमें उसे चेतावनी दी गई थी कि अपराधी के लिए जांच की जा रही है, फरार हो गया और उस पत्र की अन्तर्बस्तु, सुसंगत है।

(i) A is accused of a crime.

The facts that, after the commission of the alleged crime, he absconded, or was in possession of property or the proceeds of property acquired by the crime, or attempted to conceal things which were or might have been used in committing it, are relevant.

(j) The question is, whether A was ravished.

The facts that, shortly after the alleged rape, she made a complaint relating to the crime, the circumstances under which, and the terms in which, the complaint was made, are relevant.

The fact that, without making a complaint, she said that she had been ravished is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant,

as a dying declaration under section 32, clause (1), or

as corroborative evidence under section 157.

(k) The question is, whether A was robbed.

The fact that, soon after the alleged robbery, he made a complaint relating to the offence, the circumstances under which, and the terms in which, the complaint was made, are relevant.

The fact that he said he had been robbed, without making any complaint, is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant,

as a dying declaration under section 32, clause (1), or

as corroborative evidence under section 157.

Facts necessary
to explain or in-
troduce relevant
facts.

9. Facts necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact, or which support or rebut an inference suggested by a fact in issue or relevant fact, or which establish the identity of any thing or person whose identity is relevant, or fix the time or place at which any fact in issue or relevant fact happened, or which show the relation of parties by whom any such fact was transacted, are relevant in so far as they are necessary for that purpose.

Illustrations

(a) The question is, whether a given document is the will of A.

The state of A's property and of his family at the date of the alleged will may be relevant facts.

(झ) क किसी अपराध का अभियुक्त है।

ये तथ्य कि अभिकथित अपराध के किए जाने के पश्चात् वह फरार हो गया या कि उस अपराध से अर्जित सम्पत्ति के आगम उसके कब्जे में थे या कि उसने उन वस्तुओं को, जिनसे वह अपराध किया गया था, या किया जा सकता था, छिपाने का प्रयत्न किया, सुसंगत हैं।

(ञ) प्रश्न यह है कि क्या क के साथ बलात्संग किया गया।

यह तथ्य कि अभिकथित बलात्संग के अल्पकाल पश्चात् उसने अपराध के बारे में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द जिनमें वह परिवाद किया गया, सुसंगत हैं।

यह तथ्य कि उसने परिवाद के बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है, इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है।

यद्यपि वह धारा 32 खण्ड (1) के अधीन मृत्युकालिक कथन, या

धारा 157 के अधीन सम्पोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है।

(ट) प्रश्न यह है कि क्या क को लूटा गया।

यह तथ्य कि अभिकथित लूट के तुरन्त पश्चात् उसने अपराध के सम्बन्ध में परिवाद किया, वे परिस्थितियां जिनके अधीन तथा वे शब्द, जिनमें वह परिवाद किया गया, सुसंगत हैं।

यह तथ्य कि उसने कोई परिवाद किए बिना कहा कि मुझे लूटा गया है इस धारा के अधीन आचरण के रूप में सुसंगत नहीं है।

यद्यपि वह धारा 32 खण्ड (1) के अधीन मृत्युकालिक कथन, या धारा 157 के अधीन सम्पोषक साक्ष्य के रूप में सुसंगत हो सकता है।

9. वे तथ्य, जो विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक हैं अथवा जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य द्वारा इंगित अनुमान का समर्थन या खण्डन करते हैं, अथवा जो किसी व्यक्ति या वस्तु की, जिसकी अनन्यता सुसंगत हो, अनन्यता स्थापित करते हैं, अथवा वह समय या स्थान स्थिर करते हैं जब या जहां कोई विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य घटित हुआ अथवा जो उन पक्षकारों का सम्बन्ध दर्शित करते हैं जिनके द्वारा ऐसे किसी तथ्य का संव्यवहार किया गया था, वहां तक सुसंगत हैं जहां तक वे उस प्रयोजन के लिए आवश्यक हों।

सुसंगत तथ्यों के स्पष्टीकरण या पुरःस्थापन के लिए आवश्यक तथ्य।

वृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट दस्तावेज क की विल है।

अभिकथित विल की तारीख पर क की सम्पत्ति की, या उसके कुटम्ब की अवस्था सुसंगत तथ्य हो सकती है।

(b) A sues B for a libel imputing disgraceful conduct to A; B affirms that the matter alleged to be libelous is true.

The position and relations of the parties at the time when the libel was published may be relevant facts as introductory to the facts in issue.

The particulars of a dispute between A and B about a matter unconnected with the alleged libel are irrelevant, though the fact that there was a dispute may be relevant if it affected the relations between A and B.

(c) A is accused of a crime.

The fact that, soon after the commission of the crime, A absconded from his house, is relevant, under section 8, as conduct subsequent to and affected by facts in issue.

The fact that at the time when he left home he had sudden and urgent business at the place to which he went, is relevant, as tending to explain the fact that he left home suddenly.

The details of the business on which he left are not relevant, except in so far as they are necessary to show that the business was sudden and urgent.

(d) A sues B for inducing C to break a contract of service made by him with A. C, on leaving A's service, says to A—"I am leaving you because B has made me a better offer". This statement is a relevant fact as explanatory of C's conduct, which is relevant as a fact in issue.

(e) A, accused of theft, is seen to give the stolen property to B, who is seen to give it to A's wife. B says as he delivers it—"A says you are to hide this". B's statement is relevant as explanatory of a fact which is part of the transaction.

(f) A is tried for a riot and is proved to have marched at the head of a mob. The cries of the mob are relevant as explanatory of the nature of the transaction.

Things said or done by conspirator in reference of common design.

10. Where there is reasonable ground to believe that two or more persons have conspired together to commit an offence or an actionable wrong, anything said, done or written by any one of such persons in reference to their common intention,

(ख) क पर निकृष्ट आचरण का लांछन लगाने वाले अपमान-लेख के लिए ख पर क वाद लाता है। ख प्रतिज्ञान करता है कि वह बात, जिसका अपमान-लेख होना अभिकथित है, सच है।

पक्षकारों की उस समय की स्थिति और सम्बन्ध, जब अपमान-लेख प्रकाशित हुआ था, विवाद्यक तथ्यों की पुरःस्थापना के रूप में सुसंगत तथ्य हो सकते हैं।

क और ख के बीच किसी ऐसी बात के विषय में विवाद की विशिष्टियाँ, जो अभिकथित अपमान-लेख से असंसक्त हैं, विसंगत हैं यद्यपि यह तथ्य कि कोई विवाद हुआ था, यदि उससे क और ख के पारस्परिक सम्बन्ध पर प्रभाव पड़ा हो, सुसंगत हो सकता है।

(ग) क एक अपराध का अभियुक्त है।

यह तथ्य कि, उस अपराध के किए जाने के तुरन्त पश्चात् क अपने घर से फरार हो गया, धारा 8 के अधीन विवाद्यक तथ्यों के पश्चातवर्ती और उनसे प्रभावित आचरण के रूप में सुसंगत है।

यह तथ्य कि उस समय, जब वह घर से चला था, उसका उस स्थान में, जहां वह गया था, अचानक और अर्जेंट कार्य था, उसके अचानक घर से चले जाने के तथ्य के स्पष्टीकरण की प्रवृत्ति रखने के कारण सुसंगत है।

जिस काम के लिए वह चला उसका व्यौरा सुसंगत नहीं है सिवाय इसके कि जहां तक वह यह दर्शाते करने के लिए आवश्यक हो कि वह काम अचानक और अर्जेंट था।

(घ) क के साथ की गई सेवा की संविदा को भंग करने के लिए ग को उत्प्रेरित करने के कारण ख पर क वाद लाता है। क की नौकरी छोड़ते समय क से ग कहता है कि "मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि ख ने मुझे तुमसे अधिक अच्छी प्रस्थापना की है।" यह कथन ग के आचरण को, जो विवाद्यक तथ्य होने के रूप में सुसंगत है, स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है।

(ङ) चोरी का अभियुक्त क चुराई हुई सम्पत्ति ख को देते हुए देखा जाता है, जो उसे क की पत्नी को देते हुए देखा जाता है। ख उसे परिदान करते हुए कहता है "क ने कहा है कि तुम इसे छिपा दो"। ख का कथन उस संव्यवहार का भाग होने वाले तथ्य को स्पष्ट करने वाला होने के कारण सुसंगत है।

(च) क बल्बे के लिए विचारित किया जा रहा है और उसका भीड़ के आगे-आगे चलना साबित हो चुका है। इस संव्यवहार की प्रकृति को स्पष्ट करने वाली होने के कारण भीड़ की आवाजें सुसंगत हैं।

10. जहां कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने अपराध या अनुयोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया है, वहां उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात् जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में

सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें।

after the time when such intention was first entertained by any one of them, is a relevant fact as against each of the persons believed to be so conspiring, as well for the purpose of proving the existence of the conspiracy as for the purpose of showing that any such person was a party to it.

Illustration

Reasonable ground exist for believing that A has joined in a conspiracy to wage war against the [Government of India].

The facts that B procured arms in Europe for the purpose of the conspiracy, C collected money in Calcutta for a like object, D persuaded persons to join the conspiracy in Bombay, E published writings advocating the object in view at Agra, and F transmitted from Delhi to G at Kabul the money which C had collected at Calcutta, and the contents of a letter written by H giving an account of the conspiracy, are each relevant, both to prove the existence of the conspiracy, and to prove A's complicity in it, although he may have been ignorant of all of them, and although the persons by whom they were done were strangers to him, and although they may have taken place before he joined the conspiracy or after he left it.

When facts not otherwise relevant become relevant.

11. Facts not otherwise relevant are relevant—

- (1) If they are inconsistent with any fact in issue or relevant fact;
- (2) If by themselves or in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable.

Illustrations

(a) The question is, whether A committed a crime at Calcutta on a certain day.

The fact that, on that day, A was at Lahore is relevant

The fact that, near the time when the crime was committed, A was at a distance from the place where it was committed, which would render it highly improbable, though not impossible, that he committed it, is relevant.

(b) The question is, whether A committed a crime.

The circumstances are such that the crime must have been committed either by A, B, C or D. Every fact which shows that the crime could have been committed by no one else and that it was not committed by either B, C or D, is relevant.

धारण किया, कही, की, या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विरुद्ध, जिनके बारे में विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया है, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के प्रयोजनार्थ उसी प्रकार सुसंगत तथ्य है जिस प्रकार यह दर्शित करने के प्रयोजनार्थ कि ऐसा कोई व्यक्ति उसका पक्षकार था।

दृष्टांत

यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि क¹[भारत सरकार] के विरुद्ध युद्ध करने के षड्यंत्र में सम्मिलित हुआ है।

ख ने उस षड्यंत्र के प्रयोजनार्थ यूरोप में आरुघ्न उपाप्त किए, ग ने वैसे ही उद्देश्य से कलकत्ते में धन संग्रह किया, घ ने मुम्बई में लोगों को उस षड्यंत्र में सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया, ङ ने आगरे में उस उद्देश्य के पक्षपोषण में लेख प्रकाशित किए और ग द्वारा कलकत्ते में संगृहीत धन को च ने दिल्ली से छ के पास काबुल भेजा। इन तथ्यों और उस षड्यंत्र का वृत्तान्त देने वाले झ द्वारा लिखित पत्र की अन्तर्वस्तु में से हर एक षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के लिए तथा उसमें क की सह अपराधिता साबित करने के लिए भी सुसंगत है, चाहे वह उन सभी के बारे में अनभिज्ञ रहा हो और चाहे उन्हें करने वाले व्यक्ति उसके लिए अपरिचित रहे हों और चाहे वे उसके षड्यंत्र में सम्मिलित होने से पूर्व या उसके षड्यंत्र से अलग हो जाने के पश्चात् घटित हुए हों।

11. वे तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत हैं —

वे तथ्य जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं कब सुसंगत हैं।

(1) यदि वे किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य से असंगत हैं,

(2) यदि वे स्वयमेव या अन्य तथ्यों के संसंग में किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व अत्यन्त अधिसम्भाव्य या अनधिसम्भाव्य बनाते हैं।

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या क ने किसी अमुक दिन कलकत्ते में अपराध किया।

यह तथ्य कि वह उस दिन लाहौर में था, सुसंगत है।

यह तथ्य कि जब अपराध किया गया था उस समय के लगभग क उस स्थान से जहां कि वह अपराध किया गया था, इतनी दूरी पर था कि क द्वारा उस अपराध का किया जाना यदि असम्भव नहीं तो अत्यन्त अनधिसम्भाव्य था, सुसंगत है।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क ने अपराध किया है।

परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अपराध क, ख, ग या घ में से किसी एक के द्वारा अवश्य किया गया होगा। वह हर तथ्य, जिससे यह दर्शित होता है कि वह अपराध किसी अन्य के द्वारा नहीं किया जा सकता था और वह ख, ग या घ में से किसी के द्वारा नहीं किया गया था, सुसंगत है।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "कवीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

In suits for damages, facts tending to enable Court to determine amount are relevant.

12. In suits in which damages are claimed, any fact which will enable the Court to determine the amount of damages which ought to be awarded, is relevant.

Facts relevant when right or custom is in question.

13. Where the question is as to the existence of any right or custom, the following facts are relevant—

- (a) Any transaction by which the right or custom in question was created, claimed, modified, recognized, asserted, or denied, or which was inconsistent with its existence;
- (b) Particular instances in which the right or custom was claimed, recognized, or exercised, or in which its exercise was disputed, asserted or departed from.

Illustration

The question is, whether A has a right to a fishery. A deed conferring the fishery on A's ancestors, a mortgage of the fishery by A's father, a subsequent grant of the fishery by A's father, irreconcilable with the mortgage, particular instances in which A's father exercised the right, or in which the exercise of the right was stopped by A's neighbours, are relevant facts.

Facts showing existence of state of mind, or of body or bodily feeling.

14. Facts showing the existence of any state of mind—such as intention, knowledge, good faith, negligence, rashness, ill-will or good-will towards any particular person, or showing the existence of any state of body or bodily feeling—are relevant, when the existence of any such state of mind or body or bodily feeling, is in issue or relevant.

¹[*Explanation 1.*—A fact relevant as showing the existence of a relevant state of mind must show that the state of mind exists, not generally, but in reference to the particular matter in question.

Explanation 2.—But where, upon the trial of a person accused of an offence, the previous commission by the accused of an offence is relevant within the meaning of this section, the previous conviction of such person shall also be a relevant fact.]

Illustrations

(a) A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen. It is proved that he was in possession of a particular stolen article.

1. Subs. by Act 3 of 1891, s. 1 for the original *Explanation*.

12. उन वादों में, जिनमें नुकसानी का दावा किया गया है, कोई भी तथ्य सुसंगत है जिससे न्यायालय नुकसानी की वह रकम अवधारित करने के लिए समर्थ हो जाए, जो अधिनिर्णीत की जानी चाहिए।

नुकसानी के लिए वादों में रकम अवधारित करने के लिए न्यायालय को समर्थ करने की प्रवृत्ति रखने वाले तथ्य सुसंगत हैं।

13. जहां कि किसी अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में प्रश्न है, वहां निम्नलिखित तथ्य सुसंगत हैं—

जब कि अधिकार या रूढ़ि प्रश्नगत है तब सुसंगत तथ्य।

- (क) कोई संब्यवहार, जिसके द्वारा प्रश्नगत अधिकार या रूढ़ि सृष्ट, दावाकृत, उपांतरित, मान्यकृत, प्राख्यात या प्रत्याख्यात की गई थी या जो उसके अस्तित्व से असंगत था,
- (ख) वे विशिष्ट उदाहरण, जिनमें वह अधिकार या रूढ़ि दावाकृत, मान्यकृत या प्रयुक्त की गई थी या जिनमें उसका प्रयोग विवादग्रस्त था या प्राख्यात किया गया था या उसका अनुसरण नहीं किया गया था।

दृष्टांत

प्रश्न यह है कि क्या क का एक मीनक्षेत्र पर अधिकार है।

क के पूर्वजों को मीनक्षेत्र प्रदान करने वाला विलेख, क के पिता द्वारा उस मीन क्षेत्र का बन्धक, क के पिता द्वारा उस बन्धक से अनमेल पाश्चिक अनुदान, विशिष्ट उदाहरण, जिनमें क के पिता ने अधिकार का प्रयोग किया या जिनमें अधिकार का प्रयोग क के पड़ोसियों द्वारा रोका गया था, सुसंगत तथ्य हैं।

14. मन की कोई भी दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन किसी विशिष्ट व्यक्ति के प्रति वैमनस्य या सदिच्छा दर्शित करने वाले अथवा शरीर की या शारीरिक संवेदना की किसी दशा का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य तब सुसंगत हैं, जब कि ऐसी मन की या शरीर की या शारीरिक संवेदन की किसी ऐसी दशा का अस्तित्व विवाद्य या सुसंगत है।

मन या शरीर की दशा या शारीरिक संवेदना का अस्तित्व दर्शित करने वाले तथ्य।

[स्पष्टीकरण 1—जो तथ्य इस नाते सुसंगत हैं कि वह मन की सुसंगत दशा के अस्तित्व को दर्शित करता है उससे यह दर्शित होना ही चाहिए कि मन की वह दशा साधारणतः नहीं, अपितु प्रश्नगत विशिष्ट विषय के बारे में, अस्तित्व में है।

स्पष्टीकरण 2—किन्तु जब कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विचारण में इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत उस अभियुक्त द्वारा किसी अपराध का कभी पहले किया जाना सुसंगत हो, तब ऐसे व्यक्ति की पूर्व दोषसिद्धि भी सुसंगत तथ्य होगी।]

दृष्टांत

(क) क चुराया हुआ माल यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है, प्राप्त करने का अभियुक्त है। यह साबित कर दिया जाता है कि उसके कब्जे में कोई विशिष्ट चुराई हुई चीज थी।

The fact that, at the same time, he was in possession of many other stolen articles is relevant, as tending to show that he knew each and all of the articles of which he was in possession to be stolen.

(b) A is accused of fraudulently delivering to another person a counterfeit coin which, at the time when he delivered it, he knew to be counterfeit.

The fact that, at the time of its delivery, A was possessed of a number of other pieces of counterfeit coin is relevant.

The fact that A had been previously convicted of delivering to another person as genuine a counterfeit coin knowing it to be counterfeit is relevant.]

(c) A sues B for damage done by a dog of B's which B knew to be ferocious.

The facts that the dog had previously bitten X, Y and Z, and that they had made complaints to B, are relevant.

(d) The question is whether A, the acceptor of a bill of exchange, knew that the name of the payee was fictitious.

The fact that A had accepted other bills drawn in the same manner before they could have been transmitted to him by the payee if the payee had been a real person, is relevant, as showing that A knew that the payee was a fictitious person.

(e) A is accused of defaming B by publishing an imputation intended to harm the reputation of B.

The fact of previous publications by A respecting B, showing ill-will on the part of A towards B, is relevant, as proving A's intention to harm B's reputation by the particular publication in question.

The facts that there was no previous quarrel between A and B, and that A repeated the matter complained of as he heard it, are relevant, as showing that A did not intend to harm the reputation of B.

(f) A is sued by B for fraudulently representing to B that C was solvent, whereby B, being induced to trust C, who was insolvent, suffered loss.

The fact that, at the time when A represented C to be solvent, C was supposed to be solvent by his neighbours and by persons dealing with him, is relevant, as showing that A made the representation in good faith.

यह तथ्य कि उसी समय उसके कब्जे में कई अन्य चुराई हुई चीजें थीं यह दर्शित करने की प्रवृत्ति रखने वाला होने के नाते सुसंगत है कि जो चीजें उसके कब्जे में थीं उनमें से हर एक और सब के बारे में वह जानता था कि वह चुराई हुई हैं।

1[(ख) क पर किसी अन्य व्यक्ति को कूटकृत सिक्का कपटपूर्वक परिदान करने का अभियोग है, जिसे वह परिदान करते समय जानता था कि वह कूटकृत है।

यह तथ्य कि उसके परिदान के समय क के कब्जे में वैसे ही दूसरे कूटकृत सिक्के थे, सुसंगत है।

यह तथ्य कि क एक कूटकृत सिक्के को, यह जानते हुए कि वह सिक्का कूटकृत है, उसे असली क रूप में किसी अन्य व्यक्ति को परिदान करने के लिए पहले भी दोषसिद्ध हुआ था, सुसंगत है।]

(ग) ख के कुत्ते द्वारा, जिसका हिंस्र होना ख जानता था, किए गए नुकसान के लिए ख पर क वाद लाता है।

ये तथ्य कि कुत्ते ने पहले, भ, म और य को काटा था और यह कि उन्होंने ख से शिकायतें की थीं, सुसंगत हैं।

(घ) प्रश्न यह है कि क्या विनिमयपत्र का प्रतिगृहीता क यह जानता था कि उसके पाने वाले का नाम काल्पनिक है।

यह तथ्य कि क ने उसी प्रकार से लिखित अन्य विनिमयपत्रों को इसके पहले कि वे पाने वाले द्वारा, यदि पाने वाला वास्तविक व्यक्ति होता तो, उसको पारेषित किए जा सकते, प्रतिगृहीत किया था, यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क यह जानता था कि पाने वाला व्यक्ति काल्पनिक है।

(ङ) क पर ख की ख्याति की अपहानि करने के आशय से एक लांछन प्रकाशित करके ख की मानहानि करने का अभियोग है।

यह तथ्य कि ख के बारे में क ने पूर्व प्रकाशन किए, जिनसे ख के प्रति क का वमनस्य दर्शित होता है, इस कारण सुसंगत है कि उससे प्रश्नगत विशिष्ट प्रकाशन द्वारा ख की ख्याति की अपहानि करने का क का आशय साबित होता है।

ये तथ्य कि क और ख के बीच पहले कोई झगड़ा नहीं हुआ और कि क ने परिवादगत बात को जैसा सुना था वैसा ही दुहरा दिया था, यह दर्शित करने के नाते कि क का आशय ख की ख्याति की अपहानि करना नहीं था सुसंगत है।

(च) ख द्वारा क पर यह वाद लाया जाता है कि ग के बारे में क ने ख से यह कपटपूर्ण व्यपदेशन किया कि ग शोधक्षम है जिससे उत्प्रेरित हो कर ख ने ग का, जो दिवालिया था, भरोसा किया और हानि उठाई।

यह तथ्य कि जब क ने ग को शोधक्षम व्यपदिष्ट किया था, तब ग को उसके पड़ोसी और उससे व्यौहार करने वाले व्यक्ति शोधक्षम समझते थे, यह दर्शित करने के नाते कि क ने व्यपदेशन सद्भावपूर्वक किया था सुसंगत है।

(g) A is sued by B for the price of work done by B, upon a house of which A is owner, by the order of C, a contractor.

A's defence is that B's contract was with C.

The fact that A paid C for the work in question is relevant, as proving that A did, in good faith, make over to C the management of the work in question, so that C was in a position to contract with B on C's own account, and not as agent for A.

(h) A is accused of the dishonest misappropriation of property which he had found, and the question is whether, when he appropriated it, he believed in good faith that the real owner could not be found.

The fact that public notice of the loss of the property had been given in the place where A was, is relevant, as showing that A did not in good faith believe that the real owner of the property could not be found.

The fact that A knew, or had reason to believe, that the notice was given fraudulently by C, who had heard of the loss of the property and wished to set up a false claim to it, is relevant, as showing the fact that A knew of the notice did not disprove A's good faith.

(i) A is charged with shooting at B with intent to kill him. In order to show A's intent, the fact of A's having previously shot at B may be proved.

(j) A is charged with sending threatening letters to B. Threatening letters previously sent by A to B may be proved, as showing the intention of the letters.

(k) The question is, whether A has been guilty of cruelty towards B, his wife.

Expressions of their feeling towards each other shortly before or after the alleged cruelty, are relevant facts.

(l) The question is, whether A's death was caused by poison.

Statements made by A during his illness as to his symptoms, are relevant facts.

(m) The question is, what was the state of A's health at the time when an assurance on his life was effected.

Statements made by A as to the state of his health at or near the time in question, are relevant facts.

(छ) क पर ख उस काम की कीमत के लिए वाद लाता है जो ठेकेदार ग के आदेश से किसी गृह पर, जिसका क स्वामी है, ख ने किया था।

क का प्रतिवाद है कि ख का ठेका ग के साथ था। -

यह तथ्य कि क ने प्रश्नगत काम के लिए ग को कीमत दे दी इसलिए सुसंगत है कि उससे यह साबित होता है कि क ने सद्भाव पूर्वक ग को प्रश्नगत काम का प्रबन्ध दे दिया था, जिससे कि ख के साथ ग अपने ही निमित्त, न कि क के अभिकर्ता के रूप में, संविदा करने की स्थिति में था।

(ज) क ऐसी सम्पत्ति का, जो उसने पड़ी पाई थी, बेईमानी से दुर्विनियोग करने का अभियुक्त है और प्रश्न यह है कि क्या जब उसने उसका विनियोग किया उसे सद्भावपूर्वक विश्वास था कि वास्तविक स्वामी मिल नहीं सकता।

यह तथ्य कि सम्पत्ति के खोजने की लोक सूचना उस स्थान में, जहां क था, दी जा चुकी थी, यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क को सद्भावपूर्वक यह विश्वास नहीं था कि उस सम्पत्ति का वास्तविक स्वामी मिल नहीं सकता।

यह तथ्य कि क यह जानता था या उसके पास यह विश्वास करने का कारण था कि सूचना कपटपूर्वक ग द्वारा दी गई थी जिसने संपत्ति की हानि के बारे में सुन रखा था और जो उस पर मिथ्या दावा करने का इच्छुक था यह दर्शित करने के नाते सुसंगत है कि क का सूचना के बारे में ज्ञान क के सद्भाव को नासाबित नहीं करता।

(झ) क पर ख को मार डालने के आशय से उस पर असन करने का अभियोग है। क का आशय दर्शित करने के लिए यह तथ्य साबित किया जा सकेगा कि क ने पहले भी ख पर असन किया था।

(ञ) क पर ख को धमकी भरे पत्र भेजने का आरोप है। इन पत्रों का आशय दर्शित करने के नाते क द्वारा ख को पहले भेजे गए धमकी भरे पत्र साबित किए जा सकेंगे।

(ट) प्रश्न यह है कि क्या क अपनी पत्नी ख के प्रति क्रूरता का दोषी रहा है।

अभिकथित क्रूरता के थोड़े देर पहले या पीछे उनकी एक दूसरे के प्रति भावना की अभिव्यक्तियां सुसंगत तथ्य हैं।

(ठ) प्रश्न यह है कि क्या क की मृत्यु विष से कारित की गई थी।

अपनी रूग्णावस्था में क द्वारा अपने लक्षणों के बारे में किए हुए कथन सुसंगत तथ्य हैं।

(ड) प्रश्न यह है कि क के स्वास्थ्य की दशा उस समय कैसी थी जिस समय उसके जीवन का बीमा कराया गया था।

प्रश्नगत समय पर या उसके लगभग अपने स्वास्थ्य की दशा के बारे में क द्वारा किए गए कथन सुसंगत तथ्य हैं।

(n) A sues B for negligence in providing him with a carriage for hire not reasonably fit for use, whereby A was injured.

The fact that B's attention was drawn on other occasions to the defect of that particular carriage, is relevant.

The fact that B was habitually negligent about the carriages which he let to hire, is irrelevant.

(o) A is tried for the murder of B by intentionally shooting him dead.

The fact that A, on other occasions shot at B is relevant, as showing his intention to shoot B.

The fact that A was in the habit of shooting at people with intent to murder them, is irrelevant.

(p) A is tried for a crime.

The fact that he said something indicating an intention to commit that particular crime is relevant.

The fact that he said something indicating a general disposition to commit crimes of that class is irrelevant.

Facts bearing on question whether act was accidental or intentional.

15. When there is a question whether an act was accidental or intentional, [or done with a particular knowledge or intention,] the fact that such act formed part of a series of similar occurrences, in each of which the person doing the act was concerned, is relevant.

Illustrations

• (a) A is accused of burning down his house in order to obtain money for which it is insured.

The facts that A lived in several houses successively, each of which he insured, in each of which a fire occurred, and after each of which fires A received payment from a different insurance office, are relevant, as tending to show that the fires were not accidental.

(b) A is employed to receive money from the debtors, of B. It is A's duty to make entries in a book showing the amounts received by him. He makes an entry showing that on a particular occasion he received less than he really did receive.

The question is, whether this false entry was accidental or intentional.

(द) क ऐसी उपेक्षा के लिए ख पर बाद लाता है जो ख ने उसे युक्तियुक्त रूप से अनुपयोग्य गाड़ी भाड़े पर देने द्वारा की जिससे क को नति हुई थी।

यह तथ्य कि उस विशिष्ट गाड़ी की त्रुटि की और अन्य अवसरों पर भी ख का ध्यान आकृष्ट किया गया था, सुसंगत है।

यह तथ्य कि ख उन गाड़ियों के बारे में, जिन्हें वह भाड़े पर देता था, अभ्यासतः उपेक्षावान था, विसंगत है।

(ण) क साशय असन द्वारा ख की मृत्यु करने के कारण हत्या के लिए विचारित है।

यह तथ्य कि क ने अन्य अवसरों पर ख पर असन किया था, क का ख पर असन करने का आशय दर्शित करने के नाते सुसंगत है।

यह तथ्य कि क लोगों पर उनकी हत्या करने के आशय से असन करने का अभ्यासी था विसंगत है।

(त) क का किसी अपराध के लिए विचारण किया जाता है।

यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस विशिष्ट अपराध के करने का आशय उपदर्शित होता है, सुसंगत है।

यह तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस प्रकार के अपराध करने की उसकी साधारण प्रवृत्ति उपदर्शित होती है विसंगत है।

15. जब कि प्रश्न यह है कि कार्य आकस्मिक या साशय था [या किसी विशिष्ट ज्ञान या आशय से किया गया था], तब यह तथ्य कि ऐसा कार्य समरूप घटनाओं की आवली का भाग था जिनमें से हर एक घटना के साथ वह कार्य करने वाला व्यक्ति सम्पृक्त था सुसंगत है।

कार्य आकस्मिक या साशय था इस प्रश्न पर प्रकाश डालने वाले तथ्य।

दृष्टांत

(क) क पर यह अभियोग है कि अपने गृह के बीमा का धन अभिप्राप्त करने के लिए उसने उस जला दिया।

ये तथ्य कि क कई गृहों में एक के पश्चात् दूसरे में रहा जिनमें से हर एक का उसने बीमा कराया, जिनमें से हर एक में आग लगी और जिन अग्निकांडों में से हर एक के उपरान्त क को किसी भिन्न बीमा कार्यालय से बीमा धन मिला, इस नाते सुसंगत हैं कि उनसे यह दर्शित होता है कि वे अग्निकांड आकस्मिक नहीं थे।

(ख) ख के ऋणियों से धन प्राप्त करने के लिए क नियोजित है। क का यह कर्तव्य है कि वही में अपने द्वारा प्राप्त राशियां दर्शित करने वाली प्रविष्टियां करे। वह एक प्रविष्टि करता है जिससे यह दर्शित होता है कि किसी विशिष्ट अवसर पर उसे वास्तव में प्राप्त राशि से कम राशि प्राप्त हुई।

प्रश्न यह है कि यह मिथ्या प्रविष्टि आकस्मिक थी या साशय।

The facts that other entries made by A in the same book are false, and that the false entry is in each case in favour of A, are relevant.

(c) A is accused of fraudulently delivering to B a counterfeit rupee.

The question is, whether the delivery of the rupee was accidental.

The facts that, soon before or soon after the delivery to B, A delivered counterfeit rupees to C, D and E are relevant, as showing that the delivery to B was not accidental.

Existence of course of business when relevant.

16. When there is a question whether a particular act was done, the existence of any course of business, according to which it naturally would have been done, is a relevant fact.

Illustrations

(a) The question is, whether a particular letter was despatched.

The facts that it was the ordinary course of business for all letters put in a certain place to be carried to the post, and that that particular letter was put in that place are relevant.

(b) The question is, whether a particular letter reached A. The facts that it was posted in due course, and was not returned through the Dead Letter Office, are relevant.

ADMISSIONS

Admission defined.

defi

17. An admission is a statement, oral or documentary, which suggests any inference as to any fact in issue or relevant fact, and which is made by any of the persons, and under the circumstances, hereinafter mentioned.

Admission—by party to proceeding or his agent;

18. Statements made by a party to the proceeding, or by an agent to any such party, whom the Court regards, under the circumstances of the case, as expressly or impliedly authorized by him to make them, are admissions.

by suitor in representative character;

Statements made by parties to suits, suing or sued in a representative character, are not admissions, unless they were made while the party making them held that character.

ये तथ्य कि उसी बही में क द्वारा की हुई अन्य प्रविष्टियां मिथ्या हैं और कि हर एक अवस्था में मिथ्या प्रविष्टि क के पक्ष में है सुसंगत है।

(ग) ख को कपटपूर्वक कूटकृत रूप का परिदान करने का अभियुक्त है।

प्रश्न यह है कि क्या रूप का परिदान आकस्मिक था।

ये तथ्य कि ख को परिदान के तुरन्त पहले या पीछे क ने ग, घ और ङ को कूटकृत रूप परिदान किए थे इस नाते सुसंगत है कि उनसे यह दर्शित होता है कि ख को किया गया परिदान आकस्मिक नहीं था।

16. जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई विशिष्ट कार्य किया गया था, तब कारबार के ऐसे किसी कारबार के अनुक्रम का भी अनुक्रम का अस्तित्व, जिसके अनुसार वह कार्य स्वभावतः किया जाता, सुसंगत तथ्य है। अस्तित्व कब सुसंगत है।

वृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र प्रेषित किया गया था।

ये तथ्य कि कारबार का यह साधारण अनुक्रम था कि वे सभी पत्र, जो किसी खास स्थान में रख दिए जाते थे, डाक में डाले जाने के लिए ले जाए जाते थे और कि वह पत्र उस स्थान में रख दिया गया था, सुसंगत हैं।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या एक विशिष्ट पत्र क को मिला। ये तथ्य कि वह सम्यक् अनुक्रम में डाक में डाला गया था, और कि वह पुनः प्रेषण केन्द्र द्वारा लौटाया नहीं गया था, सुसंगत हैं।

स्वीकृतियां

17. स्वीकृति वह मौखिक या दस्तावेजी कथन है, जो किसी विवाद्यक तथ्य या सुसंगत तथ्य स्वीकृति की परिभाषा। के बारे में कोई अनुमान इंगित करता है और जो ऐसे व्यक्तियों में से किसी क द्वारा और ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जो एतस्मिन्पश्चात् वर्णित हैं।

18. वे कथन स्वीकृतियां हैं, जिन्हें कार्यवाही के किसी पक्षकार ने किया हो, या ऐसे किसी पक्षकार के ऐसे किसी अभिकर्ता ने किया हो जिसे मामले की परिस्थितियों में न्यायालय उन कथनों को करने के लिए उस पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से प्राधिकृत किया हुआ मानता है।

स्वीकृति—कार्यवाही के पक्षकार या उसके अभिकर्ता द्वारा।

वाद के ऐसे पक्षकारों द्वारा, जो प्रतिनिधिक हैसियत में वाद ला रहे हों या जिन पर प्रतिनिधिक हैसियत में वाद लाया जा रहा हो, किए गए कथन, जब तक कि वे उस समय न किए गए हों जबकि उनको करने वाला पक्षकार वैसी हैसियत धारण करता था, स्वीकृतियां नहीं हैं।

प्रतिनिधिक रूप से वादकर्ता द्वारा।

Statements made by—

by party interested in subject-matter;

- (1) persons who have any proprietary or pecuniary interest in the subject-matter of the proceeding, and who make the statement in their character of persons so interested, or

by person from whom interest derived.

- (2) persons from whom the parties to the suit have derived their interest in the subject-matter of the suit,

are admissions, if they are made during the continuance of the interest of the persons making the statements.

Admissions by persons whose position must be proved as against party to suit.

19. Statements made by persons whose position or liability it is necessary to prove as against any party to the suit are admissions, if such statements would be relevant as against such persons in relation to such position or liability in a suit brought by or against them, and if they are made whilst the person making them occupies such position or is subject to such liability.

Illustration

A undertakes to collect rents for B.

B sues A for not collecting rent due from C to B.

A denies that rent was due from C to B.

A statement by C that he owed B rent is an admission, and is a relevant fact as against A, if A denies that C did owe rent to B.

Admissions by persons expressly referred to by party to suit.

20. Statements made by persons to whom a party to the suit has expressly referred for information in reference to a matter in dispute are admissions.

Illustration

The question is, whether a horse sold by A to B is sound.

A says to B—"Go and ask C, C knows all about it". C's statement is an admission.

Proof of admissions against persons making them, and by or on their behalf.

21. Admissions are relevant and may be proved as against the person who makes them, or his representative in interest; but they cannot be proved by or on behalf of the person who makes them or by his representative in interest, except in the following cases :—

- (1) An admission may be proved by or on behalf of the person making it, when it is of such a nature that, if the person making it were dead, it would be relevant as between third persons under section 32.
- (2) An admission may be proved by or on behalf of the person making it, when it consists of a statement of the existence of any state of mind or body, relevant or in issue, made at or about the time when such state of mind or body existed, and is accompanied by conduct rendering its falsehood improbable.

वे कथन स्वीकृतियां हैं, जो—

- (1) ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, जिनका कार्यवाही की विषयवस्तु में कोई साम्प्रतिक या धन संबंधी हित है और जो इस प्रकार हितबद्ध व्यक्तियों की हैसियत में वह कथन करते हैं, अथवा
- (2) ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, जिससे वाद के पक्षकारों का वाद की विषयवस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ है,

विषयवस्तु में हितबद्ध पक्षकार द्वारा ।

उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ हो ।

यदि वे कथन उन्हें करने वाले व्यक्तियों के हित के चालू रहने के दौरान में किए गए हैं ।

19. वे कथन, जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां हैं, यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा, या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते और यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए है या ऐसे दायित्व के अधीन है ।

उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए ।

वृष्टांत

ख के लिए भाटक संग्रह का दायित्व क लेता है ।

ग द्वारा ख को शोध्य भाटक संग्रह न करने के लिए क पर ख वाद लाता है ।

क इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि ग से ख को भाटक देय था ।

ग द्वारा यह कथन कि उस पर ख को भाटक देय है स्वीकृति है, और यदि क इस बात से इन्कार करता है कि ग द्वारा ख को भाटक देय था तो वह क के विरुद्ध सुसंगत तथ्य है ।

20. वे कथन, जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निदिष्ट किया है, स्वीकृतियां हैं ।

वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निदिष्ट व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां ।

वृष्टांत

प्रश्न यह है कि क्या क द्वारा ख को चेचा हुआ थोड़ा अचछा है ।

ख से क कहता है कि “जा कर ग से पूछ लो, ग इस बारे में सब कुछ जानता है” । ग का कथन स्वीकृति है ।

21. स्वीकृतियां उन्हें करने वाले व्यक्ति के या उसके हित प्रतिनिधि के विरुद्ध सुसंगत हैं और साबित की जा सकेंगी, किन्तु उन्हें करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा निम्नलिखित अवस्थाओं में के सिवाय उन्हें साबित नहीं किया जा सकेगा —

स्वीकृतियों का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध और उनके द्वारा या उनकी ओर से साबित किया जाना ।

- (1) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी, जबकि वह इस प्रकृति की है कि यदि उसे करने वाला व्यक्ति मर गया होता, तो वह अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32 के अधीन सुसंगत होती ।
- (2) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से तब साबित की जा सकेगी, जबकि वह मन की या शरीर की सुसंगत या विवाध किसी दशा के अस्तित्व का ऐसा कथन है जो उस समय या उसके लगभग किया गया था जब मन की या शरीर की ऐसी दशा विद्यमान थी और ऐसे आचरण के साथ है जो उसकी असत्यता को अनधिसम्भाव्य कर देता है ।

- (3) An admission may be proved by or on behalf of the person making it, if it is relevant otherwise than as an admission.

Illustrations

(a) The question between A and B is, whether a certain deed is or is not forged. A affirms that it is genuine, B that it is forged.

A may prove a statement by B that the deed is genuine, and B may prove a statement by A that the deed is forged; but A cannot prove a statement by himself that the deed is genuine, nor can B prove a statement by himself that the deed is forged.

(b) A, the Captain of a ship, is tried for casting her away.

Evidence is given to show that the ship was taken out of her proper course.

A produces a book kept by him in the ordinary course of his business showing observations alleged to have been taken by him from day to day, and indicating that the ship was not taken out of her proper course. A may prove these statements, because they would be admissible between third parties, if he were dead, under section 32, clause (2).

(c) A is accused of a crime committed by him at Calcutta.

He produces a letter written by himself and dated at Lahore on that day, and bearing the Lahore post mark of that day.

The statement in the date of the letter is admissible, because, if A were dead, it would be admissible under section 32, clause (2).

(d) A is accused of receiving stolen goods knowing them to be stolen.

He offers to prove that he refused to sell them below their value.

- (3) कोई स्वीकृति उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से साबित की जा सकेगी, यदि वह स्वीकृति के रूप में नहीं किन्तु अन्यथा सुसंगत है।

दृष्टांत

(क) क और ख के बीच प्रश्न यह है कि अमुक विलेख कूटरचित है या नहीं। क प्रतिज्ञात करता है कि वह असली है, ख प्रतिज्ञात करता है कि वह कूटरचित है।

ख का कोई कथन कि विलेख असली है, क साबित कर सकेगा तथा क का कोई कथन कि विलेख कूटरचित है, ख साबित कर सकेगा। किन्तु क अपना यह कथन कि विलेख असली है साबित नहीं कर सकेगा और न ख ही अपना यह कथन कि विलेख कूटरचित है साबित कर सकेगा।

(ख) किसी पोत के कप्तान क का विचारण उस पोत को संत्यक्त करने के लिए किया जाता है।

यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य दिया जाता है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर ल जाया गया था।

क अपने कारबार के मामूली अनुक्रम में अपने द्वारा रखी जाने वाली वह पुस्तक पेश करता है जिसमें वे संप्रेषण दर्शित हैं, जिनके बारे में यह अभिकथित है कि वे दिन प्रति दिन किए गए थे और जिनसे उपदर्शित है कि पोत अपने उचित मार्ग से बाहर नहीं ले जाया गया था। क इन कथनों को साबित कर सकेगा क्योंकि, यदि उसकी मृत्यु हो गई होती तो वे कथन अन्य व्यक्तियों के बीच धारा 32, खण्ड (2) के अधीन ग्राह्य होते।

(ग) क अपने द्वारा कलकत्ते में किए गए अपराध का अभियुक्त है।

वह अपने द्वारा लिखित और उसी दिन लाहौर में दिनांकित और उसी दिन का लाहौर डाक-चिह्न धारण करने वाला पत्र पेश करता है।

पत्र की तारीख का कथन ग्राह्य है क्योंकि, यदि क की मृत्यु हो गई होती तो वह धारा 32, खण्ड (2) के अधीन ग्राह्य होता।

(घ) क चुराए हुए माल को यह जानते हुए कि वह चुराया हुआ है प्राप्त करने का अभियुक्त है।

वह यह साबित करने की प्रस्थापना करता है कि उसने उसे उसके मूल्य से कम म बेचने से इन्कार किया था।

A may prove these statements, though they are admissions, because they are explanatory of conduct influenced by facts in issue.

(e) A is accused of fraudulently having in his possession counterfeit coin which he knew to be counterfeit.

He offers to prove that he asked a skilful person to examine the coin as he doubted whether it was counterfeit or not, and that that person did examine it and told him it was genuine.

A may prove these facts for the reasons stated in the last preceding illustration.

When oral admissions as to contents of documents are relevant.

22. Oral admissions as to the contents of a document are not relevant, unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules hereinafter contained, or unless the genuineness of a document produced is in question.

Admissions in civil cases when relevant.

23. In civil cases no admission is relevant, if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given, or under circumstances from which the Court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given.

Explanation.—Nothing in this section shall be taken to exempt any barrister, pleader, attorney or vakil from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under section 126.

Confession caused by inducement, threat or promise, when irrelevant in criminal proceeding.

24. A confession made by an accused person is irrelevant in a criminal proceeding, if the making of the confession appears to the Court to have been caused by any inducement, threat or promise¹, having reference to the charge against the accused person, proceeding from a person in authority and sufficient, in the opinion of the Court, to give the accused person grounds, which would appear to him reasonable, for supposing that by making it he would gain any advantage or avoid any evil of a temporal nature in reference to the proceedings against him.

Confession to police officer not to be proved.

25. No confession made to a police officer², shall be proved as against a person accused of any offence.

Confession by accused while in custody of police not to be proved against him.

26. No confession made by any person whilst he is in the custody of a police officer, unless it be made in the immediate presence of a Magistrate,³ shall be proved as against such person.

1. For prohibition of such inducement, etc, see the code of criminal Procedure, 1898 (5 of 1898) s. 343.
2. As to statements made to a police officer investigating a case, see s. 162. *ibid*
3. A Coroner has been declared to be Magistrate for the purposes of this section, see the Coroners Act, 1871 (4 of 1871), s. 20.

यद्यपि ये स्वीकृतियां हैं तथापि क इन कथनों को साबित कर सकेगा, क्योंकि ये विवादांक तथ्यों से प्रभावित उसके आचरण को स्पष्टीकारक हैं।

(ड) क अपने कब्जे में कूटकृत सिक्का जिसका कूटकृत होना वह जानता था, कपटपूर्वक रखने का अभियुक्त है।

वह यह साबित करने की प्रस्थापना करता है कि उसने एक कुशल व्यक्ति से उस सिक्के की परीक्षा करने को कहा था, क्योंकि उसे शंका थी कि वह कूटकृत है या नहीं और उस व्यक्ति ने उसकी परीक्षा की थी और उससे कहा था कि वह असली है।

अन्तिम पूर्ववर्ती दृष्टांत से कथित कारणों से क इन तथ्यों को साबित कर सकेगा।

22. किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां तब तक सुसंगत नहीं होतीं, यदि और जब तक उन्हें साबित करने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार यह दर्शात न कर दे कि ऐसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तुओं का द्वितीयक साक्ष्य देने का वह एतस्मिन्पश्चात् दिए हुए नियमों के अधीन हकदार है, अथवा जब तक पेश की गई दस्तावेज का असली होना प्रश्नगत न हो।

दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं।

23. सिविल मामलों में कोई भी स्वीकृति सुसंगत नहीं है, यदि वह या तो इस अभिव्यक्त शर्त पर की गई हो कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा, या ऐसी परिस्थितियों के अधीन दी गई हो जिनसे न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर सहमत हो गए थे कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए।

सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत होती हैं।

स्पष्टीकरण—इस धारा की कोई भी बात किसी बैरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी या वकील को किसी ऐसी बात का साक्ष्य देने से छूट देने वाली नहीं मानी जाएगी जिसका साक्ष्य देने के लिए धारा 126 के अधीन उसे विवश किया जा सकता है।

24. अभियुक्त व्यक्ति द्वारा की गई संस्वीकृति दण्डिक कार्यवाही में विसंगत होती है, यदि उसके किए जाने के बारे में न्यायालय को प्रतीत होता हो कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध आरोप के बारे में वह ऐसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन¹ द्वारा कराई गई है जो प्राधिकारवान् व्यक्ति की ओर से दिया गया है और जो न्यायालय की राय में इसके लिए पर्याप्त हो कि वह अभियुक्त व्यक्ति को यह अनुमान करने के लिए उसे युक्तियुक्त प्रतीत होने वाले आधार देती है कि उसके करने से वह अपने विरुद्ध कार्यवाहियों के बारे में ऐहिक रूप का कोई फायदा उठाएगा या ऐहिक रूप की किसी बुराई का परिवर्जन कर लेगा।

उत्प्रेरणा, धमकी या वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दण्डिक कार्यवाही में कब विसंगत होती है।

25. किसी पुलिस आफिसर² से की गई कोई भी संस्वीकृति किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी।

पुलिस आफिसर से की गई संस्वीकृति का साबित न किया जाना।

26. कोई भी संस्वीकृति, जो किसी व्यक्ति ने उस समय की हो जब वह पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध साबित न की जाएगी जब तक, कि वह मजिस्ट्रेट³ की साक्षात् उपस्थिति में न की गई हो।

पुलिस की अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति का उसके विरुद्ध साबित न किया जाना।

1 ऐसी उत्प्रेरणाओं, आदि क प्रतिषेध के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता 1898, (1898 का 57), धारा 343 देखिए।

2 किसी मामले का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी को किए गए कथन के बारे में—देखिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5) की धारा 162।

3 इस धारा के प्रयोजनों के लिए कारोनर को मजिस्ट्रेट घोषित किया गया है—देखिए कारोनर अधिनियम, 1871 (1871 का 4) की धारा 20।

¹[*Explanation.*—In this section “Magistrate” does not include the head of a village discharging magisterial functions in the Presidency of Fort St. George² * * * or elsewhere, unless such headman is a Magistrate exercising the powers of a Magistrate under the Code of Criminal Procedure, 1882³.]

10 of 1882

How much of information received from accused may be proved.

27. Provided that, when any fact is deposed to as discovered in consequence of information received from a person accused of any offence, in the custody of a police officer, so much of such information, whether it amounts to a confession or not, as relates distinctly to the fact thereby discovered, may be proved.

Confession made after removal of impression caused by inducement, threat or promise, relevant.

28. If such a confession as is referred to in section 24 is made after the impression caused by any such inducement, threat or promise has, in the opinion of the Court, been fully removed, it is relevant.

Confession otherwise relevant not to become irrelevant because of promise of secrecy, etc.

29. If such a confession is otherwise relevant, it does not become irrelevant merely because it was made under a promise of secrecy, or in consequence of a deception practised on the accused person for the purpose of obtaining it, or when he was drunk, or because it was made in answer to questions which he need not have answered, whatever may have been the form of those questions, or because he was not warned that he was not bound to make such confession, and that evidence of it might be given against him.

Consideration of proved confession affecting person making it and others jointly under trial for same offence.

30. When more persons than one are being tried jointly for the same offence, and a confession made by one of such persons affecting himself and some other of such persons is proved, the Court may take into consideration such confession as against such other person as well as against the person who makes such confession.

⁴[*Explanation.*—“Offence” as used in this section, includes the abetment of, or attempt to commit, the offence.]

Illustrations

(a) A and B are jointly tried for the murder of C. It is proved that A said—“B and I murdered C”. The Court may consider the effect of this confession as against B.

(b) A is on his trial for the murder of C. There is evidence to show that C was murdered by A and B, and that B said—“A and I murdered C”.

1. Ins. by Act 3 of 1891, s. 3.
2. The words “or in Burma” omitted by the A.O. 1937.
3. See now the Code of Criminal Procedure, 1898 (5 of 1898).
4. Ins. by Act 3 of 1891, s. 4.

1882 का 10

¹[स्पष्टीकरण—इस धारा में “मजिस्ट्रेट” के अन्तर्गत फोर्ट सन्ट जार्ज की प्रेसिडेन्सी में² *** या अन्यत्र मजिस्ट्रेट के कृत्य निर्वहन करने वाला ग्रामणी नहीं आता है, जब तक कि वह ग्रामणी कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर, 1882³ के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने वाला मजिस्ट्रेट न हो।]

27. परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाक्ष्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका पता चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतनी चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी तद्द्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से जितनी साबित की जा सकेगी।

28. यदि ऐसी कोई संस्वीकृति, जैसी धारा 24 में निर्दिष्ट है, न्यायालय की राय में उसके मन पर प्रभाव के, जो ऐसी किसी उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से कारित हुआ है, पूर्णतः दूर हो जाने के पश्चात् की गई है, तो वह सुसंगत है।

उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन पर प्रभाव के दूर हो जाने के पश्चात् की गई संस्वीकृति सुसंगत है।

29. यदि ऐसी संस्वीकृति अन्यथा सुसंगत है, तो वह कवल इसलिए कि वह गुप्त रखन क वचन के अधीन या उसे अभिप्राप्त करने के प्रयोजनार्थ अभियुक्त व्यक्ति से की गई प्रवचन का परिणामस्वरूप, या उस समय जबकि वह मत्त था, की गई थी अथवा इसलिए कि वह ऐसे प्रश्नों के, चाहे उनका रूप कैसा ही क्यों न रहा हो, उत्तर में की गई थी जिनका उत्तर देना उसके लिए आवश्यक नहीं था, अथवा केवल इसलिए कि उसे यह चेतावनी नहीं दी गई थी कि वह ऐसी संस्वीकृति करने के लिए आबद्ध नहीं था और कि उसक विरुद्ध उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, विसंगत नहीं हो जाती।

अन्यथा सुसंगत संस्वीकृति को गुप्त रखने के वचन आदि के कारण विसंगत न हो जाना।

30. जबकि एक से अधिक व्यक्ति एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित हैं तथा ऐसे व्यक्तियों में से किसी एक के द्वारा, अपने को और ऐसे व्यक्तियों में से किसी अन्य को प्रभावित करने वाली की गई संस्वीकृति को साबित किया जाता है, तब न्यायालय ऐसी संस्वीकृति को अन्य ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध तथा ऐसे संस्वीकृति करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध विचार में ले सकेगा।

साबित संस्वीकृति को, जो उसे करने वाले व्यक्ति तथा एक ही अपराध के लिए संयुक्त रूप से विचारित अन्य को प्रभावित करती है, विचार में लेना।

⁴[स्पष्टीकरण—इस धारा में प्रयुक्त “अपराध” शब्द के अन्तर्गत उस अपराध का दुष्प्रेरण या उसे करने का प्रयत्न आता है।]

दृष्टांत

(क) क और ख को ग की हत्या के लिए संयुक्ततः विचारित किया जाता है। यह साबित किया जाता है कि क ने कहा, “ख और मैंने ग की हत्या की है।” ख के विरुद्ध इस संस्वीकृति के प्रभाव पर न्यायालय विचार कर सकेगा।

(ख) ग की हत्या करने के लिए क का विचारण हो रहा है। यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य है कि ग की हत्या क और ख द्वारा की गई थी और यह कि ख ने कहा था कि “क और मैंने ग की हत्या की है”।

1. 1891 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा “या बर्मा में” शब्दों का लोप किया गया।
3. देखिए अब दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1898 (1898 का 5)।
4. 1891 के अधिनियम सं० 3 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित।

This statement may not be taken into consideration by the Court against A, as B is not being jointly tried.

Admissions not conclusive proof, but may estop. 31. Admissions are not conclusive proof of the matters admitted but they may operate as estoppels under the provisions hereinafter contained.

STATEMENTS BY PERSONS WHO CANNOT BE CALLED AS WITNESSES

Cases in which statement of relevant fact by person who is dead or cannot be found, etc., is relevant. 32. Statements, written or verbal, of relevant facts made by a person who is dead, or who cannot be found, or who has become incapable of giving evidence, or whose attendance cannot be procured without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, appears to the Court unreasonable, are themselves relevant facts in the following cases :—

When it relates to cause of death;

- (1) When the statement is made by a person as to the cause of his death, or as to any of the circumstances of the transaction which resulted in his death, in cases in which the cause of that person's death comes into question.

Such statements are relevant whether the person who made them was or was not, at the time when they were made, under expectation of death, and whatever may be the nature of the proceeding in which the cause of his death comes into question.

or is made in course of business;

- (2) When the statement was made by such person in the ordinary course of business, and in particular when it consists of any entry or memorandum made by him in books kept in the ordinary course of business, or in the discharge of professional duty; or of an acknowledgment written or signed by him of the receipt of money, goods, securities or property of any kind; or of a document used in commerce written or signed by him; or of the date of a letter or other document usually dated, written or signed by him.

or against interest of maker;

- (3) When the statement is against the pecuniary or proprietary interest of the person making it or when, if true, it would expose him or would have exposed him to a criminal prosecution or to a suit for damages.

or gives opinion as to public right or custom, or matters of general interests;

- (4) When the statement gives the opinion of any such person, as to the existence of any public right or custom or matter of public or general interest, of the existence of which, if it existed, he would have been likely to be aware, and when such statement was made before any controversy as to such right, custom or matter had arisen.

न्यायालय इस कथन को क के विरुद्ध विचारार्थ नहीं ले सकेगा, क्योंकि ख संयुक्ततः विचारित नहीं हो रहा है।

31. स्वीकृतियां, स्वीकृत विषयों का निश्चायक सबूत नहीं हैं, किन्तु एतस्मिन्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन विबंध के रूप में प्रवर्तित हो सकेंगी।

स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं किन्तु विबंध कर सकती हैं।

उन व्यक्तियों के कथन, जिन्हें साध्य में बुलाया नहीं जा सकता

32. सुसंगत तथ्यों के लिखित या मौखिक कथन, जो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए थे, जो मर गया है या मिला नहीं सकता है या जो साध्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या जिसकी हाजिरी इतने विलम्ब या व्यय के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय को अयुक्त-युक्त प्रतीत होता है, निम्नलिखित दशाओं में स्वयमेव सुसंगत हैं—

वे दशाएं जिनमें उस व्यक्ति द्वारा सुसंगत तथ्य का किया गया कथन सुसंगत है, जो मर गया है या मिला नहीं सकता, इत्यादि।

- (1) जबकि वह कथन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, तब उन मामलों में, जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत हो।

जब कि वह मृत्यु के कारण से सम्बन्धित है ;

ऐसे कथन सुसंगत हैं चाहे उस व्यक्ति को, जिसने उन्हें किया है, उस समय जब वे किए गए थे मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं और चाहे उस कार्यवाही की, जिसमें उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण प्रश्नगत होता है, प्रकृति कैसी ही क्यों न हो।

- (2) जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था तथा विशेषतः जबकि वह, उसके द्वारा कारबार के मामूली अनुक्रम में या वृत्तिक कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में है, अथवा उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की सम्पत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है, अथवा वाणिज्य में उपयोग में आने वाली उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में है अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है, जो कि उसके द्वारा प्रायः दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी।

अथवा कारबार के अनुक्रम में किया गया है ;

- (3) जबकि वह कथन उसे करने वाले व्यक्ति के धन सम्बन्धी या सामाजिक हित के विरुद्ध है या जबकि, यदि वह सत्य हो, तो उसके कारण उस पर दण्डिक अभियोजन या तुकसानी का वाद लाया जा सकता है या लाया जा सकता था।

अथवा करने वाले के हित के विरुद्ध है ;

- (4) जबकि उस कथन में उपर्युक्त व्यक्ति की राय किसी ऐसे लोक अधिकार या रुढ़ि अथवा लोक या साधारण हित के विषय के अस्तित्व के बारे में है, जिसके अस्तित्व से, यदि वह अस्तित्व में होता तो उससे उस व्यक्ति का अवगत होना सम्भाव्य होता और जब कि ऐसा कथन ऐसे किसी अधिकार, रुढ़ि या बात के बारे में किसी संविवाद के उत्पन्न होने से पहले किया गया था।

अथवा लोक अधिकार या रुढ़ि के बारे में या साधारण हित के विषयों के बारे में कोई राय देता है ;

or relates to existence of relationship;

- (5) When the statement relates to the existence of any relationship ¹[by blood, marriage or adoption] between persons as to whose relationship ¹[by blood, marriage or adoption] the person making the statement had special means of knowledge, and when the statement was made before the question in dispute was raised.

or is made in will or deed relating to family affairs

- (6) When the statement relates to the existence of any relationship ¹[by blood, marriage or adoption] between persons deceased, and is made in any will or deed relating to the affairs of the family to which any such deceased person belonged, or in any family pedigree, or upon any tombstone, family portrait or other thing on which such statements are usually made, and when such statement was made before the question in dispute was raised.

or in document relating to transaction mentioned in section 13, clause (a);

- (7) When the statement is contained in any deed, will or other document which relates to any such transaction as is mentioned in section 13, clause (a).

or is made by several persons and expresses feelings relevant to matter in question;

- (8) When the statement was made by a number of persons, and expressed feelings or impressions on their part relevant to the matter in question.

Illustrations

- (a) The question is, whether A was murdered by B, or

A dies of injuries received in a transaction in the course of which she was ravished. The question is whether she was ravished by B; or

The question is, whether A was killed by B under such circumstances that a suit would lie against B by A's widow.

Statements made by A as to the cause of his or her death, referring respectively to the murder, the rape and the actionable wrong under consideration, are relevant facts.

- (b) The question is as to the date of A's birth.

An entry in the diary of a deceased surgeon, regularly kept in the course of business, stating that, on a given day, he attended A's mother and delivered her of a son, is a relevant fact.

- (c) The question is, whether A was in Calcutta on a given day.

A statement in the diary of a deceased solicitor, regularly kept in the course of business, that on a given day the solicitor attended A at a place mentioned, in Calcutta, for the purpose of conferring with him upon specified business, is a relevant fact.

- (5) जब कि वह कथन किन्हीं ऐसे व्यक्तियों के बीच ¹[रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित] किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है, जिन व्यक्तियों को ¹[रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित] नातेदारी के बारे में उस व्यक्ति के पास, जिसने वह कथन किया है, ज्ञान के विशेष साधन थे और जब कि वह कथन विवादप्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था।
- (6) जब कि वह कथन मृत व्यक्तियों के बीच ¹[रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण पर आधारित] किसी नातेदारी के अस्तित्व के सम्बन्ध में है और उस कुटुम्ब की बातों से जिसका ऐसा मृत व्यक्ति अंग था, सम्बन्धी किसी विल या विलेख में या किसी कुटुम्ब-वंशावली में या किसी समाधिप्रस्तर, कुटुम्ब-चित्र या अन्य चीज पर जिस पर ऐसे कथन प्रायः किए जाते हैं किया गया है, और जब कि ऐसा कथन विवादप्रस्त प्रश्न के उठाए जाने से पूर्व किया गया था।
- (7) जब कि वह कथन किसी ऐसे विलेख, विल या अन्य दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है, जो किसी ऐसे संबन्धव्यवहार से सम्बन्धित है जैसा धारा 13, खण्ड (क) में वर्णित है।
- (8) जब कि वह कथन कई व्यक्तियों द्वारा किया गया था और प्रश्नगत बात से सुसंगत उनकी भावनाओं या धारणाओं को अभिव्यक्त करता है।

अथवा नातेदारी अस्तित्व से सम्बन्धित है; के

अथवा कौटुम्बिक बातों से सम्बन्धित विल या विलेख में किया गया है;

अथवा धारा 13, खण्ड (क) में वर्णित संबन्धव्यवहार से सम्बन्धित दस्तावेज में किया गया है;

अथवा कई व्यक्तियों द्वारा किया गया है और प्रश्नगत बात से सुसंगत भावनाएं अभिव्यक्त करता है;

दृष्टांत

(क) प्रश्न यह है कि क्या क की हत्या ख द्वारा की गई थी, अथवा

क की मृत्यु किसी संबन्धव्यवहार में हुई क्षतियों से हुई है, जिसके अनुक्रम में उससे बलात्संग किया गया था। प्रश्न यह है कि क्या उससे ख द्वारा बलात्संग किया गया था, अथवा

प्रश्न यह है कि क्या क ख द्वारा ऐसी परिस्थितियों में मारा गया था कि क की विधवा द्वारा ख पर वाद लाया जा सकता है।

अपनी मृत्यु के कारण के बारे में क द्वारा किए गए वे कथन जो उसने क्रमशः विचाराधीन हत्या, बलात्संग और अनुयोज्य दोष को निर्देशित करते हुए किए हैं, सुसंगत तथ्य हैं।

(ख) प्रश्न क के जन्म की तारीख के बारे में है।

एक मृत शल्य-चिकित्सक की अपने कारबार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली डायरी में इस कथन की प्रविष्टि कि अमुक दिन उसने क की माता की परिचर्या की और उसे पुत्र का प्रसव करीया सुसंगत तथ्य है।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या क अमुक दिन कलकत्ते में था।

कारबार के मामूली अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई एक मृत सोलिसिटर की डायरी में यह कथन कि अमुक दिन वह सालिसिटर कलकत्ते में एक वर्णित स्थान पर विनिर्दिष्ट कारबार के बारे में विचार-विमर्श करने के प्रयोजनार्थ क के पास रहा सुसंगत तथ्य है।

1. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 2 द्वारा अन्तःस्थापित।

- (d) The question is, whether a ship sailed from Bombay harbour on a given day.

A letter written by a deceased member of a merchant's firm, by which she was chartered, to their correspondents in London to whom the cargo was consigned, stating that the ship sailed on a given day from Bombay harbour, is a relevant fact.

- (e) The question is, whether rent was paid to A for certain land.

A letter from A's deceased agent to A, saying that he had received the rent on A's account and held it at A's orders, is a relevant fact.

- (f) The question is, whether A and B were legally married.

The statement of a deceased clergyman that he married them under such circumstances that the celebration would be a crime, is relevant.

- (g) The question is, whether A, a person who cannot be found, wrote a letter on a certain day. The fact that a letter written by him is dated on that day is relevant.

- (h) The question is, what was the cause of the wreck of a ship.

A protest made by the Captain, whose attendance cannot be procured, is a relevant fact.

- (i) The question is, whether a given road is a public way.

A statement by A, a deceased headman of the village, that the road was public, is a relevant fact.

- (j) The question is, what was the price of grain on a certain day in a particular market.

A statement of the price, made by a deceased banya in the ordinary course of his business, is a relevant fact.

- (k) The question is, whether A, who is dead, was the father of B.

A statement by A that B was his son, is a relevant fact.

- (l) The question is, what was the date of the birth of A.

A letter from A's deceased father to a friend, announcing the birth of A on a given day, is a relevant fact.

- (m) The question is, whether, and when, A and B were married.

An entry in a memorandum book by C, the deceased father of B, of his daughter's marriage with A on a given date, is a relevant fact.

(घ) प्रश्न यह है कि क्या कोई पोत मुम्बई बन्दरगाह से अमुक दिन रवाना हुआ।

किसी वाणज्यिक फर्म के, जिसके द्वारा वह पोत भाड़े पर लिया गया था, मृत भागीदार द्वारा लन्दन स्थित अपने सम्पर्कों को जिन्हें वह स्थोरा परेषित किया गया था, यह कथन करने वाला पत्र कि पोत मुम्बई बन्दरगाह से अमुक दिन चल दिया सुसंगत तथ्य है।

(ङ) प्रश्न यह है कि क्या क को अमुक भूमि का भाटक दिया गया था।

क के मृत अभिकर्ता का क के नाम पत्र जिसमें यह कथन है कि उसने क के निमित्त भाटक प्राप्त किया है और वह उसे क के आदेशाधीन रखे हुए है सुसंगत तथ्य है।

(च) प्रश्न यह है कि क्या क और ख का विवाह वैध रूप से हुआ था।

एक मृत पादरी का यह कथन कि उसने उनका विवाह ऐसी परिस्थितियों में कराया था, जिनमें उसका कराना अपराध होता, सुसंगत है।

(छ) प्रश्न यह है कि क्या एक व्यक्ति क ने, जो मिल नहीं सकता अमुक दिन एक पत्र लिखा था। यह तथ्य कि उसके द्वारा लिखित एक पत्र पर उस दिन की तारीख दिनांकित है सुसंगत है।

(ज) प्रश्न यह है कि किसी पोत के ध्वंस का कारण क्या है।

कप्तान द्वारा, जिसकी हाजिरी उपाप्त नहीं की जा सकती, दिया गया प्रसाक्ष्य सुसंगत तथ्य है।

(झ) प्रश्न यह है कि क्या अमुक सड़क लोक मार्ग है।

ग्राम के मृत ग्रामीण क के द्वारा किया गया कथन कि वह सड़क लोक मार्ग है सुसंगत तथ्य है।

(ञ) प्रश्न यह है कि विशिष्ट बाजार में अमुक दिन अनाज की क्या कीमत थी।

एक मृत बन्धु द्वारा अपने कारबार के मामूली अनुक्रम में किया गया कीमत का कथन सुसंगत तथ्य है।

(ट) प्रश्न यह है कि क्या क, जो मर चुका है ख का पिता था।

क द्वारा किया गया यह कथन कि ख उसका पुत्र है सुसंगत तथ्य है।

(ठ) प्रश्न यह कि क के जन्म की तारीख क्या है।

क के मृत पिता द्वारा किसी मित्र को लिखा हुआ पत्र, जिसमें यह बताया गया है कि क का जन्म अमुक दिन हुआ, सुसंगत तथ्य है।

(ड) प्रश्न यह है कि क्या और कब क और ख का विवाह हुआ था।

ख के मृत पिता ग द्वारा किसी याददाश्त पुस्तक में अपनी पुत्री का क के साथ अमुक तारीख को विवाह होने की प्रविष्टि सुसंगत तथ्य है।

(n) A sues B for a libel expressed in a painted caricature exposed in a shop window. The question is as to the similarity of the caricature and its libellous character. The remarks of a crowd of spectators on these points may be proved.

Relevancy of certain evidence for proving, in subsequent proceeding, the truth of facts therein stated.

33. Evidence given by a witness in a judicial proceeding or before any person authorized by law to take it, is relevant for the purpose of proving, in a subsequent judicial proceeding, or in a later stage of the same judicial proceeding, the truth of the facts which it states, when the witness is dead or cannot be found, or is incapable of giving evidence, or is kept out of the way by the adverse party, or if his presence cannot be obtained without an amount of delay or expense which, under the circumstances of the case, the Court considers unreasonable :

Provided—

that the proceeding was between the same parties or their representatives in interest;

that the adverse party in the first proceeding had the right and opportunity to cross-examine;

that the questions in issue were substantially the same in the first as in the second proceeding.

Explanation—A criminal trial or inquiry shall be deemed to be a proceeding between the prosecutor and the accused within the meaning of this section.

STATEMENTS MADE UNDER SPECIAL CIRCUMSTANCES

Entries in books of account when relevant.

34. Entries in books of account, regularly kept in the course of business, are relevant whenever they refer to a matter into which the Court has to inquire, but such statements shall not alone be sufficient evidence to charge any person with liability.

Illustration

A sues B for Rs. 1,000, and shows entries in his account-books showing B to be indebted to him to this amount. The entries are relevant, but are not sufficient, without other evidence, to prove the debt.

Relevancy of entry in public record made in performance of duty.

35. An entry in any public or other official book, register or record, stating a fact in issue or relevant fact, and made by a public servant in the discharge of his official duty, or by any other person in performance of a duty specially enjoined by the law of the country in which such book, register, or record is kept, is itself a relevant fact.

Relevancy of statements in maps, charts and plans.

36. Statements of facts in issue or relevant facts, made in published maps or charts generally offered for public sale, or in maps or plans made under the authority of ¹[the Central Government or any State Government], as to matters usually represented or stated in such maps, charts or plans, are themselves relevant facts.

1. Subs. by the A.O. 1948 for "any Government in British India".

(ढ) दुकान की खिड़की में अभिदर्शित रंगित उपहासांकन में अभिव्यक्त अपमान-लेख के लिए ख पर क वाद लाता है। प्रश्न उपहासांकन की समरूपता तथा उसके अपमान लेखीय प्रकृति के बारे में है। इन बातों पर दर्शकों की भीड़ की टिप्पणियां साबित की जा सकेंगी।

33. वह साक्ष्य, जो किसी साक्षी ने किसी न्यायिक कार्यवाही में, या विधि द्वारा उसे लेने के लिए प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष दिया है, उन तथ्यों की सत्यता को, जो उस साक्ष्य में कथित हैं, किसी पश्चात्पूर्वी न्यायिक कार्यवाही में या उसी न्यायिक कार्यवाही के आगामी प्रक्रम में साबित करने के प्रयोजन के लिए तब सुसंगत है, जब कि वह साक्षी मर गया है या मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ है या प्रतिपक्षी द्वारा उसे पहुंच के बाहर कर दिया गया है अथवा यदि उसकी उपस्थिति इतने विलम्ब या व्यय के बिना, जितना कि मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है, अभिप्राप्त नहीं की जा सकती :

किसी साक्ष्य में कथित तथ्यों की सत्यता को पश्चात्पूर्वी कार्यवाही में साबित करने के लिए उस साक्ष्य की सुसंगति।

परन्तु वह तब जब कि—

वह कार्यवाही उन्हीं पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच में थी,

प्रथम कार्यवाही में प्रतिपक्षी को प्रतिपरीक्षा का अधिकार और अवसर था,

विवाद्य प्रश्न प्रथम कार्यवाही में सारतः वही थे जो द्वितीय कार्यवाही में हैं।

स्पष्टीकरण—दाण्डिक विचारण या जांच इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत अभियोजक और अभियुक्त के बीच कार्यवाही समझी जाएगी।

विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन

34. कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी गई लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां, जब कभी वे ऐसे विषय का निर्देश करती हैं जिसमें न्यायालय को जांच करनी है, सुसंगत हैं, किन्तु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व से भारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे।

लेखा पुस्तकों की प्रविष्टियां कब सुसंगत हैं।

दृष्टान्त

ख पर क 1,000 रूपयों के लिए वाद लाता है और अपनी लेखा बहियों की वे प्रविष्टियां दर्शित करता है, जिनमें ख को इस रकम के लिए उसका ऋणी दर्शित किया गया है। ये प्रविष्टियां सुसंगत हैं किन्तु ऋण साबित करने के लिए अन्य साक्ष्य के बिना पर्याप्त नहीं हैं।

35. किसी लोक या अन्य राजकीय पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख में की गई प्रविष्टि, जो किसी विवाद्यक या सुसंगत तथ्य का कथन करती है और किसी लोक सेवक द्वारा अपने पदीय कर्तव्य के निर्वहन में या उस देश की, जिसमें ऐसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख रखा जाता है, विधि द्वारा विशेष रूप से व्यादिष्ट कर्तव्य पालन में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की गई है, स्वयं सुसंगत तथ्य है।

कर्तव्य पालन में की गई लोक अभिलेख की प्रविष्टियों की सुसंगति।

36. विवाद्यक तथ्यों या सुसंगत तथ्यों के व कथन, जो प्रकाशित मानचित्रों या चार्टों में, जो लोक विक्रय के लिए साधारणतः प्रस्थापित किए जाते हैं, अथवा ¹[केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार] के प्राधिकार के अधीन बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों में किए गए हैं उन विषयों के बारे में जो ऐसे मानचित्रों, चार्टों या रेखांकों में प्रायः रूपित या कथित होते हैं स्वयं सुसंगत तथ्य हैं।

मानचित्रों, चार्टों और रेखांकों के कथनों की सुसंगति।

1. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "ब्रिटिश भारत में किसी सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Relevancy of statement as to fact of public nature, contained in certain Acts or notifications.

37. When the Court has to form an opinion as to the existence on any fact of a public nature, any statement of it, made in a recital contained in any Act of Parliament ¹[of the United Kingdom], or in any ²[Central Act, Provincial Act, or ³a State Act], or in a Government notification or notification by the Crown Representative appearing in the Official Gazette or in any printed paper purporting to be the London Gazette or the Government Gazette of any Dominion, colony or possession of His Majesty is a relevant fact].

4* * * * *

Relevancy of statements as to any law contained in law-books.

38. When the Court has to form an opinion as to a law of any country, any statement of such law contained in a book purporting to be printed or published under the authority of the Government of such country and to contain any such law, and any report of a ruling of the Courts of such country contained in a book purporting to be a report of such rulings, is relevant.

HOW MUCH OF A STATEMENT IS TO BE PROVED

What evidence to be given when statement forms part of a conversation, document, book or series of letters or papers.

39. When any statement of which evidence is given forms part of a longer statement, or of a conversation or part of an isolated document, or is contained in a document which forms part of a book, or of a connected series of letters or papers, evidence shall be given of so much and no more of the statement, conversation, document, book, or series of letters or papers as the Court considers necessary in that particular case to the full understanding of the nature and effect of the statement, and of the circumstances under which it was made.

JUDGMENTS OF COURTS OF JUSTICE WHEN RELEVANT

Previous judgments relevant to bar a second suit or trial.

40. The existence of any judgment, order or decree which by law prevents any Court from taking cognizance of a suit or holding a trial, is a relevant fact when the question is whether such Court ought to take cognizance of such suit, or to hold such trial.

1. Ins. by the A.O. 1950.
2. The original words "Act of the Governor General of India in Council or of the Governors in Council of Madras or Bombay, or of the Lieutenant-Governor in Council of Bengal, or in a notification of the Government appearing in the Gazette of India, or in the Gazette of any L.G. or in any printed paper purporting to be the London Gazette or the Government Gazette of any colony or possession of the Queen, is a relevant fact" were successively amended by Act 10 of 1914, A.O. 1937, A.O. 1948 and A.O. 1950 to read as above.
3. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "an Act of the Legislature of a Part A state or a Part C State".
4. The last paragraph added by Act 5 of 1899, s. 2, omitted by Act 10 of 1914, s. 3 and Sch. II.

37. जब कि न्यायालय को किसी लोक प्रकृति के तथ्य के अस्तित्व के बारे में राय बनानी है तब ¹[यूनाइटेड किंगडम की] पार्लियामेंट के ऐक्ट में या किसी ²[केन्द्रीय अधिनियम, प्रान्तीय अधिनियम या] ³[राज्य अधिनियम में] या शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किसी सरकारी अधिसूचना या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव द्वारा की गई अधिसूचना में या लन्दन गजट या हिज मेजेस्टी के किसी डोमिनियन, उपनिवेश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र तात्पर्यित होने वाले किसी मुद्रित पत्र में अन्तर्विष्ट परि-वर्णन में किया गया उसका कोई कथन सुसंगत तथ्य है।

किन्हीं अधिनियमों या अधिसूचनाओं में अन्तर्विष्ट लोक प्रकृति के तथ्य के बारे में कथन की सुसंगति।

4*

*

*

*

38. जब कि न्यायालय को किसी देश की विधि के बारे में राय बनानी है, तब ऐसी विधि का कोई भी कथन, जो ऐसी किसी पुस्तक में अन्तर्विष्ट है जो ऐसे देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित और ऐसी किसी विधि को अन्तर्विष्ट करने वाली तात्पर्यित है, और ऐसे देश के न्यायालयों के किसी विनिर्णय की कोई रिपोर्ट जो ऐसे विनिर्णयों की रिपोर्ट तात्पर्यित होने वाली किसी पुस्तक में अन्तर्विष्ट है सुसंगत है।

विधि की पुस्तकों के अन्तर्विष्ट किसी विधि के कथनों की सुसंगति।

किसी कथन में से कितना साबित किया जाए

39. जब कि कोई कथन जिसका साक्ष्य दिया जाता है, किसी बृहत्तर कथन का या किसी बातचीत का भाग है या किसी एकल दस्तावेज का भाग है या किसी ऐसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है, जो किसी पुस्तक का अथवा पत्रों या कागज-पत्रों की संसक्त आवली का भाग है तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज-पत्रों की आवली के उतने का ही न कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव को तथा उन परिस्थितियों को, जिनके अधीन वह किया गया था, पूर्णतः समझने के लिए उस विशिष्ट मामले में आवश्यक विचार करता है।

जब कि कथन किसी बातचीत, दस्तावेज, पुस्तक अथवा पत्रों या कागज-पत्रों की आवली का भाग हो तब क्या साक्ष्य दिया जाए।

न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं

40. किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व, जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, सुसंगत तथ्य है जब कि प्रश्न यह हो कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान या ऐसा विचारण करना चाहिए।

द्वितीय वाद या विचारण के कारणार्थ पूर्व निर्णय सुसंगत है।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. "सपरिषद् गवर्नर जनरल का, या मद्रास अथवा मुम्बई के सपरिषद् गवर्नर का या बंगाल के सपरिषद् लेफ्टिनेंट गवर्नर का अधिनियम, या भारत के राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सरकार की अधिसूचना में या किसी स्थानीय सरकार के राजपत्र में या लन्दन गजट अथवा क्वीन के किसी उपनिवेश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र में तात्पर्यित होने वाले किसी मुद्रित पत्र के सुसंगत तथ्य" मूल शब्दों का संशोधन अनुक्रमशः 1914 के अधिनियम सं० 10, भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937, भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा किया गया है।

3. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग क राज्य या भाग ग राज्य विधान मंडल के अधिनियम" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

4. 1899 के अधिनियम सं० 5 की धारा 2 द्वारा जोड़े गए अन्तिम पैरे का 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा लोप किया गया।

Relevancy of certain judgments in probate, etc., jurisdiction.

41. A final judgment, order or decree of a competent Court, in the exercise of probate, matrimonial, admiralty or insolvency jurisdiction, which confers upon or takes away from any person any legal character, or which declares any person to be entitled to any such character, or to be entitled to any specific thing, not as against any specified person but absolutely, is relevant when the existence of any such legal character, or the title of any such person to any such thing, is relevant.

Such judgment, order or decree is conclusive proof—

that any legal character which it confers accrued at the time when such judgment, order or decree came into operation;

that any legal character, to which it declares any such person to be entitled, accrued to that person at the time when such judgment, [order or decree] declares it to have accrued to that person;

that any legal character which it takes away from any such person ceased at the time from which such judgment, [order or decree] declared that it had ceased or should cease;

and that anything to which it declares any person to be so entitled was the property of that person at the time from which such judgment, [order or decree] declares that it had been or should be his property.

Relevancy and effect of judgments, orders or decrees, other than those mentioned in section 41.

42. Judgments, orders or decrees other than those mentioned in section 41, are relevant if they relate to matters of a public nature relevant to the enquiry; but such judgments, orders or decrees are not conclusive proof of that which they state.

Illustration

A sues B for trespass on his land. B alleges the existence of a public right of way over the land, which A denies.

The existence of a decree in favour of the defendant, in a suit by A against C for a trespass on the same land, in which C alleged the existence of the same right of way, is relevant, but it is not conclusive proof that the right of way exists.

Judgments, etc., other than those mentioned in sections 40 to 42, when relevant.

43. Judgments, orders or decrees, other than those mentioned in sections 40, 41 and 42, are irrelevant, unless the existence of such judgment, order or decree, is a fact in issue, or is relevant under some other provision of this Act.

41. किसी सक्षम न्यायालय के प्रोबेट-विषयक, विवाह-विषयक, नावधिकरण विषयक या दिवाला विषयक अधिकारिता के प्रयोग में दिया हुआ अन्तिम निर्णय, आदेश या डिक्री, जो किसी व्यक्ति को, या से कोई विधिक हैसियत प्रदान करती या ले लेती है या जो सर्वतः न कि किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध किसी व्यक्ति को ऐसी किसी हैसियत का हकदार या किसी विनिर्दिष्ट चीज का हकदार घोषित करती है, तब सुसंगत हैं जब कि किसी ऐसी विधिक हैसियत, या किसी ऐसी चीज पर किसी ऐसे व्यक्ति के हक का अस्तित्व सुसंगत है।

प्रोबेट इत्यादि विषयक अधिकारिता के किन्हीं निर्णयों की सुसंगति।

ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री इस बात का निश्चायक सबूत है—

कि कोई विधिक हैसियत, जो वह प्रदत्त करती है, उस समय प्रोद्भूत हुई जब ऐसा निर्णय, आदेश या डिक्री परिवर्तन में आई,

कि कोई विधिक हैसियत, जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को हकदार घोषित करती है उस व्यक्ति को उस समय प्रोद्भूत हुई जो समय ऐसे निर्णय, ¹[आदेश या डिक्री] द्वारा घोषित है कि उस समय वह उस व्यक्ति को प्रोद्भूत हुई,

कि कोई विधिक हैसियत, जिसे वह किसी ऐसे व्यक्ति से ले लेती है उस समय खत्म हुई जो समय ऐसे निर्णय, ¹[आदेश या डिक्री] द्वारा घोषित है कि उस समय से वह हैसियत खत्म हो गई थी या खत्म हो जानी चाहिए,

और कि कोई चीज जिसके लिए वह किसी व्यक्ति को ऐसा हकदार घोषित करती है उस व्यक्ति की उस समय सम्पत्ति थी जो समय ऐसे निर्णय, ¹[आदेश या डिक्री] द्वारा घोषित है कि उस समय से वह चीज उसकी सम्पत्ति थी या होनी चाहिए।

42. वे निर्णय, आदेश या डिक्रियां जो धारा 41 में वर्णित से भिन्न हैं, यदि वे जांच में सुसंगत लोक प्रकृति की बातों से सम्बन्धित हैं, तो वे सुसंगत हैं, किन्तु ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्रियां उन बातों का निश्चायक सबूत नहीं हैं जिनका वे कथन करती हैं।

धारा 41 में वर्णित से भिन्न निर्णयों, आदेशों या डिक्रियों की सुसंगति और प्रभाव।

बुद्धान्त

क अपनी भूमि पर अतिचार के लिए ख पर वाद लाता है। ख उस भूमि पर मार्ग के लोक अधिकार का अस्तित्व अभिकथित करता है जिसका क प्रत्याख्यान करता है।

क द्वारा ग के विरुद्ध उसी भूमि पर अतिचार के लिए वाद में, जिसमें ग ने उसी मार्गाधिकार का अस्तित्व अभिकथित किया था, प्रतिवादी के पक्ष में डिक्री का अस्तित्व सुसंगत है किन्तु वह इस बात का निश्चायक सबूत नहीं है कि वह मार्गाधिकार अस्तित्व में है।

43. धाराओं 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय, आदेश या डिक्रियां विसंगत हैं जब तक कि ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व विवाद्यक तथ्य न हो या वह इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध के अन्तर्गत सुसंगत न हो।

धाराओं 40, 41 और 42 में वर्णित से भिन्न निर्णय आदि कब सुसंगत हैं।

Illustrations

(a) A and B separately sue C for a libel which reflects upon each of them. C in each case says, that the matter alleged to be libellous is true, and the circumstances are such that it is probably true in each case, or in neither.

A obtains a decree against C for damages on the ground that C failed to make out his justification. The fact is irrelevant as between A and C.

(b) A prosecutes B for adultery with C, A's wife.

B denies that C is A's wife, but the Court convicts B of adultery.

Afterwards, C is prosecuted for bigamy in marrying B during A's lifetime. C says that she never was A's wife.

The judgment against B is irrelevant as against C.

(c) A prosecutes B for stealing a cow from him, B is convicted.

A afterwards sues C for the cow, which B had sold to him before his conviction. As between A and C, the judgment against B is irrelevant.

(d) A has obtained a decree for the possession of land against B. C, B's son, murders A in consequence.

The existence of the judgment is relevant, as showing motive for a crime.

[(e) A is charged with theft and with having been previously convicted of theft. The previous conviction is relevant as a fact in issue.]

(f) A is tried for the murder of B. The fact that B prosecuted A for libel and that A was convicted and sentenced is relevant under section 8 as showing the motive for the fact in issue.]

Fraud or collusion in obtaining judgment, or incompetency of Court, may be proved.

44. Any party to a suit or other proceeding may show that any judgment, order or decree which is relevant under section 40, 41 or 42, and which has been proved by the adverse party, was delivered by a Court not competent to deliver it, or was obtained by fraud or collusion.

OPINIONS OF THIRD PERSONS WHEN RELEVANT

Opinions of experts.

45. When the Court has to form an opinion upon a point of foreign law, or of science or art, or as to identity of handwriting ²[or finger impressions], the

1. Ins. by Act 3 of 1891, s. 5.
2. Ins. by Act 5 of 1899, s. 3.

दृष्टान्त

(क) क और ख किसी अपमान-लेख के लिए, जो उनमें से हर एक पर लांछन लगाता है, ग पर पृथक्-पृथक् धाद लाते हैं। हर एक मामले में ग कहता है कि वह बात, जिसका अपमान-लेखीय होना अभिकथित हैं, सत्य है और परिस्थितियां ऐसी हैं कि वह अधिसम्भाव्यतः या तो हर एक मामले में तथ्य है या किसी में नहीं।

ग के विरुद्ध क इस आधार पर कि ग अपना न्यायोचित्य साबित करने में असफल रहा नुकसानी की डिक्री अभिप्राप्त करता है। यह तथ्य ख और ग के बीच विसंगत है।

(ख) क अपनी पत्नी ग के साथ जारकर्म करने के लिए ख का अभियोजन करता है।

ख इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि ग क की पत्नी है किन्तु न्यायालय ख को जारकर्म के लिए दोषसिद्ध करता है।

तत्पश्चात् क के जीवनकाल में ख के साथ विवाह करने पर द्वि-विवाह के लिए ग अभियोजित की जाती है। ग कहती है कि वह क की पत्नी कभी नहीं थी।

ख के विरुद्ध दिया गया निर्णय ग के विरुद्ध विसंगत है।

(ग) ख का अभियोजन क इसलिए करता है कि उसने क की गाय चुराई है। ख दोषसिद्ध किया जाता है।

तत्पश्चात् क उस गाय के लिए जिसे ख ने दोषसिद्ध होने से पूर्व ग को बेच दिया था, ग पर वाद लाता है। ख के विरुद्ध वह निर्णय क और ग के बीच विसंगत है।

(घ) क ने ख के विरुद्ध भूमि के कब्जे की डिक्री अभिप्राप्त की है। ख का पुत्र ग परिणामस्वरूप क की हत्या करता है।

उस निर्णय का अस्तित्व अपराध का हेतु दर्शित करने के नाते सुसंगत है।

(ङ) क पर चोरी का और चोरी के लिए पूर्व दोषसिद्धि का आरोप है। पूर्व दोषसिद्धि विवाचक तथ्य होने के नाते सुसंगत है।

(च) ख की हत्या के लिए क विचारित किया जाता है। यह तथ्य कि ख ने क पर अपमान-लेख के लिए अभियोजन चलाया था और क दोषसिद्ध और दण्डित किया गया या धारा 8 के अधीन विवाचक तथ्य का हेतु दर्शित करने के नाते सुसंगत है।]

44. वाद या अन्य कार्यवाही का कोई भी पक्षकार यह दर्शित कर सकेगा कि कोई निर्णय, आदेश या डिक्री जो धारा 40, 41 या 42 के अधीन सुसंगत है और जो प्रतिपक्षी द्वारा साबित की जा चुकी है, ऐसे न्यायालय द्वारा दी गई थी जो उसे देने के लिए अक्षम था या कपट या दुस्सन्धि द्वारा अभिप्राप्त की गई थी।

निर्णय अभिप्राप्त करने में कपट या दुस्सन्धि अथवा न्यायालय की अक्षमता साबित की जा सकेगी।

अन्य व्यक्तियों की राय कब सुसंगत है

45. जब कि न्यायालय को विदेशी विधि की या विज्ञान की या कला की किसी बात पर या हस्त-लेख [या अंगुली चिह्नों] की अनन्यता के बारे में राय बनानी हो तब उस बात पर ऐसी विदेशी विधि,

विशेषज्ञों की राय।

1. 1891 के अधिनियम सं० 3 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. 1899 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।

opinions upon that point of persons specially skilled in such foreign law, science or art, ¹[or in questions as to identity of handwriting] ²[or finger impressions] are relevant facts.

Such persons are called experts.

Illustrations

(a) The question is, whether the death of A was caused by poison.

The opinions of experts as to the symptoms produced by the poison by which A is supposed to have died, are relevant.

(b) The question is, whether A, at the time of doing a certain act, was, by reason of unsoundness of mind, incapable of knowing the nature of the act, or that he was doing what was either wrong or contrary to law.

The opinions of experts upon the question whether the symptoms exhibited by A commonly show unsoundness of mind, and whether such unsoundness of mind usually renders persons incapable of knowing the nature of the acts which they do, or of knowing that what they do is either wrong or contrary to law, are relevant.

(c) The question is, whether a certain document was written by A. Another document is produced which is proved or admitted to have been written by A.

The opinions of experts on the question whether the two documents were written by the same person or by different persons, are relevant.

Facts bearing upon opinions of experts.

46. Facts, not otherwise relevant, are relevant if they support or are inconsistent with the opinions of experts, when such opinions are relevant.

Illustrations

(a) The question is, whether A was poisoned by a certain poison.

The fact that other persons, who were poisoned by that poison, exhibited certain symptoms which experts affirm or deny to be the symptoms of that poison, is relevant.

(b) The question is, whether an obstruction to a harbour is caused by a certain sea-wall.

The fact that other harbours similarly situated in other respects, but where there were no such sea-walls, began to be obstructed at about the same time, is relevant.

Opinion as to handwriting, when relevant.

47. When the Court has to form an opinion as to the person by whom any document was written or signed, the opinion of any person acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed that it was or was not written or signed by that person, is a relevant fact.

1. Ins. by Act 18 of 1872, s. 4.

2. Ins. by Act 5 of 1899, s. 3.

विज्ञान या कला में ¹[या हस्तलेख] ²[या अंगुलीचिह्नों] की अनन्यता विषयक प्रश्नों में विशेष कुशल व्यक्तियों की रायें सुसंगत तथ्य हैं।

ऐसे व्यक्ति विशेषज्ञ कहलाते हैं।

दृष्टान्त

(क) प्रश्न यह है कि क्या क कि मृत्यु विष द्वारा कारित हुई।

जिस विष के बारे में अनुमान है कि उससे क की मृत्यु हुई है, उस विष से पैदा हुए लक्षणों के बारे में विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क अमुक कार्य करने के समय चित्तविकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति, या यह कि जो कुछ वह कर रहा है वह दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में असमर्थ था।

इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं कि क्या क द्वारा प्रदर्शित लक्षणों से चित्तविकृति सामान्यतः दर्शित होती है तथा क्या ऐसी चित्तविकृति लोगों को उन कार्यों की प्रकृति जिन्हें वे करते हैं, या यह कि जो कुछ वे कर रहे हैं वह या तो दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल है, जानने में प्रायः असमर्थ बना देती है।

(ग) प्रश्न यह है कि क्या अमुक दस्तावेज क द्वारा लिखी गई थी। एक अन्य दस्तावेज पेश की जाती है जिसका क द्वारा लिखा जाना स.वित या स्वीकृत है।

इस प्रश्न पर विशेषज्ञों की रायें सुसंगत हैं कि क्या दोनों दस्तावेजों एक ही व्यक्ति द्वारा या विभिन्न व्यक्तियों द्वारा लिखी गई थीं।

46. वे तथ्य, जो अन्यथा सुसंगत नहीं हैं, सुसंगत होते हैं यदि वे विशेषज्ञों की रायों का समर्थन करते हों या उनसे असंगत हों जबकि ऐसी रायें सुसंगत हों। विशेषज्ञों की रायों से सम्बन्धित तथ्य।

दृष्टान्त

(क) प्रश्न यह है कि क्या क को अमुक विष दिया गया था।

यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य व्यक्तियों में भी, जिन्हें वह विष दिया गया था, अमुक लक्षण प्रकट हुए थे जिनका उस विष के लक्षण होना विशेषज्ञ प्रतिज्ञात या प्रत्याख्यात करते हैं।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या किसी बन्दरगाह में कोई बाधा अमुक समुद्र-भित्ति से कारित हुई है।

यह तथ्य सुसंगत है कि अन्य बन्दरगाह, जो अन्य दृष्टियों से वैसे ही स्थित थे, किन्तु जहां ऐसे समुद्र-भित्तियां नहीं थीं लगभग उसी समय बाधित होने लगे थे।

47. जबकि न्यायालय को राय बनानी हो कि कोई दस्तावेज किस व्यक्ति ने लिखी या हस्ताक्षरित की थी, तब उस व्यक्ति के हस्तलेख से, जिसके द्वारा वह लिखी या हस्ताक्षरित की गई अनुमानित की जाती है, परिचित किसी व्यक्ति की यह राय कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखी या हस्ताक्षरित की गई थी अथवा लिखी या हस्ताक्षरित नहीं की गई थी सुसंगत तथ्य है। हस्तलेख के बारे में राय कब सुसंगत है।

1. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 4 द्वारा अन्तःस्थापित।

2. 1899 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित।

Explanation—A person is said to be acquainted with the handwriting of another person when he has seen that person write, or when he has received documents purporting to be written by that person in answer to documents written by himself or under his authority and addressed to that person, or when, in the ordinary course of business, documents purporting to be written by that person have been habitually submitted to him.

Illustration

The question is, whether a given letter is in the handwriting of A, a merchant in London.

B is a merchant in Calcutta, who has written letters addressed to A and received letters purporting to be written by him. C, is B's clerk, whose duty it was to examine and file B's correspondence. D is B's broker, to whom B habitually submitted the letters purporting to be written by A for the purpose of advising with him thereon.

The opinions of B, C and D on the question whether the letter is in the handwriting of A are relevant, though neither B, C nor D ever saw A write.

Opinion as to existence of right or custom, when relevant.

48. When the Court has to form an opinion as to the existence of any general custom or right, the opinions, as to the existence of such custom or right, of persons who would be likely to know of its existence if it existed, are relevant.

Explanation—The expression "general custom or right" includes customs or rights common to any considerable class of persons.

Illustration

The right of the villagers of a particular village to use the water of a particular well is a general right within the meaning of this section.

Opinion as to usages, tenets, etc., when relevant.

49. When the Court has to form an opinion as to—

the usages and tenets of any body of men or family,

the constitution and government of any religious or charitable foundation, or

the meaning of words or terms used in particular districts or by particular classes of people,

the opinions of persons having special means of knowledge thereof, are relevant facts.

स्पष्टीकरण—कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के हस्तलेख से परिचित तब कहा जाता है, जब कि उसने उस व्यक्ति को लिखते देखा है या जब कि स्वयं अपने द्वारा या अपने प्राधिकार के अधीन लिखित और उस व्यक्ति को संबोधित दस्तावेज के उत्तर में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्यित होने वाली दस्तावेजें प्राप्त की हैं, या जबकि कारबार के मामूली अनुक्रम में उस व्यक्ति द्वारा लिखी हुई तात्पर्यित होने वाली दस्तावेजें उसके समक्ष बराबर रखी जाती रहीं हैं।

दृष्टान्त

प्रश्न यह है कि क्या अमुक पत्र लन्दन के एक व्यापारी क के हस्तलेख में है।

ख कलकत्ते में एक व्यापारी है जिसने क को पत्र संबोधित किए हैं तथा उसके द्वारा लिखे हुए तात्पर्यित होने वाले पत्र प्राप्त किए हैं। ग, ख का लिपिक है, जिसका कर्तव्य ख के पत्र-व्यवहार को देखना और फाइल करना था। ख का दलाल घ है जिसके समक्ष क द्वारा लिखे गए तात्पर्यित होने वाले पत्रों को उनके बारे में उससे सलाह करने के लिए ख बराबर रखा करता था।

ख, ग और घ की इस प्रश्न पर रायें कि क्या वह पत्र क के हस्तलेख में है सुसंगत है, यद्यपि न तो ख ने न ग ने, न घ ने क को लिखते हुए कभी देखा था।

48. जबकि न्यायालय को किसी साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में उन व्यक्तियों की रायें सुसंगत हैं, जो यदि उसका अस्तित्व होता तो संभाव्यतः उसे जानते होते।

अधिकार या रूढ़ि के अस्तित्व के बारे में रायें कब सुसंगत हैं।

स्पष्टीकरण—“साधारण रूढ़ि या अधिकार” के अन्तर्गत ऐसी रूढ़ियां या अधिकार आते हैं जो व्यक्तियों के किसी काफी बड़े वर्ग के लिए सामान्य हैं।

दृष्टान्त

किसी विशिष्ट ग्राम के निवासियों का अमुक कूप के पानी का उपयोग करने का अधिकार इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत साधारण अधिकार है।

49. जबकि न्यायालय को—

मनुष्यों के किसी निकाय या कुटुम्ब की प्रथाओं और सिद्धान्तों के,

किसी धार्मिक या खैराती प्रतिष्ठान के संविधान और शासन के, अथवा

विशिष्ट जिले में या विशिष्ट वर्गों के लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्दों या पदों के अर्थों के,

बारे में राय बनानी हो, तब उनके संबंध में ज्ञान क विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की रायें संगत तथ्य हैं।

प्रथाओं, सिद्धान्तों आदि के बारे में रायें कब सुसंगत हैं।

Opinion on relationship, when relevant.

50. When the Court has to form an opinion as to the relationship of one person to another, the opinion, expressed by conduct, as to the existence of such relationship, of any person who, as a member of the family or otherwise, has special means of knowledge on the subject, is a relevant fact :

Provided that such opinion shall not be sufficient to prove a marriage in proceedings under the Indian Divorce Act, 1869 or in prosecutions under sections 494, 495, 497 or 498 of the Indian Penal Code,

4 of 1869
45 of 1860

Illustrations

(a) The question is, whether A and B, were married.

The fact that they were usually received and treated by their friends as husband and wife, is relevant.

(b) The question is, whether A was the legitimate son of B. The fact that A was always treated as such by members of the family, is relevant.

Grounds of opinion, when relevant.

51. Whenever the opinion of any living person is relevant, the grounds on which such opinion is based are also relevant.

Illustration

An expert may give an account of experiments performed by him for the purpose of forming his opinion.

CHARACTER WHEN RELEVANT

In civil cases character to prove conduct imputed, irrelevant.

52. In civil cases, the fact that the character of any person concerned is such as to render probable or improbable any conduct imputed to him, is irrelevant, except in so far as such character appears from facts otherwise relevant.

In criminal cases previous good character relevant.

53. In criminal proceedings, the fact that the person accused is of a good character, is relevant.

Previous bad character not relevant, except in reply.

54. In criminal proceedings the fact that the accused person has a bad character is irrelevant, unless evidence has been given that he has a good character, in which case it becomes relevant.

Explanation 1—This section does not apply to cases in which the bad character of any person is itself a fact in issue.

Explanation 2—A previous conviction is relevant as evidence of bad character.]

1. Subs. by Act 3 of 1891, s. 6, for the original section.

50. जबकि न्यायालय को एक व्यक्ति की किसी अन्य के साथ नातेदारी के बारे में राय बनानी हो, तब ऐसी नातेदारी के अस्तित्व के बारे में ऐसे किसी व्यक्ति के आचरण द्वारा अभिव्यक्त राय, जिसके पास कुटुम्ब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उस विषय के संबंध में ज्ञान के विशेष साधन हैं, सुसंगत तथ्य हैं :

नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है ।

1869 का 4
1860 का 45

परन्तु भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम, 1869 के अधीन कार्यवाहियों में या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494, 495, 497 या 498 के अधीन अभियोजनों में ऐसी राय विवाह साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी ।

दृष्टान्त

(क) प्रश्न यह है कि क्या क और ख विवाहित थे ।

यह तथ्य कि वे अपने मित्रों द्वारा पति और पत्नी के रूप में प्रायः स्वीकृत किए जाते थे और उनसे वैसा बरताव किया जाता था सुसंगत है ।

(ख) प्रश्न यह है कि क्या क, ख का धर्मज पुत्र है । यह तथ्य कि कुटुम्ब के सदस्यों द्वारा क से सदा उस रूप में बर्ताव किया जाता था सुसंगत है ।

51. जब कभी किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है, तब वे आधार भी जिन पर वह आधारित है, सुसंगत हैं ।

राय के आधार कब सुसंगत है ।

दृष्टान्त

कोई विशेषज्ञ अपनी राय बनाने के प्रयोजनार्थ किए हुए प्रयोगों का विवरण दे सकता है ।

शील कब सुसंगत है

52. सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी सम्पूक्त व्यक्ति का शील ऐसा है जो उस पर अध्या-रोपित किसी आचरण को अधिसंभाव्य या अनधिसंभाव्य बना देता है, विसंगत है वहां तक के सिवाय जहां तक कि ऐसा शील अन्यथा सुसंगत तथ्यों से प्रकट होता है ।

सिविल मामलों में अध्यारोपित आचरण साबित करने के लिए शील विसंगत है ।

53. दण्डिक कार्यवाहियों में यह तथ्य सुसंगत है कि अभियुक्त व्यक्ति अच्छे शील का है ।

दण्डिक मामलों में पूर्वतन अच्छा शील सुसंगत है ।

[54. दण्डिक कार्यवाहियों में यह तथ्य कि अभियुक्त व्यक्ति बुरे शील का है, विसंगत है, जब तक कि इस बात का साक्ष्य न दिया गया हो कि वह अच्छे शील का है, जिसके दिए जाने की दशा में वह सुसंगत हो जाता है ।

उत्तर में होने के सिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है ।

स्पष्टीकरण 1—यह धारा उन मामलों को लागू नहीं है जिनमें किसी व्यक्ति का बुरा शील स्वयं विवाचक तथ्य है ।

स्पष्टीकरण 2—पूर्व दोषसिद्धि बुरे शील के साक्ष्य के रूप में सुसंगत है ।]

Character as affecting damages.

55. In civil cases, the fact that the character of any person is such as to affect the amount of damages which he ought to receive, is relevant.

Explanation—In sections 52, 53, 54 and 55, the word “character” includes both reputation and disposition; but ¹[except as provided in section 54], evidence may be given only of general reputation and general disposition, and not of particular acts by ₂which reputation or disposition were shown,

PART II

ON PROOF

CHAPTER III

FACTS WHICH NEED NOT BE PROVED

Fact judicially noticeable need not be proved.

56. No fact of which the Court will take judicial notice need be proved.

Facts of which Court must take judicial notice.

57. The Court shall take judicial notice of the following facts :—

²[(1) All laws in force in the territory of India;]

³[(2) All public Acts passed or hereafter to be passed by Parliament ³[of the United Kingdom], and all local and personal Acts directed by Parliament ³[of the United Kingdom] to be judicially noticed ;

⁴[(3) Articles of War for ⁴[the Indian] Army, ⁵[Navy or Air Force] :

⁶[(4) The course of proceeding of Parliament of the United Kingdom, of the Constituent Assembly of India, of Parliament and of the legislatures established under any laws for the time being in force in a Province or in the States :]

⁷[(5) The accession and the sign manual of the Sovereign for the time being of the United Kingdom of Great Britain and Ireland ;

1. Ins. by Act 3 of 1891 s, 7.

2. Subs. by the A.O. 1950, for the former para.

3. Ins., *ibid.*

4. Subs. by *ibid.*, for “Her Majesty’s”.

5. Subs. by Act 10 of 1927, s. 2 and Sch. I, for “or Navy”.

6. Subs. by the A.O. 1950, for the former para (4).

55. सिविल मामलों में यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का शील ऐसा है जिससे नुकसानी की रकम पर, जो उसे मिलनी चाहिए, प्रभाव पड़ता है, सुसंगत है। नुकसानी पर प्रभाव डालने वाला शील !

स्पष्टीकरण—धारा 52, 53, 54 और 55 में “शील” शब्द के अन्तर्गत ख्याति और स्वभाव दोनों आते हैं, किन्तु ¹[धारा 54 में यथा उपबंधित के सिवाय] केवल साधारण ख्याति व साधारण स्वभाव का ही न कि ऐसे विशिष्ट कार्यों का, जिनके द्वारा, ख्याति या स्वभाव दर्शात हुए थे, साक्ष्य दिया जा सकेगा।

भाग 2

सबूत के विषय में

अध्याय 3

तथ्य जिनका साबित किया जाना आवश्यक नहीं है

56. जित तथ्य की न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करेगा, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। न्यायिक रूप से अपेक्षणीय तथ्य साबित करना आवश्यक नहीं है।

57. न्यायालय निम्नलिखित तथ्यों की न्यायिक अपेक्षा करेगा—

वे तथ्य, जिनकी न्यायिक अपेक्षा न्यायालय को करनी होगी।

²[(1) भारत के राज्यक्षेत्र में प्रवृत्त समस्त विधियां;]

(2) ³[यूनाइटेड किंगडम की] पार्लिमेन्ट द्वारा पारित या एतत्पश्चात् पारित किए जाने वाले समस्त पब्लिक ऐक्ट तथा वे समस्त स्थानीय और पर्सनल ऐक्ट जिनके बारे में ³[यूनाइटेड किंगडम की] पार्लिमेन्ट ने निर्दिष्ट किया है कि उनकी न्यायिक अपेक्षा की जाए ;

(3) ⁴[भारतीय] सेना, ⁵[नौसेना या वायुसेना] के लिए युद्ध की नियमावली ;

⁶[(4) यूनाइटेड किंगडम की पार्लिमेन्ट की, भारत की संविधान सभा की, संसद् की तथा किसी प्रान्त या राज्यों में तत्समय प्रवृत्त विधियों के अधीन स्थापित विधान मण्डलों की कार्यवाही का अनुक्रम;]

(5) ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम के तत्समय प्रभु का राज्यारोहण और राजहस्ताक्षर;

1. 1891 के अधिनियम सं० 3 की धारा 7 द्वारा अन्तःस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्तःस्थापित।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा “हर भजेस्टी की” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1927 के अधिनियम सं० 10 की धारा 2 और अनुसूची 1 द्वारा “या नौसेना” के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा पूर्ववर्ती पैरा (4) के स्थान पर प्रतिस्थापित।

(6) All seals of which English Courts take judicial notice : the seals of all the ¹[Courts in ²[India]] and of all Courts out of ²[India] established by the authority of ³[the Central Government or the Crown Representative] : the seals of Courts of Admiralty and Maritime Jurisdiction and of Notaries Public, and all seals which any person is authorized to use by ⁴[the Constitution or an Act of Parliament of the United Kingdom or an] Act or Regulation having the force of law in ²[India] ;

(7) The accession to office, names, titles, functions and signatures of the persons filling for the time being any public office in any State, if the fact of their appointment to such office is notified in ⁵[any Official Gazette] ;

(8) The existence, title, and national flag of every State or Sovereign recognized by ⁶[the Government of India] ;

(9) The divisions of time, the geographical divisions of the world, and public festivals, fasts and holidays notified in the Official Gazette ;

(10) The territories under the dominion of ⁶[the Government of India] ;

(11) The commencement, continuance, and termination of hostilities between ⁶[the Government of India] and any other State or body of persons ;

(12) The names of the members and officers of the Court and of their deputies and subordinate officers and assistants, and also of all officers acting in execution of its process, and of all advocates, attorneys, proctors, vakils, pleaders and other persons authorized by law to appear or act before it ;

(13) The rule of the road ⁷[on land or at sea].

In all these cases, and also on all matters of public history, literature, science or art, the Court may resort for its aid to appropriate books or documents of reference.

1. Subs. by the A.O. 1948, for "Courts of British India".

2. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States".

3. Subs. by the A.O. 1937, for "the G.G. or any L.G. in Council".

4. Subs. by the A.O. 1950, "any Act of Parliament or other".

5. Subs. by the A.O. 1937, for "the Gazette of India or in the Official Gazette of any L.G."

6. Subs. by the A.O. 1950, for "the British Crown".

7. Ins. by Act 18 of 1872, s. 5.

(6) वे सब मुद्राएं, जिनकी अंग्रेजी न्यायालय न्यायिक अपेक्षा करते हैं, ¹[²भारत] में के सब न्यायालयों] की और ³[केन्द्रीय सरकार या क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव के प्राधिकार द्वारा] ²भारत के बाहर स्थापित सब न्यायालयों की मुद्राएं, नावधिकरण और समुद्रीय अधिकारिता वाले न्यायालयों की और नोटरीज पब्लिक की मुद्राएं और वे सब मुद्राएं, जिनका कोई व्यक्ति ⁴[संविधान या यूनाइटेड किंगडम की पार्लमेन्ट के किसी ऐक्ट या] ²भारत में विधि का बल रखने वाले अधिनियम या विनियम द्वारा उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है ;

(7) किसी राज्य में किसी लोक पद पर तत्समय आरूढ़ व्यक्तियों के कोई पदारोहण, नाम, उपाधियां, कृत्य और हस्ताक्षर, यदि ऐसे पद पर उनकी नियुक्ति का तथ्य ⁵[किसी शासकीय राजपत्र] में अधिसूचित किया गया हो ;

(8) ⁶भारत सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त हर राज्य या प्रभु का अस्तित्व, उपाधि और राष्ट्रीय ध्वज ;

(9) समय के प्रभाग, पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग तथा शासकीय राजपत्र में अधिसूचित लोक उत्सव, उपवास और अवकाश-दिन ;

(10) भारत सरकार के अधिपत्य के अधीन राज्यक्षेत्र ;

(11) ⁶भारत सरकार और अन्य किसी राज्य या व्यक्तियों के निकाय के बीच संघर्ष का प्रारम्भ, चालू रहना और पर्यवसान ;

(12) न्यायालय के सदस्यों और आफिसरों के तथा उनके उपपदियों और अधीनस्थ आफिसरों और सहायकों के और उसकी आदेशिकाओं के निष्पादन में कार्य करने वाले सब आफिसरों के भी, तथा सब अधिवक्ताओं, अटर्नियों, प्रोक्टरों, वकीलों, प्लीडरों, और उसके समक्ष उपसंजात होने या कार्य करने के लिए किसी विधि द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्तियों के नाम ;

(13) ⁷भूमि या समुद्र पर मार्ग का नियम।

इन सभी मामलों में, तथा लोक इतिहास, साहित्य, विज्ञान या कला के सब विषयों में भी न्यायालय समुपयुक्त निदण्ड पुस्तकों या दस्तावेजों की सहायता ले सकेगा।

1. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) अध्यादेश, 1948 द्वारा "ब्रिटिश भारत के न्यायालयों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) अध्यादेश, 1937 द्वारा "सपरिषद् गवर्नर जनरल या सपरिषद् स्थानीय सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. विधि अनुकूलन अध्यादेश, 1950 द्वारा "पार्लियामेंट के या किसी अधिनियम" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) अध्यादेश, 1937 द्वारा "भारत के राजपत्र या किसी स्थानीय सरकार के शासकीय राजपत्र में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
6. विधि अनुकूलन अध्यादेश, 1950 द्वारा "ब्रिटिश क्राउन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
7. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 5 द्वारा अन्तःस्थापित।

If the Court is called upon by any person to take judicial notice of any fact, it may refuse to do so unless and until such person produces any such book or document as it may consider necessary to enable it to do so.

Facts admitted
need not be
proved.

58. No fact need to be proved in any proceeding which the parties thereto or their agents agree to admit at the hearing, or which, before the hearing, they agree to admit by any writing under their hands, or which by any rule of pleading in force at the time they are deemed to have admitted by their pleadings :

Provided that the Court may, in its discretion, require the facts admitted to be proved otherwise than by such admissions.

CHAPTER IV

OF ORAL EVIDENCE

Proof of facts
by oral evi-
dence.

59. All facts, except the contents of documents, may be proved by oral evidence.

Oral evidence
must be direct.

60. Oral evidence must, in all cases whatever, be direct; that is to say—

if it refers to a fact which could be seen, it must be the evidence of a witness who says he saw it;

if it refers to a fact which could be heard, it must be the evidence of a witness who says he heard it;

if it refers to a fact which could be perceived by any other sense or in any other manner, it must be the evidence of a witness who says he perceived it by that sense or in that manner;

if it refers to an opinion or to the grounds on which that opinion is held, it must be the evidence of the person who holds that opinion on those grounds :

Provided that the opinions of experts expressed in any treatise commonly offered for sale, and the grounds on which such opinions are held, may be proved by the production of such treatises if the author is dead or cannot be found, or has become incapable of giving evidence, or cannot be called as a witness without an amount of delay or expense which the Court regards as unreasonable :

Provided also that, if oral evidence refers to the existence or condition of any material thing other than a document, the Court may, if it thinks fit, require the production of such material thing for its inspection.

यदि न्यायालय से किसी तथ्य को न्यायिक अपेक्षा करने की किसी व्यक्ति द्वारा प्रार्थना की जाती है, तो यदि और जब तक वह व्यक्ति कोई ऐसी पुस्तक या दस्तावेज पेश न कर दे, जिसे ऐसा न्यायालय अपने को ऐसा करने को समर्थ बनाने के लिए आवश्यक समझता है, न्यायालय ऐसा करने से इंकार कर सकेगा।

58. किसी ऐसे तथ्य को किसी कार्यवाही में साबित करना आवश्यक नहीं है, जिसे उस कार्यवाही के पक्षकार या उनके अभिकर्ता सुनवाई पर स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं, या जिसे वे सुनवाई के पूर्व किसी स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा स्वीकार करने के लिए सहमत हो जाते हैं या जिसके बारे में अभिवचन संबंधी किसी तत्समय प्रवृत्त नियम के अधीन यह समझ लिया जाता है कि उन्होंने उसे अपने अभिवचनों द्वारा स्वीकार कर लिया है:

स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं है।

परन्तु न्यायालय स्वीकृत तथ्यों का ऐसी स्वीकृतियों द्वारा साबित किए जाने से अन्यथा साबित किया जाना अपने विवेकानुसार अपेक्षित कर सकेगा।

अध्याय 4

मौखिक साक्ष्य के विषय में

59. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जा सकेंगे।

मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना।

60. मौखिक साक्ष्य, समस्त अवस्थाओं में चाहे वे कैसी ही हों, प्रत्यक्ष ही होगा, अर्थात्—

मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए।

यदि वह किसी देखे जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे देखा;

यदि वह किसी सुने जा सकने वाले तथ्य के बारे में है, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसे सुना;

यदि वह किसी ऐसे तथ्य के बारे में है जिसका किसी अन्य इंद्रिय द्वारा या किसी अन्य रीति से बोध हो सकता था, तो वह ऐसे साक्षी का ही साक्ष्य होगा जो कहता है कि उसने उसका बोध इस इंद्रिय द्वारा या उस रीति से किया;

यदि वह किसी राय के, या उन आधारों के, जिन पर वह राय धारित है, बारे में है, तो वह उस व्यक्ति का ही साक्ष्य होगा जो वह राय उस आधारों पर धारण करता है:

परन्तु विशेषज्ञों की राय, जो सामान्यतः विक्रय के लिए प्रस्थापित की जाने वाली किसी पुस्तक में अभिव्यक्त ह, और वे आधार, जिन पर ऐसी राय धारित है, यदि रचयिता मर गया है, या वह मिल नहीं सकता है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या उसे इतने विलम्ब या व्यय के बिना जितना न्यायालय अयुक्तियुक्त समझता है, साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता हो, ऐसी पुस्तकों को पेश करके साबित किए जा सकेंगे:

परन्तु यह भी कि यदि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व या दशा के बारे में है, तो न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, ऐसी भौतिक चीज का अपने निरीक्षणार्थ पेश किया जाना अपेक्षित कर सकेगा।

CHAPTER V

OF DOCUMENTARY EVIDENCE

Proof of contents
of documents.

61. The contents of documents may be proved either by primary or by secondary evidence.

Primary evidence.

62. Primary evidence means the documents itself produced for the inspection of the Court.

Explanation 1—Where a document is executed in several parts, each part is primary evidence of the document :

Where a document is executed in counterpart, each counterpart being executed by one or some of the parties only, each counterpart is primary evidence as against the parties executing it.

Explanation 2—Where a number of documents are all made by one uniform process, as in the case of printing, lithography, or photography, each is primary evidence of the contents of the rest; but, where they are all copies of a common original, they are not primary evidence of the contents of the original.

Illustration

A person is shown to have been in possession of a number of placards, all printed at one time from one original. Any one of the placards is primary evidence of the contents of any other, but no one of them is primary evidence of the contents of the original.

Secondary
evidence.

63. Secondary evidence means and includes—

(1) certified copies given under the provisions hereinafter contained ;

(2) copies made from the original by mechanical processes which in themselves ensure the accuracy of the copy, and copies compared with such copies ;

(3) copies made from or compared with the original ;

(4) counterparts of documents as against the parties who did not execute them ;

(5) oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it.

Illustrations

(a) A photograph of an original is secondary evidence of its contents, though the two have not been compared, if it is proved that the thing photographed was the original.

अध्याय 5

दस्तावेजी साक्ष्य के विषय में

61. दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु या तो प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित की जा सकेगी। दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का सबूत।
62. प्राथमिक साक्ष्य से न्यायालय के निरीक्षक के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं अभिप्रेत है। प्राथमिक साक्ष्य।

स्पष्टीकरण 1—जहां कि कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है वहां हर एक मूल प्रति उस दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य है।

जहां कि कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकारों द्वारा निष्पादित किया गया है, वहां हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उसका निष्पादन किया है, प्राथमिक साक्ष्य है।

स्पष्टीकरण 2—जहां कि अनेक दस्तावेजों एकरूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाई गई हैं जैसा कि मुद्रण, शिला मुद्रण या फोटो चित्रण में होता है, वहां उनमें से हर एक शेष सबकी अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किन्तु जहां कि वे सब किसी सामान्य मूल की प्रतियां हैं वहां वे मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं हैं।

दृष्टान्त

यह दर्शाया जाता है कि एक ही समय एक ही मूल से मुद्रित अनेक प्लेकार्ड किसी व्यक्ति के कब्जे में रखे हैं। इन प्लेकार्डों में से कोई भी एक अन्य किसी भी अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है, किन्तु उनमें से कोई भी मूल की अन्तर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य नहीं है।

63. द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत आते हैं—

द्वितीयक साक्ष्य।

- (1) एतस्मिन्पश्चात् अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां ;
- (2) मूल से ऐसी यान्त्रिक प्रक्रियाओं द्वारा, जो प्रक्रियाएं स्वयं ही प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां ;
- (3) मूल से बनाई गई या तुलना की गई प्रतियां ;
- (4) उन पक्षकारों के विरुद्ध, जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है, दस्तावेजों के प्रतिलेख ;
- (5) किसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु का उस व्यक्ति द्वारा, जिसने स्वयं उसे देखा है, दिया हुआ मौखिक वृत्तांत।

दृष्टान्त

(क) किसी मूल का फोटोचित्र, यद्यपि दोनों की तुलना न की गई हो तथापि यदि यह साबित किया जाता है कि फोटोचित्रित वस्तु मूल थी, उस मूल की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है।

(b) A copy compared with a copy of a letter made by a copying machine is secondary evidence of the contents of the letter, if it is shown that the copy made by the copying machine was made from the original.

(c) A copy transcribed from a copy, but afterwards compared with the original, is secondary evidence; but the copy not so compared is not secondary evidence of the original, although the copy from which it was transcribed was compared with the original.

(d) Neither an oral account of a copy compared with the original, nor an oral account of a photograph or machine-copy of the original, is secondary evidence of the original.

Proof of documents by primary evidence.

64. Documents must be proved by primary evidence except in the cases hereinafter mentioned.

Cases in which secondary evidence relating to documents may be given.

65. Secondary evidence may be given of the existence, condition, or contents of a document in the following cases :—

(a) when the original is shown or appears to be in the possession or power—

of the person against whom the document is sought to be proved, or

of any person out of reach of, or not subject to, the process of the Court, or

of any person legally bound to produce it,

and when, after the notice mentioned in section 66, such person does not produce it;

(b) when the existence, condition or contents of the original have been proved to be admitted in writing by the person against whom it is proved or by his representative in interest;

(c) when the original has been destroyed or lost, or when the party offering evidence of its contents cannot, for any other reason not arising from his own default or neglect, produce it in reasonable time;

(d) when the original is of such a nature as not to be easily movable;

(e) when the original is a public document within the meaning of section 74;

(f) when the original is a document of which a certified copy is permitted by this Act, or by any other law in force in [India] to be given in evidence;

(ख) किसी पत्र की वह प्रति, जिसकी तुलना उस पत्र की, उस प्रति से कर ली गई है जो प्रतिलिपि-यंत्र द्वारा तैयार की गई है, उस पत्र की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य है, यदि यह दर्शात कर दिया जाता है कि प्रतिलिपि-यंत्र द्वारा तैयार की गई प्रति मूल से बनाई गई थी।

(ग) प्रति की नकल करके तैयार की गई किन्तु तत्पश्चात् मूल से तुलना की हुई प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य है किन्तु इस प्रकार तुलना नहीं की हुई प्रति मूल का द्वितीयक साक्ष्य नहीं है, यद्यपि उस प्रति की, जिससे वह नकल की गई है, मूल से तुलना की गई थी।

(घ) न तो मूल से तुलनाकृत प्रति का मौखिक वृत्तान्त और न मूल के किसी फोटोचित्र या यंत्र-कृत प्रति का मौखिक वृत्तान्त मूल का द्वितीयक साक्ष्य है।

64. दस्तावेजों एतस्मिन्पश्चात् वर्णित अवस्थाओं के सिवाय, प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित करनी होंगी।

दस्तावेजों का प्राथमिक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाना।

65. किसी दस्तावेज के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य निम्नलिखित अवस्थाओं में दिया जा सकेगा—

अवस्थाएँ जिनमें दस्तावेजों के सम्बन्ध में द्वितीयक साक्ष्य दिया जा सकेगा।

(क) जबकि यह दर्शात कर दिया जाए या प्रतीत होता हो कि मूल ऐसे व्यक्ति के कब्जे में या शक्त्यधीन है,—

जिसके विरुद्ध उस दस्तावेज का साबित किया जाना ईप्सित है; अथवा

जो न्यायालय की आदेशिका की पहुंच के बाहर है, या ऐसी आदेशिका के अध्वधीन नहीं है, अथवा

जो उसे पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है,

और जब कि ऐसा व्यक्ति धारा 66 में वर्णित सूचना के पश्चात् उसे पेश नहीं करता है,

(ख) जब कि मूल के अस्तित्व, दशा या अन्तर्वस्तु को उस व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध उसे साबित किया जाना है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा लिखित रूप में स्वीकृत किया जाना साबित कर दिया गया है,

(ग) जबकि मूल नष्ट हो गया है, या खो गया है अथवा जबकि उसकी अन्तर्वस्तु का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाला पक्षकार अपने स्वयं के व्यतिक्रम या उपेक्षा से अनुभूत अन्य किसी कारण से उसे युक्तियुक्त समय में पेश नहीं कर सकता,

(घ) जबकि मूल इस प्रकृति का है कि उसे आसानी से स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता,

(ङ) जबकि मूल धारा 74 के अर्थ के अन्तर्गत एक लोक दस्तावेज है,

(च) जबकि मूल ऐसी दस्तावेज है जिसकी प्रमाणित प्रति का साक्ष्य में दिया जाना इस अधिनियम द्वारा या ¹[भारत] में प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अनुज्ञात है,

(g) when the originals consist of numerous accounts or other documents which cannot conveniently be examined in Court and the fact to be proved is the general result of the whole collection.

In cases (a), (c) and (d), any secondary evidence of the contents of the document is admissible.

In case (b), the written admission is admissible.

In case (e) or (f), a certified copy of the document, but no other kind of secondary evidence, is admissible.

In case (g), evidence may be given as to the general result of the documents by any person who has examined them, and who is skilled in the examination of such documents.

Rules as to notice to produce.

66. Secondary evidence of the contents of the documents referred to in section 65, clause (a), shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose possession or power the document is, [or to his attorney or pleader,] such notice to produce it as is prescribed by law; and if no notice is prescribed by law, then such notice as the Court considers reasonable under the circumstances of the case :

Provided that such notice shall not be required in order to render secondary evidence admissible in any of the following cases, or in any other case in which the Court thinks fit to dispense with it :—

- (1) when the document to be proved is itself a notice;
- (2) when, from the nature of the case, the adverse party must know that he will be required to produce it;
- (3) when it appears or is proved that the adverse party has obtained possession of the original by fraud or force;
- (4) when the adverse party or his agent has the original in Court;
- (5) when the adverse party or his agent has admitted the loss of the document;
- (6) when the person in possession of the document is out of reach of, or not subject to, the process of the Court.

(छ) जबकि मूल ऐसे अनेक लेखाओं या अन्य दस्तावेजों से गठित है जिनकी न्यायालय में सुविधापूर्वक परीक्षा नहीं की जा सकती और वह तथ्य जिसे साबित किया जाना है सम्पूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है।

अवस्थाओं (क), (ग) और (घ) में दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है।

अवस्था (ख) में वह लिखित स्वीकृति ग्राह्य है।

अवस्था (ङ) या (च) में दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ग्राह्य है, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य नहीं है।

अवस्था (छ) में दस्तावेजों के साधारण परिणाम का साक्ष्य ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा दिया जा सकेगा जिसने उसकी परीक्षा की है और जो ऐसी दस्तावेजों की परीक्षा करने में कुशल है।

66. धारा 65, खण्ड (क) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य तब तक न दिया जा सकेगा जब तक ऐसे द्वितीयक साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार ने उस पक्षकार को जिसके कब्जे में या शक्त्यधीन वह दस्तावेज है ¹[या उसके अटर्नी या प्लीडर को,] उसे पेश करने के लिए ऐसी सूचना, जैसी कि विधि द्वारा विहित है, और यदि विधि द्वारा कोई सूचना विहित नहीं हो तो ऐसी सूचना, जैसी न्यायालय मामले की परिस्थितियों के अधीन युक्तियुक्त समझता है, न दे दी हो :

पेश करने की सूचना के बारे में नियम।

परन्तु ऐसी सूचना निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसी में अथवा किसी भी अन्य अवस्था में, जिसमें न्यायालय उसके दिए जाने से अभिमुक्ति प्रदान कर दे, द्वितीयक साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए अपेक्षित नहीं की जाएगी :—

- (1) जब कि साबित की जाने वाली दस्तावेज स्वयं एक सूचना है,
- (2) जब कि प्रतिपक्षी को मामले की प्रकृति से यह जानना ही होगा कि उसे पेश करने की उससे अपेक्षा की जाएगी,
- (3) जब कि यह प्रतीत होता है या साबित किया जाता है कि प्रतिपक्षी ने मूल पर कब्जा कपट या बल द्वारा अभिप्राप्त कर लिया है,
- (4) जब कि मूल प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता के पास न्यायालय में है,
- (5) जब कि प्रतिपक्षी या उसके अभिकर्ता ने उसका खो जाना स्वीकार कर लिया है,
- (6) जबकि दस्तावेज पर कब्जा रखने वाला व्यक्ति न्यायालय आदेशिका की पहुंच के बाहर है या ऐसी आदेशिका के अध्वधीन की नहीं है।

Proof of signature and handwriting of person alleged to have signed or written document produced.

67. If a document is alleged to be signed or to have been written wholly or in part by any person, the signature or the handwriting of so much of the document as is alleged to be in that person's handwriting must be proved to be in his handwriting.

Proof of execution of document required by law to be attested.

68. If a document is required by law to be attested, it shall not be used as evidence until one attesting witness at least has been called for the purpose of proving its execution, if there be an attesting witness alive, and subject to the process of the Court and capable of giving evidence:

[Provided that it shall not be necessary to call an attesting witness in proof of the execution of any document, not being a will, which has been registered in accordance with the provisions of the Indian Registration Act, 1908, unless its execution by the person by whom it purports to have been executed is specifically denied.]

16 of 1908

Proof where no attesting witness found.

69. If no such attesting witness can be found, or if the document purports to have been executed in the United Kingdom, it must be proved that the attestation of one attesting witness at least is in his handwriting, and that the signature of the person executing the document is in the handwriting of that person.

Admission of execution by party to attested document.

70. The admission of a party to an attested document of its execution by himself shall be sufficient proof of its execution as against him, though it be a document required by law to be attested.

Proof when attesting witness denies the execution.

71. If the attesting witness denies or does not recollect the execution of the document, its execution may be proved by other evidence.

Proof of document not required by law to be attested.

72. An attested document not required by law to be attested may be proved as if it was unattested.

Comparison of signature, writing or seal with others admitted or proved.

73. In order to ascertain whether a signature, writing, or seal is that of the person by whom it purports to have been written or made, any signature, writing, or seal admitted or proved to the satisfaction of the Court to have been written or made by that person may be compared with the one which is to be proved, although that signature, writing, or seal has not been produced or proved for any other purpose.

67. यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित या पूर्णतः या भागतः लिखी गई अभिकथित है, तो यह साबित करना होगा कि वह हस्ताक्षर या उस दस्तावेज के उतने का हस्तलेख, जितने के बारे में यह अभिकथित है कि वह उस व्यक्ति के हस्तलेख में है; उसके हस्तलेख में है।

जिस व्यक्ति के बारे में अभिकथित है कि उसने पेश की गई दस्तावेज को हस्ताक्षरित किया था या लिखा था उस व्यक्ति के हस्ताक्षर या हस्तलेख का साबित किया जाना।

68. यदि किसी दस्तावेज का अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है, तो उसे साक्ष्य के रूप में उपयोग में न लाया जाएगा, जब तक कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी, यदि कोई अनुप्रमाणक साक्षी जीवित और न्यायालय की आदेशिका के अध्यक्षीन हो तथा साक्ष्य देने के योग्य हो, उसका निष्पादन साबित करने के प्रयोजन से न बुलाया गया हो :

ऐसी दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है।

[परन्तु ऐसी किसी दस्तावेज के निष्पादन को साबित करने के लिए, जो विल नहीं है, और जो भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 के उपबन्धों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत है, किसी अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाना आवश्यक न होगा, जब तक कि उसके निष्पादन का प्रत्याख्यान उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा उसका निष्पादित होना तात्पर्यित है विनिर्दिष्टतः न किया गया हो।]

1908 का 16.

69. यदि ऐसे किसी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चल सके अथवा यदि दस्तावेज का यूनाईटेड किंगडम में निष्पादित होना तात्पर्यित हो तो यह साबित करना होगा कि कम से कम एक अनुप्रमाणक साक्षी का अनुप्रमाण उसी के हस्तलेख में है, तथा यह कि दस्तावेज का निष्पादन करने वाले व्यक्ति का हस्ताक्षर उसी व्यक्ति के हस्तलेख में है।

जब किसी भी अनुप्रमाणक साक्षी का पता न चले तब सबूत।

70. अनुप्रमाणित दस्तावेज के किसी पक्षकार की अपने द्वारा उसका निष्पादन करने की स्वीकृति उस दस्तावेज के निष्पादन का उसके विरुद्ध पर्याप्त सबूत होगा, यद्यपि वह ऐसी दस्तावेज हो जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित है।

अनुप्रमाणित दस्तावेज के पक्षकार द्वारा निष्पादन की स्वीकृति।

71. यदि अनुप्रमाणक साक्षी दस्तावेज के निष्पादन का प्रत्याख्यान करे या उसे उसके निष्पादन का स्मरण न हो, तो उसका निष्पादन अन्य साक्ष्य द्वारा साबित किया जा सकेगा।

जबकि अनुप्रमाणक साक्षी निष्पादन का प्रत्याख्यान करता है, तब सबूत।

72. कोई अनुप्रमाणित दस्तावेज, जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है, ऐसे साबित की जा सकेगी, मानो वह अनुप्रमाणित नहीं हो।

उस दस्तावेज का साबित किया जाना जिसका अनुप्रमाणित होना विधि द्वारा अपेक्षित नहीं है।

73. यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या कोई हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा उस व्यक्ति की है, जिसके द्वारा उसका लिखा या किया जाना तात्पर्यित है किसी हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की, जिसके बारे में यह स्वीकृत है या न्यायालय को समाधानप्रद रूप में साबित कर दिया गया है कि वह उस व्यक्ति द्वारा लिखा या किया गया था, उससे, जिसे साबित किया जाना है, तुलना की जा सकेगी, यद्यपि वह हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा किसी अन्य प्रयोजन के लिए पेश या साबित न की गई हो।

हस्ताक्षर, लेख या मुद्रा की तुलना अन्वेषण से की स्वीकृत या साबित है।

The Court may direct any person present in Court to write any words or figures for the purpose of enabling the Court to compare the words or figures so written with any words or figures alleged to have been written by such person.

[This section applies also, with any necessary modifications, to finger-impressions.]

PUBLIC DOCUMENTS

Public documents: 74. The following documents are public documents :—

(1) documents forming the acts, or records of the acts—

(i) of the sovereign authority,

(ii) of official bodies and tribunals, and

(iii) of public officers, legislative, judicial and executive, ²[of any part of India or of the Commonwealth], or of a foreign country;

(2) public records kept ³[in any State] of private documents.

Private documents: 75. All other documents are private.

Certified copies of public documents: 76. Every public officer having the custody of a public document, which any person has a right to inspect, shall give that person on demand a copy of it on payment of the legal fees therefor, together with a certificate written at the foot of such copy that it is a true copy of such document or part thereof, as the case may be, and such certificate shall be dated and subscribed by such officer with his name and his official title, and shall be sealed, whenever such officer is authorized by law to make use of a seal; and such copies so certified shall be called certified copies.

Explanation—Any officer who, by the ordinary course of official duty, is authorized to deliver such copies, should be deemed to have the custody of such documents within the meaning of this section.

Proof of documents by production of certified copies. 77. Such certified copies may be produced in proof of the contents of the public documents or parts of the public documents of which they purport to be copies.

1. Ins. by Act 5 of 1899, s. 3.

2. The original words "whether of British India, or of any other part of Her Majesty's dominions" have successively been amended by the A.O. 1948 and the A.O. 1950 to read as above.

3. Subs. by the A.O. 1950, for "in any province".

न्यायालय में उपस्थित किसी व्यक्ति को किन्हीं शब्दों या अंकों के लिखने का निदेश न्यायालय इस प्रयोजन से दे सकेगा कि ऐसे लिखे गए शब्दों या अंकों की किन्हीं ऐसे शब्दों या अंकों से तुलना करने के लिए न्यायालय समर्थ हो सके जिनके बारे में अभिकथित है कि वे उस व्यक्ति द्वारा लिखे गए थे।

¹[यह धारा किन्हीं आवश्यक उपान्तरों के साथ अंगुली छापों को भी लागू है।]

लोक दस्तावेजें

74. निम्नलिखित दस्तावेजें लोक दस्तावेजें हैं :-

लोक दस्तावेजें ।

(1) वे दस्तावेजें जो—

(i) प्रभुत्तासम्पन्न अधिकारी के,

(ii) शासकीय निकायों और अधिकरणों के, तथा

(iii) ²[भारत के किसी भाग के या कामनवेल्थ के,] या किसी विदेश के विधायी, न्यायिक तथा कार्यपालक लोक आफिसरों के,

कार्यों के रूप में या कार्यों के अभिलेख के रूप में हैं ;

(2) ³[किसी राज्य में] रखे गए प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख ।

75. अन्य सभी दस्तावेजें प्राइवेट हैं ।

प्राइवेट दस्तावेजें ।

76. हर लोक आफिसर जिसकी अभिरक्षा में कोई ऐसी लोक दस्तावेज है, जिसके निरीक्षण करने का किसी भी व्यक्ति को अधिकार है, मांग किए जाने पर उस व्यक्ति को उसकी प्रति उसके लिए विधिक फीस चुकाए जाने पर प्रति के नीचे इस लिखित प्रमाणपत्र के सहित देगा कि वह यथास्थिति ऐसी दस्तावेज की या उसके भाग की शुद्ध प्रति है तथा ऐसा प्रमाणपत्र ऐसे आफिसर द्वारा दिनांकित किया जाएगा और उसके नाम और पदाभिधान से हस्ताक्षरित किया जाएगा तथा जब कभी ऐसा आफिसर विधि द्वारा किसी मुद्रा का उपयोग करने के लिए प्राधिकृत है तब मुद्रायुक्त किया जाएगा, तथा इस प्रकार प्रमाणित ऐसी प्रतियां प्रमाणित प्रतियां कहलाएंगी।

लोक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां ।

स्पष्टीकरण—जो कोई आफिसर पदीय कर्तव्य के मामूली अनुक्रम में ऐसी प्रतियां परिदान करने के लिए प्राधिकृत है, वह इस धारा के अर्थ के अन्तर्गत ऐसी दस्तावेजों की अभिरक्षा रखता है, यह समझा जाएगा।

77. ऐसी प्रमाणित प्रतियां उन लोक दस्तावेजों की या उप-लोक दस्तावेज के भागों की अन्तर्वस्तु के सबूत में पेश की जा सकेंगी जिनकी वे प्रतियां होना तात्पर्यित हैं।

प्रमाणित प्रतियों के पेश करने द्वारा दस्तावेजों का सबूत ।

1. 1899 के अधिनियम सं० 5 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित ।

2. "चाहे वे ब्रिटिश भारत के हों या हर मजिस्ट्री के डोमिनियन के किसी अन्य भाग के हों" मूल शब्दों का संशोधन अनुक्रमणः भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) अध्यादेश, 1948 और विधि अनुकूलन अध्यादेश, 1950 द्वारा किया है ।

3. विधि अनुकूलन अध्यादेश, 1950 द्वारा "किसी प्रांत में" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Proof of other
official documents.

78. The following public documents may be proved as follows :—

(1) Acts, orders or notifications of ¹[the Central Government] in any of its departments, ²[or of the Crown Representative] or of any State Government or any department of any State Government,—

by the records of the departments, certified by the heads of those departments respectively,

or by any document purporting to be printed by order of any such Government ²[or as the case may be, of the Crown Representative];

(2) the proceedings of the Legislatures,—

by the journals of those bodies respectively, or by published Acts or abstracts, or by copies purporting to be printed ³[by order of the Government concerned];

(3) proclamations, orders or regulations issued by ⁴Her Majesty or by the Privy Council, or by any department of ⁴Her Majesty's Government,—

by copies or extracts contained in the London Gazette, or purporting to be printed by the Queen's printer;

(4) the acts of the Executive or the proceedings of the Legislature of a foreign country,—

by journals published by their authority, or commonly received in that country as such, or by a copy certified under the seal of the country or sovereign, or by a recognition thereof in some ⁵[Central Act];

(5) the proceedings of a municipal body in ⁶[a State],—

by a copy of such proceedings, certified by the legal keeper thereof, or by a printed book purporting to be published by the authority of such body;

1. Subs. by the A.O. 1937, for "the Executive Government of British India".

2. Ins. *ibid.*

3. Subs. *ibid.*, for "by order of Government".

4. The words "Her Majesty" stand unmodified. See the A.O. 1950.

5. Subs. by the A.O. 1937, for "public Act of the Governor General of India in Council".

6. Subs. by the A.O. 1950, for "a Province".

73. निम्नलिखित लोक दस्तावेजों निम्नलिखित रूप से साबित की जा सकेंगी —

अन्य शासकीय दस्तावेजों का सबूत ।

(1) ¹[केन्द्रीय सरकार] के किसी विभाग के, ²[या क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के] या किसी राज्य सरकार के, या किसी राज्य सरकार के किसी विभाग के कार्य, आदेश या अधिसूचनाएं, —

उन विभागों के अभिलेखों द्वारा, जो क्रमशः उन विभागों के मुख्य पदाधिकारियों द्वारा प्रमाणित हैं,

या किसी दस्तावेज द्वारा जो ऐसी किसी सरकार के ³[या यथास्थिति क्राउन रिप्रेजेंटेटिव के] आदेश द्वारा मुद्रित हुई तात्पर्यित है;

(2) विधान मण्डलों की कार्यवाहियां,—

क्रमशः इन निकायों के जर्नलों द्वारा या प्रकाशित अधिनियमों या संक्षिप्तियों द्वारा, या ⁴[सम्पृक्त सरकार के आदेश द्वारा] मुद्रित होना तात्पर्यित होने वाली प्रतियों द्वारा;

(3) ⁵हर मजिस्ट्री द्वारा या प्रिवी कौन्सिल द्वारा या ⁶हर मजिस्ट्री की सरकार के किसी विभाग द्वारा निकाली गई उद्धोषणाएं, आदेश या विनियम,—

लन्दन गजट में अन्तर्विष्ट या क्वीन्स प्रिन्टर द्वारा मुद्रित होना तात्पर्यित होने वाली प्रतियों या उद्धरणों द्वारा;

(4) किसी विदेश की कार्यपालिका के कार्य या विधान मण्डल की कार्यवाहियां,—

उनके प्राधिकार से प्रकाशित, या उस देश में सामान्यतः इस रूप में गृहीत, जर्नलों द्वारा, या उस देश या प्रभु की मुद्रा के अधीन प्रमाणित प्रति द्वारा, या किसी ⁷[केन्द्रीय अधिनियम] में उनकी मान्यता द्वारा;

(5) ⁸[किसी राज्य] के नगरपालिक निकाय की कार्यवाहियां,—

ऐसी कार्यवाहियों की ऐसी प्रति द्वारा, जो उनके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित है, या ऐसे निकाय के प्राधिकार से प्रकाशित हुई तात्पर्यित होने वाली किसी मुद्रित पुस्तक द्वारा;

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "ब्रिटिश भारत की कार्यपालिका सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अन्तःस्थापित ।
3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार के आदेश द्वारा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
4. "हर मजिस्ट्री" शब्दों में परिवर्तन नहीं किया गया है । देखिए विधि अनुकूलन आदेश, 1951 ।
5. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत सपरिषद् गवर्नर जनरल के लोक अधिनियम" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
6. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "प्रान्त" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(6) Public documents of any other class in a foreign country,—

by the original, or by a copy certified by the legal keeper thereof, with a certificate under the seal of a Notary Public, or of ¹[an Indian Consul] or diplomatic agent that the copy is duly certified by the officer having the legal custody of the original, and upon proof of the character of the document according to the law of the foreign country.

PRESUMPTIONS AS TO DOCUMENTS

Presumption as to genuineness of certified copies.

79. The Court shall presume ²[to be genuine] every document purporting to be a certificate, certified copy or other document, which is by law declared to be admissible as evidence of any particular fact and which purports to be duly certified by any officer ³[of the Central Government or of a State Government, or by any officer ⁴[in the State of Jammu and Kashmir] who is duly authorized thereto by the Central Government] :

Provided that such document is substantially in the form and purports to be executed in the manner directed by law in that behalf.

The Court shall also presume that any officer by whom any such document purports to be signed or certified held when he signed it, the official character which he claims in such paper.

Presumption as to documents produced as record of evidence.

80. Whenever any document is produced before any Court, purporting to be a record or memorandum of the evidence, or of any part of the evidence, given by a witness in a judicial proceeding or before any officer authorized by law to take such evidence or to be a statement or confession by any prisoner or accused person, taken in accordance with law, and purporting to be signed by any Judge or Magistrate or by any such officer as aforesaid, the Court shall presume—

that the document is genuine; that any statements as to the circumstances under which it was taken, purporting to be made by the person signing it, are true, and that such evidence, statement or confession was duly taken.

-
1. Subs. by the A.O. 1950, for "a British Consul".
 2. Ins. by the A.O. 1948.
 3. The original words beginning from "in British India" and ending with the words "to be genuine" have been successively amended by the A.O. 1937, A.O. 1948 and A.O. 1950 to read as above.
 4. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3. and Sch., for "in a Part B State".

(6) किसी विदेश की किसी अन्य प्रकार की लोक दस्तावेजों,—

मूल द्वारा या उसके विधिक पालक द्वारा प्रमाणित किसी प्रति द्वारा, जिस प्रति के साथ किसी नोटरी पब्लिक की, या ¹[भारतीय कौन्सल] या राजनयिक अभिकर्ता की मुद्रा के अधीन यह प्रमाण पत्र है कि वह प्रति मूल की विधिक अभिरक्षा रखने वाले आफिसर द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित है, तथा उस दस्तावेज की प्रकृति उस विदेश की विधि के अनुसार साबित किए जाने पर।

दस्तावेजों के बारे में उपधारणाएं

79. न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज ²[का असली होना] उपधारित करेगा जो ऐसा प्रमाण-पत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होनी तात्पर्यित है जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका ³[केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी आफिसर द्वारा या ⁴[जम्मू-कश्मीर राज्य के] किसी ऐसे आफिसर द्वारा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए सम्यक् रूप से प्राधिकृत हो], सम्यक् रूप से प्रमाणित होना तात्पर्यित है:

प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा ।

परन्तु यह तब जबकि ऐसी दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में हो तथा ऐसी रीति से निष्पादित हुई तात्पर्यित हो जो विधि द्वारा तन्निमित्त निर्दिष्ट है।

न्यायालय यह भी उपधारित करेगा कि कोई आफिसर, जिसके द्वारा ऐसी दस्तावेज का हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्यित है, वह पदीय हैसियत, जिसका वह ऐसे कागज में दावा करता है, उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था।

80. जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है, जिसका किसी न्यायिक कार्यवाही में, या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी आफिसर के समक्ष, किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य या साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना, अथवा किसी कैदी या अभियुक्त का विधि के अनुसार लिया गया कथन या संस्वीकृति होना तात्पर्यित हो और जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या उपर्युक्त जैसे किसी आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्यित हो, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा—

साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेजों के बारे में उपधारणा ।

कि वह दस्तावेज असली है, कि उन परिस्थितियों के बारे में, जिनके अधीन वह लिया गया था, कोई भी कथन, जिनका उसको हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्यित है, सत्य है तथा कि ऐसा साक्ष्य, कथन या संस्वीकृति सम्यक् रूप से ली गई थी।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "ब्रिटिश कौन्सल" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा अन्तःस्थापित।
3. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937, भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 और विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अनुक्रमशः संशोधन के पश्चात् इसका वर्तमान स्वरूप उपरोक्त है।
4. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग छ राज्य में" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Presumption as to Gazettes, newspapers, private Acts of Parliament and other documents,

81. The Court shall presume the genuineness of every document purporting to be the London Gazette or ¹[any Official Gazette, or the Government Gazette] of any colony, dependency or possession of the British Crown, or to be a newspaper or journal, or to be a copy of a private Act of Parliament ²[of the United Kingdom] printed by the Queen's Printer and of every document purporting to be a document directed by any law to be kept by any person, if such document is kept substantially in the form required by law and is produced from proper custody.

Presumption as to document admissible in England without proof of seal or signature.

82. When any document is produced before any Court, purporting to be a document which, by the law in force for the time being in England or Ireland, would be admissible in proof of any particular in any Court of Justice in England or Ireland, without proof of the seal or stamp or signature authenticating it, or of the judicial or official character claimed by the person by whom it purports to be signed, the Court shall presume that such seal, stamp or signature is genuine, and that the person signing it held, at the time when he signed it, the judicial or official character which he claims,

and the document shall be admissible for the same purpose for which it would be admissible in England or Ireland.

Presumption as to maps or plans made by authority of Government.

83. The Court shall presume that maps or plans purporting to be made by the authority of ³[the Central Government or any State Government] were so made, and are accurate; but maps or plans made for the purposes of any cause must be proved to be accurate.

Presumption as to collections of laws and reports of decisions.

84. The Court shall presume the genuineness of every book purporting to be printed or published under the authority of the Government of any country, and to contain any of the laws of that country,

and of every book purporting to contain reports of decisions of the Courts of such country.

Presumption as to powers-of-attorney.

85. The Court shall presume that every document purporting to be a power-of-attorney, and to have been executed before, and authenticated by, a Notary

1. Subs by the A.O. 1937, for "the Gazette of India, or 'he Government Gazette of any L.G., or".
2. Ins. by the A.O. 1950.
3. The original word "Government" has successively been amended by the A.O. 1937, A O. 1948, Act 40 of 1949, s. 3 and Sch. II and the A.O. 1950, to read as above.

81. न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जिसका लन्दन गजट, या ¹[कोई शासकीय राजपत्र] या ब्रिटिश काउन के किसी उपनिवेश, आश्रित देश या कब्जाधीन क्षेत्र का ¹[सरकारी राजपत्र] होना या कोई समाचारपत्र या जर्नल होना, या ²[यूनाइटेड किंगडम की] पार्लमेण्ट के प्राइवेट ऐक्ट की क्वीन्स प्रिन्टर द्वारा मुद्रित प्रति होना, तात्पर्यित है तथा हर ऐसी दस्तावेज का, जिसका ऐसी दस्तावेज होना तात्पर्यित है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निदिष्ट है, यदि ऐसी दस्तावेज सारतः उस प्ररूप में रखी गई हो, जो विधि द्वारा अपेक्षित है, और उचित अभिरक्षा में से पेश की गई हो, असली होना उपधारित करेगा।

राजपत्रों, समाचारपत्रों, पार्लमेण्ट के प्राइवेट ऐक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा।

82. जबकि किसी न्यायालय के समक्ष कोई ऐसी दस्तावेज पेश की जाती है जिसका ऐसी दस्तावेज होना तात्पर्यित है जो इंग्लैंड या आयरलैंड के किसी न्यायालय में किसी विशिष्ट को साबित करने के लिए उस दस्तावेज को अधिप्रमाणीकृत करने वाली मुद्रा या स्टाम्प या हस्ताक्षर को या उस व्यक्ति द्वारा, जिसके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्यित है, दावाकृत न्यायिक या पदीय हैसियत को साबित किए बिना इंग्लैंड या आयरलैंड में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार ग्राह्य होती, तब न्यायालय यह उपधारित करेगा कि ऐसी मुद्रा, स्टाम्प या हस्ताक्षर असली है और उसको हस्ताक्षरित करने वाला व्यक्ति वह न्यायिक या पदीय हैसियत, जिसका वह दावा करता है, उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षरित किया था,

मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा।

तथा दस्तावेज उसी प्रयोजन के लिए, जिसके लिए वह इंग्लैंड या आयरलैंड में ग्राह्य होती, ग्राह्य होगी।

83. न्यायालय यह उपधारित करेगा कि वे मानचित्र या रेखांक, जो ³[केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार] के प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्यित है, वैसे ही बनाए गए थे और वे शुद्ध हैं किन्तु किसी मामले के प्रयोजनों के लिए बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में यह साबित करना होगा कि वे सही हैं।

सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा।

84. न्यायालय हर ऐसी पुस्तक का, जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना और जिसमें उस देश की कोई विधियां अन्तर्विष्ट होना तात्पर्यित है।

विधियों के संग्रह और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में उपधारणा।

तथा हर ऐसी पुस्तक का, जिसमें उस देश के न्यायालय के विनिश्चयों की रिपोर्ट अन्तर्विष्ट होना तात्पर्यित है, असली होना उपधारित करेगा।

85. न्यायालय यह उपधारित करेगा कि हर ऐसी दस्तावेज जिसका मुस्तारनामा होना और नोटरी पब्लिक या किसी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट,

मुस्तारनामों के बारे में उपधारणा।

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत के राजपत्र या किसी स्थानीय सरकार के सरकारी राजपत्र या" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्तःस्थापित।

3. मूल शब्द "सरकार" का संशोधन अनुक्रमणः भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937, भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम और अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948, 1949 के अधिनियम सं० 40 की धारा 3 और अनुसूची 2 तथा विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा किया गया है।

Public, or any Court, Judge, Magistrate, ¹[Indian] Consul or Vice-Consul, or representative ^{2***} of the ³[Central Government], was so executed and authenticated.

Presumption as to certified copies of foreign judicial records.

86. The Court may presume that any document purporting to be a certified copy of any judicial record of ⁴[⁵*** any country not forming part of India or] of Her Majesty's dominions is genuine and accurate, if the document purports to be certified in any manner which is certified by any representative of ^{6***} the ³[Central Government] ⁷[in or for] ⁸[such country] to be the manner commonly in use in ⁹[that country] for the certification of copies of judicial records.

¹⁰[An Officer who, with respect to ^{11***} any territory or place not forming part of ¹²[India or] Her Majesty's dominions, is a Political Agent therefor, as defined in section 3, ¹³[clause (43)], of the General Clauses Act, 1897, shall, for the purposes of this section, be deemed to be a representative of the ³[Central Government] ¹⁴[in and for the country] comprising that territory or place.] 10 of 1897

Presumption as to books, maps and charts.

87. The Court may presume that any book to which it may refer for information on matters of public or general interest, and that any published map or chart, the statements of which are relevant facts and which is produced for its inspection, was written and published by the person and at the time and place, by whom or at which it purports to have been written or published.

1. Subs. by the A.O. 1950, for "British".
2. The words "of Her Majesty, or" omitted, *ibid.*
3. Subs. by the A.O. 1937, for "G. of I."
4. Subs. by the A.O. 1950, for "any country not forming part".
5. The words "a Part B State or of" omitted by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch.
6. The words "Her Majesty or of" omitted by the A.O. 1950.
7. Subs. by Act 3 of 1891, s. 8, for "resident in".
8. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch. for "such Part B State or country".
9. Subs. by s. 3 and Sch. *ibid.*, for "that State or country".
10. Subs. by Act 5 of 1899, s. 4, for the former paragraph which had been ins. by Act 3 of 1891, s. 3.
11. The words "a Part B State or" which were ins. by the A.O. 1950 omitted by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch.
12. Ins. by the A.O. 1950.
13. Subs. *ibid.*, for "clause (40)".
14. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "in and for that Part B State or country".

¹[भारतीय] कौन्सल या उपकौन्सल या ²[केन्द्रीय सरकार] ³के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और उस द्वारा अधिप्रमाणीकृत होना तात्पर्यित हैं, ऐसे निष्पादित और अधिप्रमाणीकृत की गई थी।

86. न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसे किसी देश के, जो ⁴[भारत ⁵का यह हर मजेस्टी के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है,] न्यायिक अभिलेख की प्रमाणित प्रति तात्पर्यित होने वाली कोई दरतावेज असली और शुद्ध है, यदि वह दस्तावेज किसी ऐसी रीति से प्रमाणित हुई तात्पर्यित हो जिसका न्यायिक अभिलेखों की प्रतियों के प्रमाणन के लिए ⁶[उस देश] में साधारणतः काम में लाई जाने वाली रीति होना ⁷[ऐसे देश] ⁸[में या के लिए] ⁹[केन्द्रीय सरकार] के किसी प्रतिनिधि ¹⁰द्वारा प्रमाणित है।

विदेशी न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में उपधारणा।

1897 का 10

¹⁰[जो आफिसर ऐसे किसी ¹¹राज्यक्षेत्र या स्थान के लिए, जो ¹²[भारत का या] हर मजेस्टी के अधिक्षेत्रों का भाग नहीं है, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 3; ¹³[खण्ड (43)] में यथा परिभाषित राजनैतिक अभिकर्ता है, वह इस धारा के प्रयोजनों के लिए ¹⁴[उस देश] में, और के लिए] प्रतिनिधि समझा जाएगा जिसमें वह राज्यक्षेत्र या स्थान समाविष्ट है।]

87. न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि कोई पुस्तक, जिसे वह लोक या साधारण हित सम्बन्धी बातों की जानकारी के लिए देखे और कोई प्रकाशित मानचित्र या चार्ट, जिसके कथन सुसंगत तथ्य हैं, और जो उसके निरीक्षणार्थ पेश किया गया है, उस व्यक्ति द्वारा तथा उस समय और उस स्थान पर लिखा गया और प्रकाशित किया गया था जिसके द्वारा या जिस समय या जिस स्थान पर उसका लिखा जाना या प्रकाशित होना तात्पर्यित है।

पुस्तकों, मानचित्रों और चार्टों के बारे में उपधारणा।

1. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "ब्रिटिश" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हर मजेस्टी के, या" शब्दों का लोप किया गया।
3. भारत शासन (भारतीय अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "भारत सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
4. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "ऐसे किसी देश के, जो हर मजेस्टी के डोमिनियन का भाग नहीं है" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
5. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "भाग ख राज्य या" शब्दों का लोप किया गया।
6. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "हर मजेस्टी या" शब्दों का लोप किया गया।
7. 1891 के अधिनियम सं० 3 की धारा 8 द्वारा "में निवासी" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
8. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "ऐसे भाग ख राज्य या देश" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
9. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "वह राज्य या देश" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
10. 1899 के अधिनियम सं० 5 की धारा 4 द्वारा पूर्ववर्ती पैरा के स्थान पर प्रतिस्थापित जिसे 1891 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 द्वारा अन्तःस्थापित किया गया था।
11. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "भाग ख राज्य या" शब्द अन्तःस्थापित किए गए थे। इन शब्दों का 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा लोप किया गया।
12. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा अन्तःस्थापित।
13. विधि अनुकूलन आदेश, 1950 द्वारा "खण्ड (40)" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
14. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "उस भाग ख राज्य या देश में और के लिए" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Presumption as to telegraphic messages.

88. The Court may presume that a message, forwarded from a telegraph office to the person to whom such message purports to be addressed, corresponds with a message delivered for transmission at the office from which the message purports to be sent; but the Court shall not make any presumption as to the person by whom such message was delivered for transmission.

Presumption as to due execution, etc., of documents not produced.

89. The Court shall presume that every document, called for and not produced after notice to produce, was attested, stamped and executed in the manner required by law.

Presumption as to documents thirty years old.

90. Where any document, purporting or proved to be thirty years old, is produced from any custody which the Court in the particular case considers proper, the Court may presume that the signature and every other part of such document, which purports to be in the handwriting of any particular person, is in that person's handwriting, and, in the case of a document executed or attested, that it was duly executed and attested by the persons by whom it purports to be executed and attested.

Explanation.—Documents are said to be in proper custody if they are in the place in which, and under the care of the person with whom, they would naturally be; but no custody is improper if it is proved to have had a legitimate origin, or the circumstances of the particular case are such as to render such an origin probable.

This explanation applies also to section 81.

Illustrations

(a) A has been in possession of landed property for a long time. He produces from his custody deeds relating to the land showing his titles to it. The custody is proper.

(b) A produces deeds relating to landed property of which he is the mortgagee. The mortgagor is in possession. The custody is proper.

(c) A, a connection of B, produces deeds relating to lands in B's possession, which were deposited with him by B for safe custody. The custody is proper.

88. न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि कोई सन्देश, जो किसी तार घर से उस व्यक्ति को भेजा गया है, जिसे ऐसे सन्देश का सम्बोधित होना तात्पर्यित है, उस सन्देश के समरूप है जो भेजे जाने के लिए उस कार्यालय को, जहाँ से वह सन्देश पारेषित किया गया तात्पर्यित है, परिदत्त किया गया था, किन्तु न्यायालय उस व्यक्ति के बारे में, जिसने सन्देश पारेषित किए जाने के लिए परिदत्त किया था, कोई उपधारणा नहीं करेगा।

तार सन्देशों के बारे में उपधारणा।

89. न्यायालय उपधारित करेगा कि हर दस्तावेज, जिसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी और जो पेश करने की सूचना के पश्चात् पेश नहीं की गई है, विधि द्वारा अपेक्षित प्रकार से अनुप्रमाणित, स्टाम्पित और निष्पादित की गई थी।

पेश न की गई दस्तावेजों के सम्यक् निष्पादन आदि के बारे में उपधारणा।

90. जहाँ कि कोई दस्तावेज, जिसका तीस वर्ष पुरानी होना तात्पर्यित है या साबित किया गया है, ऐसी किसी अभिरक्षा में से, जिसे न्यायालय उस विशिष्ट मामले में उचित समझता है, पेश की गई है, वहाँ न्यायालय यह उपधारित कर सकेगा कि ऐसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर और उसका हर अन्य भाग, जिसका किसी विशिष्ट व्यक्ति के हस्तलेख में होना तात्पर्यित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या अनुप्रमाणित दस्तावेज होने की दशा में यह उपधारित कर सकेगा कि वह उन व्यक्तियों द्वारा सम्यक् रूप से निष्पादित और अनुप्रमाणित की गई थी जिनके द्वारा उसका निष्पादित और अनुप्रमाणित होना तात्पर्यित है।

तीस वर्ष पुरानी दस्तावेजों के बारे में उपधारणा।

स्पष्टीकरण—दस्तावेजों का उचित अभिरक्षा में होना कहा जाता है, यदि वे ऐसे स्थान में और उस व्यक्ति की देखरेख में हैं, जहाँ और जिसके पास वे प्रकृत्या होनी चाहिए; किन्तु कोई भी अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि यह साबित कर दिया जाए कि उस अभिरक्षा का उद्गम विधिसम्मत था या यदि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियाँ ऐसी हों जिनसे ऐसा उद्गम अधिसम्भाव्य हो जाता है।

यह स्पष्टीकरण धारा 81 को भी लागू है।

दृष्टान्त

(क) क भू-सम्पत्ति पर दीर्घकाल से कब्जा रखता आया है। वह उस भूमि सम्बन्धी विलेख, जिनसे उस भूमि पर उसका हक दर्शित होता है, अपनी अभिरक्षा में से पेश करता है। यह अभिरक्षा उचित है।

(ख) क उस भू-सम्पत्ति से सम्बद्ध विलेख, जिनका वह बन्धकदार है, पेश करता है। बन्धककर्ता सम्पत्ति पर कब्जा रखता है। यह अभिरक्षा उचित है।

(ग) ख का संसगी क, ख के कब्जे वाली भूमि से सम्बन्धित विलेख पेश करता है, जिन्हें ख ने उसके पास सुरक्षित अभिरक्षा के लिए निक्षिप्त किया था। यह अभिरक्षा उचित है।

CHAPTER VI

OF THE EXCLUSION OF ORAL BY DOCUMENTARY
EVIDENCE

Evidence of terms of contracts, grants and other dispositions of property reduced to form of document.

91. When the terms of a contract, or of a grant, or of any other disposition of property, have been reduced to the form of a document, and in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of a document, no evidence shall be given in proof of the terms of such contract, grant or other disposition of property, or of such matter, except the document itself, or secondary evidence of its contents in cases in which secondary evidence is admissible under the provisions hereinbefore contained.

Exception 1.—When a public officer is required by law to be appointed in writing, and when it is shown that any particular person has acted as such officer, the writing by which he is appointed need not be proved.

Exception 2.—Wills ¹[admitted to probate in ²[India]] may be proved by the probate.

Explanation 1.—This section applies equally to cases in which the contracts grants or dispositions of property referred to are contained in one document and to cases in which they are contained in more documents than one.

Explanation 2.—Where there are more originals than one, one original only need be proved.

Explanation 3.—The statement, in any document whatever, of a fact other than the facts referred to in this section, shall not preclude the admission of oral evidence as to the same fact.

Illustrations

(a) If a contract be contained in several letters, all the letters in which it is contained must be proved.

(b) If a contract is contained in a bill of exchange, the bill of exchange must be proved.

(c) If a bill of exchange is drawn in a set of three, one only need be proved.

(d) A contracts, in writing, with B, for the delivery of indigo upon certain terms. The contract mentions the fact that B had paid A the price of other indigo contracted for verbally on another occasion.

1. Subs. by Act 18 of 1872, s. 7, for "under the Indian Succession Act";

2. Subs. by Act 3 of 1951, s. 3 and Sch., for "the States".

अध्याय 6

दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में

91. जबकि किसी संविदा के या अनुदान के या सम्पत्ति के किसी अन्य व्ययन के निबन्धन दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध कर लिए गए हों, तब, तथा उन सब दशाओं में, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि कोई बात दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, ऐसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन के निबन्धनों के या ऐसी बात के साबित किए जाने के लिए स्वयं उस दस्तावेज के सिवाय, या उन दशाओं में जिनमें एतस्मिन्पूर्व अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अधीन द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है, उसकी अन्तर्वस्तु के द्वितीयक साक्ष्य के सिवाय, कोई भी साक्ष्य नहीं दिया जाएगा।

दस्तावेजों के रूप में लेखबद्ध संविदाओं, अनुदानों तथा सम्पत्ति के अन्य व्ययनों के निबन्धनों का साक्ष्य।

अपवाद 1—जबकि विधि द्वारा यह अपेक्षित है कि किसी लोक आफिसर की नियुक्ति लिखित रूप में हो और जब यह दर्शाया गया है कि किसी विशिष्ट व्यक्ति ने एसे आफिसर के नाते कार्य किया है तब उस लेख का, जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया था, साबित किया जाना आवश्यक नहीं है।

अपवाद 2—जिन विलों का ¹[²भारत] में प्रोबेट मिला है, वे प्रोबेट द्वारा साबित की जा सकेंगी।

स्पष्टीकरण 1—यह धारा उन दशाओं को, जिनमें निर्दिष्ट संविदाएं, अनुदान या सम्पत्ति के व्ययन एक ही दस्तावेज में अन्तर्विष्ट हैं तथा उन दशाओं को, जिनमें वे एक से अधिक दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट हैं, समान रूप से लागू हैं।

स्पष्टीकरण 2—जहां कि एक से अधिक मूल हैं, वहां केवल एक मूल साबित करना आवश्यक है।

स्पष्टीकरण 3—इस धारा में निर्दिष्ट तथ्यों से भिन्न किसी तथ्य का किसी भी दस्तावेज में कथन, उसी तथ्य के बारे में मौखिक साक्ष्य की ग्राह्यता का प्रवारण नहीं करेगा।

वृष्टान्त

(क) यदि कोई संविदा कई पत्रों में अन्तर्विष्ट है, तो वे सभी पत्र, जिनमें वह अन्तर्विष्ट है, साबित करने होंगे।

(ख) यदि कोई संविदा किसी विनियम-पत्र में अन्तर्विष्ट है, तो वह विनियम-पत्र साबित करना होगा।

(ग) यदि विनियम-पत्र तीन परतों में लिखित है, तो केवल एक को साबित करना आवश्यक है।

(घ) ख से कतिपय निबन्धनों पर क नील के परिदान के लिए लिखित संविदा करता है। संविदा इस तथ्य का वर्णन करती है कि ख ने क को किसी अन्य अवसर पर मौखिक रूप से संविदाकृत अन्य नील का मूल्य चुकाया था।

1. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 7 द्वारा "भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अधीन" के स्थान पर प्रतिस्थापित।
2. 1951 के अधिनियम सं० 3 की धारा 3 और अनुसूची द्वारा "राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित।

Oral evidence is offered that no payment was made for the other indigo. The evidence is admissible.

(e) A gives B receipt for money paid by B.

Oral evidence is offered of the payment.

The evidence is admissible.

Exclusion of evidence of oral agreement.

92. When the terms of any such contract, grant or other disposition of property, or any matter required by law to be reduced to the form of a document, have been proved according to the last section, no evidence of any oral agreement or statement shall be admitted, as between the parties to any such instrument or their representatives in interest, for the purpose of contradicting, varying, adding to, or subtracting from, its terms ;

Proviso (1).—Any fact may be proved which would invalidate any document, or which would entitle any person to any decree or order relating thereto; such as fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity in any contracting party, [want or failure] of consideration, or mistake in fact or law.

Proviso (2).—The existence of any separate oral agreement as to any matter on which a document is silent, and which is not inconsistent with its terms, may be proved. In considering whether or not this proviso applies, the Court shall have regard to the degree of formality of the document.

Proviso (3).—The existence of any separate oral agreement, constituting a condition precedent to the attaching of any obligation under any such contract, grant or disposition of property, may be proved.

Proviso (4).—The existence of any distinct subsequent oral agreement to rescind or modify any such contract, grant or disposition of property, may be proved, except in cases in which such contract, grant or disposition of property is by law required to be in writing, or has been registered according to the law in force for the time being as to the registration of documents.

Proviso (5).—Any usage or custom by which incidents not expressly mentioned in any contract are usually annexed to contracts of that description, may be proved ;

Provided that the annexing of such incident would not be repugnant to, or inconsistent with, the express terms of the contract.

Proviso (6).—Any fact may be proved which shows in what manner the language of a document is related to existing facts.

1. Subs. by Act 18 of 1872, s. 8, "for want of failure".

मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है कि अन्य नील के लिए कोई संदाय नहीं किया गया। यह साक्ष्य ग्राह्य है।

(ड) ख द्वारा दिए गए धन की रसीद ख को क देता है।

संदाय करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है।

यह साक्ष्य ग्राह्य है।

92. जबकि किसी ऐसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के अन्य व्ययन के निबन्धनों को, या किसी बात को, जिसके बारे में विधि द्वारा अपेक्षित है कि वह दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध की जाए, अंतिम पिछली धारा के अनुसार साबित किया जा चुका हो, तब किसी ऐसी लिखत के पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच के किसी मौखिक करार या कथन का कोई भी साक्ष्य उसके निबन्धनों का खण्डन करने के या उनमें फेरफार करने के या जोड़ने के या उनमें से घटाने के प्रयोजन के लिए ग्रहण न किया जाएगा :

मौखिक करार के साक्ष्य का अपवर्जन।

परन्तुक (1)—ऐसा कोई तथ्य साबित किया जा सकेगा, जो किसी दस्तावेज को अविधिमान्य बना दे या जो किसी व्यक्ति को तत्सम्बन्धी किसी डिक्ली या आदेश का हकदार बना दे, यथा कपट, अभि-वास, अवैधता, सम्यक् निष्पादन का अभाव, किसी संविदाकारी पक्षकार में सामर्थ्य का अभाव, प्रतिफल का [अभाव या निष्फलता] या विधि की या तथ्य की भूल।

परन्तुक (2)—किसी विषय के बारे में, जिसके बारे में दस्तावेज मौन है और जो उसके निबन्धनों से असंगत नहीं है, किसी पृथक् मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा। इस पर विचार करते समय कि यह परन्तुक लागू होता है या नहीं न्यायालय दस्तावेज की प्ररूपिता की मात्रा को ध्यान में रखेगा।

परन्तुक (3)—ऐसी किसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के व्ययन के अधीन कोई बाध्यता संलग्न होने की पुरोभाव्य शर्त गठित करने वाले किसी पृथक् मौखिक करार का अस्तित्व साबित किया जा सकेगा।

परन्तुक (4)—ऐसी किसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति के व्ययन को विखंडित या उपांतरित करने के लिए किसी सुभिन्न पाश्चिक मौखिक करार का अस्तित्व उन अवस्थाओं के सिवाय साबित किया जा सकेगा, जिनमें विधि द्वारा अपेक्षित है कि ऐसी संविदा, अनुदान या सम्पत्ति का व्ययन लिखित हो अथवा जिनमें दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के बारे में तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार उसका रजिस्ट्रीकरण किया जा चुका है।

परन्तुक (5)—कोई प्रथा या रूढ़ि, जिसके द्वारा किसी संविदा में अभिव्यक्त रूप से वर्णित न होने वाली प्रसंगतियाँ उस प्रकार की संविदाओं से प्रायः उपाबद्ध रहती हैं, साबित की जा सकगी :

परन्तु यह तब जबकि ऐसी प्रसंगतियों का उपाबन्धन संविदा के अभिव्यक्त निबन्धनों के विरुद्ध या उनसे असंगत न हो।

परन्तुक (6)—कोई तथ्य, जो यह दर्शाता है कि किसी दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार सम्बन्धित है, साबित किया जा सकेगा।

Illustrations

(a) A policy of insurance is effected on goods "in ships from Calcutta to London". The goods are shipped in a particular ship which is lost. The fact that that particular ship was orally excepted from the policy cannot be proved.

(b) A agrees absolutely in writing to pay B Rs. 1,000 on the first March, 1873. The fact that, at the same time an oral agreement was made that the money should not be paid till the thirty-first March cannot be proved.

(c) An estate called "the Rampore tea estate" is sold by a deed which contains a map of the property sold. The fact that land not included in the map had always been regarded as part of the estate and was meant to pass by the deed cannot be proved.

(d) A enters into a written contract with B to work certain mines, the property of B, upon certain terms. A was induced to do so by a misrepresentation of B's as to their value. This fact may be proved.

(e) A institutes a suit against B for the specific performance of a contract, and also prays that the contract may be reformed as to one of its provisions, as that provision was inserted in it by mistake. A may prove that such a mistake was made as would by law entitle him to have the contract reformed.

(f) A orders goods of B by a letter in which nothing is said as to the time of payment, and accepts the goods on delivery. B sues A for the price. A may show that the goods were supplied on credit for a term still unexpired.

(g) A sells B a horse and verbally warrants him sound. A gives B a paper in these words "Bought of A a horse of Rs. 500". B may prove the verbal warranty.

(h) A hires lodgings of B, and gives B a card on which is written — "Rooms, Rs. 200 a month." A may prove a verbal agreement that these terms were to include partial board.

A hires lodgings of B for a year, and a regularly stamped agreement, drawn up by an attorney, is made between them. It is silent on the subject of board. A may not prove that board was included in the term verbally.

दृष्टांत

(क) बीमा की एक पालिसी उस माल के लिए की गई है जो "कलकत्ते से लन्दन जाने वाले पोतों में" है। माल किसी विशिष्ट पोत से भेजा जाता है, जो पोत नष्ट हो जाता है। यह तथ्य कि वह विशिष्ट पोत उस पालिसी से मौखिक रूप से अपवादित था साबित नहीं किया जा सकता।

(ख) ख को पहली मार्च, 1873 को 1,000 रुपया देने का पक्का लिखित करार क करता है। यह तथ्य कि उसी समय एक मौखिक करार हुआ था कि यह धन इकत्तीस मार्च तक न दिया जाएगा, साबित नहीं किया जा सकता।

(ग) "रामपुर चाय सम्पदा" नामक एक सम्पदा किसी विलेख द्वारा बेची जाती है, जिसमें विक्रीत सम्पत्ति का मानचित्र अन्तर्विष्ट है। यह तथ्य कि मानचित्र में न दिखाई गई भूमि सदैव सम्पदा का भागरूप मानी जाती रही थी और उस विलेख द्वारा उसका अन्तरित होना अभिप्रेत था, साबित नहीं किया जा सकता।

(घ) क किन्हीं खानों को, जो ख की सम्पत्ति हैं, किन्हीं निबन्धनों पर काम में लाने का ख से लिखित करार करता है। उनके मूल्य के बारे में ख के दुर्व्यपदेशन द्वारा क ऐसा करने के लिए उत्प्रेरित हुआ था। यह तथ्य साबित किया जा सकेगा।

(ङ) ख पर क किसी संविदा के विनिर्दिष्ट पालन के लिए वाद संस्थित करता है और यह प्रार्थना भी करता है कि संविदा का सुधार उसके एक उपबन्ध के बारे में किया जाए क्योंकि वह उपबन्ध उसमें भूल से अन्तःस्थापित किया गया था। क साबित कर सकेगा कि ऐसी भूल की गई थी जिससे संविदा के सुधार करने का हक उसे विधि द्वारा मिलता है।

(च) क पत्र द्वारा ख का माल आदिष्ट करता है जिसमें संदाय करने के समय के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है और परिदान पर माल को प्रतिगृहीत करता है। ख मूल्य के लिए क पर वाद लाता है। क दशित कर सकेगा कि माल ऐसी अवधि के लिए उधार पर दिया गया था जो अभी अनबसित नहीं हुई है।

(छ) ख को क एक घोड़ा बेचता है और मौखिक वारण्टी देता है कि वह अच्छा है। ख को क इन शब्दों को लिख कर एक कागज देता है "क से 500 रुपए में एक घोड़ा खरीदा"। ख मौखिक वारण्टी साबित कर सकेगा।

(ज) ख का बासा क भाड़े पर लेता है और एक कार्ड देता है जिसमें लिखा है, "कमरे, 200 रुपए प्रति मास"। क यह मौखिक करार साबित कर सकेगा कि इन निबन्धनों के अन्तर्गत भागतः भोजन भी था।

ख का बासा क एक वर्ष के लिए भाड़े पर लेता है और उनक बीच अटर्नी द्वारा तैयार किया हुआ एक स्टाम्पित करार किया जाता है। वह करार भोजन देने के विषय में मौन है। क साबित नहीं कर सकगा कि मौखिक तौर पर उस निबन्धन के अन्तर्गत भोजन देना भी था।

(i) A applies to B for a debt due to A by sending a receipt for the money. B keeps the receipt and does not send the money. In a suit for the amount, A may prove this.

(j) A and B make a contract in writing to take effect upon the happening of a certain contingency. The writing is left with B, who sues A upon it. A may show the circumstances under which it was delivered.

Exclusion of evidence to explain or amend ambiguous document.

93. When the language used in a document is, on its face, ambiguous or defective, evidence may not be given of facts which would show its meaning or supply its defects.

Illustrations

(a) A agrees, in writing, to sell a horse to B for "Rs. 1,000 or Rs. 1,500".

Evidence cannot be given to show which price was to be given.

(b) A deed contains blanks. Evidence cannot be given of facts which would show how they were meant to be filled.

Exclusion of evidence against application of document to existing facts.

94. When language used in a document is plain in itself, and when it applies accurately to existing facts, evidence may not be given to show that it was not meant to apply to such facts.

Illustration

A sells to B, by deed, "my estate at Rampur containing 100 bighas". A has an estate at Rampur containing 100 bighas. Evidence may not be given of the fact that the estate meant to be sold was one situated at a different place and of a different size.

Evidence as to document unmeaning in reference to existing facts.

95. When language used in a document is plain in itself, but is unmeaning in reference to existing facts, evidence may be given to show that it was used in a peculiar sense.

Illustration

A sells to B, by deed, "my house in Calcutta".

A had no house in Calcutta, but it appears that he had a house at Howrah, of which B had been in possession since the execution of the deed.

These facts may be proved to show that the deed related to the house at Howrah.

(अ) ख से शोध्य ऋण के लिए धन की रसीद भेज कर ऋण चुकाने का क आवेदन करता है। ख रसीद रख लेता है और धन नहीं भेजता। उस रकम के लिए वाद में क इसे साबित कर सकेगा।

(ब) क और ख लिखित संविदा करते हैं जो अमुक अनिश्चित घटना के घटित होने पर प्रभावशील होनी है। वह लेख ख के पास छोड़ दिया जाता है जो उसके आधार पर क पर वाद लाता है। क उन परिस्थितियों को दायित्व कर सकेगा जिनके अश्रीन वह परिदत्त किया गया था।

93. जब कि किसी दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा देखते ही संदिग्धार्थ या त्रुटिपूर्ण है, तब उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा, जो उनका अर्थ दायित्व या उसकी त्रुटियों की पूर्ति कर दे।

संदिग्धार्थ दस्तावेज को स्पष्ट करने या उसका संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन।

दृष्टान्त

(क) ख को क 1,000 रुपयों या 1,500 रुपयों में एक घोड़ा बेचने का लिखित करार करता है।

यह दायित्व करने के लिए कि कौन सा मूल्य दिया जाना था साक्ष्य नहीं दिया जा सकता।

(ख) किसी विलेख में रिक्त स्थान है। उन तथ्यों का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता जो यह दायित्व करते हैं कि उनकी किस प्रकार पूर्ति अभिप्रेत थी।

94. जबकि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो और जब कि वह विद्यमान तथ्यों को ठीक-ठीक लागू होती हो, तब यह दायित्व करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि वह ऐसे तथ्यों को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं थी।

विद्यमान तथ्यों को दस्तावेज के लागू होने के विरुद्ध साक्ष्य का अपवर्जन।

दृष्टान्त

ख को क "रामपुर में 100 बीघे वाली मेरी सम्पदा" विलेख द्वारा बेचता है। क के पास रामपुर में 100 बीघे वाली एक सम्पदा है। इस तथ्य का साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा कि विक्रयार्थ अभिप्रेत सम्पदा किसी भिन्न स्थान पर स्थित और भिन्न माप की थी।

95. जब कि दस्तावेज में प्रयुक्त भाषा स्वयं स्पष्ट हो किन्तु विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन हो, तो यह दायित्व करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह एक विशिष्ट भाव में प्रयुक्त की गई थी।

विद्यमान तथ्यों के संदर्भ में अर्थहीन दस्तावेज के बारे में साक्ष्य।

दृष्टान्त

ख को क "मेरा कलकत्ते का गृह" विलेख द्वारा बेचता है।

क का कलकत्ते में कोई गृह नहीं था किन्तु यह प्रतीत होता है कि उसका हावड़ा में एक गृह था जो विलेख के निष्पादन के समय से ख के कब्जे में था।

इन तथ्यों को यह दायित्व करने के लिए साबित किया जा सकेगा कि विलेख का सम्बन्ध हावड़ा के गृह से था।

Evidence as to application of language which can apply to one only of several persons.

96. When the facts are such that the language used might have been meant to apply to any one, and could not have been meant to apply to more than one, of several persons or things, evidence may be given of facts which show which of those persons or things it was intended to apply to.

Illustrations

(a) A agrees to sell to B, for Rs. 1,000, "my white horse". A has two white horses. Evidence may be given of facts which show which of them was meant.

(b) A agrees to accompany B to Haidarabad. Evidence may be given of facts showing whether Haidarabad in the Dekkhan or Haidarabad in Siindh was meant.

Evidence as to application of language to one of two sets of facts, to neither of which the whole correctly applies.

97. When the language used applies partly to one set of existing facts, and partly to another set of existing facts, but the whole of it does not apply correctly to either, evidence may be given to show to which of the two it was meant to apply.

Illustration

A agrees to sell to B "my land at X in the occupation of Y". A has land at X, but not in the occupation of Y, and he has land in the occupation of Y but it is not at X. Evidence may be given of facts showing which he meant to sell.

Evidence as to meaning of illegible characters, etc.

98. Evidence may be given to show the meaning of illegible or not commonly intelligible characters, of foreign, obsolete, technical, local and provincial expressions, of abbreviations and of words used in a peculiar sense.

Illustration

A, a sculptor, agrees to sell to B, "all my mods". A has both models and modelling tools. Evidence may be given to show which he meant to sell.

Who may give evidence of agreement varying terms of document.

99. Persons who are not parties to a document, or their representatives in interest, may give evidence of any facts tending to show a contemporaneous agreement varying the terms of the document.

Illustration

A and B make a contract in writing that B shall sell A certain cotton, to be paid for on delivery. At the same time they make an oral agreement that three months' credit shall be given to A. This could not be shown as between A and B, but it might be shown by C, if it affected his interests.

96. जबकि तथ्य ऐसे हैं कि प्रयुक्त भाषा कई व्यक्तियों या चीजों में से किसी एक को लागू होने के लिए अभिप्रेत हो सकती थी तथा एक से अधिक को लागू होने के लिए अभिप्रेत नहीं हो सकती थी, तब उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दशित करते हैं कि उन व्यक्तियों या चीजों में से किस को लागू होने के लिए वह आशयित थी ।

उस भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य जो कई व्यक्तियों में से केवल एक को लागू हो सकती है ।

दृष्टान्त

(क) क 1,000 रुपए में "मेरा सफेद घोड़ा" ख को बेचने का करार करता है । क के पास दो सफेद घोड़े हैं । उन तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा जो यह दशित करते हैं कि उनमें से कौनसा घोड़ा अभिप्रेत था ।

(ख) ख के साथ क हैदराबाद जाने के लिए करार करता है । यह दशित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि दक्षिण का हैदराबाद अभिप्रेत था या सिन्ध का हैदराबाद ।

97. जबकि प्रयुक्त भाषा भागतः विद्यमान तथ्यों के एक संवर्ग को और भागतः विद्यमान तथ्यों के अन्य संवर्ग को लागू होती है, किन्तु वह पूरी कीपूरी दोनों में से किसी एक को भी ठीक-ठीक लागू नहीं होती, तब यह दशित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा कि वह दोनों में से किस को लागू होने के लिए अभिप्रेत थी ।

तथ्यों के दो संवर्गों में से जिनमें से किसी एक को भी वह भाषा पूरी की पूरी ठीक-ठीक लागू नहीं होती, उसमें से एक को भाषा के लागू होने के बारे में साक्ष्य ।

दृष्टान्त

ख को "मेरी झ में स्थित झ के अधिभाग में भूमि" बेचने का क करार करता है । क के पास झ में स्थित भूमि है, किन्तु वह झ के कब्जे में नहीं है तथा उसके पास झ के कब्जे वाली भूमि है, किन्तु वह झ में स्थित नहीं है । यह दशित करने वाले तथ्यों का साक्ष्य दिया जा सकेगा कि उसका अभिप्राय कौनसी भूमि बेचने का था ।

98. ऐसी लिपि का, जो पढ़ी न जा सके या सामान्यतः समझी न जाती हो, विदेशी, अप्रचलित, पारिभाषिक, स्थानिक और प्रांतीय शब्द प्रयोगों का, संक्षेपाक्षरों का और विशिष्ट भाव में प्रयुक्त शब्दों का अर्थ दशित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकेगा ।

ज पढ़ी जा सकने वाली लिपि आदि के अर्थ के बारे में साक्ष्य ।

दृष्टान्त

एक मूर्तिकार, क "मेरी सभी प्रतिमाएं" ख को बेचने का करार करता है । क के पास प्रतिमान और प्रतिमा बनाने के औजार भी हैं । यह दशित कराने के लिए कि वह किसे बेचने का अभिप्राय रखता था साक्ष्य दिया जा सकेगा ।

99. वे व्यक्ति जो किसी दस्तावेज के पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि नहीं हैं, ऐसे किन्हीं भी तथ्यों का साक्ष्य दे सकेंगे, जो दस्तावेज के निबन्धनों में फेरफार करने वाले किसी समकालीन करार को दशित करने की प्रवृत्ति रखते हों ।

दस्तावेज के निबन्धनों में फेरफार करने वाले करार का साक्ष्य कौन ले सकेगा ।

दृष्टान्त

क और ख लिखित संविदा करते हैं कि क को कुछ कपास ख बेचेगा जिसके लिए संदाय कपास के परिदान किए जाने पर किया जाएगा । उसी समय वे एक मौखिक करार करते हैं कि क को तीन मास का प्रत्यय दिया जाएगा । क और ख के बीच यह तथ्य दशित नहीं किया जा सकता था किन्तु यदि यह ग के हित पर प्रभार डालता है, तो यह ग द्वारा दशित किया जा सकेगा ।

Saving of provisions of Indian Succession Act relating to wills.

100. Nothing in this Chapter contained shall be taken to affect any of the provisions of the Indian Succession Act¹ as to the construction of wills. 10 of 1865

PART III

PRODUCTION AND EFFECT OF EVIDENCE

CHAPTER VII

OF THE BURDEN OF PROOF

Burden of proof.

101. Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.

When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.

Illustrations

(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed.

A must prove that B has committed the crime.

(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he asserts, and which B denies, to be true.

A must prove the existence of those facts.

On whom burden of proof lies.

102. The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.

Illustrations

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father.

If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession.

Therefore the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond.

1. See now the Indian Succession Act, 1925 (39 of 1925), Pt. VI, Ch. VI.

1865 का 10

100. इस अध्याय को कोई भी बात विल का अर्थ लगाने के बारे में भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम¹ के किन्हीं भी उपबन्धों पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी।

भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के विल सम्बन्धी उपबन्धों की व्याप्ति।

भाग 3

साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव

अध्याय 7

सबूत के भार के विषय में

101. जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के सबूत का भार। बारे में निर्णय दे, जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है।

जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आवद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है।

वृष्टान्त

(क) क न्यायालय से चाहता है कि वह ख को उस अपराध के लिए दण्डित करने का निर्णय दे जिसके बारे में क कहता है कि वह ख ने किया है।

क को यह साबित करना होगा कि ख ने वह अपराध किया है।

(ख) क न्यायालय से चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्राख्यान और ख प्रत्याख्यान करता है, यह निर्णय दे कि वह ख के कब्जे में की अमुक भूमि का हकदार है।

क को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा।

102. किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा, सबूत का भार किस पर यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई भी साक्ष्य न दिया जाए। होता है।

वृष्टान्त

(क) ख पर उस भूमि के लिए क वाद लाता है जो ख के कब्जे में है और जिसके बारे में क प्राख्यात करता है कि वह ख के पिता ग की विल द्वारा क के लिए दी गई थी।

यदि किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए, तो ख इसका हकदार होगा कि वह अपना कब्जा रखे रहे।

अतः सबूत का भार क पर है।

(ख) ख पर एक वन्दपत्र मद्धे शोधय घन के लिए क वाद लाता है।

1. देखिए अब भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (1925 का 39) भाग 6, अध्याय 6।

The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies.

If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved.

Therefore the burden of proof is on B.

Burden of proof as to particular fact.

103. The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.

Illustration

[(a)] A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission.

B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible.

104. The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.

Illustrations

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document.

A must prove that the document has been lost.


Burden of proving that case of accused comes within exceptions.

105. When a person is accused of any offence, the burden of proving the existence of circumstances bringing the case within any of the General Exceptions in the Indian Penal Code, or within any special exception or proviso contained in any other part of the same Code, or in any law defining the offence, is upon him, and the Court shall presume the absence of such circumstances. 45 of 1860

Illustrations

(a) A, accused of murder, alleges that, by reason of unsoundness of mind, he did not know the nature of the act.

1. Sic. In the Act as published in Gazette of India, 1872, Pt. IV, P. 1, there is no illustration (b).



उस बन्धपत्र का निष्पादन स्वीकृत है किन्तु ख कहता है कि वह कपट द्वारा साबित किया गया था, जिस बात का क प्रत्याख्यान करता है।

यदि दोनों में से किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाए, तो क सफल होगा क्योंकि बन्धपत्र विवादग्रस्त नहीं है और कपट साबित नहीं किया गया।

अतः सबूत का भार ख पर है।

103. किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से यह विशिष्ट तथ्य के बारे में साबित करना चाहता है कि उसके अस्तित्व में विश्वास करे, जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबन्धित न हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा।

दृष्टान्त

1[(क)] ख को क चोरी के लिए अभियोजित करता है और न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय यह विश्वास करे कि ख ने चोरी की स्वीकृति ग से की। क को यह स्वीकृति साबित करनी होगी।

ख न्यायालय से चाहता है कि वह यह विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वह अन्यत्र था। उसे यह बात साबित करनी होगी।

104. ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर है जो ऐसा साक्ष्य देना चाहता है।

साक्ष्य को प्राप्त बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना हो, उसे साबित करने का भार।

दृष्टान्त

(क) ख द्वारा किए गए मृत्यु-कालिक कथन को क साबित करना चाहता है। क को ख की मृत्यु साबित करनी होगी।

(ख) क किसी खोई हुई दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को द्वितीयिक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है।

क को यह साबित करना होगा कि दस्तावेज खो गई है।

105. जबकि कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार, जो उस मामले को भारतीय दण्ड संहिता के साधारण अपवादों में से किसी के अन्तर्गत या उसी संहिता के किसी अन्य भाग में, या उस अपराध की परिभाषा करने वाली किसी विधि में, अन्तर्विष्ट किसी विशेष अपवाद या परन्तुक के अन्तर्गत कर देती है, उस व्यक्ति पर है और न्यायालय ऐसी परिस्थितियों के अभाव की उपधारणा करेगा।

यह साबित करने का भार कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अन्तर्गत आता है।

1860 का 45

दृष्टान्त

(क) हत्या का अभियुक्त, क अभिकथित करता है कि वह चिर-विकृति के कारण उस कार्य को प्रकृति नहीं जानता था।

1. अधिनियम से एवमेव जैसा भारत के राजपत्र (अंग्रेजी) 1872, भाग 4, पृष्ठ 1 में प्रकाशित किया गया था दृष्टान्त (ख) को नहीं रखा गया है।

The burden of proof is on A.

(b) A, accused of murder, alleges that, by grave and sudden provocation, he was deprived of the power of self-control.

The burden of proof is on A.

(c) Section 325 of the Indian Penal Code provides that whoever, except in the case provided for by section 335, voluntarily causes grievous hurt, shall be subject to certain punishments. 45 of 1860

A is charged with voluntarily causing grievous hurt under section 325.

The burden of proving the circumstances bringing the case under section 335 lies on A.

Burden of proving fact especially within knowledge.

106. When any fact is especially within the knowledge of any person, the burden of proving that fact is upon him.

Illustrations

(a) When a person does an act with some intention other than that which the character and circumstances of the act suggest, the burden of proving that intention is upon him.

(b) A is charged with travelling on a railway without a ticket. The burden of proving that he had a ticket is on him.

Burden of proving death of person known to have been alive within thirty years.

107. When the question is whether a man is alive or dead, and it is shown that he was alive within thirty years, the burden of proving that he is dead is on the person who affirms it.

Burden of proving that person is alive who has not been heard of for seven years.

108. ¹[Provided that when] the question is whether a man is alive or dead, and it is proved that he has not been heard of for seven years by those who would naturally have heard of him if he had been alive, the burden of proving that he is alive is ² [shifted to] the person who affirms it.

Burden of proof as to relationship in the cases of partners, landlord and tenant, principal and agent.

109. When the question is whether persons are partners, landlord and tenant, or principal and agent, and it has been shown that they have been acting as such, the burden of proving that they do not stand, or have ceased to stand, to each other in those relationships respectively, is on the person who affirms it.

1. Subs. by Act 18 of 1872, s. 9, for "When".

2. Subs. by s. 9, *ibid.*, for "on".

सबूत का भार क पर है ।

(ख) हत्या का अभियुक्त, क, अभिकथित करता है कि वह गम्भीर और अचानक प्रकोपन के कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित हो गया था ।

सबूत का भार क पर है ।

1860 का 45

(ग) भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 उपबन्ध करती है कि जो कोई, उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 335 में उपबन्ध है, स्वेच्छया घोर उपहृति करेगा, वह अमुक दण्डों से दण्डनीय होगा ।

क पर स्वेच्छया घोर उपहृति कारित करने का, धारा 325 के अधीन आरोप है ।

इस मामले को धारा 335 के अधीन लाने वाली परिस्थितियों को साबित करने का भार क पर है ।

106. जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान, में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है ।

विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार ।

दृष्टान्त

(क) जबकि कोई व्यक्ति किसी कार्य को उस आशय से भिन्न किसी आशय से करता है, जिसे उस कार्य का स्वरूप और परिस्थितियां इंगित करती हैं, तब उस आशय को साबित करने का भार उस पर है ।

(ख) ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है । यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उस पर है ।

107. जबकि प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह दर्शित किया गया है कि वह तीस वर्ष के भीतर जीवित था, तब यह साबित करने का भार कि वह मर गया है उस व्यक्ति पर है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है ।

उस व्यक्ति की मृत्यु साबित करने का भार जिसका तीस वर्ष के भीतर जीवित होना ज्ञात है ।

108. ¹[परन्तु जबकि] प्रश्न यह है कि कोई मनुष्य जीवित है या मर गया है और यह साबित किया गया है कि उसके बारे में सात वर्ष से उन्होंने कुछ नहीं सुना है, जिन्होंने उसके बारे में यदि वह जीवित होता तो स्वाभाविकतया सुना होता, तब यह साबित करने का भार कि वह जीवित है उस व्यक्ति पर ²[चला जाता] है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है ।

यह साबित करने का भार कि वह व्यक्ति, जिसके बारे में सात वर्ष से कुछ सुना नहीं गया है, जीवित है ।

109. जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति भागीदार, भू-स्वामी और अभिधारी, या मालिक और अभिकर्ता है, और यह दर्शित कर दिया गया है कि वे इस रूप में कार्य करते रहे हैं, तब यह साबित करने का भार कि क्रमशः इन सम्बन्धों में वे परस्पर अवस्थित नहीं हैं या अवस्थित होने से परिवरित हो चुके हैं, उस व्यक्ति पर है, जो उसे प्रतिज्ञात करता है ।

भागीदारों, भू-स्वामी और अभिधारी, मालिक और अभिकर्ता के मामलों में सबूत का भार ।

1. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 9 द्वारा "जब" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 9 द्वारा "पर" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

Burden of proof as to ownership.

110. When the question is whether any person is owner of anything of which he is shown to be in possession, the burden of proving that he is not the owner is on the person who affirms that he is not the owner.

Proof of good faith in transactions where one party is in relation of active confidence.

111. Where there is a question as to the good faith of a transaction between parties, one of whom stands to the other in a position of active confidence, the burden of proving the good faith of the transaction is on the party who is in a position of active confidence.

Illustrations

(a) The good faith of a sale by a client to an attorney is in question in a suit brought by the client. The burden of proving the good faith of the transaction is on the attorney.

(b) The good faith of a sale by a son just come of age to a father is in question in a suit brought by the son. The burden of proving the good faith of the transaction is on the father.

Birth during marriage, conclusive proof of legitimacy.

112. The fact that any person was born during the continuance of a valid marriage between his mother and any man, or within two hundred and eighty days after its dissolution, the mother remaining unmarried, shall be conclusive proof that he is the legitimate son of that man, unless it can be shown that the parties to the marriage had no access to each other at any time when he could have been begotten.

Proof of cession of territory.

113. A notification in the Official Gazette that any portion of British territory has [before the commencement of Part III of the Government of India Act, 1935] been ceded to any Native State, Prince or Ruler, shall be conclusive proof that a valid cession of such territory took place at the date mentioned in such notification. 26 Geo. 5, c. 2

Court may presume existence of certain acts.

114. The Court may presume the existence of any fact which it thinks likely to have happened, regard being had to the common course of natural events, human conduct and public and private business, in their relation to the facts of the particular case.

Illustrations

The Court may presume—

(a) That a man who is in possession of stolen goods soon after the theft is either the thief or has received the goods knowing them to be stolen, unless he can account for his possession.

(b) That an accomplice is unworthy of credit, unless he is corroborated in material particulars;

1. Ins. by the A.O. 1937, Pt. III of the Government of India Act, 1935 came into force on the 1st April, 1937.

110. जबकि प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति ऐसी किसी चीज का स्वामी है जिस पर उसका कब्जा होना दर्शित किया गया है, तब यह साबित करने का भार कि वह स्वामी नहीं है, उस व्यक्ति पर है, जो प्रतिज्ञात करता है कि वह स्वामी नहीं है।

स्वामित्व के बारे के सबूत का भार।

111. जहां कि उन पक्षकारों के बीच के संव्यवहार के सद्भाव के बारे में प्रश्न है, जिन में से एक दूसरे के प्रति सक्रिय विश्वास की स्थिति में है, वहां उस संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार उस पक्षकार पर है जो सक्रिय विश्वास की स्थिति में है।

उन संव्यवहारों में सद्भाव का साबित किया जाना जिनमें एक पक्षकार का सम्बन्ध सक्रिय विश्वास का है।

दृष्टान्त

(क) कक्षीकार द्वारा अटर्नी के पक्ष में लिए गए विक्रय का सद्भाव कक्षीकार द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। संव्यवहार का सद्भाव साबित करने का भार अटर्नी पर है।

(ख) पुत्र द्वारा, जोकि हाल ही में प्राप्त हुए हुआ है, पिता को किए गए किसी विक्रय का सद्भाव पुत्र द्वारा लाए गए वाद में प्रश्नगत है। संव्यवहार के सद्भाव को साबित करने का भार पिता पर है।

112. यह तथ्य कि किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के बीच विधिमान्य विवाह के कायम रहते हुए, या उसका विघटन होने के उपरान्त माता के अविवाहित रहते हुए दो सौ अस्सी दिन के भीतर हुआ था, इस बात का निश्चायक सबूत होगा कि वह उस पुरुष का धर्मज पुत्र है, जब तक कि यह दर्शित न किया जा सके कि विवाह के पक्षकारों की परस्पर पहुंच ऐसे किसी समय नहीं थी कि जब उसका गर्भाधान किया जा सकता था।

विवाहित स्थिति के दौरान में जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है।

26 जॉ 5, अ० 2

113. शासकीय राजपत्र में यह अधिसूचना कि ब्रिटिश राज्यक्षेत्र का कोई भाग किसी भारतीय राज्य, राजा या शासक को ¹[गवर्नमेंट आफ इण्डिया ऐक्ट, 1935 के भाग 3 के प्रारम्भ से पूर्व] अध्यापित किया गया है, इस बात का निश्चायक सबूत होगी कि ऐसे राज्यक्षेत्र का ऐसी अधिसूचना में वर्णित तारीख को विधिमान्य अध्यर्पण हुआ।

राज्यक्षेत्र के अध्यर्पण का सबूत।

114. न्यायालय ऐसे किसी तथ्य का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा जिसका बढित होना उस विशिष्ट मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में प्राकृतिक घटनाओं, मानवीय आचरण तथा लोक और प्राइवेट कारबार के सामान्य अनुक्रम को ध्यान में रखते हुए वह सम्भाव्य समझता है।

न्यायालय किन्हीं तथ्यों का अस्तित्व उपधारित कर सकेगा।

दृष्टान्त

न्यायालय उपधारित कर सकेगा—

(क) कि चुराए हुए माल पर जिस मनुष्य का चोरी के शीघ्र उपरान्त कब्जा है, जब तक कि वह अपने कब्जे का कारण न बता सके, या तो वह चोर है या उसने माल को चुराया हुआ जानते हुए प्राप्त किया है ;

(ख) कि सह-अपराधी विश्वसनीयता के अयोग्य है, जब तक कि तात्विक विशिष्टियों में उसकी सम्पुष्टि नहीं होती;

1. भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा अंतःस्थापित भारत शासन अधिनियम, 1935 का भाग 3, 1 अप्रैल, 1937 को प्रवृत्त हुआ था।

- (c) That a bill of exchange, accepted or endorsed, was accepted or endorsed for good consideration.
- (d) That a thing or state of things which has been shown to be in existence within a period shorter than that within which such things or states of things usually cease to exist, is still in existence;
- (e) That judicial and official acts have been regularly performed;
- (f) That the common course of business has been followed in particular cases;
- (g) That evidence which could be and is not produced would, if produced, be unfavourable to the person who withholds it;
- (h) That if a man refuses to answer a question which he is not compelled to answer by law, the answer, if given, would be unfavourable to him;
- (i) That when a document creating an obligation is in the hands of the obligor, the obligation has been discharged.

But the Court shall also have regard to such facts as the following, in considering whether such maxims do or do not apply to the particular case before it:—

As to *illustration (a)*—A shop-keeper has in his till a marked rupee soon after it was stolen, and cannot account for its possession specifically, but is continually receiving rupees in the course of his business;

As to *illustration (b)*—A, a person of the highest character is tried for causing a man's death by an act of negligence in arranging certain machinery. B, a person of equally good character, who also took part in the arrangement, describes precisely what was done, and admits and explains the common carelessness of A and himself;

As to *illustration (c)*—A crime is committed by several persons. A, B and C, three of the criminals, are captured on the spot and kept apart from each other. Each gives an account of the crime implicating D, and the accounts corroborate each other in such a manner as to render previous concert highly improbable;

- (ग) कि कोई प्रतिगृहीत या पृष्ठांकित विनिमयपत्र समुचित प्रतिफल के लिए प्रतिगृहीत या पृष्ठांकित किया गया था;
- (घ) कि ऐसे कोई चीज या चीजों की दशा अब भी अस्तित्व में है, जिसका उतनी कालावधि से, जितनी में ऐसी चीजें या चीजों की दशाएं प्रायः अस्तित्व-शून्य हो जाती हैं, लघुतर कालावधि में अस्तित्व में होना दर्शित किया गया है ;
- (ङ) कि न्यायिक और पदीय कार्य नियमित रूप से संपादित किए गए हैं ;
- (च) कि विशिष्ट मामलों में कारबार के सामान्य अनुक्रम का अनुसरण किया गया है ;
- (छ) कि यदि वह साक्ष्य जो पेश किया जा सकता था और पेश नहीं किया गया है, पेश किया जाता, तो उस व्यक्ति के अननुकूल होता, जो उसका विधारण किए हुए है ;
- (ज) कि यदि कोई मनुष्य ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करता है, जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश नहीं है, तो उत्तर, यदि वह दिया जाता, उसके अननुकूल होता;
- (झ) कि जब किसी बाध्यता का सृजन करने वाली दस्तावेज बाध्यताधारी के हाथ में है, तब उस बाध्यता का उन्मोचन हो चुका है ।

किन्तु न्यायालय यह विचार करने में कि ऐसे सूत्र उसके समक्ष के विशिष्ट मामले को लागू होते हैं या नहीं, निम्नलिखित प्रकार के तथ्यों का भी ध्यान रखेगा—

दृष्टांत (क) के बारे में—किसी दुकानदार के पास उसके गल्ले में कोई चिह्नित रुपया उसके चुराए जाने के शीघ्र पश्चात् है, और वह उसके कब्जे का कारण विनिर्दिष्टतः नहीं बता सकता किन्तु अपने कारबार के अनुक्रम में वह रुपए लगातार प्राप्त कर रहा है;

दृष्टांत (ख) के बारे में—एक अत्यन्त ऊंचे शील का व्यक्ति, क, किसी मशीनरी को ठीक-ठीक लगाने में किसी उपेक्षापूर्वक कार्य द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करने के लिए विचारित है। वैसा ही अच्छे शील का व्यक्ति, ख, जिसने मशीनरी लगाने के उस काम में भाग लिया था, व्यीरेवार वर्णन करता है कि क्या-क्या किया गया था, और क की और स्वयं अपनी सामान्य असावधानी स्वीकृत और स्पष्ट करता है ;

दृष्टांत (ब) के बारे में—कोई अपराध कई व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। अपराधियों में से तीन क, ख, और ग घटनास्थल पर पकड़े जाते हैं और एक दूसरे से अलग रखे जाते हैं। अपराध का विवरण उनमें से हर एक ऐसा देता है जो घ को आलिप्त करता है और ये विवरण एक दूसरे को किसी ऐसी रीति में सम्पुष्ट करते हैं जिससे उनमें यह अति अनधिसम्भाव्य हो जाता है कि उन्होंने इसके पूर्व मिलकर कोई योजना बनाई थी ;

As to *illustration (c)*.—A, the drawer of a bill of exchange, was a man of business. B, the acceptor, was a young and ignorant person, completely under A's influence ;

As to *illustration (d)*.—It is proved that a river ran in a certain course five years ago, but it is known that there have been floods since that time which might change its course ;

As to *illustration (e)*.—A judicial act, the regularity of which is in question, was performed under exceptional circumstances ;

As to *illustration (f)*.—The question is, whether a letter was received. It is shown to have been posted, but the usual course of the post was interrupted by disturbances ;

As to *illustration (g)*.—A man refuses to produce a document which would bear on a contract of small importance on which he is sued, but which might also injure the feelings and reputation of his family ;

As to *illustration (h)*.—A man refuses to answer a question which he is not compelled by law to answer, but the answer to it might cause loss to him in matters unconnected with the matter in relation to which it is asked ;

As to *illustration (i)*.—A bond is in possession of the obligor, but the circumstances of the case are such that he may have stolen it.

CHAPTER VIII

ESTOPPEL

Estoppel.

115. When one person has, by his declaration, act or omission, intentionally caused or permitted another person to believe a thing to be true and to act upon such belief, neither he nor his representative shall be allowed, in any suit or proceeding between himself and such person or his representative, to deny the truth of that thing.

Illustration

A intentionally and falsely leads B to believe that certain land belongs to A, and thereby induces B to buy and pay for it.

The land afterwards becomes the property of A, and A seeks to set aside the sale on the ground that, at the time of the sale, he had no title. He must not be allowed to prove his want of title.

Estoppel of tenant; and of licensee of person in possession.

116. No tenant of immovable property, or person claiming through such tenant, shall, during the continuance of the tenancy, be permitted to deny that the

दृष्टान्त (ग) के बारे में—किसी विनिमयपत्र का लेखीवाल, क व्यापारी था। प्रतिगृहीता ख पूर्णतः क के असर के अधीन एक युवक और नासमझ व्यक्ति था ;

दृष्टान्त (घ) के बारे में—यह साबित किया गया है कि कोई नदी अमुक मार्ग में पांच वर्ष पूर्व बहती थी, किन्तु यह ज्ञात है कि उस समय से ऐसी बाढ़ें आई हैं जो उसके मार्ग को परिवर्तित कर सकती थीं ;

दृष्टान्त (ङ) के बारे में—कोई न्यायिक कार्य, जिसकी नियमितता प्रश्नगत है, असाधारण परिस्थितियों में किया गया था ;

दृष्टान्त (च) के बारे में—प्रश्न यह है कि क्या कोई पत्र प्राप्त हुआ था। उसका डाक में डाला जाना दर्शाया गया है, किन्तु डाक के सामान्य अनुक्रम में उपद्रवों के कारण बिघ्न पड़ा था ;

दृष्टान्त (छ) के बारे में—कोई मनुष्य किसी ऐसी दस्तावेज को पेश करने से इन्कार करता है जिसका असर किसी अल्प महत्व की ऐसी संविदा पर पड़ता है, जिसके आधार पर उसके विरुद्ध वाद लाया गया है, किन्तु जो उसके कुटुम्ब की भावनाओं और ब्याति को भी क्षति पहुंचा सकती है ;

दृष्टान्त (ज) के बारे में—कोई मनुष्य किसी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार करता है जिसका उत्तर देने के लिए वह विधि द्वारा विवश नहीं है, किन्तु उसका उत्तर उसे उस विषय से असंसक्त विषयों में हानि पहुंचा सकता है, जिसके सम्बन्ध में वह पूछा गया है ;

दृष्टान्त (झ) के बारे में—कोई बन्धपत्र बाध्यताधारी के कब्जे में है किन्तु मामल की परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि हो सकता है उसने उसे चुराया हो।

अध्याय 8

विवन्ध

115. जबकि एक व्यक्ति ने अपनी धोषणा, कार्य या लोप द्वारा अन्य व्यक्ति को विश्वास विवन्ध। साक्ष्य कराया है या कर लेने दिया है कि कोई बात सत्य है और ऐसे विश्वास पर कार्य कराया या करने दिया है, तब न तो उसे और न उसके प्रतिनिधि को अपने और ऐसे व्यक्ति के, या उसके प्रतिनिधि के, बीच किसी वाद या कार्यवाही में उस बात की सत्यता का प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा।

दृष्टान्त

क साक्ष्य और मिथ्या रूप से ख को यह विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है कि अमुक भूमि क की है, और तद्द्वारा ख को उसे क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए उत्प्रेरित करता है।

तत्पश्चात् भूमि क की सम्पत्ति हो जाती है और क इस आधार पर कि विक्रय के समय उसका उसमें हक नहीं था विक्रय अपास्त करने की ईप्सा करता है। उसे अपने हक का अभाव साबित नहीं करने दिया जाएगा।

116. स्थावर सम्पत्ति के किसी भी अभिधारी को या ऐसे अभिधारी से व्युत्पन्न अधिकार से दावा करने वाले व्यक्ति को, ऐसी अभिधृति के चालू रहते हुए, इसका प्रत्याख्यान न करने दिया- अभिधारी का और कब्जाधारी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी का विवन्ध।

landlord of such tenant had, at the beginning of the tenancy, a title to such immovable property; and no person who came upon any immovable property by the license of the person in possession thereof, shall be permitted to deny that such person had a title to such possession at the time when such license was given.

Estoppel of acceptor of bill of exchange, bailee or licensee.

117. No acceptor of a bill of exchange shall be permitted to deny that the drawer had authority to draw such bill or to endorse it; nor shall any bailee or licensee be permitted to deny that his bailor or licensor had, at the time when the bailment or licence commenced, authority to make such bailment or grant such licence.

Explanation 1.—The acceptor of a bill of exchange may deny that the bill was really drawn by the person by whom it purports to have been drawn.

Explanation 2.—If a bailee delivers the goods bailed to a person other than the bailor, he may prove that such person had a right to them as against the bailor.

CHAPTER IX

OF WITNESSES

Who may testify.

118. All persons shall be competent to testify unless the Court considers that they are prevented from understanding the questions put to them, or from giving rational answers to those questions, by tender years, extreme old age, disease, whether of body or mind, or any other cause of the same kind.

Explanation.—A lunatic is not incompetent to testify, unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him and giving rational answers to them.

Dumb witnesses.

119. A witness who is unable to speak may give his evidence in any other manner in which he can make it intelligible, as by writing or by signs; but such writing must be written and the signs made in open Court. Evidence so given shall be deemed to be oral evidence.

Parties to civil suit, and their wives or husbands. Husband or wife of person under criminal trial.

120. In all civil proceedings the parties to the suit, and the husband or wife of any party to the suit, shall be competent witnesses. In criminal proceedings against any person, the husband or wife of such person, respectively, shall be a competent witness.

Judges and Magistrates.

121. No Judge or Magistrate shall, except upon the special order of some Court to which he is subordinate, be compelled to answer any questions as to his own conduct in Court as such Judge or Magistrate, or as to anything which came to his knowledge in Court as such Judge or Magistrate; but he may be examined as to other matters which occurred in his presence whilst he was so acting.

जाएगा कि ऐसे अभिधारी के भू-स्वामी का ऐसी स्थावर सम्पत्ति पर, उस अभिवृत्ति के आरम्भ पर हक था तथा किसी भी व्यक्ति को, जो किसी स्थावर सम्पत्ति पर उस पर कब्जाधारी व्यक्ति की अनुज्ञप्ति द्वारा आया है, इसका प्रत्याख्यान न करने दिया जाएगा कि ऐसे व्यक्ति को उस समय, जब ऐसी अनुज्ञप्ति दी गई थी, ऐसे कब्जे का हक था।

117. किसी विनियमपत्र के प्रतिगृहीता को इसका प्रत्याख्यान करने की अनुज्ञा न दी जाएगी कि लेखीवाल को ऐसा विनियमपत्र लिखने या उसे पृष्ठंकित करने का प्राधिकार था, और न किसी उपनिहिती या अनुज्ञप्तिधारी को इसका प्रत्याख्यान करने दिया जाएगा कि उपनिधाता या अनुज्ञापक को उस समय, जब ऐसा उपनिधान या अनुज्ञप्ति आरम्भ हुई, ऐसे उपनिधान करने या अनुज्ञप्ति अनुदान करने का प्राधिकार था।

विनियमपत्र के प्रति-
गृहीता का, उपनिहिती
का या अनुज्ञप्तिधारी
का विबंध।

स्पष्टीकरण 1—किसी विनियमपत्र का प्रतिगृहीता इसका प्रत्याख्यान कर सकता है कि विनियमपत्र वास्तव में उस व्यक्ति द्वारा लिखा गया था जिसके द्वारा लिखा गया वह तात्पर्यित है।

स्पष्टीकरण 2—यदि कोई उपनिहिती, उपनिहित माल उपनिधाता से अन्य किसी व्यक्ति को परिदत्त करता है, तो वह साबित कर सकेगा कि ऐसे व्यक्ति का उस पर उपनिधाता के विरुद्ध अधिकार था।

अध्याय 9

साक्षियों के विषय में

118. सभी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए सक्षम होंगे, जब तक कि न्यायालय का यह विचार न हो कि कोमल वयस, अतिवार्धक्य, शरीर के या मन के रोग या इसी प्रकार के किसी अन्य कारण से वे उनसे किए गए प्रश्नों को समझने से या उन प्रश्नों के युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित हैं।

कोन साक्ष्य दे सकेगा।

स्पष्टीकरण—कोई पागल व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए अक्षम नहीं है, जब तक कि वह अपने पागलपन के कारण उससे किए गए प्रश्नों को समझने से या उनके युक्तिसंगत उत्तर देने से निवारित न हो।

119. वह साक्षी, जो बोलने में असमर्थ है, अपना साक्ष्य किसी अन्य प्रकार से, जिसमें वह उसे बोधगम्य बना सकता हो, यथा लिखकर या संकेतों द्वारा दे सकेगा, किन्तु ऐसा लेख और वे संकेत खुले न्यायालय में ही लिखने होंगे या करने होंगे। इस प्रकार दिया हुआ साक्ष्य मौखिक साक्ष्य ही समझा जाएगा।

मूक साक्षी।

120. सभी सिविल कार्यवाहियों में वाद के पक्षकार और वाद के किसी पक्षकार का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होंगे। किसी व्यक्ति के विरुद्ध दण्डिक कार्यवाही में उस व्यक्ति का पति या पत्नी सक्षम साक्षी होगा या होगी।

सिविल वाद के पक्षकार और उनकी पत्नियां या पति। दण्डिक विचारण के अधीन व्यक्ति का पति या पत्नी।

121. कोई भी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट न्यायालय में ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते अपने स्वयं के आचरण के बारे में, या ऐसी किसी बात के बारे में, जिसका ज्ञान उसे ऐसे न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के नाते न्यायालय में हुआ, किन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए ऐसे किसी भी न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय, जिसके वह अधीनस्थ है, विवश नहीं किया जाएगा किन्तु अन्य बातों के बारे में जो उसकी उपस्थिति में उस समय घटित हुई थीं, जब वह ऐसे कार्य कर रहा था उसकी परीक्षा की जा सकेगी।

न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट।

Illustrations

(a) A, on his trial before the Court of Session, says that a deposition was improperly taken by B, the Magistrate. B cannot be compelled to answer questions as to this, except upon the special order of a superior Court.

(b) A is accused before the Court of Session of having given false evidence before B, a Magistrate. B cannot be asked what A said, except upon the special order of the superior Court.

(c) A is accused before the Court of Session of attempting to murder a police officer whilst on his trial before B, a Session Judge. B may be examined as to what occurred.

Communications
during marriage.

122. No person who is or has been married shall be compelled to disclose any communication made to him during marriage by any person to whom he is or has been married; nor shall he be permitted to disclose any such communication, unless the person who made it, or his representative in interest, consents, except in suits between married persons, or proceedings in which one married person is prosecuted for any crime committed against the other.

Evidence as to
affairs of State.

123. No one shall be permitted to give any evidence derived from unpublished official records relating to any affairs of State, except with the permission of the officer at the head of the department concerned, who shall give or withhold such permission as he thinks fit.

Official communications.

124. No public officer shall be compelled to disclose communications made to him in official confidence, when he considers that the public interests would suffer by the disclosure.

Information as to
commission of
offences.

125. No Magistrate or Police-officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence, and no Revenue-officer shall be compelled to say whence he got any information as to the commission of any offence against the public revenue.

Explanation.—“Revenue-officer” in this section means any officer employed in or about the business of any branch of the public revenue.]

Professional communications.

126. No barrister, attorney, pleader or vakil shall at any time be permitted, unless with his client's express consent, to disclose any communication made to him in the course and for the purpose of his employment as such barrister, pleader, attorney or vakil, by or on behalf of his client, or to state the contents or condition

दृष्टान्त

(क) सेशंस न्यायालय के समक्ष अपने विचार में क कहता है कि अभिसाक्ष्य मजिस्ट्रेट ख द्वारा अनुचित रूप से लिया गया था। तद्विषयक प्रश्नों का उत्तर देने के लिए क को किसी वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय विवश नहीं किया जा सकता।

(ख) मजिस्ट्रेट ख के समक्ष मिथ्या साक्ष्य देने का क सेशंस न्यायालय के समक्ष अभियुक्त है। वरिष्ठ न्यायालय के विशेष आदेश के सिवाय ख से यह नहीं पूछा जा सकता कि क ने क्या कहा था।

(ग) क सेशंस न्यायालय के समक्ष इसलिए अभियुक्त है कि उसने सेशंस न्यायाधीश ख के समक्ष विचारित होते समय किसी पुलिस आफिसर की हत्या करने का प्रयत्न किया। ख की यह परीक्षा की जा सकेगी कि क्या घटित हुआ था।

122. कोई भी व्यक्ति, जो विवाहित है या जो विवाहित रह चुका है, किसी संसूचना को, जो किसी व्यक्ति द्वारा, जिससे वह विवाहित है या रह चुका है, विवाहित स्थिति के दौरान में उसे दी गई थी, प्रकट करने के लिए विवश न किया जाएगा, और न वह किसी ऐसी संसूचना को प्रकट करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, जब तक वह व्यक्ति, जिसने वह संसूचना दी है या उसका हित-प्रतिनिधि सम्मत न हो, सिवाय उन बादों में, जो विवाहित व्यक्तियों के बीच हों, या उन कार्यवाहियों में, जिनमें एक विवाहित व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के लिए अभियोजित है।

विवाहित स्थिति के दौरान में की गई संसूचनाएं।

123. कोई भी व्यक्ति राज्य के किसी भी कार्यकलापों से सम्बन्धित अप्रकाशित शासकीय अभिलेखों से व्युत्पन्न कोई भी साक्ष्य देने के लिए अनुज्ञात न किया जाएगा, सिवाय सम्पूक्त विभाग के प्रमुख आफिसर की अनुज्ञा के जो ऐसी अनुज्ञा देगा या उसे विचारित करेगा, जैसा करना वह ठीक समझे।

राज्य का कार्यकलापों के बारे में साक्ष्य।

124. कोई भी लोक आफिसर उसे शासकीय विश्वास में दी हुई संसूचनाओं को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब कि वह समझता है कि उस प्रकटन से लोक हित की हानि होगी।

शासकीय संसूचनाएं।

¹[125. कोई भी मजिस्ट्रेट या पुलिस आफिसर यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि किसी अपराध के किए जाने के बारे में उसे कोई जानकारी कहां से मिली, और किसी भी राजस्व आफिसर को यह कहने के लिए विवश नहीं किया जाएगा कि उसे लोक राजस्व के विरुद्ध किसी अपराध के किए जाने के बारे में कोई जानकारी कहां से मिली।

अपराधों के करने के बारे में जानकारी।

स्पष्टीकरण—इस धारा में "राजस्व आफिसर" से लोक राजस्व की किसी शाखा के कारबार में या के बारे में नियोजित आफिसर अभिप्रेत है।]

126. कोई भी बैरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर या वकील अपने कक्षीकार की अभिव्यक्त सम्मति के सिवाय ऐसी किसी संसूचना को प्रकट करने के लिए, जो उसके ऐसे बैरिस्टर, अटर्नी, प्लीडर या वकील की हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में, या के प्रयोजनार्थ उसके कक्षीकार द्वारा, या की ओर से

वृत्तिक संसूचनाएं।

of any document with which he has become acquainted in the course and for the purpose of his professional employment, or to disclose any advice given by him to his client in the course and for the purpose of such employment :

Provided that nothing in this section shall protect from disclosure—

- (1) Any such communication made in furtherance of any ¹[illegal] purpose;
- (2) Any fact observed by any barrister, pleader, attorney or vakil, in the course of his employment as such, showing that any crime or fraud has been committed since the commencement of his employment.

It is immaterial whether the attention of such barrister, ²[pleader], attorney or vakil was or was not directed to such fact by or on behalf of his client.

Explanation.—The obligation stated in this section continues after the employment has ceased.

Illustrations

(a) A, a client, says to B, an attorney—"I have committed forgery and I wish you to defend me."

As the defence of a man known to be guilty is not a criminal purpose, this communication is protected from disclosure.

(b) A, a client, says to B, an attorney—"I wish to obtain possession of property by the use of a forged deed on which I request you to sue."

This communication, being made in furtherance of a criminal purpose, is not protected from disclosure.

(c) A, being charged with embezzlement, retains B, an attorney, to defend him. In the course of the proceedings, B observes that an entry has been made in A's account-book, charging A with the sum said to have been embezzled, which entry was not in the book at the commencement of his employment.

This being a fact observed by B in the course of his employment, showing that a fraud has been committed since the commencement of the proceedings, it is not protected from disclosure.

Section 126 to apply to interpreters etc.

127. The provisions of section 126 shall apply to interpreters, and the clerks or servants of barristers, pleaders, attorneys and vakils.

1. Subs. by Act, 18 of 1872, s. 10, for "criminal".
2. Ins. by s. 10, *ibid.*

उसे दी गई हो अथवा किसी दस्तावेज की, जिससे वह अपने वृत्तिक नियोजन के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ परिचित हो गया है, अन्तर्वस्तु या दशा कथित करने को अथवा किसी सलाह को, जो ऐसे नियोजन के अनुक्रम में या के प्रयोजनार्थ उसने अपने कक्षीकार को दी है, प्रकट करने के लिए किसी भी समय अनुज्ञात नहीं किया जाएगा :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात निम्नलिखित बात को प्रकटीकरण से संरक्षण न देगी—

- (1) किसी भी ¹[अवैध] प्रयोजन को अग्रसर करने में दी गई कोई भी ऐसी संसूचना,
- (2) ऐसा कोई भी तथ्य जो किसी बरिस्टर, प्लीडर, अटर्नी या वकील ने अपनी ऐसी हैसियत में नियोजन के अनुक्रम में संप्रेक्षित किया हो, और जिससे दशित हो कि उसके नियोजन के प्रारम्भ के पश्चात् कोई अपराध या कपट किया गया है ।

यह तत्त्वहीन है कि ऐसे बरिस्टर, ²[प्लीडर,] अटर्नी या वकील का ध्यान ऐसे तथ्य के प्रति उसके कक्षीकार के द्वारा या की ओर से आकर्षित किया गया था या नहीं ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में कथित बाध्यता नियोजन के अवसित हो जाने के उपरान्त भी बनी रहती है ।

वृष्टान्त

(क) कक्षीकार क, अटर्नी ख से कहता है, "मैंने कूटरचना की है और मैं चाहता हूँ कि आप मेरी प्रतिरक्षा करें" ।

यह संसूचना प्रकटन से संरक्षित है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की प्रतिरक्षा आपराधिक प्रयोजन नहीं है, जिसका दोषी होना जान हो ।

(ख) कक्षीकार क, अटर्नी ख से कहता है, "मैं सम्पत्ति पर कब्जा कूटरचित विलेख के उपयोग द्वारा अभिप्राप्त करना चाहता हूँ और इस आधार पर वाद लाने की मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ" ।

यह संसूचना आपराधिक प्रयोजन के अग्रसर करने में की गई होने से प्रकटन से संरक्षित नहीं है ।

(ग) क पर गबन का आरोप लगाए जाने पर वह अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए अटर्नी ख को प्रतिधारित करता है । कार्यवाही के अनुक्रम में ख देखता है कि क की लेखाबही में यह प्रविष्टि की गई है कि क द्वारा उतनी रकम देनी है जितनी के बारे में अभिकथित है कि उसका गबन किया गया है, जो प्रविष्टि उसके नियोजन के प्रारम्भ के समय उस बही में नहीं थी ।

यह ख द्वारा अपने नियोजन के अनुक्रम में सम्प्रेक्षित ऐसा तथ्य होने से, जिससे दशित होता है कि कपट उस कार्यवाही के प्रारम्भ होने के पश्चात् किया गया है, प्रकटन से संरक्षित नहीं है ।

127. धारा 126 के उपबन्ध दुभाषियों और बरिस्टरों, प्लीडरों, अटर्नियों और वकीलों के लिपिकों या सेवकों को लागू होंगे ।

धारा 126 दुभाषियों आदि को लागू होगी ।

1. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 10 द्वारा "आपराधिक" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

2. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 10 द्वारा अन्तःस्थापित ।

Privilege not
waived by volun-
teering evidence

128. If any party to a suit gives evidence therein at his own instance or otherwise, he shall not be deemed to have consented thereby to such disclosure as is mentioned in section 126; and if any party to a suit or proceeding calls any such barrister, [pleader], attorney or vakil as a witness, he shall be deemed to have consented to such disclosure only if he questions such barrister, attorney or vakil on matters which, but for such question, he would not be at liberty to disclose.

Confidential com-
munications with
legal advisers.

129. No one shall be compelled to disclose to the Court any confidential communication which has taken place between him and his legal professional adviser, unless he offers himself as a witness, in which case he may be compelled to disclose any such communications as may appear to the Court necessary to be known in order to explain any evidence which he has given, but no others.

Production of
title-deeds of wit-
ness not a party.

130. No witness who is not a party to a suit shall be compelled to produce his title-deeds to any property, or any document in virtue of which he holds any property as pledgee or mortgagee or any document the production of which might tend to criminate him, unless he has agreed in writing to produce them with the person seeking the production of such deeds or some person through whom he claims.

Production of
documents which
another person,
having possession,
could refuse
to produce.

131. No one shall be compelled to produce documents in his possession, which any other person would be entitled to refuse to produce if they were in his possession, unless such last-mentioned person consents to their production.

Witness not excus-
ed from answering
on ground that
answer will crimi-
nate.

132. A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or in any civil or criminal proceeding, upon the ground that the answer to such question will criminate, or may tend directly or indirectly to criminate, such witness, or that it will expose, or tend directly or indirectly to expose, such witness to a penalty or forfeiture of any kind :

Proviso.

Provided that no such answer, which a witness shall be compelled to give, shall subject him to any arrest or prosecution, or be proved against him in any criminal proceeding, except a prosecution for giving false evidence by such answer.

Accomplice.

133. An accomplice shall be a competent witness against an accused person; and a conviction is not illegal merely because it proceeds upon the uncorroborated testimony of an accomplice.

128. यदि किसी वाद का कोई पक्षकार स्वप्रेरणा से ही या अन्यथा उसमें साक्ष्य देता है तो यह न समझा जाएगा कि तद्द्वारा उसने ऐसे प्रकटन के लिए, जैसा धारा 126 में वर्णित है, सम्मति दे दी है, तथा यदि किसी वाद या कार्यवाही का कोई पक्षकार ऐसे किसी बरिस्टर, ¹[प्लीडर], अटर्नी या वकील को साक्षी के रूप में बुलाता है, तो यह कि उसने ऐसे प्रकटन के लिए अपनी सम्मति दे दी है केवल तभी समझा जाएगा, जबकि वह ऐसे बरिस्टर, अटर्नी या वकील से उन बातों के बारे में प्रश्न करे जिनके प्रकटन के लिए वह ऐसे प्रश्नों के अभाव में स्वाधीन न होता।

साक्ष्य देने के लिए स्वयंसेव उद्यत होने से विशेषाधिकार अभिव्यक्त नहीं हो जाता।

129. कोई भी व्यक्ति किसी गोपनीय संसूचना को, जो उसके और उसके विधि-वृत्तिक सलाहकार के बीच हुई है, न्यायालय को प्रकट करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि वह अपने को साक्षी के तौर पर पेश न कर दे; ऐसे पेश करने की दशा में किन्हीं भी ऐसी संसूचनाओं को, जिन्हें उस किसी साक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए जानना, जो उसने दिया है, न्यायालय को आवश्यक प्रतीत हो, प्रकट करने के लिए विवश किया जा सकेगा किन्तु किन्हीं भी अन्य संसूचनाओं को नहीं।

विधि सलाहकारों से गोपनीय संसूचनाएं।

130. कोई भी साक्षी, जो वाद का पक्षकार नहीं है, किसी सम्पत्ति सम्बन्धी अपने हक-विलेखों को, या किसी ऐसी दस्तावेज को, जिसके बल पर वह गिरवीदार या बन्धकदार के रूप में कोई सम्पत्ति धारण करता है, या किसी दस्तावेज को, जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि उसने ऐसे विलेखों के पेश-करण की ईप्सा रखने वाले व्यक्ति के साथ, या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ जिससे व्युत्पन्न अधिकार से वह व्यक्ति दावा करता है, उन्हें पेश करने का लिखित करार न कर लिया हो।

जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक-विलेखों का पेश किया जाना।

131. कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे में की ऐसी दस्तावेजों को पेश करने के लिए, जिनको पेश करने से कोई अन्य व्यक्ति, यदि वे उसके कब्जे में होती, इन्कार करने का हकदार होता, विवश नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसा अन्तिम वर्णित व्यक्ति उनके पेशकरण के लिए सम्मति नहीं देता।

उन दस्तावेजों का पेश किया जाना जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिसका उन पर कब्जा है, पेश करने से इन्कार कर सकता था।

132. कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल या दण्डिक कार्यवाही में विवादात्मक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर क्षम्य नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसाएगा या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपराध में फंसाने की होगी अथवा वह ऐसे साक्षी को किसी किस्म की शास्ति या सम्पहरण के लिए उच्छन्न करेगा या इसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उच्छन्न करने की होगी :

इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा।

परन्तु ऐसा कोई भी उत्तर, जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अर्धधीन नहीं करेगा और न ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन में के सिवाय वह उसके विरुद्ध किसी दण्डिक कार्यवाही में साबित किया जाएगा।

परन्तु क।

133. सहअपराधी, अभिव्यक्त व्यक्ति के विरुद्ध सक्षम साक्षी होगा, और कोई दोषसिद्धि केवल इसलिए अवैध नहीं है कि वह किसी सहअपराधी के असम्पुष्ट परिसाक्ष्य के आधार पर की गई है।

सहअपराधी।

1. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 10 द्वारा अन्तःस्थापित।

Number of witnesses.

134. No particular number of witnesses shall in any case be required for the proof of any fact.

CHAPTER X

OF THE EXAMINATION OF WITNESSES

Order of production and examination of witnesses.

135. The order in which witnesses are produced and examined shall be regulated by the law and practice for the time being relating to civil and criminal procedure respectively, and, in the absence of any such law, by the discretion of the Court.

Judge to decide as to admissibility of evidence.

136. When either party proposes to give evidence of any fact, the Judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant; and the Judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant, and not otherwise.

If the fact proposed to be proved is one of which evidence is admissible only upon proof of some other fact, such last-mentioned fact must be proved before evidence is given of the fact first-mentioned, unless the party undertakes to give proof of such fact, and the Court is satisfied with such undertaking.

If the relevancy of an alleged fact depends upon another alleged fact being first proved, the Judge may, in his discretion, either permit evidence of the first fact to be given before the second fact is proved, or require evidence to be given of the second fact before evidence is given of the first fact.

Illustrations

(a) It is proposed to prove a statement about a relevant fact by a person alleged to be dead, which statement is relevant under section 32.

The fact that the person is dead must be proved by the person proposing to prove the statement, before evidence is given of the statement.

(b) It is proposed to prove, by a copy, the contents of a document said to be lost.

The fact that the original is lost must be proved by the person proposing to produce the copy, before the copy is produced.

(c) A is accused of receiving stolen property knowing it to have been stolen.

It is proposed to prove that he denied the possession of the property.

134. किसी मामले में किसी तथ्य को साबित करने के लिए साक्षियों की कोई विशिष्ट साक्षियों की संख्या सख्या अपेक्षित नहीं होगी ।

अध्याय 10

साक्षियों की परीक्षा के विषय में

135. साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम, क्रमशः सिविल और दण्ड प्रक्रिया से तत्समय सम्बन्धित विधि और पद्धति द्वारा, तथा ऐसी किसी विधि के अभाव में न्यायालय के विवेक द्वारा, विनियमित होगा ।

साक्षियों के पेशकरण और उनकी परीक्षा का क्रम ।

136. जबकि दोनों में से कोई पक्षकार किसी तथ्य का साक्ष्य देने की प्रस्थापना करता है, तब न्यायाधीश साक्ष्य देने की प्रस्थापना करने वाले पक्षकार से पूछ सकेगा कि अभिकथित तथ्य, यदि वह साबित हो जाए, किस प्रकार सुसंगत होगा, और यदि न्यायाधीश यह समझता है कि वह तथ्य यदि साबित हो गया तो सुसंगत होगा, तो वह उस साक्ष्य को ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं ।

न्यायाधीश साक्ष्य की ग्राह्यता के बारे में निश्चय करेगा ।

यदि वह तथ्य, जिसका साबित करना प्रस्थापित है, ऐसा है जिसका साक्ष्य किसी अन्य तथ्य के साबित होने पर ही ग्राह्य होता है, तो ऐसा अन्तिम वर्णित तथ्य प्रथम वर्णित तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व साबित करना होगा, जब तक कि पक्षकार ऐसे तथ्य को साबित करने का वचन न दे दे और न्यायालय ऐसे वचन से संतुष्ट न हो जाए ।

यदि एक अभिकथित तथ्य की सुसंगति अन्य अभिकथित तथ्य के प्रथम साबित होने पर निर्भर हो, तो न्यायाधीश अपने विवेकानुसार या तो दूसरे तथ्य के साबित होने के पूर्व प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिया जाना अनुज्ञात कर सकेगा, या प्रथम तथ्य का साक्ष्य दिए जाने के पूर्व द्वितीय तथ्य का साक्ष्य दिए जाने की अपेक्षा कर सकेगा ।

दृष्टान्त

(क) यह प्रस्थापना की गई है कि एक व्यक्ति के, जिसका मृत होना अभिकथित है, सुसंगत तथ्य के बारे में एक कथन को, जो कि धारा 32 के अधीन सुसंगत है, साबित किया जाए ।

इससे पूर्व कि उस कथन का साक्ष्य दिया जाए उस कथन को साबित करने की प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को यह तथ्य साबित करना होगा कि वह व्यक्ति मर गया है ।

(ख) यह प्रस्थापना की गई है कि एक ऐसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु को, जिसका खोई हुई होना कथित है, प्रतिलिपि द्वारा साबित किया जाए ।

यह तथ्य कि मूल खो गया है प्रतिलिपि पेश करने की प्रस्थापना करने वाले व्यक्ति को वह प्रतिलिपि पेश करने से पूर्व साबित करना होगा ।

(ग) क चुराई हुई सम्पत्ति को यह जानते हुए कि वह चुराई हुई है प्राप्त करने का अभियुक्त है ।

यह साबित करने की प्रस्थापना की गई है कि उसने उस सम्पत्ति के कब्जे का प्रत्याख्यान किया

The relevancy of the denial depends on the identity of the property. The Court may, in its discretion, either require the property to be identified before the denial of the possession is proved, or permit the denial of the possession to be proved before the property is identified.

(d) It is proposed to prove a fact (A) which is said to have been the cause or effect of fact in issue. There are several intermediate facts (B, C and D) which must be shown to exist before the fact (A) can be regarded as the cause or effect of the fact in issue. The Court may either permit A to be proved before B, C or D is proved, or may require proof of B, C and D before permitting proof of A.

Examination-in-chief.

137. The examination of a witness by the party who calls him shall be called his examination-in-chief.

Cross-examination.

The examination of a witness by the adverse party shall be called his cross-examination.

Re-examination.

The examination of a witness, subsequent to the cross-examination by the party who called him, shall be called his re-examination.

Order of examinations.

138. Witnesses shall be first examined-in-chief, then (if the adverse party so desires) cross-examined, then (if the party calling him so desires) re-examined.

The examination and cross-examination must relate to relevant facts but the cross-examination need not be confined to the facts to which the witness testified on his examination-in-chief.

Direction of re-examination.

The re-examination shall be directed to the explanation of matters referred to in cross-examination; and, if new matter is, by permission of the Court, introduced in re-examination, the adverse party may further cross-examine upon that matter.

Cross-examination of person called to produce a document.

139. A person summoned to produce a document does not become a witness by the mere fact that he produces it and cannot be cross-examined unless and until he is called as a witness.

Witnesses to character.

140. Witnesses to character may be cross-examined and re-examined.

Leading questions.

141. Any question suggesting the answer which the person putting it wishes or expects to receive is called a leading question.

When they must not be asked.

142. Leading questions must not, if objected to by the adverse party be asked in an examination-in-chief, or in a re-examination, except with the permission of the Court.

इस प्रत्याख्यान की सुसंगति सम्पत्ति की अनन्यथा पर निर्भर है। न्यायालय अपने विवेकानुसार या तो कब्जे के प्रत्याख्यान के साबित होने से पूर्व सम्पत्ति की पहिचान की जानी अपेक्षित कर सकेगा, या सम्पत्ति की पहिचान की जाने के पूर्व कब्जे का प्रत्याख्यान साबित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

(घ) किसी तथ्य (क) के, जिसका किसी विवाद्यक तथ्य का हेतुक या परिणाम होना कथित है, साबित करने की प्रस्थापना की गई है। कई मध्यान्तरिक तथ्य (ख), (ग) और (घ) हैं, जिनका, इसके पूर्व कि तथ्य (क) उस विवाद्यक तथ्य का हेतुक या परिणाम माना जा सके, अस्तित्व में होना दशित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय या तो ख, ग या घ के साबित किए जाने के पूर्व क के साबित किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा, या क का साबित किया जाना अनुज्ञात करने के पूर्व ख, ग और घ का साबित किया जाना अपेक्षित कर सकेगा।

137. किसी साक्षी की उस पक्षकार द्वारा, जो उसे बुलाता है, परीक्षा उसकी मुख्य परीक्षा **मुख्यपरीक्षा।**
कहलाएगी।

किसी साक्षी की प्रतिपक्षी द्वारा दी गई परीक्षा उसकी प्रतिपरीक्षा कहलाएगी। **प्रतिपरीक्षा।**

किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा के पश्चात् उसकी उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया था, पुनःपरीक्षा।
परीक्षा उसकी पुनःपरीक्षा कहलाएगी।

138. साक्षियों से प्रथमतः मुख्यपरीक्षा होगी, तत्पश्चात् (यदि प्रतिपक्षी ऐसा चाहे तो) **परीक्षाओं का क्रम।**
प्रतिपरीक्षा होगी, तत्पश्चात् (यदि उसे बुलाने वाला पक्षकार ऐसा चाहे तो) पुनःपरीक्षा होगी।

परीक्षा और प्रतिपरीक्षा को सुसंगत तथ्यों से सम्बन्धित होना होगा, किन्तु प्रतिपरीक्षा का उन तथ्यों तक सीमित रहना आवश्यक नहीं है, जिनका साक्षी ने अपनी मुख्यपरीक्षा में परिसाक्ष्य दिया है।

पुनःपरीक्षा उन बातों के स्पष्टीकरण के प्रति उद्दिष्ट होगी जो प्रतिपरीक्षा में निर्दिष्ट हुए **पुनःपरीक्षा की दिशा।**
हों; तथा यदि पुनःपरीक्षा में न्यायालय की अनुज्ञा से कोई नई बात प्रविष्ट की गई हो, तो प्रतिपक्षी उस बात के बारे में अतिरिक्त प्रतिपरीक्षा कर सकेगा।

139. किसी दस्तावेज को पेश करने के लिए समनित व्यक्ति केवल इस तथ्य के कारण कि वह **किसी दस्तावेज को पेश**
उसे पेश करता है साक्षी नहीं हो जाता तथा यदि और जब तक वह साक्षी के तौर पर बुलाया नहीं **करने के लिए समनित**
जाता, उसकी प्रतिपरीक्षा नहीं की जा सकती। **व्यक्ति की प्रतिपरीक्षा।**

140. शील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा और पुनःपरीक्षा की जा सकेगी। **शील का साक्ष्य देने वाले**
साक्षी।

141. कोई प्रश्न, जो उस उत्तर को सुझाता है, जिसे पूछने वाला व्यक्ति पाना चाहता है या **सूचक प्रश्न।**
पाने की आशा करता है, सूचक प्रश्न कहा जाता है।

142. सूचक प्रश्न मुख्य परीक्षा में या पुनःपरीक्षा में, यदि विरोधी पक्षकार द्वारा आक्षेप **उन्हें कब नहीं पूछना**
किया जाता है, न्यायालय की अनुज्ञा के बिना नहीं पूछे जाने चाहिए। **चाहिए।**

The Court shall permit leading questions as to matters which are introductory or undisputed, or which have, in its opinion, been already sufficiently proved.

When they may be asked.

143. Leading questions may be asked in cross-examination.

Evidence as to matters in writing.

144. Any witness may be asked, whilst under examination whether any contract, grant or other disposition of property, as to which he is giving evidence, was not contained in a document, and if he says that it was, or if he is about to make any statement as to the contents of any document, which, in the opinion of the Court, ought to be produced, the adverse party may object to such evidence being given until such document is produced, or until facts have been proved which entitle the party who called the witness to give secondary evidence of it.

Explanation.—A witness may give oral evidence of statements made by other persons about the contents of documents if such statements are in themselves relevant facts.

Illustration

The question is, whether A assaulted B.

C deposes that he heard A say to D—“B wrote a letter accusing me of theft, and I will be revenged on him”. This statement is relevant, as showing A’s motive for the assault, and evidence may be given of it, though no other evidence is given about the letter.

Cross-examination as to previous statements in writing.

145. A witness may be cross-examined as to previous statements made by him in writing or reduced into writing, and relevant to matters in question, without such writing being shown to him, or being proved; but, if it is intended to contradict him by the writing, his attention must, before the writing can be proved, be called to those parts of it which are to be used for the purpose of contradicting him.

Questions lawful in cross-examination.

146. When a witness is cross-examined, he may, in addition to the questions hereinbefore referred to, be asked any questions which tend—

(1) to test his veracity.

(2) to discover who he is and what is his position in life, or

(3) to shake his credit, by injuring his character, although the answer to such questions might tend directly or indirectly to criminate him or might expose or tend directly or indirectly to expose him to a penalty or forfeiture.

1. As to the application of s 145 to police diaries, see the code of Criminal Procedure, 1898 (Act 5 of 1898), s. 172.

न्यायालय उन बातों के बारे में, जो पुनःस्थापना के रूप में या निर्विवाद है या जो उसकी राय में पहले से ही पर्याप्त रूप से साबित हो चुके हैं, सूचक प्रश्नों के लिए अनुज्ञा देगा।

143. सूचक प्रश्न प्रतिपरीक्षा में पूछे जा सकेंगे।

उन्हें कब पूछा जा सकेगा।

144. किसी साक्षी से, जबकि वह परीक्षाधीन है, यह पूछा जा सकेगा कि क्या कोई संविदा, अनुदान या सम्पत्ति का अन्य व्ययन, जिसके बारे में वह साक्ष्य दे रहा है, किसी दस्तावेज में अन्तर्विष्ट नहीं था, और यदि वह कहता है कि वह था, या यदि वह किसी ऐसी दस्तावेज की अन्तर्वस्तु के बारे में कोई कथन करने ही वाला है, जिसे न्यायालय की राय में, पेश किया जाना चाहिए, तो प्रतिपक्षी आक्षेप कर सकेगा कि ऐसा साक्ष्य तब तक नहीं दिया जाए जब तक ऐसी दस्तावेज पेश नहीं कर दी जाती, या जब तक वे तथ्य साबित नहीं कर दिए जाते, जो उस पक्षकार को, जिसने साक्षी को बुलाया है, उसका द्वितीयक साक्ष्य देने का हक देते हैं।

लेखबद्ध विषयों के बारे में साक्ष्य।

स्पष्टीकरण—कोई साक्षी उन कथनों का, जो दस्तावेजों की अन्तर्वस्तु के बारे में अन्य व्यक्तियों द्वारा किए गए थे, मौखिक साक्ष्य दे सकेगा, यदि ऐसे कथन स्वयमेव सुसंगत तथ्य हैं।

दृष्टान्त

प्रश्न यह है कि क्या क ने ख पर हमला किया।

य अभिसाक्ष्य देता है कि उसने क को घ से यह कहते सुना है कि "ख ने मुझे एक पत्र लिखा था जिसमें मुझ पर चोरी का अभियोग लगाया था और मैं उससे बदला लूंगा" यह कथन हमले के लिए क का आशय दर्शित करने वाला होने के नाते सुसंगत है और उसका साक्ष्य दिया जा सकेगा, चाहे पत्र के बारे में कोई अन्य साक्ष्य न भी दिया गया हो।

¹ 145. किसी साक्षी की उन पूर्वतन कथनों के बारे में, जो उसने लिखित रूप में किए हैं या जो लेखबद्ध किए गए हैं और जो प्रश्नगत बातों से सुसंगत हैं, ऐसा लेख उसे दिखाए बिना, या ऐसे लेख के साबित हुए बिना, प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी, किन्तु यदि उस लेख द्वारा उसका खण्डन करने का आशय है तो उस लेख को साबित किए जा सकने के पूर्व उसका ध्यान उस लेख के उन भागों की ओर आकर्षित करना होगा जिनका उपयोग उसका खण्डन करने के प्रयोजन से किया जाना है।

पूर्वतन लेखबद्ध कथनों के बारे में प्रतिपरीक्षा।

146. जब कि किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा की जाती है, तब उससे एतस्मिन्पूर्व निर्दिष्ट प्रश्नों के अतिरिक्त ऐसे कोई भी प्रश्न पूछे जा सकेंगे, जिनकी प्रवृत्ति—

प्रतिपरीक्षा में विधिपूर्ण प्रश्न।

- (1) उसकी सत्यवादिता परखने की है,
- (2) यह पता चलाने की है कि वह कौन है और जीवन में उसकी स्थिति क्या है, अथवा
- (3) उसके शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता को धक्का-पहुंचाने की है, चाहे ऐसे प्रश्नों का उत्तर उसे प्रत्यक्षतः या परोक्षतः अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता हो, या उसे किसी शास्ति या सम्पहरण के लिए उच्छन्न करता हो या प्रत्यक्षतः या परोक्षतः उच्छन्न करने की प्रवृत्ति रखता हो।

1. पुलिस डायरियों को धारा 145 के लागू होने के बारे में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1989 (1898 का अधिनियम सं० 5) की धारा 172 देखिए।

When witness to be compelled to answer.

147. If any such question relates to a matter relevant to the suit or proceeding, the provisions of section 132 shall apply thereto.

Court to decide when question shall be asked and when witness compelled to answer.

148. If any such question relates to a matter not relevant to the suit or proceeding, except in so far as it affects the credit of the witness by injuring his character, the Court shall decide whether or not the witness shall be compelled to answer it, and may, if it thinks fit, warn the witness that he is not obliged to answer it. In exercising its discretion, the Court shall have regard to the following considerations:—

- (1) such questions are proper if they are of such a nature that the truth of the imputation conveyed by them would seriously affect the opinion of the Court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies;
- (2) such questions are improper if the imputation which they convey relates to matters so remote in time, or of such a character, that the truth of the imputation would not effect, or would affect in a slight degree, the opinion of the Court as to the credibility of the witness on the matter to which he testifies;
- (3) such questions are improper if there is a great disproportion between the importance of the imputation made against the witness's character and the importance of his evidence;
- (4) the Court may, if it sees fit, draw, from the witness's refusal to answer, the inference that the answer if given would be unfavourable.

Question not to be asked without reasonable grounds.

149. No such question as is referred to in section 148 ought to be asked, unless the person asking it has reasonable grounds for thinking that the imputation which it conveys is well-founded.

Illustrations

(a) A barrister is instructed by an attorney or vakil that an important witness is a dakait. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is a dakait.

(b) A pleader is informed by a person in Court that an important witness is a dakait. The informant, on being questioned by the pleader, gives satisfactory reasons for his statement. This is a reasonable ground for asking the witness whether he is a dakait.

147. यदि ऐसा कोई प्रश्न उस बाद या कार्यवाही से सुसंगत किसी बात से संबंधित है, तो धारा 132 के उपबन्ध उसको लागू होंगे। साक्षी को उत्तर देने के लिए कब विवश किया जाए।

148. यदि ऐसा कोई प्रश्न ऐसी बात से संबंधित है, जो उस बात या कार्यवाही से वहां तक के सिवाय, जहां तक कि वह साक्षी के शील को दोष लगाकर उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालती है, सुसंगत नहीं है, तो न्यायालय विनिश्चित करेगा कि साक्षी को उत्तर देने के लिए विवश किया जाए या नहीं और यदि वह ठीक समझे, तो साक्षी को सचेत कर सकेगा कि वह उसका उत्तर देने के लिए आवद्ध नहीं है। अपने विवेक का प्रयोग करने में न्यायालय निम्नलिखित विचारों को ध्यान में रखेगा :—

- (1) ऐसे प्रश्न उचित हैं, यदि वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनके द्वारा प्रवहण किए गए लांछन की सत्यता उस विषय में, जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर गम्भीर प्रभाव डालेगी;
- (2) ऐसे प्रश्न अनुचित हैं, यदि उनके द्वारा प्रवहण किया गया लांछन ऐसी बातों के संबंध में है जो समय में उतनी अतीत हैं या जो इस प्रकार की हैं कि लांछन की सत्यता उस विषय में, जिसका वह साक्षी परिसाक्ष्य देता है, साक्षी की विश्वसनीयता के बारे में न्यायालय की राय पर प्रभाव नहीं डालेगी या बहुत थोड़ी मात्रा में प्रभाव डालेगी;
- (3) ऐसे प्रश्न अनुचित हैं, यदि साक्षी के शील के विरुद्ध किए गए लांछन के महत्व और उसके साक्ष्य के महत्व के बीच भारी अननुपात है;
- (4) न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, साक्षी के उत्तर देने से इन्कार करने पर यह अनुमान लगा सकेगा कि उत्तर यदि दिया जाता तो, प्रतिकूल होता।

149. कोई भी ऐसा प्रश्न, जैसा धारा 148 में निर्दिष्ट है, नहीं पूछा जाना चाहिए, जब तक कि पूछने वाले व्यक्ति के पास यह सोचने के लिए युक्तियुक्त आधार न हो कि वह लांछन, जिसका उससे बहण होता है, सुधारित है। युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न न पूछा जाएगा।

दृष्टान्त

(क) किसी बैरिस्टर को किसी अटर्नी या वकील द्वारा अनुदेश दिया गया है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकेत है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकेत है, यह युक्तियुक्त आधार है।

(ख) किसी वकील को न्यायालय में किसी व्यक्ति द्वारा जानकारी दी जाती है कि एक महत्वपूर्ण साक्षी डकेत है। जानकारी देने वाला वकील द्वारा प्रश्न किए जाने पर अपने कथन के लिए समाधानप्रद कारण बताता है। उस साक्षी से यह पूछने के लिए कि क्या वह डकेत है यह युक्तियुक्त आधार है।

(c) A witness, of whom nothing whatever is known, is asked at random whether he is a daksait. There are here no reasonable grounds for the question.

(d) A witness, of whom nothing whatever is known, being questioned as to his mode of life and means of living, gives unsatisfactory answers. This may be a reasonable ground for asking him if he is a daksait.

Procedure of Court in case of question being asked without reasonable grounds.

150. If the Court is of opinion that any such question was asked without reasonable grounds, it may, if it was asked by any barrister, pleader, vakil or attorney, report the circumstances of the case to the High Court or other authority to which such barrister, pleader, vakil or attorney is subject in the exercise of his profession.

Indecent and scandalous questions.

151. The Court may forbid any questions or inquiries which it regards as indecent or scandalous, although such questions or inquiries may have some bearing on the questions before the Court, unless they relate to facts in issue, or to matters necessary to be known in order to determine whether or not the facts in issue existed.

Questions tended to insult or annoy.

152. The Court shall forbid any question which appears to it to be intended to insult or annoy, or which, though proper in itself, appears to the Court needlessly offensive in form.

Exclusion of evidence to contradict answers to questions testing veracity.

153. When a witness has been asked and has answered any question which is relevant to the inquiry only in so far as it tends to shake his credit by injuring his character, no evidence shall be given to contradict him; but, if he answers falsely, he may afterwards be charged with giving false evidence.

Exception 1—If a witness is asked whether he has been previously convicted of any crime and denies it, evidence may be given of his previous conviction.

Exception 2—If a witness is asked any question tending to impeach his impartiality, and answers it by denying the facts suggested, he may be contradicted.

Illustrations

(a) A claim against an underwriter is resisted on the ground of fraud.

The claimant is asked whether, in a former transaction, he had not made a fraudulent claim. He denies it.

(ग) किसी साक्षी से, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अटकलपत्र पूछा जाता है कि क्या वह डकैत है; यहां इस प्रश्न के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं है।

(घ) कोई साक्षी, जिसके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है, अपने जीवने के ढंग और जीविका के साधनों के बारे में पूछे जाने पर असमाधान से उत्तर देता है उससे यह पूछने का कि क्या वह डकैत है यह युक्तियुक्त आधार हो सकता है।

150. यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसा कोई प्रश्न युक्तियुक्त आधारों के बिना पूछा गया था, तो यदि वह किसी बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटर्नी द्वारा पूछा गया था, तो वह मामले की परिस्थितियों की उच्च न्यायालय को या अन्य प्राधिकारी को, जिसके ऐसा बैरिस्टर, प्लीडर, वकील या अटर्नी अपनी वृत्ति के प्रयोग में अधीन है, रिपोर्ट कर सकेगा।

युक्तियुक्त आधारों के बिना प्रश्न पूछे जाने की अवस्था में न्यायालय की प्रक्रिया।

151. न्यायालय किन्हीं प्रश्नों का या पूछताछों का, जिन्हें वह अशिष्ट या कलंकात्मक समझता है, चाहे ऐसे प्रश्न या जांच न्यायालय के समक्ष प्रश्नों को कुछ प्रभावित करने की प्रवृत्ति रखते हों, निषेध कर सकेगा, जब तक कि वे विवादात्मक तथ्यों के या उन विषयों के संबंध में न हों, जिनका ज्ञात होना यह अवधारित करने के लिए आवश्यक है कि विवादात्मक तथ्य विद्यमान थे या नहीं।

अशिष्ट और कलंकात्मक प्रश्न।

152. न्यायालय ऐसे प्रश्न का निषेध करेगा, जो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित है, या जो यद्यपि स्वयं में उचित है, तथापि रूप में न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि वह अनावश्यक तौर पर संतापकारी है।

अपमानित या क्षुब्ध करने के लिए आशयित प्रश्न।

153. जबकि किसी साक्षी से ऐसा कोई प्रश्न पूछा गया हो, जो जांच से केवल वहीं तक सुसंगत है जहां तक कि वह उसके शील को क्षति पहुंचा कर उसकी विश्वसनीयता को धक्का पहुंचाने की प्रवृत्ति रखता है, और उसने उसका उत्तर दे दिया हो, तब उसका खण्डन करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया जाएगा; किन्तु यदि वह मिथ्या उत्तर देता है, तो तत्पश्चात् उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा।

सत्यवादिता परखने के प्रश्नों के उत्तरों का खण्डन करने के लिए साक्ष्य का अपवर्जन।

अपवाद 1—यदि किसी साक्षी से पूछा जाए कि क्या वह तत्पूर्व किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध हुआ था और वह उसका प्रत्याख्यान करे, तो उसकी पूर्व दोषसिद्धि का साक्ष्य दिया जा सकेगा।

अपवाद 2—यदि किसी साक्षी से उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखने वाला कोई प्रश्न पूछा जाए और वह सुझाए हुए तथ्यों के प्रत्याख्यान द्वारा उसका उत्तर देता है, तो उसका खण्डन किया जा सकेगा।

दृष्टान्त

(क) किसी निम्नांकक के विरुद्ध एक दावे का प्रतिरोध कपट के आधार पर किया जाता है।

दावेदार से पूछा जाता है कि क्या उसने एक पिछले संब्यवहार में कपटपूर्ण दावा नहीं किया था। वह इसका प्रत्याख्यान करता है।

Evidence is offered to show that he did make such a claim.

The evidence is inadmissible.

(b) A witness is asked whether he was not dismissed from a situation for dishonesty.

He denies it.

Evidence is offered to show that he was dismissed for dishonesty.

The evidence is not admissible.

(c) A affirms that on a certain day he saw B at Lahore.

A is asked whether he himself was not on that day at Calcutta. He denies it.

Evidence is offered to show that A was on that day at Calcutta.

The evidence is admissible, not as contradicting A on a fact which affects his credit, but as contradicting the alleged fact that B was seen on the day in question in Lahore.

In each of these cases the witness might, if his denial was false, be charged with giving false evidence.

(d) A is asked whether his family has not had a blood feud with the family of B against whom he gives evidence.

He denies it. He may be contradicted on the ground that the question tends to impeach his impartiality.

Question by party to his own witness.

154. The Court may, in its discretion, permit the person who calls a witness to put any questions to him which might be put in cross-examination by the adverse party.

Impeaching credit of witness.

155. The credit of a witness may be impeached in the following ways by the adverse party, or, with the consent of the Court, by the party who calls him :—

- (1) by the evidence of persons who testify that they, from their knowledge of the witness, believe him to be unworthy of credit;
- (2) by proof that the witness has been bribed, or has ¹[accepted] the offer of a bribe, or has received any other corrupt inducement to give his evidence;

1. Subs. by Act 18 of 1872, s. 11, for "had".

यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि उसने ऐसा दावा सचमुच किया था।

यह साक्ष्य अग्राह्य है।

(ख) किसी साक्षी से पूछा जाता है कि क्या वह किसी ओहदे से बेईमानी के लिए पदच्युत नहीं किया गया था।

वह इसका प्रत्याख्यान करता है।

यह दर्शित करने के लिए कि वह बेईमानी के लिए पदच्युत किया गया था साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है।

यह साक्ष्य ग्राह्य नहीं है।

(ग) क प्रतिज्ञात करता है कि उसने अमुक दिन ख को लाहौर में देखा।

क से पूछा जाता है कि क्या वह स्वयं उस दिन कलकत्ते में नहीं था। वह इसका प्रत्याख्यान करता है।

यह दर्शित करने के लिए कि उस दिन कलकत्ते में था साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है।

यह साक्ष्य ग्राह्य है, इस नाते नहीं कि वह क का एक तथ्य के बारे में खण्डन करता है जो उसकी विश्वसनीयता पर प्रभाव डालता है, बल्कि इस नाते कि वह इस अभिकथित तथ्य का खण्डन करता कि ख प्रश्नगत दिन लाहौर में देखा गया था।

इनमें से हर एक मामले में साक्षी पर, यदि उसका प्रत्याख्यान मिथ्या था, मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकता है।

(घ) क से पूछा जाता है कि क्या उसके कुटुम्ब और ख के, जिसके विरुद्ध वह साक्ष्य देता है, कुटुम्ब में कुल बैर नहीं रहा था।

वह इसका प्रत्याख्यान करता है। उसका खण्डन इस आधार पर किया जा सकेगा कि यह प्रश्न उसकी निष्पक्षता पर अधिक्षेप करने की प्रवृत्ति रखता है।

154. न्यायालय उस व्यक्ति को, जो साक्षी को बुलाता है, उस साक्षी से कोई ऐसे प्रश्न करने की अपने विवेकानुसार अनुज्ञा दे सकेगा, जो प्रतिपक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षा में किए जा सकते हैं।

पक्षकार द्वारा अपने ही साक्षी से प्रश्न।

155. किसी साक्षी की विश्वसनीयता पर प्रतिपक्षी द्वारा, या न्यायालय की सम्मति से उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसे बुलाया है, निम्नलिखित प्रकारों से अधिक्षेप किया जा सकेगा :—

साक्षी की विश्वसनीयता पर अधिक्षेप।

- (1) उन व्यक्तियों के साक्ष्य द्वारा, जो यह परिसाक्ष्य देते हैं कि साक्षी के बारे में अपने ज्ञान के आधार पर, वे उसे विश्वसनीयता का अपात्र समझते हैं,
- (2) यह साबित किए जाने द्वारा कि साक्षी को रिश्वत दी गई है या उसने रिश्वत की प्रस्थापना ¹[प्रतिगृहीत] कर ली है या उसे अपना साक्ष्य देने के लिए कोई अन्य भ्रष्ट उत्प्रेरणा मिली है,

1. 1872 के अधिनियम सं० 18 की धारा 11 द्वारा "की है" क स्थान पर प्रतिस्थापित।

- (3) by proof of former statements inconsistent with any part of his evidence which is liable to be contradicted ;
- (4) when a man is prosecuted for rape or an attempt to ravish, it may be shown that the prosecutrix was of generally immoral character.

Explanation—A witness declaring another witness to be unworthy of credit may not, upon his examination-in-chief, give reasons for his belief, but he may be asked his reasons in cross-examination, and the answers which he gives cannot be contradicted, though, if they are false, he may afterwards be charged with giving false evidence.

Illustrations

(a) A sues B for the price of goods sold and delivered to B. C says that he delivered the goods to B.

Evidence is offered to show that, on a previous occasion, he said that he had not delivered goods to B.

The evidence is admissible.

(b) A is indicted for the murder of B.

C says that B, when dying, declared that A had given B the wound of which he died.

Evidence is offered to show that, on a previous occasion, C said that the wound was not given by A or in his presence.

The evidence is admissible.

Questions tending to corroborate evidence of relevant fact, admissible.

156. When a witness whom it is intended to corroborate gives evidence of any relevant fact, he may be questioned as to any other circumstances which he observed at or near to the time or place at which such relevant fact occurred, if the Court is of opinion that such circumstances, if proved, would corroborate the testimony of the witness as to the relevant fact which he testifies.

Illustration

A, an accomplice, gives an account of a robbery in which he took part. He describes various incidents unconnected with the robbery which occurred on his way to and from the place where it was committed.

- (3) उसके साक्ष्य के किसी ऐसे भाग से, जिसका खण्डन किया जा सकता है, असंगत पिछले कथनों को साबित करने द्वारा;
- (4) जबकि कोई मनुष्य बलात्संग या बलात्संग के प्रयत्न के लिए अभियोजित है, तब यह दर्शित किया जा सकता है कि अभियोक्ता साधारणतः व्यभिचारिणी है।

स्पष्टीकरण—कोई साक्षी जो किसी अन्य साक्षी को विश्वसनीयता के लिए अपात्र घोषित करता है, अपने से की गई मुख्य परीक्षा में अपने विश्वास के कारणों को चाहे न बताए, किन्तु प्रतिपरीक्षा में उससे उनके कारणों को पूछा जा सकेगा, और उन उत्तरों का, जिन्हें वह देता है, खण्डन नहीं किया जा सकता, तथापि यदि वे मिथ्या हों, तो तत्पश्चात् उस पर मिथ्या साक्ष्य देने का आरोप लगाया जा सकेगा।

दृष्टान्त

(क) ख को बेचे गए और परिदान किए गए माल के मूल्य के लिए ख पर क वाद लाता है। ग कहता है कि उसने ख को माल का परिदान किया।

यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर उसने कहा था कि उसने उस माल का परिदान ख को नहीं किया था।

यह साक्ष्य ग्राह्य है।

(ख) ख की हत्या के लिए क पर अभ्यारोप लगाया गया है।

ग कहता है कि ख ने मरते समय घोषित किया था कि क ने ख को यह घाव किया था, जिससे वह मर गया।

यह दर्शित करने के लिए साक्ष्य प्रस्थापित किया जाता है कि किसी पूर्व अवसर पर ग ने कहा था कि घाव क द्वारा या उसकी उपस्थिति में नहीं किया गया था।

यह साक्ष्य ग्राह्य है।

156. जबकि कोई साक्षी, जिसकी सम्पुष्टि करना आशयित हो, किसी सुसंगत तथ्य का साक्ष्य देता है, तब उससे ऐसी अन्य किन्हीं भी परिस्थितियों के बारे में प्रश्न किया जा सकेगा, जिन्हें उसने उस समय या स्थान पर, या के निकट सम्प्रेक्षित किया, जिस पर ऐसा सुसंगत तथ्य घटित हुआ, यदि न्यायालय की यह राय हो कि ऐसी परिस्थितियां, यदि वे साबित हो जाएं साक्षी के उस सुसंगत तथ्य के बारे में, जिसका वह साक्ष्य देता है, परिसाक्ष्य को सम्पुष्टि करेंगी।

सुसंगत तथ्य के साक्ष्य की सम्पुष्टि करने की प्रवृत्ति रखने वाले प्रश्न ग्राह्य होंगे।

दृष्टान्त

क एक सह अपराधी किसी लूट का, जिसमें उसने भाग लिया था, वृत्तान्त देता है। वह लूट से असंभवतः विभिन्न घटनाओं का वर्णन करता है जो उस स्थान को और जहां कि वह लूट की गई थी, जाते हुए और वहां से आते हुए मार्ग में घटित हुई थीं।

Independent evidence of these facts may be given in order to corroborate his evidence as to the robbery itself.

Former statements of witness may be proved to corroborate later testimony as to same fact.

157. In order to corroborate the testimony of a witness, any former statement made by such witness relating to the same fact at or about the time when the fact took place, or before any authority legally competent to investigate the fact, may be proved.

what matters may be proved in connection with proved statement relevant under section 32 or 33.

158. Whenever any statement, relevant under section 32 or 33, is proved, all matters may be proved either in order to contradict or to corroborate it, or in order to impeach or confirm the credit of the person by whom it was made, which might have been proved if that person had been called as a witness and had denied upon cross-examination the truth of the matter suggested.

Refreshing memory.

159. A witness may, while under examination, refresh his memory by referring to any writing made by himself at the time of the transaction concerning which he is questioned, or so soon afterwards that the Court considers it likely that the transaction was at that time fresh in his memory.

The witness may also refer to any such writing made by any other person, and read by the witness within the time aforesaid, if when he read it he knew it to be correct.

When witness may use copy of document to refresh memory.

Whenever a witness may refresh his memory by reference to any document, he may, with the permission of the Court, refer to a copy of such document :

Provided, the Court be satisfied that there is sufficient reason for the non-production of the original.

An expert may refresh his memory by reference to professional treatises.

Testimony to facts stated in document mentioned in section 159.

160. A witness may also testify to facts mentioned in any such document as is mentioned in section 159, although he has no specific recollection of the facts themselves, if he is sure that the facts were correctly recorded in the document.

Illustration

A book-keeper may testify to facts recorded by him in books regularly kept in the course of business, if he knows that the books were correctly kept, although he has forgotten the particular transactions entered.

Right of adverse party as to writing used to refresh memory.

161. Any writing referred to under the provisions of the two last preceding sections must be produced and shown to the adverse party if he requires it; such party may, if he pleases, cross-examine the witness thereupon.

1. As to the application of s. 161 to Police-Diaries, see the code of criminal Procedure, 1898 (Act 5 of 1898)'s, 172.

इन तथ्यों का स्वतंत्र साक्ष्य स्वयं उस लूट के बारे में उसके साक्ष्य को सम्पुष्ट करने के लिए दिया जा सकेगा।

157. किसी साक्षी के परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए ऐसे साक्षी द्वारा उसी तथ्य से संबंधित, उस समय पर या के लगभग जब वह तथ्य घटित हुआ था, किया हुआ, या उस तथ्य का अन्वेषण करने के लिए विधि द्वारा सक्षम किसी प्राधिकारी के समक्ष किया हुआ कोई पूर्वतन कथन साबित किया जा सकेगा।

उसी तथ्य के बारे में पश्चात्पूर्वी परिसाक्ष्य की सम्पुष्टि करने के लिए साक्षी के पूर्वतन कथन साबित किए जा सकेंगे।

158. जब कभी कोई कथन, जो धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत है, साबित कर दिया जाए, तब चाहे उसके खण्डन के लिए या सम्पुष्टि के लिए या जिसके द्वारा वह किया गया था उस व्यक्ति की विश्वसनीयता को अधिक्षिप्त या पुष्ट करने के लिए वे सभी बातें साबित की जा सकेंगी, जो यदि वह व्यक्ति साक्षी के रूप में बुलाया गया होता और उसने प्रतिपरीक्षा में सुझाई हुई बात की सत्यता का प्रत्याख्यान किया होता, तो साबित की जा सकतीं।

साबित कथन के बारे में, जो कथन धारा 32 या 33 के अधीन सुसंगत है, कौन सी बातें साबित की जा सकेंगी।

159. कोई साक्षी जबकि वह परीक्षा के अधीन है, किसी ऐसे लेख को देख करके, जो कि स्वयं उसने उस संव्यवहार के समय जिसके संबंध में उससे प्रश्न किया जा रहा है, या इतने शीघ्र पश्चात् बनाया हो कि न्यायालय इसे संभाव्य समझता हो कि वह संव्यवहार उस समय उसकी स्मृति में ताजा था, अपनी स्मृति को ताजा कर सकेगा।

स्मृति ताजी करना।

साक्षी उपर्युक्त प्रकार के किसी ऐसे लेख को भी देख सकेगा जो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया हो और उस साक्षी द्वारा उपर्युक्त समय के भीतर पढ़ा गया हो, यदि वह उस लेख का, उस समय जबकि उसने उसे पढ़ा था, सही होना जानता था।

जब कभी कोई साक्षी अपनी स्मृति किसी दस्तावेज को देखने से ताजी कर सकता है, तब वह न्यायालय की अनुज्ञा से, ऐसी दस्तावेज की प्रतिलिपि को देख सकेगा :

साक्षी स्मृति ताजी करने के लिए दस्तावेज की प्रतिलिपि का उपयोग कर कर सकेगा।

परन्तु यह तब जबकि न्यायालय का समाधान हो गया हो कि मूल को पेश न करने के लिए पर्याप्त कारण हैं।

विशेषज्ञ अपनी स्मृति वृत्तिक पुस्तकों को देख कर ताजी कर सकेगा।

160. कोई साक्षी किसी ऐसी दस्तावेज में, जैसी धारा 159 में वर्णित है, वर्णित तथ्यों का भी, चाहे उसे स्वयं उन तथ्यों का विनिर्दिष्ट स्मरण नहीं हो, परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि उसे यकीन है कि वे तथ्य उस दस्तावेज में ठीक-ठीक अभिलिखित थे।

धारा 159 में वर्णित दस्तावेज में कथित तथ्यों के लिए परिसाक्ष्य।

दृष्टांत

कोई लेखाकार कारबार के अनुक्रम में नियमित रूप से रखी जाने वाली बहियों में उसके द्वारा अभिलिखित तथ्यों का परिसाक्ष्य दे सकेगा, यदि वह जानता हो कि बहियां ठीक-ठीक रखी गई थीं, यद्यपि वह प्रविष्ट किए गए विशिष्ट संव्यवहारी को भूल गया हो।

161. पूर्ववर्ती अन्तिम दो धाराओं के उपबन्धों के अधीन देखा गया कोई लेख पेश करना और प्रतिपक्षी को दिखाना होगा, यदि वह उसकी अपेक्षा करे। ऐसा पक्षकार, यदि वह चाहे, उस साक्षी से उसके बारे में प्रतिपरीक्षा कर सकेगा।

स्मृति ताजी करने के लिए प्रयुक्त लेख के बारे में प्रतिपक्षी का अधिकार।

1. पुलिस शायर्यों की धारा 161 के लागू होने के बारे में बन्ध संहिता 1898 (1898 का अधिनियम सं 5) की धारा 172 देखिए।

Production of documents.

162. A witness summoned to produce a document shall, if it is in his possession or power, bring it to Court, notwithstanding any objection which there may be to its production or to its admissibility. The validity of any such objection shall be decided on by the Court.

The Court, if it sees fit, may inspect the document, unless it refers to matters of State, or take other evidence to enable it to determine on its admissibility.

Translation of documents.

If for such a purpose it is necessary to cause any document to be translated, the Court may, if it thinks fit, direct the translator to keep the contents secret, unless the document is to be given in evidence: and, if the interpreter disobeys such direction, he shall be held to have committed an offence under section 166 of the Indian Penal Code. 45 of 1860

Giving, as evidence, of document called for and produced on notice.

163. When a party calls for a document which he has given the other party notice to produce, and such document is produced and inspected by the party calling for its production, he is bound to give it as evidence if the party producing it requires him to do so.

Using, as evidence, of document production of which was refused on notice.

164. When a party refuses to produce a document which he has had notice to produce, he cannot afterwards use the document as evidence without the consent of the other party or the order of the Court.

Illustration

A sues B on an agreement and gives B notice to produce it. At the trial A calls for the document and B refuses to produce it. A gives secondary evidence of its contents. B seeks to produce the document itself to contradict the secondary evidence given by A, or in order to show that the agreement is not stamped. He cannot do so.

Judge's power to put questions or order production.

165. The Judge may, in order to discover or to obtain proper proof of relevant facts, ask any question he pleases, in any form, at any time, of any witness, or of the parties about any fact relevant or irrelevant; and may order the production of any document or thing; and neither the parties nor their agents shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor, without the leave of the Court, to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question :

162. किसी दस्तावेज़ को पेश करने के लिए समनित साक्षी, यदि वह उसके कब्जे में और शक्यधीन हो, ऐसे किसी आक्षेप के होने पर भी, जो उसे पेश करने या उसकी ग्राह्यता के बारे में हो, उसे न्यायालय में लाएगा। ऐसे किसी आक्षेप की विधिमान्यता न्यायालय द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

दस्तावेज़ों का पेश किया जाना।

न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, उस दस्तावेज़ का, यदि वह राज्य की बातों से संबंधित न हो, निरीक्षण कर सकेगा, या अपने को उसकी ग्राह्यता अवधारित करने के योग्य बनाने के लिए अन्य साक्ष्य ले सकेगा।

यदि ऐसे प्रयोजन के लिए किसी दस्तावेज़ का अनुवाद कराना आवश्यक हो तो न्यायालय, यदि वह ठीक समझे, अनुवादक को निदेश दे सकेगा कि वह उसकी अन्तर्वस्तु को गुप्त रखे, सिवाय जबकि दस्तावेज़ को साक्ष्य में दिया जाना हो; तथा यदि अनुवादक ऐसे निदेश की अवज्ञा करे, तो यह धारित किया जाएगा कि उसने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 166 के अधीन अपराध किया है।

दस्तावेज़ों का अनुवाद।

163. जबकि कोई पक्षकार किसी दस्तावेज़ को, जिसे पेश करने की उसने दूसरे पक्षकार को सूचना दी है, मंगाना है और ऐसी दस्तावेज़ पेश की जाती है और उस पक्षकार द्वारा, जिसने उसके पेश करने की मांग की थी, निरीक्षित हो जाती है, तब यदि उसे पेश करने वाला पक्षकार उससे ऐसा करने की अपेक्षा करता है, तो वह उसे साक्ष्य के रूप में देने के लिए आबद्ध होगा।

मंगाई गई और सूचना पर पेश की गई दस्तावेज़ का साक्ष्य के रूप में दिया जाना।

164. जबकि कोई पक्षकार ऐसी किसी दस्तावेज़ को पेश करने से इन्कार कर देता है, जिसे पेश करने की उसे सूचना मिल चुकी है, तब वह तत्पश्चात् उस दस्तावेज़ को दूसरे पक्षकार की सम्मति के या न्यायालय के आदेश के बिना साक्ष्य के रूप में उपयोग में नहीं ला सकेगा।

सूचना पाने पर जिस दस्तावेज़ के पेश करने से इन्कार कर दिया गया है उसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाना।

वृष्टान्त

ख पर किसी करार के आधार पर क वाद लाता है; और वह ख को उसे पेश करने की सूचना देता है। विचारण में क उस दस्तावेज़ की मांग करता है और ख उसे पेश करने से इन्कार करता है। क उसकी अन्तर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य देता है। क द्वारा दिए हुए द्वितीयक साक्ष्य का खण्डन करने के लिए या यह दर्शित करने के लिए कि वह करार स्टाम्पित नहीं है, ख दस्तावेज़ ही को पेश करना चाहता है। वह ऐसा नहीं कर सकता।

165. न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका उचित सबूत अभिप्राप्त करने के लिए, किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकारों से किसी भी सुसंगत या विसंगत तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न, जो वह चाहे, पूछ सकेगा, तथा किसी भी दस्तावेज़ या चीज को पेश करने का आदेश दे सकेगा; और न तो पक्षकार और न उनके अभिकर्ता हकदार होंगे कि व किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करें, न ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्तर में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी को न्यायालय की इजाजत के बिना प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे:

प्रश्न करने या पेश करने का आदेश देने की न्यायाधीश की शक्ति।

Provided that the judgment must be based upon facts declared by this Act to be relevant, and duly proved :

Provided also that this section shall not authorize any Judge to compel any witness to answer any question or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under sections 121 to 131, both inclusive, if the question were asked or the document were called for by the adverse party; nor shall the Judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under section 148 or 149; nor shall he dispense with primary evidence of any document, except in the cases hereinbefore excepted.

Power of jury or assessors to put questions.

166. In cases tried by jury or with assessors, the jury or assessors may put any questions to the witnesses, through or by leave of the Judge, which the Judge himself might put and which he considers proper.

CHAPTER XI

OF IMPROPER ADMISSION AND REJECTION OF EVIDENCE

No new trial for improper admission or rejection of evidence.

167. The improper admission or rejection of evidence shall not be ground of itself for a new trial or reversal of any decision in any case, if it shall appear to the Court before which such objection is raised that, independently of the evidence objected to and admitted, there was sufficient evidence to justify the decision, or that, if the rejected evidence had been received, it ought not to have varied the decision.

THE SCHEDULE—[Enactments repealed.] Rep. by the Repealing Act, 1938 (1 of 1938), s. 2 and Sch.

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का अधिनियम संख्यांक 1) [1 सितम्बर, 1982 को यथाविद्यमान] का सुद्धिपत्र ।

Corrigenda of the Indian Evidence Act, 1872 (Act No. 1 of 1872)
[As on the 1st September, 1982].

पृष्ठ सं./ Page No.	धारा/ Section	पंक्ति/ Line	के स्थान पर/ For	पढ़ें/ Read
1	2	3	4	5
i	Arrangement of Sections—3	5	Fact is issue	Facts in issue
i	A.rangement of Sections—10.	1	in reference of	in reference to
i	Arrangement of Sections—14	1	or of body or	or of body, or
ii	धाराओं का क्रम—22	1	भौखिक	मौखिक
ii	धाराओं का क्रम—25	1	का गई	की गई
iii	धाराओं का क्रम—56	1	अप्रेक्षणीय	अवेक्षणीय
iv	धाराओं का क्रम—67	1	हस्ताक्षर या हस्तलेख	हस्ताक्षर और हस्तलेख
v	Arrangement of Sections—117	1	bailee	bailee
v	धाराओं का क्रम—93	1	दस्तावेजों	दस्तावेज
v	धाराओं का क्रम—120	1	—	पृष्ठ सं० 53
vii	धाराओं का क्रम—शीर्षक	1	अनुग्रहण के विषय में	अग्रहण के विषय में
1	वृद्ध शीर्ष	पार्श्व शीर्ष	—	उद्देशिका
2	3	21	by itelf	by itself
2	3	14	या उस	या उसे
2	3	20	एसे अधिकार	ऐसे अधिकार
3	3 दृष्टांत	6	अभिप्रेत	अभिप्रेत
3	3 दृष्टांत	13	अनस्तित्व	अस्तित्व
3	पाद-टिप्पण 1	2	अनुकूल	अनुकूलन
4	6 Illustration(a)	2	by-standers	by-standards
4	6	3	पर घटित	स्थानों पर घटित
5	8 Illustration(a)	2	B tried	B had tried
5	7 दृष्टांत (ख)	2	गुत्थम-गुत्था	गुत्थम-गुत्था
6	8 दृष्टांत (घ)	1	क की बिल	क की बिल
8	10 Margin	4	of common	to common
9	10 Illustration	1	exist	exists
10	14	1	mind-such	mind, such
10	14	4	ing-are	ing, are
10	12 पार्श्व शीर्ष	4	करजे की प्रवृत्ति	करने की प्रवृत्ति
10	13 पार्श्व शीर्ष	2	रुढ़ी	रुढ़ि
10	”	2	तवा	तब)
11	14 Illustration(d)	3	drawn in	drawn in
11	14 दृष्टांत (घ)	1	प्रतिगृहीता	प्रतिग्रहीता
11	14 दृष्टांत (ङ)	3	वमनस्य	वैमनस्य

1	2	3	4	5
15	18(2)	1	जिससे	जिनसे
16	21(3) दृष्टांत (घ)	3	स कम म	से कम में
17	21(3) Illustration (d)	1	admissions	admissions
17	21(3) Illustration (d)	2	issue	issue
18	30	3	को अन्य ऐसे	को ऐसे अन्य
20	32(5) पार्श्व शीर्ष	1 और 2	नातेदारी अस्तित्व से सम्बन्धित है; के	नातेदारी के अस्तित्व से सम्बन्धित है ;
21	32(5) दृष्टांत (स)	2	ग्रामीण	ग्रामणी
21	32(5) दृष्टांत (ज)	1	का कथन	य कथन
23	37	2	पार्लिमेंट	पार्लमेन्ट
23	38 पार्श्व शीर्ष	1	पुस्तकों के	पुस्तकों में
23	पाद टिप्पण 3	1	राज्य विधान	राज्य के विधान
27	48 Margin	4	relevant	relevant
27	47 स्पष्टीकरण दृष्टांत	1	क क्या अमुक पत	कि क्या अमुक पत
30	57(13)	3	निर्देश	निर्देश
31	57(13)	1	अपेक्षा	अवेक्षा
31	60	17	पेश	पेश
33	65(क)	1	मूल	मूल
34	65 अवस्था (ख)	3	उसकी	उतकी
35	67 पार्श्व शीर्ष	6	या	और
36	76 Explanation	2	should be	shall be
36	74(1)(i)	1	अधिकारी	प्राधिकारी
37	पाद टिप्पण 5	1	भारत सपरिषद्	भारत के सपरिषद्
39	82 पार्श्व शीर्ष	2-3	म ग्राह्य	में ग्राह्य
39	82	4	द्वारा हस्ताक्षरित	द्वारा उसका हस्ताक्षरित
39	85	1	एसी दस्तावेज	ऐसी दस्तावेज
39	पाद टिप्पण 3	2	कन्द्रीय अधिनियम और	केन्द्रीय अधिनियम तथा
40	86 Margin	2	certified	certified
40	पाद टिप्पण 5	1	किया गया	किया गया ।
50	110 पार्श्व शीर्ष	1	वारे के	वारे में
52	114 दृष्टांत (झ)	1	मामले	मामले
57	136	9	of o	of one
58	136 Illustration(d)	1	of fact	of a fact
58	-Do-	4	prove	proved
59	14	2	disposition	disposition
59	144 Illustration Heading		Illustration	Illustration
60	48	5	exercising	exercising
61	151 Margin	2	dalou	dalous
61	153 Illustration (a)	2	denies i .	denies it.
63	156 Margin	4	admissible	admissible
64	161 Margin	3	ing	ing
66	166 पार्श्व शीर्ष	1	असेसों	असेसों
66	167 पार्श्व शीर्ष	3	नहीं होगा।	नहीं होगा ।

परन्तु निर्णय को उन तथ्यों पर, जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक् रूप से साबित किए गए हों, आधारित होना होगा :

परन्तु यह भी कि न तो यह धारा न्यायाधीश को किसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या किसी ऐसी दस्तावेज को पेश करने को विवश करने के लिए प्राधिकृत करेगी, जिसका उत्तर देने से या जिसे पेश करने से, यदि प्रतिपक्षी द्वारा वह प्रश्न पूछा गया होता या वह दस्तावेज मंगाई गई होती, तो ऐसा साक्षी दोनों धाराओं को सम्मिलित करते हुए धारा 121 से धारा 131 पर्यन्त धाराओं के अधीन इन्कार करने का हकदार होता; और न न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका पूछना किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 148 या धारा 149 के अधीन अनुचित होता; और न वह एतस्मिन्पूर्व अपवादित दशाओं के सिवाय किसी भी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य का दिया जाना अभिमुक्त करेगा।

166. जूरी द्वारा या असेसरों की सहायता से विचारित मामलों में जूरी या असेसर साक्षियों से कोई भी ऐसे प्रश्न न्यायाधीश के माध्यम से या इजाजत से कर सकेंगे, जिन्हें न्यायाधीश स्वयं कर सकता है और जिन्हें वह उचित समझे।

जूरी या असेसरों की प्रश्न करने की शक्ति।

अध्याय 11

साक्ष्य के अनुचित ग्रहण और अप्रग्रहण के विषय में

167. साक्ष्य का अनुचित ग्रहण या अप्रग्रहण स्वयमेव किसी भी मामले में नवीन विचारण के लिए या किसी विनिश्चय के उलटे जाने के लिए आधार नहीं होगा, यदि उस न्यायालय को जिस के सम्मक्ष ऐसा आक्षेप उठाया गया है, यह प्रतीत हो कि आक्षिप्त और गृहीत उस साक्ष्य के बिना भी विनिश्चय के न्यायोचित ठहराने के लिए यथेष्ट साक्ष्य था अथवा यह कि यदि अप्रगृहीत साक्ष्य लिया भी गया होता, तो उससे विनिश्चय में फेरफार न होना चाहिए था।

साक्ष्य के अनुचित ग्रहण या अप्रग्रहण के लिए नवीन विचारण नहीं होगा।

अनुसूची - [अधिनियमितियां निरसित।] निरसित अधिनियम, 1938 (1938 का 1) की धारा 2 और अनुसूची द्वारा निरसित।

22 APR 1995

14983

विक्रेता—(1) प्रकाशन और बिक्रय प्रबन्धक, विधि साहित्य प्रकाशन, भारत सरकार, भारतीय विधि संस्थान भवन, भगवानदास
नई दिल्ली-110 001.

(2) प्रकाशन-नियंत्रक, भारत सरकार, सिविल लाइन्स, दिल्ली-110 054.

CE-6

Bill No. 78-F of 2002

THE INDIAN EVIDENCE (AMENDMENT)
~~ACT~~ BILL, 2002

(AS PASSED BY THE HOUSES OF PARLIAMENT—

LOK SABHA ON 9TH DECEMBER, 2002

RAJYA SABHA ON 16TH DECEMBER, 2002)

ASSENTED TO
ON 31ST DECEMBER, 2002
ACT No. 4 OF 2003

Bill No. 78-F of 2002

Act
THE INDIAN EVIDENCE (AMENDMENT) BILL, 2002

(AS PASSED BY THE HOUSES OF PARLIAMENT)

am
Bill Act

further to amend the Indian Evidence Act, 1872.

BE it enacted by Parliament in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Indian Evidence (Amendment) Act, 2002. Short title.
2. In section 146 of the Indian Evidence Act, 1872 (hereinafter referred to as the principal Act), after clause (3), the following proviso shall be inserted, namely:— Amendment of section 146.

“Provided that in a prosecution for rape or attempt to commit rape, it shall not be permissible to put questions in the cross-examination of the prosecutrix as to her general immoral character.”

3. In section 155 of the principal Act, clause (4) shall be omitted.

1 of 1872.

Amendment
of section
155.



GOVERNMENT OF KERALA

Law (Legislation-Publication) Department

NOTIFICATION

No. 18641/Leg. Pbn. 2/2003/Law.

Dated, Thiruvananthapuram, 14th November 2003.

The following Act of Parliament published in a Gazette of India Extraordinary, Part II-Section I dated the 1st January 2003 is hereby republished for general information. The Bill as passed by the Houses of Parliament received the assent of the President on the 31st December, 2002.

By order of the Governor,

A. T. IGNATIUS,

Special Secretary (Law).

THE INDIAN EVIDENCE (AMENDMENT)

ACT, 2002

(ACT 4 OF 2003)

AN

ACT

further to amend the Indian Evidence Act, 1872.

Be it enacted by Parliament in the Fifty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. *Short title.*— (1). This Act may be called the Indian Evidence (Amendment) Act, 2002.

G. 1374/2003/G

2. *Amendment of Section 146.*— In section 146 of the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) (hereinafter referred to as the principal Act,) after clause (3), the following proviso shall be inserted, namely:—

“Provided that in a prosecution for rape or attempt to commit rape, it shall not be permissible to put questions in the cross-examination of the prosecutrix as to her general immoral character.”.

3. *Amendment of Section 155.*— In section 155 of the principal Act, clause (4) shall be omitted.